लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र / Sixth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 21 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/Contents

अंक 17 बुधवार, 6 दिसम्बर, 1972/15 अग्रहायण, 1894 (शक)

Fifth Series, Vol XXI No. 17, Wednesday, December, 6, 1972/Agrahayana 15, 1894 (Saka)

	विषय SUBJECTS	पृष्ठ PAGES
निधन सम्बन्धी उल्लेख	OBITUARY REFERENCES	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	2
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
321 कडप्पा (आंध्र प्रदेश) में सीमेंट का कारखाना	Cement factory in Cuddapah (A.P.) .	3
322 'पिन कोड' प्रणाली का प्रचार करने के उपाय	Measures of publicity to 'Pin Code' system	4
326 सीमा सुरक्षा बल मुख्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी	Employees on Deputation to B.S.F. Headquarters	7
327 भारत और बंगला देश के बीच संचार	Communications between India and Bangladesh	9
328 राज्य औद्योगिक विकास निगमों को जारी किये गये लाइसेंस के बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा उपयोग पर प्रतिबन्ध	Restriction on utilization of licence issued to State Industrial Development Corporations by big Industrial Houses	10
330 विदेशों द्वारा उद्योगों का स्थापित किया जाना	Setting up of Industries by foreign Countries	13
331 डिवाइन लाइट मिशन के अध्यक्ष बालयोगेश्वर की गतिविधियां	Activities of Balyogeshwar, Head of Divine Light Mission . . .	18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
323 आकाशवाणी के ढांचे में परिवर्तन	Changes in A.I.R. set-up . .	20
324 नागा और मिजो विद्रोहियों द्वारा आत्म समर्पण	Surrender of Naga and Mizo Rebels .	20

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता०प्र०संख्या S.Q.Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
325 टेलेक्स सुविधाओं वाले नगर	Cities with Telex Facilities . . .	20
329 चौथी योजना के दौरान मध्य प्रदेश के लिये कुल परिव्यय	Total outlay for M.P. during Fourth Plan	21
332 आजाद हिन्द फौज के सेनानियों को ताम्रपत्र देना	Award of Tamra patras to I.N.A. Personnel	21
333 देवली नजर बन्दी शिविर में नजर बन्द रखे गये स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन के लिये प्रमाण पत्र जारी करना	Issue of certificates for purpose of pension to freedom fighters detained in Deoli Detention Camp . . .	22
334 मध्य प्रदेश के विकास के लिये योजना	Scheme for Development of Madhya Pradesh	22
335 हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के एककों के लिये होल्डिंग कम्पनी स्थापित करने के लाभ	Advantages of setting up a holding Company for H.M.T. Units . .	23
336 विलास की वस्तुओं की खपत पर रोक लगाना	Curbs on Consumption of Luxury Goods	23
327 सेवानिवृत भारतीय सिविल सेवा/ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पुनः नियुक्ति	Re-Employment of Retired ICS/IAS Officers.	23
338 राज्यो में योजना विभागों के कार्यकरण की समीक्षा	Review of the Working of Planning Departments in States . . .	24
339 दिल्ली तथा नई दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं	Road Accidents in Delhi and New Delhi	25
340 पश्चिम बंगाल में फिल्म वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण	Loans given by Film Finance Corporation in West Bengal . .	26
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3192 स्वाधीनता रजत जयन्ती समारोह के समय सरकारी भवनों पर रोशनी करना	Illumination of Government Building on Silver Jubilee Celebrations .	26
3193 उड़ीसा में निर्धनता से नीचे के स्तर के लोग	People living below poverty line in Orissa	26
3194 विभिन्न उद्योगों में सेवानिवृत्त व्यक्तियों की नियुक्ति	Employment of retired persons in various industries	27
3195 तीन वर्षों से अधिक समय मे एक ही पद पर काम कर रहे अधिकारी/ पदाधिकारी	Officers/officials working on the same Posts for more than Three Years .	28

अ०ता०प्र०संख्या U.S.Q.Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3196 देश में अनुसूचित जातियों के लोगों को जिन्दा जला देने और उनके घरों को आग लगा देने की घटनाएं	Incidents of burning alive of Scheduled Castes People and setting their houses on fire in the country . . .	28
3197 जिला आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) के लखनपुर गांव की हरिजन महिलाओं को यातनाएं देना	Torture of Harijan women of village Lakhnupur of Azamgarh District (U.P.)	29
3198 मध्य प्रदेश में पांचवी योजना में स्कूटर फैक्टरी की स्थापना	Setting up of Scooter Factory in M.P. during Fifth Plan	29
3199 लाइसेंसिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए मध्य प्रदेश के व्यापारियों और औद्योगिक गृहों के विरुद्ध जांच	Inquiry against Traders and Industrial House of Madhya Pradesh for violation of Licensing Rules . . .	29
3200 मध्य प्रदेश में युवकों के लिए प्रसारण	Broadcast for Youth in Madhya Pradesh	30
3201 भारत हैवी इलैक्ट्रिक्ल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को अनुग्रह अनुदान	Ex-gratia payment to B.H.E. Ltd. Staff	30
3202 मशीन निर्माण उद्योग का औद्योगिक तौर पर पिछड़ापन	Technological gaps in Machine Building Industry	30
3203 लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र देने की शर्तें	Conditions for application for Licences	31
3204 केरल विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग से प्राप्त अनुसंधान सबंधी योजना	Research Scheme received from the Physics Department of University of Kerala	31
3205 विभागेतर कर्मचारियों संबंधी आयोग का प्रतिवेदन	Report of Commission on Extra-Departmental Workers . .	31
3206 सरकारी कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति के पश्चात् कारों तथा स्कूटरों का आवंटन	Allotment of Cars and Scooters to Government Employees after their retirement	32
3207 मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors by M.P. State Agro-Industrial Corporation . .	32
3208 उद्योग स्थापित करने के लिए राजस्थान को सहायता देना	Assistance to Rajasthan for setting up Industries	32
3209 राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सेवाओं का प्राप्त किया जाना	Requisition of services of C.B.I. by State Governments . . .	33
3210 केरल में लघु उद्योगों के उत्पादन केन्द्र	Production Centres of Small Scale Industries in Kerala . . .	34

अ०ता०प्र०संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3211 रूसी सहयोग से व्यापारिक मोटर गाड़ियों का निर्माण	Manufacture of Commercial Vehicles with Russian collaboration . .	35
3212 बहु राष्ट्रीय निगमों द्वारा उपभोक्ता उद्योग स्थापित किये जाने पर प्रतिबध	Restriction on multi-national corporations for entering the Consumer Industries	35
3213 प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर फैक्टरी	Tractor Factory in Pratapgarh .	35
3214 कार्मिक प्रशासन संबंधी सचिवों की समिति का प्रतिवेदन	Report of the Committee of Secretaries on Personnel Administration . .	36
3215 पश्चिम बंगाल में बिजली के संकट के संबंध में जांच समिति का प्रतिवेदन	Enquiry Committee Report on Power Crisis in West Bengal . . .	36
3216 मंदिर मार्ग में सार्वजनिक टेलीफोन घर	P.C.O. in Mandir Marg .	36
3217 दादरा और नागर हवेली के सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों का निर्धारण	Fixation of Pay-Scales of Government Employees of Dadra and Nagar Haveli	37
3218 त्रिपुरा में सीमेंट, इस्पात तथा लोहे की मांग	Requirements of Cement, Steel and Iron in Tripura	37
3219 भारत में विदेशी सांस्कृतिक संस्थाए	Foreign Cultural Societies in India .	38
3220 मैसर्स कोलगेट एण्ड पालमोलिव कंपनी द्वारा लाभ, लाभांश और सर्विस चार्जिज आदि का स्वदेश भेजना	Repatriation of Profits, Dividends and Service charges etc. by M/s Colgate and Palmolive Co. . . .	38
3221 पूजा के दिनों में पश्चिम बंगाल में व्यापारियों द्वारा बढ़ाये गये मूल्य	Prices inflated by Traders in West Bengal during Pujas . . .	38
3222 शिक्षित बेरोजगारों को ऋण देने की योजना	Scheme to grant Loans to Educated Unemployed	39
3223 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चीनी उद्योग को नियत्रण में लेने संबंधी बिल	Bill regarding Taking Over of Sugar Industry by U.P. Government . .	39
3224 भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों, कालेज तथा विश्व-विद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम	Medium of Instruction in Primary, Secondary, College and University Stages for Linguistic Minorities .	39
3225 प्रशासनिक नियमों और प्रक्रियाओं के अनुवाद कार्य का पूरा किया जाना	Completion of Translation work of Administrative Rules and Procedures	40
3226 कृषि मशीनरी के विकास के लिए एक एशियाई संस्थान की स्थापना	Establishment of an Asian Institute for development of Agricultural Machinery	41
3227 विश्व युवक केन्द्र, नई दिल्ली का कार्यकरण	Functioning of Vishwa Yuvak Kendra New Delhi	41

अ०ता०प्र०संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3228 चुनावों में विदेशी धन के उपयोग पर रोक लगाने के लिए विधान	Legislation to curb the role of foreign money in elections . . .	42
3229 रेलवे माल डिब्बे बनाने के लिए एक संयत्र की स्थापना	Setting up of a Plant for Manufacturing Railway Wagons	42
3230 दिल्ली में अवशिष्ट ठोस पदार्थों के उपयोग का कारखाना	Solid Waste Factory in Delhi	42
3231 समाचार पत्र अर्थव्यवस्था के बारे में समिति की कार्याविधि का बढ़ाया जाना	Term of Committee on Newspaper Economics Extended	43
3232 टेलीविजन पर फिल्में दिखाना	Film Shows on T.V. .	43
3233 एकाधिकार गृहों का राष्ट्रीयकरण	Nationalization of Monopoly Houses .	43
3234 भूतपूर्व नरेशों तथा उनके आश्रितों का पुनर्वास	Rehabilitation of former Rulers and their Dependents	44
3235 धनबाद स्थित केन्द्रीय खान अनुसंधान केन्द्र में समस्याओं का अध्ययन	Study of Problems at Central Mines Research Station, Dhanbad . .	44
3236 आसनसोल की कोयला खानों में हिंसा	Violence in Asansol Coal Mines .	45
3237 शिक्षित बेरोजगारों के लिए योजना	Schemes for Educated Unemployed	45
3238 संयुक्त राष्ट्र दिवस पर सरकारी छुट्टी के लिए संयुक्त राष्ट्र का संकल्प	U.N. Resolution for public Holiday on U.N. Day	45
3239 भारत तथा रूस के आपसी सहयोग से बनी परियोजनाएँ	Projects Finalised with Mutual Co-operation between India and U.S.S.R.	46
3240 शिक्षित बेरोजगारों के लिए कार्य-केम्प	Work Camps for Educated Unemployed	46
3241 बेरोजगारी में क्षेत्रीय असंतुलन की समस्या	Problem of Regional Imbalance in Unemployment	46
3242 निर्यात के लिए इस्पात पाइपों का उत्पादन	Production of Steel Pipes for Export .	49
3243 पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी	Unemployment in West Bengal .	49
3244 आर्थिक सहयोग के बारे में भारत रूस करार	Indo-Soviet Agreement on Economic Cooperation	50
3245 मन्त्रियों के वेतन तथा भत्तों पर व्यय	Expenditure on Salaries and Allowances of Ministers	50
3246 राजस्थान को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Rajasthan .	50

अ०ता०प्र०संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3247 पिछड़े हुए जिलों के विकास के लिये गुजरात राज्य को सहायता	Assistance to Gujarat State for Development of Backward Districts	51
3248 राज्यपालों पर समान व्यय	Uniform Expenditure on Governors .	51
3249 निर्धनता स्तर से निम्नस्तर पर गुजारा करने वाले लोगों की संख्या कम करने की योजना	Plans to reduce the number of people living below Poverty Line . .	52
3250 सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण की प्रतिशतता में वृद्धि	Raising of percentages of reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Government Services .	52
3251 ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक रिसीवर सेटों के लिए शैक्षिक तथा व्यापक कार्यक्रम बनाने के लिए सक्षम प्राधिकार की स्थापना	Setting tup of competent authority for Producing Educational and Extension Programmes for Community Receivers in Rural Areas . . .	53
3252 भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रयोगात्मक ग्रामीण टेलिवीजन प्रसारणों को सफल बनाने के लिये उपकरण बनाने के लिये विशेषज्ञ संगठन की स्थापना	Suggestion by Indian Space Research Organisation for Establishing specialised Organisation for Software preparation for making Experimental Rural T.V. Broadcasting a Success . .	53
3253 निर्धनता का उन्मूलन	Eradication of Poverty . . .	54
3254 बिजली के पावर ट्रांसस्मिशन मशीनरी और उपकरण बनाने वाले स्वदेशी बिजली उद्योग	Indigenous Electrical Industry Manufacturing Electric Power Transmission Machinery and Equipment .	55
3255 तमिलनाडु में परमाणु विद्युत संयत्र की स्थापना	Setting up of a Nuclear Power Plant in Tamilnadu	56
3256 इलैक्ट्रोनिक उपकरण बनाने के लिए नए कारखानों की स्थापना के लिए जारी किए गये लाइसेंस	Licences issued for setting up New Units for the Manufacture of Electronic Equipment	56
3257 राज्यों की राजधानियों और नई दिल्ली के बीच सीधे टेलीफोन संबंध	Telephonic Link between State Capitals and District Headquarters . .	57
3258 सामुदायिक विकास खंड मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन	P.C.Os. in Community Development Block Headquarters . . .	57
3259 देश की राजधानी और राज्यों की तथा संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था	S.T.D. link between Union Capital and Capitals of States and Union Territories	57

अ०ता०प्र०संख्या U.S.Q No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3260 सीमा सुरक्षा दल के मुख्यालय की पदाली को मंत्रालय से अलग किया जाना।	Separation of Cadre of B.S.F. Headquarters from the Ministry	51
3261 सीमा सुरक्षा दल के अधिकारियों को सेवानिवृत्ति-आये के बाद सेवा में रखना	Retention of Officers of B.S.F. Headquarters beyond the Age of Superannuation	59
3262 स्पेन में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	International Film Festival in Spain .	59
3263 केन्द्रीय सचिवालय में अराजपत्रित कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अल्पतम समय-सीमा	Minimum time limit for promotion of Non-gazetted staff in Central Secretariat	59
3265 भारत में भारत-रूस वैज्ञानिक सूचना केन्द्र स्थापित करना	Setting up of an Indo-Soviet Scientific Information Centre in India . .	60
3266 मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में असन्तुलन	Imbalances in Development of various regions of M.P. . . .	61
3267 मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से कम विकास	Development in Madhya Pradesh below National average	61
3268 पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं	Central Sector Schemes for M.P. during Fifth Plan	61
3269 वर्ष 1972-73 की वार्षिक योजना क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की कसौटी	Criteria for Central Assistance to States for implementation of Annual Plan for 1972-73	62
3270 नई दिल्ली से भेजे गये एक पार्सल की जांच करने के लिए ब्रिटिश पुलिस का अनुरोध	Request from British Police to Investigate the Posting of a Parcel from New Delhi	63
3271 राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की सहायता के लिए तमिलनाडु सरकार का केन्द्र से अनुरोध	Request from Tamilnadu Government for C.R.P.'s Help to Maintain Law and Order Situation in State . .	64
3272 आर्थिक प्रगति की दर	Rate of Economic Growth .	64
3273 पंजाब और हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश के अन्तर्गत लाने की मांग	Demand for Transfer of Hill Areas of Punjab and Haryana to Himachal Pradesh	65
3274 लघु उद्योग का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Small Scale Industries	65
3275 देश में साम्प्रदायिक दंगें	Communal Riots in the Country .	66

अ०ता०प्र०संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3276 संयुक्त सलाह व्यवस्था और अनिवार्य मध्यस्थता के कार्यकरण के संबंध में डाक तथा तार महासंघों और डाक तथा तार बोर्ड की घोषणा	Declaration of P.&T. Federations and P. & T. Board regarding the working of the machinery of Joint Consultation and Compulsory Arbitration .	66
3277 देश में प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन	Reorganisation of Administrative set-up in Country . . .	67
3279 परमाणु ऊर्जा और विज्ञान और प्रौद्योगिक विभागों में तथा योजना आयोग में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह के बिना पदों के लिए चयन	Selection to Posts in the Departments of Atomic Energy, Science and Technology and Planning Commission made without consulting U.P.S.C. .	68
3280 अनुभाग अधिकारियों की अवर सचिवों के पद पर पदोन्नति	Promotion of Section Officers as Under Secretaries	68
3281 श्रेणी एक के सेवानिवृत्त अधिकारियों को पुनः रोजगार दिया जाना	Re-employment of Retired Class I Officers.	69
3282 बेलगाम के बीड़ी नामक स्थान पर सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करना	P.C.O. at Bidi of Belgaum District	69
3283 सरकारी कार्यों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi for Official purposes	70
3284 दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को अस्पतालों में लाने के लिए अपनी सेवा अर्पित करने वाले लोगों को परेशान किया जाना	Harassment to Public who Volunteer themselves to bring Victims of Road Accidents in Delhi to Hospitals .	70
3285 उत्तर प्रदेश के स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन की अदायगी	Grant of Penson to Freedom Fighters from U.P.	71
3287 पूर्वी क्षेत्र के बेरोजगार चलचित्र कलाकार, आदि	Unemployed Film Artistes, etc. of the Eastern Region . . .	71
3288 पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के लिए वित्तीय परिव्यय	Financial outlay for Public and Private Sectors during the First Three Five Year Plans . . .	72
3289 देशी शराब की सप्लाई के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा मांगे गए टेण्डर	Tenders for the Supply of Country Liquor invited by Delhi Administration	73
3290 सार्वजनिक टेलीफोनों पर कालों के लिए अधिक राशि वसूल रकना	Higher Charges for Calls made at P.C.O.	73
3291 बिहार में स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन देना	Grant of Pension to Freedom Fighters from Bihar	73
3292 बिहार में स्कूटर बनाने के लिए लाइसेंस देना	Issue of Licences for Manufacture of Scooters in Bihar	74

अ०ता०प्र०संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3293 नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण	Revision of Pay Scales of Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	74
3294 पूना स्थित एक इलेक्ट्रोनिक कपनी द्वारा विकसित विभिन्न खाद्य यंत्रों की ध्वनि देने वाला इलेक्ट्रोनिक उपकरण	Electronic Organ giving sounds of various Musical Instruments developed by an Electronics concern in Poona.	74
3295 हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स, मद्रास को प्राप्त हुए निर्यात क्रयादेश	Export order placed with Hindustan Teleprinter, Madras . . .	75
3296 कालमासेरी स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा स्वचालित लैटर प्रैस प्रिंटिंग मशीन का निर्माण	Manufacture of Automatic Letter Press Printing Machine by H.M.T. Kalamassery . . .	76
3297 आकाशवाणी की पदोन्नति संबंधी नीति	A.I.R. Promotion Policy	76
3299 लेम्ब्रेटा (स्कूटर) बनाने के कारखाने का इटली से स्थानान्तरण	Shifting of Lambretta Plant from Italy	76
3300 छोटे प्लास्टिक के कारखानों में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Small Plastic Units	77
3301 सेंट्रल (सर्पलस स्टाफ) सैल में दर्ज भारत सरकार के कार्यालयों से फालतू घोषित किये गये कर्मचारी	Employees declared surplus in Government of India offices on the rolls of Central (Surplus Staff) Cell	77
3302 पृष्ठ संख्या के आधार पर मूल्य निर्धारण के बारे में विधान	Legislation on Price-page Schedule	78
3303 सार्वजनिक टेलीफोनों से की जाने वाली टेलीफोन काल की दर में वृद्धि	Increase in the rate of Telephone Call from P.C.Os.	78
3304 भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के सम्मान में डाक टिकट जारी करना	Commemorative Stamp in Honour of Bhartendu Harish Chandra . .	79
3305 लाइसेंसों संबंधी क्षमता का उल्लंघन करने के लिए औद्योगिक गृहों के विरुद्ध जांच	Inquiry against Industrial Houses for Violation of their Licencing Capacity	79
3306 राज्यों द्वारा सरकारी क्षेत्र के लिए जारी किए गए लाइसेंसों का उपयोग	Utilisation of Licences issued for Public Sector by States .	79
3307 1972-73 के लिए वार्षिक योजना में अतिरिक्त रोजगार अवसर बनाए जाने पर बल	Stress in Annual Plan for 1972-73 on generation of additional employment opportunities . . .	80

अ०ना०प्र०संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3308 केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कम बीजक बनाने के, अधिक बीजक बनाने के तथा तस्करी के मामलों की जांच	Cases under-invoicing overinvoicing and smuggling dealt with by C.B.I.	81
3309 बड़े व्यापार गृहों को लाइसेंस देना	Issue of Licences to large business houses	81
3310 पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंसों के बारे में केरल से आवेदन पत्र	Applications from Kerala for licences in backward areas . .	82
3312 गोसपलान के एक उच्च शक्ति-प्राप्त रूसी दल (रूसी योजना आयोग) का दौरा	Visit of high-powered Soviet Team of Gosplan (Russian Planning Commission)	
3313 डाकघरों में पिन कोड पद्धति आरम्भ करने पर व्यय	Expenditure on introduction of Pin Code System in Post Offices . .	83
3314 पटना टेलीफोन सर्किल पर रख रखाव लागत तथा उससे अर्जित आय	Revenue Earned and Maintenance cost of Patna Telephone Circle . .	84
3315 सार्वजनिक टेलीफोन घरों में स्थित सिक्के डाले जाने वाले बक्सों के काम करने के ढंग में परिवर्तन करने पर हुआ व्यय	Expenditure incurred on effecting change in mechanism of coin boxes of P.C.Os.	85
3316 थुम्बा स्थित अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र के एक अधिकारी के मकान पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा मारा जाना	Raid by C.B.I. on the house of an Officer of Space Research Organisation in Thumba	85
3317 पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में लोगों के बीच आयोजन के लाभों का समान वितरण	Equitable distribution of the benefits of planning among the people in Fifth Plan	86
3318 पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर सुभाष बन्दर रखा जाना	Renaming of Port Blair as Subhash Bunder	86
3319 सरकारी सेवा में आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को लाभ	Benefits to Freedom Fighters who joined Government Service .	87
3320 आकाशवाणी का 'युववाणी' कार्यक्रम	'Yuvavani' programme of A.I.R.	87
3321 वर्ष 1975 के अन्त तक सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगारों की उपलब्धता	Availability of jobs in Public Sector by the end of 1975 . . .	88
3322 इटली के सहयोग से ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Tractors in Collaboration with Italy	88
3323 मैसूर में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं की स्थापना	Setting up of Central Public Sector Projects in Mysore . . .	88

अ०ता०प्र०संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3324 कलकत्ता पत्तन पर निर्यात तथा आयात में विदेशी मुद्रा का घोटाला	Foreign Exchange fraud in Export and Import at Calcutta Port .	89
3325 पत्रों तथा पार्सलों में विस्फोटक पदार्थों का पता लगाने के लिए स्विटज़रलैंड से सहायता	Swiss help in Detecting Explosives in Letters and Parcels . . .	89
3326 त्रिपुरा के जापुई क्षेत्र को मिजोरम में विलय करने की मांग	Demand for Merger of Jawpui Area of Tripura with Mizoram . .	89
3327 सरकारी विभाग के लिए दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था	Provision of Telephones in Delhi to Government Department . .	89
3328 मैसर्स भारत स्टील ट्यूब्स लिमिटेड को लाइसेंस देना	Licence to M/S Bharat Steel Tubes Ltd.	90
3330 राज्यों में हिंसात्मक आन्दोलनों के कारण हुई हानि	Loss Incurred due to Violent Agitations in States . .	90
3331 'विविध भारती' एकक का नई दिल्ली से बम्बई ले जाया जाना	Shifting of 'Vividh Bharati' From New Delhi to Bombay . . .	90
3332 कच्चे माल की सप्लाई में बेरोजगार इंजीनियरों को प्राथमिकता देना	Priority in the Supply of Raw Materials to Unemployed Engineers .	91
3333 मशीनों के घिस जाने और पुरानी पड़ जाने के कारण उद्योगों में कम उत्पादन होना	Low Rate of Production in Industries due to Depreciation of Machinery .	91
3334 राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा एककों की स्थापना	Setting up of Units by State Industrial Development Corporation .	92
3335 औद्योगिक विकास मंत्रालय के कार्यकरण की समीक्षा	Review of the Working of Ministry of Industrial Development .	92
3336 सिम्पसन उद्योग समूह का अधिग्रहण	Takeover of Simpson Group of Industries	93
3337 पांचवीं योजना के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास	Development of Science and Technology during Fifth Plan . . .	93
3338 संयुक्त क्षेत्र में सीमेंट उद्योग	Cement Industry in Joint Sector	93
3339 मानक अपनाने के सम्बन्ध में विचार गोष्ठी	Seminar on Adoption of Standards .	94
3340 आन्ध्र प्रदेश में कल्पित औद्योगिक एकक	Bogus Industrial Units in Andhra Pradesh	95
3341 रक्षा मंत्री द्वारा अपने सरकारी निवास स्थान से की गयी स्थानीय तथा ट्रंककाल	Local and trunk calls put through by Defence Minister from Official Residence	95

अ०ता०प्र०संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3342 समेकित क्षेत्र विकास योजना	Scheme for Integrated area Development	96
3343 सरकार समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन	Implementation of the recommendations of Sarkar Committee . .	96
3344 बड़े उद्योगों की क्षमता का विस्तार करने के लिए आवेदन पत्र	Applications for expansion of capacity of large industries . . .	96
3345 मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में टेलीफोन सम्बन्धी बढ़ती हुई मांग .	Demand for Telephone connections in Mandsaur District of Madhya Pradesh	97
3346 जगदलपुर में आकाशवाणी केन्द्र	A.I.R. Station in Jagdalpur . .	97
3347 दिल्ली में पुलिस अधिकारियों को मुअत्तल करना	Suspension of Police Officers in Delhi	98
3348 उद्योगपतियों को लाइसेंस देना	Issue of Licences to Industrialists	98
3349 जेल-सुधार संबंधी योजनाओं में केन्द्र के अधिक सहयोग के बारे में राज्यों द्वारा सुझाव	Suggestion from States for greater involvement of centre in schemes for Jail Reforms	98
3350 लाइसेंसों/आशय पत्रों का उपयोग	Utilisation of Licences/Letters of Intent	99
3351 मुजफ्फरपुर जिले में सुरसंद डाकघर में टेलीफोन और तार सेवाएं	Telephone and Telegraph services at Sursand Post Office, District Muzaffarpur	100
3352 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिए कच्चे माल का आयात	Import of raw materials for priority industries	100
3353 स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की आदायगी	Payment of pension to freedom fighters	100
3354 दिल्ली टेलीफोन सेवाएं	Delhi Telephone Services .	101
3355 भारतीय कारों की किस्म पर नियंत्रण	Quality control in Indian cars	101
3356 भारत के लघु रूप की डाक टिकटें	Postage stamps on Indian miniature .	102
3357 सरकारी क्षेत्र में टायर कारखाना	Tyre factory in public sector .	102
3358 खादी के वस्त्र	Khadi garments	103
3359 टेलीफोन आदि पर मंत्रालयों द्वारा किया गया व्यय	Expenditure incurred by Ministeries on Telephone, etc. . . .	103
3360 केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा उपयोग में लाये गये टेलीफोनों पर व्यय	Expenditure on telephones used by Union Ministers	103

अ०ता०प्र०संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
3361 भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, हरिद्वार को हुई हानि	Loss incurred by B.H.E. Ltd. Hardwar	103
3362 दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी का प्रकाशन	Publication of Delhi Telephone Directory	104
3363 संसद-सदस्यों की गिरफ्तारी और जेल से रिहाई के समाचारों का आकाश-वाणी से प्रसारण	Broadcast over A.I.R. regarding MPs Arrest and Release from Jails	104
3364 गरीब लोगों की दैनिक आय और व्यय	Daily Income and expenditure of Poor People	105
3365 अफ्रीकी-एशियाई समाचार एजेन्सी	Afro-Asian News Agency	105
3366 रीजनल सैटलमेंट कमिश्नर, जालंधर के कार्यालय से फालतू घोषित निम्न श्रेणी लिपिकों की पुनर्नियुक्ति	Renomination of L.D.Cs declared surplus from the Regional Settlement Commissioner's Office, Jullundur	105
3367 वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा विकसित विधियां (प्रोसेसिज)	Processes developed by C.S.I.R.	106
3368 उद्योगों में विस्तार की क्षमता को स्वीकार करने में विलम्ब	Delays in approving Expansion of capacity in Industry . . .	106
3369 पश्चिम बंगाल में बिजली के संकट की जांच करने के लिए बनाई गई समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee set up to Investigate Power Crises in West Bengal	107
3370 19 वर्ष से नीचे की आयु वाले लोग	Persons Below the age of 19 years	107
3371 पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग	Industries in Rural Areas during Fifth Five Year Plan . . .	107
3372 डाक तथा तार विभाग द्वारा लिये गये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरिंग कर्मचारी	P.W.D. Engineering Staff drafted by P & T Department . . .	107
3373 भारत सरकार के दिल्ली/नई दिल्ली स्थित कार्यालयों में निम्न श्रेणी लिपिकों उच्च श्रेणी लिपिकों तथा आशुलिपिकों के पदों का आरक्षण समाप्त किया जाना	De-reservation of Posts in LDCs, UDCs, and Stenographers in Government of India Offices in Delhi/New Delhi	108
3374 कला के नाम पर अश्लीलता प्रदर्शित करने वाली फिल्मों का सेन्सर करना	Censoring of Films containing vulgarity in Guise of Art . . .	109
3375 गैर-सरकारी उद्यमों के कार्यकरण की समीक्षा के लिए समिति	Committee to Scrutinize the Working of Private Enterprises . . .	109

अ०ता०प्र०संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3376 पांचवीं योजना में कागज की मांग तथा उत्पादन के अध्ययन के लिए कार्य दल	Working Group to Study the Demand and Production of Paper during Fifth Plan	109
3377 विना बिके पड़े ट्रैक्टर और उनके आयात पर खर्च हुई विदेशी मुद्रा	Tractors lying Unsold and Foreign Exchange involved in their Import	110
3378 त्रिपुरा के छोटे समाचार-पत्रों को अखबारी कागज का नियतन	Allocation of Newsprint to Small Newspapers of Tripura . .	110
3379 कार बनाने वाले कारखानों का विस्तार	Expansion of Car Manufacturing Factories	110
3380 आर्थिक विकास के लिए भारत सोवियत योजनाएं	Indo-Soviet Plans for Economic Growth .	111
3381 नेशनल फिटनैस कोर के फालतू कर्मचारियों को आयकर आयुक्त के कार्यालय में लगाने का प्रस्ताव	Absorption of Surplus Employees from National Fitness Corps in the Office of the Commissioner of Income Tax	111
3382 पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए जिला तथा ब्लाक स्तर पर योजना समितियां	Planning Committees at District and Block Level for Development of Backward Areas	111
3383 अशोक मेहता समिति का प्रतिवेदन	Report of Ashoka Mehta Committee	112
3384 ग्रामोद्योग आयोग के लिए सुधार	Suggestion for Rural Industries Commission	112
3385 हथकरघों और विद्युत चालित करघों द्वारा मोटे धागे और कपड़े का उत्पादन	Production of Coarse Yarn and Cloth by power-Looms, and Hand-Looms	112
3386 खादी ग्रामोद्योग की वस्तुओं को खुली प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए योजना	Scheme to save Khadi Gramodyog Products from Open Competition	112
3387 बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ, दरभंगा (बिहार) के हिसाब-किताब में अनियमितताएं	Irregularities in the Accounts of Bihar Khadi Gramodyog Sangh, Darbhanga (Bihar) . . .	113
3388 ठाकुर पेपर मिल्स, समस्तीपुर (बिहार) को पुनः चालू करना	Rehabilitation of Thakur Paper Mills Samastipur (Bihar) . . .	113
3389 दरभंगा बिहार में नये शाखा (ब्रांच) डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलना	Opening of New Branch Post Offices and PCO's in Dharbhanga, (Bihar)	113
3390 पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करना	Setting up of Industrial Projects in the Backward Areas During Fifth Plan	114

अ०ता०प्र०संख्या U.S.Q.No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
3391 तमिलनाडु के लाइसेंसों सम्बन्धी अनिर्णित आवेदन-पत्र	Pending Applications from Tamil Nadu for Licences	116
हार्वेस्टर कम्बाइनों के आयात के बारे में 31 मई, 1972 के अंतराकित प्रश्न संख्या 8098 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	Statement Correcting Answer to U.S. Q. No. 8098 dated 31-5-72 regarding Import of Harvester Combines.	116
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	117
दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की हाल की मांगों से उत्पन्न स्थिति	Situation arising out of recent demands of Delhi University Students	117
श्री जगन्नाथराव जोशी	Sh. Jagannathrao Joshi	117
प्रो० एस० नुरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan	120
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	123
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha .	124
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Member's Bills and Resolutions	124
20वां प्रतिवेदन	Twentieth Report . .	124
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	125
53 वां प्रतिवेदन	Fifty-third Report	125
समिति के लिए निर्वाचन—नारियल जटा बोर्ड	Election to Committee—Coir Board	125
कार्य मंत्रणा समिति के 20वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Twentieth Report of Business Advisory Committee .	125
भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव	Indian Railways (Amendment) Bill Motion to consider	126
श्री टी० ए० पाई	Shri T. A. Pai .	126
श्री मनोरंजन हाजरा	Shri Manoranjan Hazra .	127
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N. K. Sanghi .	127
श्री सरजू पांडे	Shri Sarjoo Pandey .	128
श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikishan Modi .	128
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E. R. Krishnan	129
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	143
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh .	143
श्री धनशाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan .	144

	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGE
श्री अम्बेश	Shri Ambesh	142
दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र के विस्तार करने के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Expansion of Durgapur Alloy Steel Plant . .	129
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	129
श्री बी० के० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	132
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder .	133
श्री सुबोध हंसदा	Shri Subodh Hansda	134
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	135
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani .	137
श्री ई० आर० कृष्णन्	Shri E. R. Krishnan	137
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe .	138
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarain Pandeya	138
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . .	139
श्री एस० मोहन कुमारमंगलम	Shri S. Mohan Kumaramangalam	139

लोक-सभा

LOK-SABHA

बुधवार, 6 दिसम्बर, 1972/15 अग्रहायण, 1894 (शक)

Wednesday, December 6, 1972/Agrahayana 15, 1894 (Saka)

लोक-सभा 11 बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदयः : मुझे सदन को श्री एन० एम० लिंगम और शेख मोहम्मद अकबर के दुखद अवसान की सूचना देनी है।

श्री लिंगम 1952–57 के दौरान प्रथम लोक-सभा के सदस्य थे। उन्होंने मद्रास राज्य के कोयम्बटूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। बाद में 1958 से 1964 तक वह राज्य सभा के सदस्य रहे। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया और साइमन आयोग के विरुद्ध विद्यार्थियों के आन्दोलन का नेतृत्व किया। वह अनेक सामाजिक संगठनों से भी सम्बद्ध थे। उनकी 3 नवम्बर, 1972 को उटकमण्ड में मृत्यु हुई।

शेख मुहम्मद अकबर 1957–1962 के दौरान जम्मू कश्मीर के बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी लोक-सभा के नाम-निर्देशित सदस्य थे। उससे पूर्व 1952–57 के दौरान वह जम्मू तथा काश्मीर की संविधान सभा एवं विधान सभा के सदस्य थे। वह राज्य सरकार के भी अधिकारी रहे थे और अनेकों पदों पर रहे थे। हाल ही में उनकी सेवाओं के उपलक्ष में उन्हें ताम्र-पत्र दिया गया था। उनकी मृत्यु 5 दिसम्बर, 1972 को बारामूला में हुई।

इन मित्रों की मृत्यु का हमें अत्यन्त दुख है और मुझे आशा है कि शोक सन्तप्त परिवारों को शोक सन्देश भेजने में यह सदन भी मेरे साथ होगा।

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रोनिक्स मंत्री, गृह मन्त्री, सूचना और प्रसारण मन्त्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :–अपने दो और भूतपूर्व सहयोगियों की मृत्यु पर शोक प्रकट करने में मैं आपके साथ हूं। श्री लिंगम अनेकों सहकारी और स्थानीय संगठनों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। लोक-सभा के सदस्य बनने से पूर्व वह नीलगिरि जिला बोर्ड के भी अध्यक्ष थे।

शेख मुहम्मद अकबर जम्मू तथा काश्मीर नेशनल कांफ्रेंस के प्रमुख सदस्य थे। इस सदन के सदस्य बनने से पूर्व वह जम्मू तथा काश्मीर विधान सभा के सदस्य थे। 1947 में पाकिस्तानी आक्रमण के समय श्री अकबर ने बारामूला के प्रभारी के रूप में आपातकालीन अधिकारी के रूप में कार्य किया उसके पश्चात् उन्होंने उक्त जिले के प्रशासकीय अधिकारी के रूप में कार्य किया। उन्होंने सरकारी और नागरिक कल्याण कार्यवाहियों में सक्रिय रूप से भाग लिया।

मैं अनुरोध करती हूं कि हमारी सहानुभूति और समवेदनाएं शोक सन्तप्त परिवारों तक पहुंचा दी जाएं।

श्री दीनेव भट्टाचार्य (सीरमपुर) : श्री लिंगम और शेख मुहम्मद अकबर के आकस्मिक निधन पर आप द्वारा तथा सदन की नेता द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में मैं भी शरीक होता हूं और आप से अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचा दी जाएं।

डा० रानेन सेन (बारसार) इन से दो महानुभावों की मृत्यु पर आप द्वारा तथा सदन की नेता द्वारा प्रकट किए गए विचारों के साथ मैं भी शरीक होता हूं और आप से अनुरोध करता हूं कि शोक संतप्त परिवारों तक हमारी संवेदनाएं भेज दी जाएं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम): अपने दल की ओर से और अपनी ओर से मैं आप द्वारा तथा सदन की नेता और अन्य सहयोगियों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में शरीक होता हूं। श्री लिंगम एक सुविख्यात स्वतन्त्रता सेनानी तथा तमिलनाडु के सार्वजनिक नेता थे। अपने विद्यार्थी काल से ही वह राष्ट्रीय आन्दोलन स्थानीय प्रशासन और संसदीय कार्यों में सक्रिय उत्साह लेते रहे। उनकी मृत्यु से न केवल तमिलनाडु की ही अपितु सारे देश की क्षति हुई है।

शेख मुहम्मद अकबर जम्मू तथा काश्मीर के प्रमुख व्यक्ति थे और जैसा कि सदन के नेता ने कहा है उन्होंने 1947 में पाकिस्तान के आक्रमण के समय लड़ाई में प्रमुख भाग लिया। शोक सन्तप्त परिवारों के सदस्यों को हार्दिक संवेदनाएं भेजने में मैं भी आप सदस्यों के साथ हूं।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : I had the opportunity to work with both these friends, namely, Shri N.M. Lingam and Sheikh Mohammed Akbar. They were considered active members of Parliament. Shri Lingam used to give constructive speeches. Shri Akbar was sick for many days. I had met him few days ago. At that time his end did not appear so near. We feel sorrow on the death of these two genetlemen. Our Condolences may be conveyed to the bereaved families.

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आपने तथा सदन की नेता तथा अन्य सदस्यों ने जो शोक संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं स्वयं अपनी ओर से तथा समाजवादी दल की ओर से उनमें शरीक होता हूं। शोक सन्तप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: शोक प्रकट करने के लिए सदस्य कुछ समय के लिए मौन खड़े होंगे।

तत्पश्चात् सदस्य कुछ समय के लिए मौन खड़े रहे।

The members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

कडप्पा आंध्र प्रदेश में सीमेंट का कारखाना

*321. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कड़प्पा ज़िले में सीमेन्ट के उत्पादन का कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण करने के लिए भारतीय सीमेंट निगम द्वारा प्रतिवर्ष 4.0 लाख मी० टन की क्षमता के लिए आन्ध्र प्रदेश के कडप्पा ज़िले में येरागतला नामक स्थान में एक नए सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए प्रस्तुत की गई एक सम्भाव्यता रिपोर्ट भारत सरकार के विचाराधीन है। यह एक शुष्क प्रक्रिया संयंत्र होगा जिस पर 1514 लाख रु० की अनुमानित लागत आएगी और इससे लगभग 623 व्यक्तियों को रोज़गार मिलेगा।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : यह सम्भाव्यता प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ था और इस पिछड़े तथा सूखा-ग्रस्त क्षेत्र में इस प्रस्ताव को मूर्त रूप देने के लिए अब क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : सम्भाव्यता प्रतिवेदन मंत्रालय में कुछ मास पूर्व प्राप्त हुआ था। विभिन्न दृष्टि-कोणों से इसकी जांच की जा रही है। हमें आशा है कि माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई बातों को देखते हुए बहुत शीघ्र ही कोई निर्णय किया जाएगा।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : प्रस्तावित संयंत्र से सीमेंट की राष्ट्रव्यापी कमी की मात्रा किस सीमा तक कम होगी और अब भी जो कमी रह जाएगी उसे पूरा करने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जैसा कि प्रश्न के मुख्य उत्तर में बताया गया है, इस संयंत्र की क्षमता 4 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। इस संयंत्र का जितना ही उत्पादन होगा उतनी सीमा तक ही कमी की मात्रा की पूर्ति होगी। इसके अतिरिक्त, कुछ क्षेत्रों में कठिनाई है और इस अन्तर को पूरा करने के लिए दीर्घकालीन योजना तैयार कर रहे हैं और यह योजना मंत्रालय में तैयार की जा रही है।

श्री वाई ईश्वर रेड्डी : सरकार पिछले 15 वर्षों से इस सीमेंट कारखाने के प्रश्न पर विचार करती आ रही है। इसे दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था और तीन बार इसके लिए लाइसेंस दिए गए। परंतु किन्हीं कारणों से यह कारखाना अभी तक स्थापित नहीं हो सका। मुझे अब ऐसा पता चला है कि इस परियोजना को आस्थगित किया जा रहा है क्योंकि आंध्र में सीमेन्ट की फालतू क्षमता है और इसके लिए मध्य प्रदेश को प्राथमिकता दी जा रही है। रायलसीमा में सरकारी क्षेत्र की केवलमात्र यही परियोजना है और यह एक बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। अभी हाल ही के चुनावों के दौरान, जब प्रधान मंत्री वहां गई थीं तो यह आश्वासन दिया गया था कि इस परियोजना का कार्य इसी वर्ष प्रारंभ किया जाएगा। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए क्या मैं सरकार से यह अनुरोध करूं कि इस परियोजना के कार्य को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक उपाय शीघ्रता से किए जाएं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : जैसा कि मैंने पहिले बताया है, किसी भी परियोजना की जांच करते समय, विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है। इसके इस पहलू पर भी विचार किया जाएगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या मैं जान सकता हूं कि किसी भी स्थान पर सीमेन्ट के कारखाने की स्थापना के लिए अनुमति देने के लिए किन-किन बातों पर विचार किया जाता है और क्या पश्चिमी बंगाल के पुरूलिया जिले में सीमेन्ट का कारखाना स्थापित करने का भी कोई प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न के मुख्य उत्तर को देखें।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि पहले अधिक क्षमता वाली परियोजना स्थापित किए जाने का विचार था और अब क्षमता कम कर दी गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद: मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। परंतु जो वर्तमान स्थिति है, मैंने स्पष्टतया उसका उल्लेख किया है।

श्री वसंत साठे : क्या सीमेन्ट के कारखाने की स्थापना की मूल अपेक्षा यह है कि चूना-पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए और यदि हां, तो क्या इस प्रदेश में चूना-पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह भी एक कारण है कि हम सीमेन्ट के कारखाने को वहां लगाने की बात सोच रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तीन बार इसका उत्तर दिया है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप एक ही विषय पर इतने अनुपूरक प्रश्न क्यों पूछते हैं ?

श्री माधुर्य्य हालदार : देश में सीमेन्ट के कितने कारखाने खोले जा रहे हैं अथवा कितने कारखानों के लिए लाइसेंस दिए गए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रसन्नतापूर्वक आपका प्रश्न मंजूर कर लूंगा। परंतु इस प्रश्न से यह प्रश्न नहीं उत्पन्न होता। यह तो एक अलग प्रश्न है।

'पिन कोड' प्रणाली का प्रचार करने के उपाय

*322. **श्री अर्जून सेठी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में "पिन कोड" प्रणाली का प्रचार करने और इसके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए सरकार ने क्या विशिष्ट उपाय किए हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1. नई दिल्ली में और दूसरे स्थानों पर सर्किल अध्यक्षों के मुख्यालयों पर संवाददाताओं के सम्मेलन बुलाए गए हैं।

2. अंग्रेजी और देशी भाषाओं के प्रमुख पत्रों में विज्ञापन दिए गए हैं।

3. सिनेमाघरों में सिनेमा स्लाइड दिखाए जा रहे हैं।

4. प्रचार पुस्तिकाएं मुफ्त बांटने के लिए छापी गई हैं जिनमें इस योजना का विस्तार से उल्लेख है।

5. देश के 20 महत्वपूर्ण स्थानों पर पूछताछ के काउंटर स्थापित किए गए हैं जिनमें टेलिफोन लगे हैं। इनसे जनता को पिन कोड संबंधी सूचना दी जाती है। इन काउंटरों की की गई कालें मीटर पर नहीं आती।

6. देश के 600 महत्वपूर्ण डाकघरों के अखिल भारतीय पिन चार्ट छापे गए हैं। और ये सभी विभागीय डाकघरों में बिक्री के लिए रखे गये हैं। मूल्य 5 पैसे हैं और जनता इन्हें खरीद सकती है।

7. अखिल भारतीय पिन डाइरैक्टिरियां बिक्री के लिए छापी जा रही हैं।

8. एशिया 72 के मेले में भारत का एक विशेष पिन नक्शा प्रदर्शित किया जा रहा है।

9. ज्यादा तादाद में डाक भेजने वालों से यह अनुरोध किया जा रहा है कि वे अपने पत्राचार में पोस्टल इन्डेक्स नम्बर लिखें।

10. केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सभी विभागों से निवेदन किया गया है कि वे पिन का प्रयोग करें।

11. आकाशवाणी पर इस सम्बन्ध में वार्ताओं का आयोजन किया गया है।

श्री अर्जुन सेठी : विवरण से यह प्रतीत होता है कि सरकार ने देश में इस प्रणाली के प्रचार के लिए अनेक उपाय किए हैं। परन्तु सरकार ने विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में इसके प्रचार के लिए कोई उपाय नहीं किया है। क्या प्रादेशिक भाषाओं में इसके प्रचार के लिए भी कोई उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : यह कहना ठीक नहीं है। प्रादेशिक भाषाओं में भी इसका प्रचार किया गया है।

श्री अर्जुन सेठी : विवरण में इस बात का उल्लेख नहीं है। इसी कारण से मैंने यह प्रश्न पूछा है।

जो इस नई प्रणाली से अवगत नहीं हैं। उनके लिए यह प्रणाली बड़ी कठिन प्रतीत होती है। इस प्रणाली को लागू करने का मुख्य कारण क्या है और डाक को शीघ्रता से वितरण करने की दिशा में यह किस प्रकार सहायक है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) :–मैंने 'पिन कोड' प्रणाली के बारे में एक वक्तव्य दिया था। यदि सदस्य चाहते हैं तो मैं फिर वक्तव्य दे दूंगा। इस समय यह कहना पर्याप्त होगा कि हमारे देश जैसे बहु-भाषी देश में डाक की छंटाई करने वाले पोस्ट मैन के पत्र की भाषा न जानते हुए विभिन्न प्रदेशों की डाक को छांटने के लिए 'पिन कोड' प्रणाली काम का सबसे आसान तरीका है। इन संख्याओं से पता चलता है कि कोई पत्र किस क्षेत्र को जाना है। पहला अंक क्षेत्र के लिये है। उदाहरणतया, उत्तर के लिए अर्थात् दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जम्मू तथा कश्मीर के लिए यह अंक '1' है। यदि पिन कोड एक से प्रारंभ हो तो पता सीधा ही इस क्षेत्र को भेजा जाता है और पत्र भेजने वाले स्थान पर छंटाई करने वाले पोस्ट मैन को अन्य अंकों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

अंत में डाक का इतिहास भी उत्तेजक बातों में से एक है परन्तु यह एक बहुत ही सांसारिक सी बात है। बहुत पहले जब पोस्ट कार्ड शुरू हुआ था तो 'अमृत बाजार पत्रिका' में यह टिप्पणी की गई थी कि सरकार को लोगों को इस बारे में शिक्षित करना चाहिए कि पता कहां पर लिखा जाना है। परंतु बहुत जल्द ही लोग सारी बातें समझ गए।

Shri Ramavatar Shastri : Is it a fact that Government have sent 12 envelops to each Member of Parliament under Pin Code to enable the Government to know whether letters are reaching the addressees in time or not, if so, may I know the member of the Parliament who have responded to them and who have returned those envelops with due replies ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : I think it will not be in public interest to reply to this question.

Shri H.N. Bahuguna : After knowing the views of Shri Atal Bihari Vajpayee it would be difficult to reply to the second part of the question. However, those envelops were not sent under Pin Code, those envelops were sent long ago only to know the difficulties in the distribution of dak. The hon. Members were requested to send those envelops to their friends and relatives in remotes villages so that we could know as to how much time was taken in the delivery of dak there. Such envelops are proposed to be sent to the hon. Members after every six months.

Shri Ramavatar Shastri : I replied only once and then I stopped. Why should I reply to them every time ?

Shri H. N. Bahuguna : The hon. Member is not supposed to make a reply As I have said those envelops were sent to the hon. Members to be dispatched their friends and relatives so that we could know the time taken in the delivery of those envelops. The main purpose of it was to know the speed of distribution of dak.

Mr. Speaker : How the matter of public interest is involved here as has been mentioned by Shri Vajpayeeji. Does he write letters to those persons whose names are not to be disclosed ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, are you supposed to say like this ?

श्री अनन्त रावपाटिल : देश में साक्षरता तथा गांवों की प्रतिशतता को देखते हुए क्या इस विदेशी प्रणाली को देश में तुरन्त लागू करना व्यवहार्य है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जब तक हम किसी कार्य को आरम्भ नहीं करेंगे, तब तक हम उसे पूरा ही कैसे कर सकते हैं । वैसे अभी हमने केवल 14,000 डाकघरों में उक्त प्रणाली को लागू किया है ।

Shrimati Sahodrapai Rai : May I know whether Government propose to provide telephone facilities in the post offices in rural areas, and if no, the reasons thereof ?

Mr. Speaker : She wants to know whether the telephone facilities are covered under Pin Code.

Shri H. N. Bahuguna : As you know, Sir, it is not related to the original question. Eventhan I would like to say that our economic condition does not permit us to provide telephone facilities in every post office.

अध्यक्ष महोदय: श्री तेजसिंह स्वतन्त्र---अनुपस्थित,

श्री रामभगत पसवान---नहीं हैं,

श्री नारायण चन्द पाराशर भी अनुपस्थित,

श्री नवल किशोर शर्मा ।

सीमा सुरक्षा दल मुख्यालयों में प्रतिनियुक्तियों पर कर्मचारी

*326. **श्री नवल किशोर शर्मा:** क्या गृह मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल मुख्यालयों में बहुत बड़ी संख्या में मंत्रालयी कर्मचारी प्रतिनियुक्तियों पर हैं ;

(ख) ऐसे कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या क्या है जिन्होंने नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत प्रतिनियुक्ति की अपनी अधिकतम अवधि पूरी कर ली है और जिन्हें गृह मंत्रालय की अनुमति के बिना ही प्रतिनियुक्ति पर रखा हुआ है ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं तथा इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपचारात्मक कायवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) सीमा सुरक्षा बल मुख्यालयों में कुल 207 मंत्रालयों कर्मचारियों में से केवल 48 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर हैं ।

(ख) निम्नलिखित 12 कर्मचारियों ने प्रतिनियुक्ति की अपनी अधिकतम अवधि पूरी कर ली है और अभी तक सीमा सुरक्षा बल में बने हुये है :—

उच्च श्रेणी लिपिक	3
अधीक्षक	2
वरिष्ठ श्रेणी लिपिक	1
लेखा परीक्षक	4
सहायक अधीक्षक	2
	12

(ग) एक वरिष्ठ श्रेणी लिपिक के बारे में सीमा सुरक्षा बल में उसकी सतत प्रतिनियुक्ति के लिए मूल कार्यालय की अनुमति प्राप्त हो गयी है और गृह मंत्रालय में मामले में कार्यवाही की जा रही है । लेखा परीक्षक के बारे में कार्यालय में वृद्धि के लिए मूल कार्यालय की अनुमति अभी आनी है । शेष 10 कर्मचारियों ने सीमा सुरक्षा बल में स्थायी रूप से खपाए जाने के बारे में विकल्प दिया है और उनके मूल विभागों ने इस पर अनुमति प्रदान कर दी है । ऐसे मामलों में प्रतिनियुक्ति की अवधि की कोई सीमा नहीं है ।

Shri Naval Kishore Sharma : It appears from the reply of the hon. Minister that 12 employees have been working in this Department after the expiry of their deputation period. May I know from the hon. Minister through you, Sir, whether the option for permanent absorption in this department given by those employees would not affect the seniority of the original employees of the same department ? Since it would adversely affect the original employees, will the hon. Minister reconsider this decision ?

Shri K. C. Pant : As I have said, out of twelve ten, employees have opted for permanent absorption in the Border security forces. These employees have been working there for years together. Now they have opted and would be absorbed. I can not say whether it would affect the seniority of other employees or not. But for future we are considering the proposal to create a separate ministerial cadre for the Headquarters of Border security Forces. That Cadre would cover combatised posts of B.S.F. Headquarters. Then, there would be no cases of disparity and the feeling of unequal chances of promotion among the employees would be removed

Shri Naval Kishore Sharma : The reply of the hon. Minister indicates that he has decided to keep those employees there in spite of the fact that it would be against the interest of the senior employees of this department. For the same reason, perhaps he is thinking of creating the separate cadre. May I know whether this step would not be in contravention of the existing rules ? According to the existing rules maximum limits of deputation in three years. May I know the reasons for giving special treatment to these employees ?

Shri K. C. Pant : Normally the period of deputation in three years and according to the memo of Ministry of Finance one years' extention can be granted with the permission of the Administrative Ministry. This period can further be extended provided both the ministries agree to it. This is normal practice So far as these ten employees are concerned, the Pay and Accounts Division of the B.S.F. Headquarters asked them whether they wanted to be absorbed in that department or wanted to return their parents offices. Most of them opted for absorption in this Department. Those employees were found suitable and it was proposed to absorb them there. Thus, there is nothing in contravention of the rules.

Shri Naval Kishore Sharma : Sir, he has not replied to my question.

अध्यक्ष महोदय: उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है ।

श्री एस० बी० गिरि: जब सीमा सुरक्षा बल में कर्मचारी उपलब्ध हैं, तो वहां बाहर से कर्मचारी क्यों प्रतिनियुक्त किये जाते हैं जिससे वहां के कर्मचारियों को पदोन्नति से वंचित होना पड़ता है ? क्या ऐसा करने से उनके पदोन्नति के अवसर कम नहीं होते ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: मैं श्री शर्मा की इस धारणा को दूर करना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने मेरा उत्तर सुनने के पश्चात् भी उसी प्रकार का प्रश्न किया है । यह कार्यालय 1967 में स्थापित हुआ था । इस कार्यालय में वेतन तथा लेखा कार्य आदि में अनुभव प्राप्त कर्मचारी रखने थे । यह कार्य विशेष योग्यता का कार्य है तथा उस कार्यालय में इस प्रकार के कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे । अत: अन्य विभागों से कर्मचारी प्रतिनियुक्त किये गये तथा उनसे विकल्प मांगा गया । यह विशेष प्रकार का कार्य है तथा वे कर्मचारी उन पदों पर गत चार-पांच वर्ष से कार्य कर रहे हैं तथा अपना विकल्प देने के पश्चात् ही वे वहां कार्य कर रहे हैं ।

श्री एस० बी० गिरि: मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया । जब इन कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाएगा तो उसके फलस्वरूप रिक्तियां होंगी । इससे रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे । क्या यह सच है या नहीं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: मैं प्रश्न समझ नहीं सका । क्या आप यह पूछना चाहते हैं कि उनको पदोन्नति मिलने के बाद क्या पद रिक्त होंगे तथा अधिक कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा ?

श्री एस० बी० गिरि: जी, हां ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: मेरे विचार से यह पदोन्नति का मामला ही नहीं है । प्रश्न यह है कि कुछ ऐसे व्यक्तियों को कुछ ग्रेडों में खपाया गया है जो अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आये थे तथा जिन्होंने सीमा सुरक्षा बल में ही रहने की इच्छा व्यक्त की है उन्हें वहीं खपाया जा रहा है ।

श्री ए० पी० शर्मा: मंत्री महोदय ने कहा है कि उनसे सीमा सुरक्षा बल में स्थायी रूप से सेवा करने के बारे में विकल्प मांगा गया है । क्या इस बात की सावधानी बरती गई है कि इस प्रबन्ध से इस विभाग के वरिष्ठ कर्मचारियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ? क्या वरिष्ठ कर्मचारियों से यह पूछा जा सकता है कि क्या वे इन पदों पर आना चाहते हैं जिन पर सम्भवत: ये कनिष्ठ कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: सम्भवत: माननीय सदस्य का यह अनुमान है कि इन कर्मचारियों को तुरन्त किन्हीं ऐसे पदों पर पदोन्नत कर दया जाएगा जो उसी कार्यालय के पुराने कर्मचारियों के पदों से ऊंचे हैं । मेरे विचार से उनका यह अनुमान सच नहीं है ।

श्री ए० पी० शर्मा: मेरा प्रश्न यह था कि यदि उनको किसी ऐसे पद पर पदोन्नत किया जाने वाला है जो सम्भवत: उनके मूल कार्यालय में उन्हें न मिलता तो क्या इस बात की सावधानी बरती जाएगी कि उनके मूल कार्यालय में उनके वरिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नति को सुरक्षित रखा जाए ?

अध्यक्ष महोदय: यह सुझाव है ।

श्री ए० पी० शर्मा: इसे अनुमान बताया गया । मेरा कहना है कि उनके मूल कार्यालयों में उनसे वरिष्ठ कर्मचारियों की पदोन्नतियों को सुरक्षित रखा जाए ।

अध्यक्ष महोदय: उचित यही है कि मंत्री महोदय माननीय सदस्य को प्रश्न पर प्रश्न पूछने का अवसर देने की बजाय उनके प्रश्न का उत्तर दें ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: मैं पुन: कहता हूं कि उनका प्रश्न अनुमान पर आधारित है । यह काल्पनिक है तथा अनुमान पर आधारित है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has said that they were asked to exercise their option. May I know whether this policy is applicable to the employees of all categories and whether such employees are absorbed or sent back to their parent offices according to their options, if so whether care is taken to watch the interest of the other employees also ?

Shri K. C. Pant : Yes sir, we will watch, their interests. It is a matter of specialised nature of work for which Department requires certain employees whom the right of exercising their option is given. It is not a general matter.

भारत और बंगला देश के बीच संचार

*327. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और बंगला देश के बीच संचार व्यवस्था के विकास के बारे में बंगला देश से आये सरकारी अधिकारियों के चार सदस्यों के दल के साथ हाल ही में बातचीत हुई थी,

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त बैठक में किन विषयों पर विचार किया गया था, और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथपहाड़िया) : (क) जी हां ।

(ख) बैठक में जिन मुख्य विषयों पर विचार विमर्श हुआ था वे थे कि भारत और बंगला देश के बीच मौजूदा दूर संचार सुविधाओं में जो कि इस समय मुख्यतौर पर खुले-तारों के जरिये दी जा रही है, सुधार लाने के लिए कौन से उपाय और साधन काम में लाये जाएं और इन सेवाओं को आग और कैसे बढ़ाया जाय । इस विचार विमर्श में भारत के जरिये बंगला देश और दूसरे देशों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय टैलेक्स कालों के पारेषण करने के लिए एक करार को अन्तिम रूप देने का प्रश्न भी शामिल था और बंगला देश भारत से दूर संचार भण्डार की अपनी सामान्य जरूरत की जो सामग्री प्राप्त कर सकता है, उसके सम्बन्ध में खोज वार्ता (exploratory talk) भी शामिल थी ।

(ग) इस विचार विमर्श का मुख्य निष्कर्ष यह है कि भारत में कलकत्ता और बंगला देश में जेस्सोर के बीच अल्पकालिक तौर पर एक मल्टी चैनल वी० एच० एफ० लिंक स्थापित किया जाए, और दोनों देशों को जोड़ने ले लिए माइक्रोवेव प्रणाली स्थापित करने की चरम आवश्यकता (ultimate need) और उसकी सम्भावना का सर्वेक्षण किया जाए ।

श्री बनमाली पटनायक: क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या करार को अन्तिम रूप दे दिया गया है, और यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): बंगला देश के प्रतिनिधियों तथा डाक तथा तार बोर्ड के बीच प्रस्तावों पर सहमति हो गई है तथा प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

श्री बनमाली पटनायक: प्रश्न के उत्तर भाग (ग) के सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूं कि टैलेक्स प्रणाली आरम्भ हो चुकी है अथवा नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा: जैसा कि संकेत दिया जा चुका है, ओपन वायर प्रणाली चालू है तथा वी० एच० एच० प्रणाली की स्थापना का कार्य चल रहा है ।

राज्य औद्योगिक विकास निगमों को जारी किये गये लाइसेंसों के बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा उपयोग पर प्रतिबन्ध

\+

*328. **श्री गिरधर गोमांगो:**

श्री वी० मायावन:

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के औद्योगिक विकास निगमों से यह कहा है कि जो औद्योगिक लाइसेंस उन्हें दिये जाते हैं, उनका तात्पर्य यह नहीं है कि बड़े उद्योग गृहों तथा विदेशी अधिकांश पूंजी वाली कम्पनियों को परोक्ष रूप से ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश करने का अवसर मिले जो उनके लिए निषिद्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह पाया गया था कि कुछ राज्यों के औद्योगिक विकास निगम बड़े उद्योग गृहों और विदेशी अधिकांश पूंजी वाली कम्पनियों से अपने उद्योगों में सहयोग देने के लिए बात-चीत कर रहे थे क्योंकि उक्त निगमों को सहयोग के लिए अन्य कम्पनियों में से उपयुक्त पार्टियां चुनने में कठिनाइयां आ रही थी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख):—सरकार द्वारा निर्देश जारी कर दिए गये हैं कि यदि राज्य औद्योगिक विकास निगम गैर-सरकारी उद्यमियों को उनके जारी किए गये लाइसेंसों आशय-पत्रों के कार्यान्वयन के मामले उनके साथ सहयोग करते हैं तो उन्हें इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि प्रस्तावित

परियोजना की इक्विटी पूंजी में 50% से अधिक अंश असम्बन्धित निगम के तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को चाहिए तथा स्वयं निगम का हिस्सा इक्विटी पूंजी के 26% से कम नहीं होना चाहिए । इन निर्देशों में आगे व्यवस्था की गई है कि किसी भी अन्य एक उद्यमी को 25% से अधिक अंश नहीं दिया जायेगा और किसी भी बड़े औद्योगिक गृह अथवा विदेशी बहुलाभ वाली कम्पनी को बिना केन्द्रीय सरकार की अनुमति के 25% तक के लिए भी साझीदार नहीं बनाया जायेगा । इन निर्देशों का उद्देश्य राज्य उद्योग विकास निगमों का उनकी परियोजनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखना और लोकहित के लिए घातक आर्थिक शक्ति को केन्द्रित करने की सम्भावनाओं को कम करना है । इसके अलावा आवश्यक होने पर राज्य उद्योग विकास निगम की परियोजनाओं में विनियोजन करने से पहले एकाधिकार गृहों को एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अधीन आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होगी । आवश्यकतानुसार राज्य औद्योगिक विकास निगम परियोजना की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों में गर-सरकारी सहयोग की तलाश कर रहे हैं जिनके लिए उन्हें आशय-पत्र दिए गये हैं और जो उपरिलिखित निर्देशों की परिधि में आती हैं ।

श्री गिरिधर गोमांगो : विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ शर्तों के अन्तर्गत गैर-सरकारी उद्यम-पतियों को लाइसेंस जारी किये गये हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि कितने राज्य औद्योगिक विकास निगमों ने इन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी उद्यम-पतियों से बातचीत की तथा सरकार की ओर से उन्हें आशय-पत्र तथा लाइसेंस दिये गये ? उन राज्यों के क्या नाम हैं ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मुख्य प्रश्न गैर-सरकारी उद्योगों को नहीं बल्कि राज्य औद्योगिक विकास निगमों को आशय-पत्र अथवा लाइसेंस जारी करने से सम्बन्धित है । उक्त लाइसेंस क्रियान्विति के विभिन्न चरणों में हैं और आन्ध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, राजस्थान, मैसूर, पंजाब तथा मध्य प्रदेश के राज्य औद्योगिक विकास निगम विभिन्न उद्योग-पतियों से बातचीत कर रहे हैं ताकि इस संदर्भ में और आगे कार्यवाही की जा सके ।

श्री गिरिधर गोमांगो : क्या निगमों सम्बन्धी कठिनाइयों से बचने के लिए किसी बहुमत वाली विदेशी कम्पनी को भी मुफ्त उद्यमों के लिए लाइसेंस जारी किये गये हैं ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : सरकार ने बड़े मामलों में केवल एक मामले के अन्तर्गत ऐसे सहयोग की अनुमति दी है और वह मामला पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम से सम्बन्धित है । परन्तु जैसाकि मुख्य प्रश्न के उत्तर में कहा गया है उक्त प्रकार की अनुमतियां किन्हीं निश्चित निगमों एवम् विनियमों के अन्तर्गत दी जाती हैं जो कि बड़े उद्योग गृहों पर लागू होते हैं ।

श्री वी० मायावन : औद्योगिक विकास मंत्री तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री द्वारा की गई इस आशय की घोषणा के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि एकाधिकार प्राप्त उद्योग गृहों को विस्तार करने की अनुमति दी जाएगी ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह प्रश्न राज्य औद्योगिक विकास निगमों कों आशय-पत्र तथा लाइसेंस जारी करने के बारे में ह बड़े या एकाधिकार प्राप्त उद्योग गृहों को नहीं ?

डा० रानेन सेन : विवरण में कहा गया है कि सरकार द्वारा ये निर्देश जारी किये गये हैं कि यदि राज्य औद्योगिक विकास निगम लाइसेंसों तथा आशय-पत्रों की क्रियान्विति के लिए गैर-सरकारी उद्यमों के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो उन्हें उनके 50 प्रतिशत से अधिक शेयर प्राप्त करने चाहियें ।

यह भी कहा गया है कि जहां कहीं भी आवश्यक समझा जायेगा, एकाधिकार प्राप्त गृहों को एम० आर० टी० पी० एक्ट के अधीन आवश्यक अनुमति प्राप्त करनी होगी । क्या मैं जान सकता हूं कि (क) क्या औद्योगिक विकास मंत्रालय के पास ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सके कि उक्त निर्देशों का राज्य औद्योगिक विकास निगमों ने पालन किया है या नहीं, और (ख) क्या यह सच है कि बहुत से राज्य औद्योगिक विकास संगठन, औद्योगिक विकास मंत्रालय से उक्त निर्देशों में छूट देने का अनुरोध कर रहे हैं ताकि बड़े उद्योग गृहों को भी इसमें शामिल किया जा सके । यदि हां, तो इस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मुख्य विवरण में यह बताया गया है कि यदि किसी राज्य औद्योगिक विकास निगम को आशय पत्र या लाइसेंस प्राप्त होता है और वे बड़े उद्योग गृहों से किसी प्रकार का सहयोग करना चाहते है, तो उन्हें भारत सरकार से उसकी अनुमति लेनी होगी । ऐसा एम० आर० टी० पी० एक्ट तथा बड़े उद्योग गृहों से सम्बन्धित अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसरण में ही किया जाता है ।

प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि हमें ऐसा कोई अनुरोध पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

श्री एस० आर० दामानी : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि राज्य औद्योगिक विकास निगमों को अनेक आशय-पत्र तथा लाइसेंस जारी किये गये हैं । इनको जारी करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार की जांच की जाती है कि आशय पत्र अथवा लाइसेंस प्राप्ति के बाद कितने मामलों में कार्य आरम्भ हो चुका है ।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न राज्य औद्योगिक विकास निगमों को निर्देश के बारे में था । आशय-पत्र किसके द्वारा ?

श्री एस० आर० दामानी : केन्द्र सरकार ही राज्य औद्योगिक विकास निगमों को आशय-पत्र जारी करती है । फिर वे आगे किसी से बातचीत करते हैं। परन्तु ऐसे आशय-पत्र या लाइसेंस जारी करने से पूर्व, उनकी क्रियान्विति सुनिश्चय करने के लिए किस प्रकार की जांच पड़ताल की जाती है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद: जो कुछ जांच पड़ताल अन्य मामलों में की जाती थी, वही हर सम्बन्ध में भी होती है ।

श्री एस० आर० दामानी : कितने मामलों में काम शुरु हो चुका है ।

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न मुख्य प्रश्न के विषय से बाहर का है । इसके लिए वह अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री जगन्नाथ राव : फरवरी 1970 में लाइसेंस नीति में एक संशोधन के अधीन, बड़े बड़े उद्योग गृहों को विशाल तथा भारी निवेश वाले क्षेत्रों तक ही प्रतिबंधित रखा गया था । परन्तु इस विवरण से पता चलता है कि यदि बड़े उद्योग गृहों को एम० आर० टी० पी० एक्ट के अधीन अनुमति मिल जाये तो वे भी राज्य औद्योगिक विकास निगमों के साथ सहयोग कर सकेंगे । यह परस्पर विरोधी सिद्धांत है । बड़े-बड़े उद्योग गृहों को विशाल तथा भारी पूंजी निवेश के क्षेत्रों से बाहर किसी उद्योग

में आने की अनुमति नहीं है । अतः विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि बड़े-बड़े उद्योग गृहों को स्वीकृति मिल जाये तो वे भी सहयोग कर सकेंगे । क्या उक्त निष्कर्ष फरवरी 1970 की लाइसेंस नीति के विपरीत नहीं है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : ऐसी बात नहीं है । फिर भी उन्हें विशाल तथा भारी पूंजी निवेश के क्षेत्र में ही सहयोग करने की अनुमति दी जायेगी । वहां भी एम० आर० टी० पी० एक्ट की आवश्यकता पड़ेगी । अन्य क्षेत्रों में उनको अनुमति नहीं है ।

Shri Arvind Netam : Is it a fact that certain big houses after getting licence in the name of backward areas, intend to shift their factories at the places of their convenience For example, Baroda Rayons, got licence in the name of Bastar, but now they want to install the factory in Gujarat, I want to know what steps do the Government take to stop such intentioning ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न औद्योगिक विकास निगमों को दिये गये निर्देशों के बारे में है ।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम्: ये राज्य विकास निगम हैं । स्वाभाविक है कि वे मध्य प्रदेश से गुजरात में नहीं जा सकते क्योंकि गुजरात तो उनका कार्यक्षेत्र ही नहीं है ।

विदेशों द्वारा उद्योगों का स्थापित किया जाना

*330. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशों ने भारत सरकार से भारत में अपने सहयोग से बड़े उद्योग स्थापित करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन देशों ने बड़े उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव किये हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(क) से (ग) सहायता कार्यक्रमों से भिन्न रूप में विदेशी पार्टियों से भारत में उद्योग लगाने सम्बन्धी सहयोग प्रस्ताव प्रायः इस प्रकार के सहयोग पाने में रुचि रखने वाली भारतीय पार्टियों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के सभी प्रस्तावों पर सरकार की विदेशी विनियोजन और सहयोग सम्बन्धी नीति के अनुसार अलग-अलग मामले के आधार पर विचार किया जाता है।

विदेशी सहयोग के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों का देश-वार विवरण और 1970 से सितम्बर, 1972 तक दी गई स्वीकृति सम्बन्धी विवरण क्रमशः अनुबन्ध 1 और 2 में दिये जा रहे हैं।

विवरण

देश का नाम	विदेशी सहयोग के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या			
	1970	1971	1972 (सितम्बर तक)	योग
आस्ट्रेलिया	6	6	3	15
आस्ट्रिया	3	4	4	11
बेल्जियम	6	5	6	17
कैनाडा	2	1	4	7
चेकोस्लोवाकिया	6	8	4	18
डेनमार्क	2	2	3	7
फ्रांस	16	18	22	56
जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य	5	3	5	13
जर्मन संघीय गणराज्य	70	85	96	251
ग्रीस	1	—	—	1
हंगरी	1	2	1	4
नीदरलैण्ड	9	6	3	18
हांगकांग	--	—	1	1
इटली	15	18	15	48
जापान	40	53	37	130
नार्वे	6	1	—	7
पोलैण्ड	1	2	1	4
रूमानिया	--	—	1	1
स्विटजरलैण्ड	25	18	17	60
स्वीडन	8	6	7	21
यू०एस०ए०	84	97	78	259
यू०के०	100	95	54	249
यू०एस०एस०आर०	1	2	1	4
यूगोस्लाविया	--	1	—	1
अन्य	22	23	14	59
योग	429	456	377	1262

विवरण

क्र० सं०	देश का नाम	1970	1971	1972 (सितम्बर तक)	योग
1.	आस्ट्रेलिया	3	3	2	8
2.	आस्ट्रिया .	3	1	—	4
3.	बेल्जियम	1	3	3	7
4.	कैनाडा .	—	1	1	2
5.	चेकोस्लोवाकिया	5	5	4	14
6.	डेनमार्क	1	2	1	4
7.	फ्रांस	7	16	10	33
8.	फिनलैण्ड .	1	—	—	1
9.	जर्मन प्रजातांत्रिक गणराज्य	5	5	1	11
10.	जर्मन संघीय गणराज्य	36	42	38	116
11.	ग्रीस	1	—	—	1
12.	हंगरी	1	1	3	5
13.	नीदरलैण्ड .	3	4	3	10
14.	इटली	8	4	6	18
15.	जापान	15	35	21	71
16.	कैन्या	1	—	—	1
17.	नार्वे	1	1	—	2
18.	स्विटजरलैण्ड	13	14	11	38
19.	स्वीडन	3	3	3	9
20.	यू०एस०ए०	33	43	41	117
21.	यू०के०	39	55	25	119
22.	यूगांडा .	1	—	—	1
23.	यू०एस०एस०आर०	—	4	3	7
24.	यूगोस्लाविया	—	—	1	1
25.	अन्य	2	3	7	12
	योग	183	245	184	612

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : गत तीन वर्षों में विदेशी सहयोग के लिए प्राप्त देश-वार आवेदन-पत्रों को दर्शाने वाले विवरण से पता चलता है कि अमरीका से 259, ब्रिटेन से 249, जर्मन गणतंत्रवादी संघ से 251, रूस से केवल 4 और जर्मन प्रजातंत्रीय गणराज्य से 11 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। इसी प्रकार ब्रिटेन से 119, अमरीका के 117, जर्मन गणतंत्रवादी संघ के 116 रूस के 7 और जर्मन प्रजातंत्रीय गणराज्य के केवल 7 आवेदन पत्रों को स्वीकृति दी गई। साम्यवादी तथा अन्य देशों से प्राप्त आवेदनपत्रों को स्वीकृति दी गई। साम्यवादी तथा अन्य देशों से प्राप्त आवेदन पत्रों और स्वीकृत आवेदन पत्रों में इतना बड़ा अन्तर होने का क्या कारण है?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद: प्राप्त तथा स्वीकृत आवेदन-पत्रों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। जब प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या कम है, तो स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या कम होना स्वभाविक है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि साम्यवादी तथा गैर साम्यवादी देशों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या में विषमता क्यों है?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): जहां तक रूस का सम्बन्ध है, उनका सहयोग मूलता भारी उद्योग परियोजनाएं जैसे कि हैवी इलैक्ट्रिकल या हैवी इंजिनियरिंग संयंत्र से सम्बन्धित है। आवेदन पत्रों की संख्या कम होने के बावजूद भी विनियोग की राशि अधिक है। जिन उद्योगों के लिए सहयोग की बात हुई है वे भारी तथा पूंजी प्रधान उद्योग हैं। जहां तक अन्य देशों से प्राप्त आवेदन पत्रों की अधिक संख्या का सम्बन्ध है, वे छोटी वस्तुओं के सम्बन्ध में हैं और यही कारण है कि आवेदन पत्रों की संख्या अधिक है। यदि संयंत्रों की महत्ता की दृष्टि से देखे तो पता चलता है कि रूस से हमें मूल तथा भारी उद्योग से संबंधित अत्यन्त महत्वपूर्ण संयंत्र प्राप्त हुए हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। वक्तव्य में कहा गया है कि 1970 और 1972 के बीच रूस से सहयोग के सम्बन्ध में केवल 4 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जबकि स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या 7 बताई गई है। मैं जानना चाहता हूं कि इस बीच अतिरिक्त आवेदन पत्रों की स्वीकृति किस प्रकार दी गई जबकि इस समय के दौरान अतिरिक्त आवेदन पत्र नहीं प्राप्त हुए थे?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम्: ये आवेदन पत्र तो उक्त अवधि के दौरान प्राप्त हुए थे। स्वीकृति उन आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में भी दी जा सकती है जो उक्त अवधि से पूर्व प्राप्त हुए थे। अतः आवश्यक नहीं कि स्वीकृतआवेदन पत्रों की संख्या से मेल खाती हो। ये आवेदन पत्र उक्त अवधि से पहले के हैं।

Shri Bibhuti Misra : The total number of applications received is 1262 out of which 612 have been approved. The government is committed for socialism. I would like to know whether goverment have induced entrepreneurs for setting up industries in the backward areas; if so, the number of industries to be set up in Northern Bihar, Eastern U. P. and other backward areas of the country ?

Mr. Speaker : The question is about foreign collaboration.

श्री सोमचन्द सोलंकी: क्या भारत सरकार के सहयोग से गुजरात में उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में किन्हीं अन्य देशों से प्राप्त कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो यह कहां और कब स्थापित किया जाएगा?

श्री दीनेन भट्टाचार्य: सरकार द्वारा आत्मनिर्भरता की लगातार घोषणा किए जाने के बावजूद भी क्या यह सच नहीं है कि विदेशी सहयोग घटने के बजाए बढ़ रहा है?

श्री सुब्रह्मण्यम्: यही कारण है कि हम स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर बल दे रहे हैं और इस सम्बन्ध में योजना बनाई जा रही है। अथक प्रयत्नों से ही ऐसा हो सकता है फिलहाल हमें विदेशी सहयोग पर निर्भर रहना पड़ेगा। विदेशी सहायता केवल भारत ही नहीं बल्कि विकसित देशों को भी लेनी पड़ती है और वे लेते भी हैं।

डा० रानेन सेन: मंत्री महोदय ने अभी अभी कहा कि हम आत्मनिर्भरता और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के लिए अथक प्रयत्न कर रहे हैं। 1970 में 187 सहयोग प्राप्त किए जबकि गत वर्ष यह संख्या 245 हो गई और इस वर्ष सितम्बर तक यह संख्या 184 हो गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आत्म-निर्भरता के नाम पर सहयोगों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम्: किसी विदेशी कम्पनी से सहयोग करने या प्रौद्योगिक सहायता लेने से पूर्व हम इस बात की जांच करते हैं कि उत्पादन क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है और दूसरे क्या इस उद्देश्य के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। यदि ऐसा नहीं है और अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से किसी वस्तु का उत्पादन आवश्यक है, तो सहयोग किया जाता है। मेरे विचार में दोनों परस्पर विरोधी चीज़े नहीं है । यदि हम अपने अथक प्रयत्न जारी रखें और विकासशीलता की ओर आगे बढ़ें, फिर भी हमें किसी हद तक प्रौद्योगिक सहायता लेनी ही पड़ेगी विदेशी प्रौद्योगिकी सहायता लेने का यह अर्थ कदापि नहीं है कि हम किसी सीमा तक पिछड़े हुए हैं।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव: विभिन्न महत्वों के कारण सहयोगों की संख्या से उत्पन्न भ्रांति तथा इस क्षेत्र के क्रियाकलापों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार एक विस्तृत विवरण देगी अथवा विदेशी सहयोग महत्व प्रौद्योगिकी, रायल्टी निर्यात आभार, आयात प्रतिबन्धों आदि के संबंध में श्वेत पत्र जारी करेगी? मेरे विचार में देश को इस विषय पर प्रमाणिक विवरण की आवश्यकता है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : विदेशी सहयोगों तथा उनकी शर्तों और परिस्थितियों के सम्बन्ध में मंत्रालय ने पहले ही वक्तव्य जारी किया है। इसके अतिरिक्त हमने एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक समिति गठित की है जो इस बात की जांच करेगी कि क्या सरकार द्वारा विचारे गए सहयोग आवश्यक हैं अथवा हम स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भर कर सकते हैं, और यदि हमें प्रौद्योगिक सहायता लेनी पड़ेगी तो नई शर्तें क्या होंगी। यह सब बातें विचाराधीन हैं और हमें आशा है कि कुछ महीनों के अन्दर हम विदेशी सहयोगों के सम्बन्ध में निर्देशक मार्गदर्शी सिद्धांत बना सकेंगे।

डा० वी० के० आर० वर्दराज राव: मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । मैंने पूछा था कि क्या सरकार तथ्यों के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर सकेगी?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम्: विस्तृत विवरण दिया जा चुका है। यदि माननीय सदस्य चाहें, तो मैं उन्हें एक प्रति दे सकता हूं।

श्री विक्रम महाजन: विदेशी सहयोगों के कारण कितने लोगों को रोज़गार मिला है और यदि विदेशी सहयोग न होता तो आप उन लोगों को किस प्रकार का रोज़गार देते।

अध्यक्ष महोदय: यह एक पृथक प्रश्न है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: क्या यह सच है कि सरकार ने बिस्कुट, दंत मंजन और रेडियो बनाने के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने की अनुमति दी है? क्या इसका अर्थ यह है कि हम स्वयं यह वस्तुएं नहीं बना सकते?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम्: हाल ही में ऐसी अनुमति नहीं दी गई हां कुछ समय पूर्व ऐसा किया गया था। आजकल हम ऐसी अनुमति नहीं देते।

डिवाइन लाइट मिशन के अध्यक्ष बालयोगेश्वर की गतिविधियां

*331. **श्री एम० एम० जोजफ:**

श्री वेकारिया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बालयोगेश्वर की गतिविधियों पर बारीकी से निगरानी रखी है;

(ख) क्या यह पाया गया है कि कुछ विदेशी एजेंसियों के साथ उनके सम्बन्ध हैं; और

(ग) यदि हां तो सरकार ने 'डिवाइन लाइट मिशन' के कार्यकलापों की जांच करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

सरकार को मालूम है कि इस देश में अनुयायियों के अतिरिक्त डिवाइन लाइट मिशन के कुछ अन्य देशों में भी अनेक अनुयायी हैं। सरकार के पास बाल योगेश्वर अथवा डिवाइन लाइट मिशन तथा विदेशी एजेंसियों के बीच कोई गुप्त सम्बन्धों के साक्ष्य नहीं हैं। फिर भी, आवश्यक सर्तकता बरती जा रही है। एक ब्रीफ केस से, जो बाल योगेश्वर के सामान का एक हिस्सा था, हाल में पकड़ी गई अघोषित वस्तुओं के बारे में तथ्य वित्त मंत्रालय में राजस्व और व्यय राज्य मंत्री द्वारा 1 दिसम्बर, 1972 को सदन में तारांकित प्रश्न संख्या 266 के उत्तर में दिये गये हैं।

श्री एम० एम० जोजफ : यह पहले ही बताया जा चुका है कि बालयोगेश्वर, जो गत एक दशक से 14 वर्षीय ही हैं, के बचाव के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस के दो सदस्यों ने काफी दौड़ धूप की। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बालयोगेश्वर सत्तारूढ़ कांग्रेस के मसीहा या रक्षक हैं ?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न संगत नहीं है ? कृपया दूसरा प्रश्न पूछें।

श्री एम० एम० जोजफ: क्या बालयोगेश्वर का सी०आई०ए० से कोई संबंध है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: मैंने मुख्य उत्तर में बताया है कि 'सरकार के पास बालयोगेश्वर अथवा डिवाइन लाइट मिशन तथा विदेशी एजेन्सियों के बीच कोई गुप्त संबंधों के साक्ष्य नहीं हैं फिर भी, आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है।"

श्री इन्द्र जीत गुप्त: वक्तव्य में मंत्री महोदय ने बालयोगेश्वर के सामान में पकड़ी गई अघोषित वस्तुओं के बारे में उल्लेख किया है। मैं जानना चाहता हूं कि बरामद माल के ब्यौरे, उसके स्त्रोत को सुनिश्चित करने तथा बालयोगेश्वर के सहयोगियों द्वारा इस प्रयत्न को विफल करने तथा पूछताछ कर्मचारियों को बालयोगेश्वर के पास जाने की अनुमति न देने के संबंध में जो पूछताछ की जानी थी, क्या वह प्रक्रिया नियमों के अनुसार पूरी हो गई है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: प्रयत्न विफल करने की बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है। बालयोगेश्वर से पूछ-ताछ के लिए 2 दिसम्बर की तारीख नियत की गई और उसके वकील ने अनुरोध किया था कि बालयोगेश्वर

बीमार है। अतः यह तारीख स्थगित कर दी जाए। तब 4 और 5 दिसम्बर की तारीख पक्की की गई और इन दो दिनों में सीमा शुल्क और प्रवर्तन (enforcement) निदेशालय ने बालयोगेश्वर से पूछताछ पूरी कर ली है

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी: समाचार पत्रों में छपा है कि बालयोगेश्वर को पूछताछ के लिए अशोक होटल में बुलाया गया था। अधिकारी पूछताछ के लिए उन्हें इतने बड़े होटल में क्यों ले गए? इस विशिष्ट मामले में सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने आम प्रक्रिया का अनुसरण क्यों नहीं किया?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : कुछ वर्ष पूर्व मैं वित्त मंत्रालय में था अतः मैं अब इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री राम सहाय पाण्डे: समाचार पत्रों में छपा है कि ईश्वर के अवतार बालयोगेश्वर महाराज विदेश से कुछ वस्तुएं लाए थे। में जानना चाहता हूं कि क्या डिवाइन लाइट मिशन की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। क्या यह सच है कि यह मिशन डुबोई से सोना आयात करना चाहता था और इस उद्देश्य के लिए उसने स्वर्ण नियंत्रण अधिनियमों की छूट के लिए आवेदन पत्र दिया था?

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त: यह वित्त मंत्रालय से संबंधित है?

श्री माधुर्य्य हाल्दार: वक्तव्य में कहा गया है "सरकार के पास बालयोगेश्वर अथवा डिवाइन लाइट मिशन तथा विदेशी एजेन्सियों के बीच कोई गुप्त संबंधों के बारे में साक्ष्य नहीं है। फिर भी आवश्यक सतर्कता बरती जा रही है।" जिस दिन वित्त मंत्रालय द्वारा बालयोगेश्वर से पूछताछ की जानी थी उस दिन सदन के कुछ सदस्य उसके बचाव के लिए गए। क्या उन सदस्यों पर निगरानी रखी जा रही है, जिन्होंने पूछताछ में बाधा डाली।

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसे प्रश्न न पूछें।

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली: बालयोगेश्वर की गतिविधियां संदेहास्पद तो हैं ही, राष्ट्र विरोधी भी हैं,। क्या यह सच है कि कुछ केन्द्रीय कर्मचारी, जो इन स्वामी सन्यासियों के शिष्य हैं, ने अपनी एक संस्था बनाली है, और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्वामी सन्यासियों से मिलने जुलने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगाने का है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: जहां तक मैं जानता हूं, यह कार्य अवैधानिक घोषित नहीं किया गया है। नियम के अनुसार यह पंजीकृत संस्था है इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

Shri Swami Brahmanandji : Mr. Speaker, sir, on behalf of all sadhus I would request smt. Indira Gandhi that since Balyogeshwar is not a sanyasi but a 'thug' and therefore he should be arrested immediately.

Shri Ramavatar Shastri : Is the Government aware of the fact that Divine Light Mission i.e. Balyogeshwar maintains his own private pclice if so, what steps have been taken to check it.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: यह सच है कि इस संस्था में स्वयंसेवक हैं, जिन्हें लाठी चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है आम तौर पर ऐसा सत्संग आदि में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से किया जाता है लेकिन यह भी सच है कि टाइम्स आफ इण्डिया कार्यालय के बाहर हुए दंगे में मिशन के कई अनुयायियों ने हिंसात्मक कार्यवाही की। मैं स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सकता कि वह मिशन के अनुयायी थे भी या नहीं। मुझे उनके नाम नहीं पता हैं। मैं

तो केवल इतना जानता हूं कि समाचार पत्र में प्रकाशित एक खबर के संबंध में यह प्रदर्शन किया गया था और मिशन के साथ हमदर्दी रखने वाले लोगों ने हिंसात्मक कार्यवाही की।

श्री वसंत साठे: क्या माननीय मंत्री यह बता सकेंगे कि बालयोगेश्वर की सही उम्र क्या है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त: हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नहीं कहा गया है

अध्यक्ष महोदय: वह बाल हैं या बालक।

श्री मोहन राज कलिंगरयार: हाल ही में हमें साधुओं, संतों और दैवी शक्तियों को लेकर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार इसका भी राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर देती ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपकी इसमें रुचि है ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आकाशवाणी के ढांचे में परिवर्तन

*323. **श्री तेजा सिंह स्वतन्त्र:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आकाशवाणी के ढांचे में कुछ परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० गुजराल) : (क) तथा (ख) आकाशवाणी के संगठनात्मक ढांचे का विकेन्द्रीकरण करने के लिए प्रशासनिक परिवर्तन करने संबंधी कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

नागा और मिजो विद्रोहियों द्वारा आत्म समर्पण

*324. **श्री राम भगत पस्वान:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितने नागा और मिजो विद्रोहियों ने आत्म समर्पण किया है और कितने विद्रोही अभी भी फरार हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): नागालैण्ड सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1 सितम्बर और 30 नवम्बर के बीच 1584 नागा विद्रोहियों ने आत्म समर्पण किया है। मिजो विद्रोहियों के बारे में, 400 से अधिक विद्रोहियों ने आत्म समर्पण किया है। मिजोरम सरकार से सही आद्यतन आंकड़े मालूम किये जा रहे हैं। अभी तक फरार नागा या मिजो विद्रोहियों के बारे में कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है। किन्तु संकेत य हैं कि उनकी संख्या अधिक नहीं है।

टेलेक्स सुविधाओं वाले नगर

*325. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उन नगरों के नाम क्या हैं जिनमें टेलेक्स सुविधाएं उपलब्ध हैं,

(ख) क्या चालू वर्ष में और आगामी वित्तीय वर्ष में कुछ अन्य नगरों में भी ये सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है, और

(ग) इन नगरों के क्या नाम हैं?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) श्रीनगर, अमृतसर जालंधर, चंडीगढ़, लुधियाना, जयपुर, नई दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, कलकत्ता, शिलांग, गोहाटी, पटना, रांची, जमशेदपुर कटक, भुवनेश्वर, बम्बई, राजकोट, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, इंदौर, भोपाल, नागपुर, पूना, सिकन्दराबाद, वास-को-डिगामा, मद्रास, विशाखापत्तनम, विजयवाढ़ा, बंगलूर, सलेम, मंगलोर, कोइम्बतोर, कालीकट, त्रिवेन्द्रम, मदुरै और तिरुचिरापल्ली।

(ख) जी हां।

(ग) कोल्हापुर, दुर्गापुर, देहरादून, कोटा और भावनगर में टेलेक्स एक्सचेंज लगाने का काम चल रहा है। एसा प्रस्ताव है कि अगले वर्ष आसनसोल, धनबाद, बोकारो, आगरा, अलप्पी, अकोला, जामनगर, डिब्रूगढ़, गुन्टूर, और क्विलोन में नए टलेक्स एक्सचेंज स्थापित करने का कार्य आरम्भ किया जाए।

चौथी योजना के दौरान मध्य प्रदेश के लिए कुल परिव्यय

*329. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के लिए निर्धारित कुल परिव्यय राज्य की जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत कम था, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या पांचवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश के लिए परिव्यय निर्धारित करते समय सरकार इस पहलू को ध्यान में रखगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के लिए 393 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है; जिसमें से 131 करोड़ रुपय योजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए राज्य सरकार के अनुमानित संसाधनों को दर्शाते हैं और अन्य 262 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता की राशि है, जिसका कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय सहायता के सूत्र के आधार पर मध्य प्रदेश अधिकारी हैं। ऊपर दर्शाये गय 393 करोड़ रुपय के परिव्यय का निश्चय करने में सरकार ने इस बात को ध्यान में रखा कि कितनी मात्रा में संसाधन सुलभ हैं तथा आधारभूत आवश्यकताओं की कहां तक पूर्ति की जा सकती है समेत, राज्य का विकास किस स्तर तक हो पायेगा ।

(ख) पांचावीं पंचवर्षीय योजना में निम्नतम आवश्यकताओं के कार्यक्रम के लिए काफी व्यवस्था किये जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश की पांचवीं पंच वर्षीय योजना का परिव्यय निश्चय करते समय इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिऐ कितने धन की आवश्यकता होगी, इस बात को ध्यान में रखा जायगा ।

आजाद हिन्द फौज के सेनानियों को ताम्रपत्र देना

*332. **श्री रणबहादुर सिंह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या आजाद हिन्द फौज के बहुत से सेनानियों को, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, ताम्रपत्र नहीं दिये गये हैं क्योंकि उनके पास आवश्यक कागजात नहीं थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उनके मामलों पर विचार करना चाहेगी और उन्हें भी लाभान्वित करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पंत) : (क) सरकार को राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों से इस संबंध में अभी तक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देवली नजरबन्दी शिविर में नजरबन्द रखे गये स्वतंत्रा सेनानियों को पेंशन के लिये प्रमाण पत्र जारी करना

*333. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन सुरक्षा बन्दीयों को 1940-41 में गिरफ्तार किया गया था तथा देवली नजरबन्दी शिविर (राजस्थान) में नजरबन्द रखा गया था उन्हें देवली शिविर जेल अधिकारियों से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए जेल प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका रिकार्ड केन्द्रीय सरकार के पास है क्योंकि यह शिविर सीधे केन्द्रीय सरकार के अधीन था ; और

(ग) क्या मंत्रालय उन व्यक्तियों को ऐसे प्रमाणपत्र जारी करेगा जिन्होंने स्वतंत्रता सनानी पेंशन के लिये आवेदन पत्र दिये हैं और यदि हां, तो देवली सुरक्षा बन्दी शिविर के बन्दियों के सम्बन्ध में किन-किन नियमों का पालन किया जाता है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) से (ग) : देवली नजर बंदी शिविर में कैद किये गये स्वतंत्रता सेनानियों, से, नजरबंदी के प्रमाणपत्र प्राप्त करने में उनकी कठिनाई के बारे में कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। इस शिविर का पुराना रिकार्ड सहज उपलब्ध नहीं है। किन्तु यदि आवश्यक हुआ तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस शिविर में कैद किय गय स्वतंत्रता सेनानियों को नजरबंदी के प्रमाणपत्र के अभाव में कोई हानि न उठानी पड़े, उपयुक्त कदम उठाये जायेंगे ।

Scheme for Development of Madhya Pradesh

*334. SHRI SHRIKRISHNA AGARWAL :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased to state :

(a) whether Government Madhya Pradesh have chalked out any programme for setting up industries and forwarded it to the Central Government, if so, the broad outlines thereof;

(b) the total expenditure to be incurred on the entire programme and Central Government's share therein; and

(c) whether the Central Government do not propose to contribute any thing, if so, the reasons therfore ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND SCIENCE AND TECHNOLOGY (SHRI C. SUBRAMANIAM) :

(a) No such programme has been received in the Ministry of Industrial Development.

(b) & (c) Do not arise.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के एककों के लिए होल्डिग कम्पनी स्थापित करने के लाभ

*335. **चौधरी राम प्रकाश:**

श्री जी० वाई० कृष्णन:

क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि हिन्दुस्थान मशीन टूल्स लिमिटेड के विभिन्न सयंत्रों के लिए एक होल्डिग कम्पनी स्थापित करने के क्या लाभ हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): हिन्दुस्थान मशीन टूल्स के प्रस्तावित पुनर्गठन से एसी आशा है कि इष्टतम कार्य कौशल होगा प्रबन्ध के भिन्न भिन्न स्तरों पर पहल करने की वृत्ति पनपेगी तथा हिसाव किताब की जिम्मेदारी वहन करने से मितव्यमिता सुनिश्चिन होगी। ऐसी भी आशा है कि यथासमय यह धारक कम्पनी मशीन टूल्स उद्योग के विकास के सम्बन्ध में सरकार के बनने तथा कार्यन्वित होने में एक प्रभावीकड़ी के रूप में उभर सकेगी।

विलास की वस्तुओ की खपत पर रोक लगाना

*336. **श्री प्रसन्नभाई मेहता:**

श्री पी० गंगादेव:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना के प्रति दृष्टिकोण सम्बन्धी दस्तावेज में विलास की वस्तुओं की घरेलू खपत पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से कड़ा प्रतिबन्ध लगाये जाने का संकेत दिया गया है;

(ख) क्या इस प्रकार के आर्थिक अनुशासन सम्बन्धी उपायों को विदेशी मुद्रा के अर्जन के लिए आवश्यक समझा जाता है; और

(ग) क्या विलास की वस्तुओं की खपत पर रोक लगाने से अनावश्यक खर्चे भी रुकेंग ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) से (ग) : जी हां।

सेवानिवृत भारतीय सिविल सेना/भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पुनः नियुक्ति

*337. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सिवल सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सेवा निवृत्ति के पश्चात् पुनः नियुक्ति के बारे में भारत के सविधान में कोई उपबन्ध नहीं हैं ;

(ख) यदि हां तो सरकार उनको किस आधार पर पुनःनियुक्त कर रही है जवकि देश की वेरोजगारी की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा हैं' और

(ग) गत छः महीनों में सेवा निवृत्त होने वाले भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनमें से पुननियुक्त किये गये अधिकारियों के नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) तथा (ख): भारतीय सिविल सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों समेत सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों की पुनः नियुक्ति के लिए या तो अनुमति देने या मनाही करने के लिए संविधान में कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत बनाए गए सगत नियमों के अनुसार असाधारण परिस्थितियों तथा लोकहित में पुनः नियुक्ति की जाती है।

(ग) 30 नवम्बर 1972 को समाप्त होने वाली छः महिने की अवधि के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेरह आई०सी०एस० सदस्य सेवा से निवृत्त हुए थे । उनके नामों की एक सूची सदन के पटल पर रखी जाती है। उनमें से केवल श्री के० एल० मेहता को केन्द्रीय सरकार द्वारा छः महीने की अवधि के लिए अफगानिस्तान में भारत के राजदूत के पद पर पुनः नियुक्त किया गया है जिस पद पर वे सेवानिवृत्ति के समय कार्य कर रहे थे।

विवरण

नामों की सूची

1. श्री टी० स्वामीनाथन
2. श्री के०एल० मेहता
3. श्री टी० पी० सिंह
4. श्री वी०एस० गिद्धवानी
5. श्री पी० सी० मैथ्यू
6. श्री आर० सी० दत्त
7. श्री बी० पी० पटेल
8. श्री एन० सुब्रामण्यम्
9. श्री एल०जी० राजवाडे
10. श्री जे० के० अतल
11. श्री वी० एम० जोशी
12. श्री बी० मुकर्जी
13. श्री एस० के० बेनर्जी

राज्यों में योजना विभागों के कार्यकरण की समीक्षा

*338. **डा० रानेन सेन :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में योजना व्यवस्था के कार्यकरण की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां तो राज्यों में योजना विभागों की स्थापना तथा उनके कार्यकरण में सुधार करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या सुझाव दिया हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

योजना आयोग राज्यों के योजना विभागों के सगठनात्मक सरचना और कार्य की सामान्य समीक्षा करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुचा कि इस समय राज्यों में आयोजन की जो व्यवस्था है उसमें न तो पर्याप्त मात्रा में तकनीकी विशेषज्ञ रखे गये है और न ही जनता की सहभागिता प्राप्त की गई है।

इन निष्कर्षों तथा प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों के आधार पर योजना आयोग ने राज्यों को सिफारिश की है कि (क) शीर्ष आयोजन सगठन स्थापित किये जाए और (ख) राज्य योजना विभागों को सुदृढ़ किया जाय । इस सम्बन्ध में विशिष्ट सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(क) राज्य स्तर पर एक शीर्ष संगठन होना चाहिये जिसमें मुख्यमंत्री वित्त मंत्री योजना मंत्री तथा विभिन्न विभागों और विषयों के तकनीकी विशेषज्ञ होने चाहिए ।

(ख) शीर्ष संगठनों को कार्यभार दलों द्वारा सहायता प्रदान की जानी चाहिये । इन कर्णधार दलों के अध्यक्ष तकनीकी विशेषज्ञ होने चाहिये और यह उपयुक्त होगा यदि ये विशेषज्ञ सरकार से बाहर कृषि उद्योग सिंचाई व बिजली समाज सेवाओं परिवहन जनशक्ति व रोजगार तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से सम्बन्धित हों। इन कर्णधार दलों के सदस्य ऊपर (क) में दर्शाये गये योजना सगठनों के सदस्य होने चाहिये।

(ग) आयोजन संगठन योजना विनष्पादन तथा योजना कार्यान्वयन के प्रवोधन में मार्गदर्शन करने में कारगर ढग से काम कर सकें यह सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष सगठन का एक गैर सरकारी व्यक्ति पूरे समय का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाय । उपाध्यक्ष राज्य योजना विभागों के माध्यम से काम करेगा और ये विभाग शीर्ष आयोजन सगठनों के सचिवालय के रूप में काम करें।

(घ) योजना विभाग शीर्ष आयोजन संगठनों के सचिवालय का काम ठीक प्रकार कर सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न विषयों से विशेषज्ञ लेकर इसमें काम कर रहे लोगों में समुचित वृद्धि की जाय । इन योजना विभागों को भी काम के अनुसार पुनः गठित किया जाय जो कि निम्न प्रकार से हो :

(1) **भावी आयोजन एकक:**—ससाधन इन्वेटरियां तैयार करने तथा उन्हें अद्यतन बनाने के साथ साथ दीर्घकालीन भावी योजनाएं तैयार करना ;

(2) **प्रबोधन, योजना सूचना और मूल्यांकन एकक:—**

(3) **परियोजना निष्पादन एकक:** विनियोजन परियोजनाओं के लिए परियोजनाए तैयार करने में विभिन्न विभागों को सहायता पहुचाना तथा उनका पूर्व मूल्यांकन करना;

(4) **क्षत्रीय/जिला आयोजन एकक :** क्षेत्रीय और जिला आयोजन प्राधिकारियों को मार्ग दर्शन तथा तकनीकी सहायता देना और

(5) **योजना समन्वय एकक :** विकास के वर्तमान संभावित स्तर का विश्लेषण करना आगामी पांच एक वर्ष (वर्षो) के लिए एकीकृत कार्यनीति के अन्तर्गत पारस्परिक प्राथमिकताए निश्चित करना जनशक्ति सामग्री और वित्तीय साधनों की उप लब्धि का पता लगाना और संतुलित तथा संचालनात्मक योजना के अन्तर्गत स्थान विषयक और क्षेत्रीय योजनाओं का समन्वय करना।

दिल्ली तथा नई दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

*339. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में दिल्ली तथा नई दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के कारण कितने व्यक्तियों कि मृत्यु हुई ; और

(ख) क्या सरकार का विचार दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का है ताकि हत्या करने वाले ड्राइवरों को कठोर दण्ड दिया जा सके ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) 1969 —₹ 433

1970 — 534

1971 — 418

1972 — 378 (30-9-1972 तक)

(ख) कारावास के दण्ड को बढ़ाकर 5 वर्ष तक करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304—क में सशोधन करने का विचार है न की दण्ड प्रक्रिया संहिता में।

किन्तु समस्त सड़क दुर्धटनाए ड्राइवरों के कारण नहीं होती। यातायात विनियमों का पालन न करना सड़कों पर अतिक्रमण जनता में सड़क बोध की कमी इत्यादी जैसे अनेकों तथ्य भी इन दुर्घनाओं के कारण हैं।

पश्चिम बंगाल में फिल्म वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण

*340. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म वित्त निगम ने पश्चिम बगाल के सुप्रसिद्ध तकनीशियों की बजाय उन व्यक्तियों को ऋण दिया है जिन्होंने पहले कमी तथा चित्र नहीं बनाए लेकिन वे फिल्म वित्त निगम के नाम निर्देशित सदस्य थे और

(ख) यदि हां तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० गुजराल) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ILLUMINATION OF GOVERNMENT BUILDINGS ON SILVER JUBLIEE CELEBRATIONS

3192. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the total expenditure incurred by Government on illumination of Government buildings in Delhi and various functions held at Government level in connection with the Silver Jubilee celebrations of Independence in August, 1972 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K.C. PANT) : A sum of Rs. 2,16,979/- has been spent on illumination of the Rashtrapati Bhavan, the Parliament House, the Red Fort and the North and South Blocks of the Secretariat. Of this a sum of Rs. 71,301 relates to the illumination of the Red Fort which has been a normal feature every year in recent years. According to information available a sum of Rs. 19,298.60 has been spent by the Delhi Administration and some other Central Government offices on functions arranged. This does not include certain pending Bills yet to be settled by the Delhi Administration.

उड़ीसा में निर्धनता से नीचे के स्तर के लोग

3193. **श्री डी० के० पण्डा** : क्या **योजनाँ मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा की जनसख्या में निर्धनता से नीचे के स्तर के लोगों की संख्या और प्रतिशतता कितनी है ; और

(ख) क्या उड़ीसा का दावा है कि निर्धनता से नीचे के स्तर के अधिक लोग उसी राज्य में हैं, यदि हां तो उस राज्य में गरीब जनता की स्थिति में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1972-73 में क्या विशेष सहायता दी जा रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) : 1964-65 के लिए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 19वें दौर से प्राप्त उपभोक्ता व्यय के आंकड़ों से आधार पर उड़ीसा में उस वर्ष निर्धनता के स्तर से नीचे निर्वाह कर रही जनसंख्या का अनुपात लगभग 62.04 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 57.58 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में लगाया जा सकता है । ये देश की सर्वाधिक प्रतिशतताओं में से थीं ।

उड़ीसा का सारा योजना कार्यक्रम उस राज्य में लोगों की दशा को सुधारने के लिए बनाया गया था जिसमें कि अधिक गरीब वर्ग भी शामिल थे । तथापि इन तथ्यों, कि उड़ीसा में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर से नीचे है तथा राज्य की विशेष समस्याएं हैं, को देखते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा को दी जाने वाली कुल केन्द्रीय सहायता में 54.88 करोड़ रुपये की राशि सम्मिलित कर दी गई है । लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए दूसरे राज्यों की तरह ही, उड़ीसा में विशेष कार्यक्रमों के लिए 1972-73 के दौरान और आवंटन इस प्रकार किए गए हैं :—

	(लाख रुपये)
1. विशेष रोज़गार कार्यक्रम	108.00
2. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम .	151.14
3. लघु कृषक विकास अभिकरण	99.50
4. नाममात्र के कृषक तथा खेतिहार मज़दूर	61.26
5. ग्रामीण रोजगार के लिए त्वरित योजना . . .	183.00
6. केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा चलाई गई शिक्षित बेरोजगारी के लिए स्कीमें	202.01
7. ग्रामीण जल-आपूर्ति हेतु त्वरित कार्यक्रम	100.00

विभिन्न उद्योगों में सेवानिवृत्त व्यक्तियों की नियुक्ति

3194. **कुमारी कमला कुमारी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) वित्त, उद्योग, विदेश व्यापार, इस्पात तथा खान मंत्रालयों के सेक्शन अफिसरों से ऊपर के रैंक के उन सेवा निवृत्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको 20 बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा अपने उद्योगों में अब नियुक्त किया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति को निषिद्ध घोषित करने के लिए अध्यादेश जारी करने का है जिनकी आयु 58 वर्ष से अधिक है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) तथा (ख) विद्यमान नियमों के अन्तर्गत, कोई सरकारी कर्मचारी जो सरकार के अधीन श्रेणी I पद से सेवानिवृत्त हो रहा हो, यदि वह अपनी सेवानिवृत्ति के दो वर्षों के बीच कोई वाणिज्यिक रोजगार

लेने का विचार रखता है तो उससे सरकार की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। जिन्होंने सेवा निवृत्ति के समय 1500 रुपये से कम वेतन लिया था, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा इस संबंध में निर्धारित मानदण्ड के अनुसार अनुमति के अनुरोध पर जांच करने के बाद और प्रभारी मंत्री के आदेश प्राप्त करने के पश्चात्, ऐसे अधिकारियों के मामले में निर्णय किया जाता है। जिन्होंने सेवा निवृत्ति के समय 1500.00 रुपये या उससे अधिक वेतन लिया था, प्रशासनिक रूप से संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री तथा कार्मिक विभाग के राज्य मंत्री द्वारा गठित एक समिति के आधार पर उन सरकारी कर्मचारियों के मामलों में विचार किया जाता है। केवल ऐसे मामलों में अनुमति दी जाती है, जहां इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति होती हो। सेवानिवृत्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि समाप्त के पश्चात् वाणिज्यिक रोजगार लेने के लिए ऐसी कोई अनुमति लेनी आवश्यक नहीं है। इन परिस्थितियों में, अनुभाग अधिकारी से ऊपर के स्तर के व्क्तियों की संख्या, जिन्होंने सेवा निवृत्ति के दो वर्ष बाद वाणिज्यिक रोजगार प्राप्त किया हो, के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं है जिन्होंने वित्त, उद्योग, विदेश व्यापार, इस्पात तथा खान मंत्रालयों से अपनी सेवा निवृत्ति के दो वर्षों के बीच किन्हीं 20 बड़े औद्योगिक गृहों में वाणिज्यिक रोजगार के लिए अनुमति ली थी, इन श्रेणियों के व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सरकार की सलाह है कि सरकारी कर्मचारियों की वाणिज्यिक रोजगार पर सेवानिवृत्ति के उपरान्त पूर्ण पाबन्दी नहीं लगाई जा सकती क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 19(1) (छ) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अन्तर्ग्रस्त होगा।

तीन वर्षों से अधिक समय से एक ही पद पर काम कर रहे अधिकारी/पदाधिकारी

3195. **श्री मोहम्मद इस्माईल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे अनुदेश हैं कि एक पदाधिकारी/अधिकारी को किसी एक ही विशेष पद/स्थान पर तीन वर्ष से अधिक समय तक काम करने की अनुमति न दी जायें; और

(ख) यदि हां, तो कार्मिक विभाग के केन्द्रीय (अतिरिक्त कर्मचारी) सेल में तीन वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे पदाधिकारियों/अधिकारियों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देश में अनुसूचित जातियों के लोगों को जिन्दा जला देने और उनके घरों को आग लगा देने की घटनाएं

3196. **श्री अम्बेश :** क्या **गृह मंत्री** 10 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7520 के उत्तर के के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री रांम निवास मिर्धा): (क) और (ख) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार, जम्मू कश्मीर मनीपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगांल, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश,

दादरा व नागर हवेली, लक्कादीव मिनिकाय व अमिनदीवी द्वीप समूह तथा मिजोराम में सन् 1969, 1970 और 1971 के दौरान ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई थीं। तमिलनाडु सरकार से सूचना अभी आनी है। शेष राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० 3921/72]

जिला आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) के लखनपुर गाँव की हरिजन महिलाओं को यातनाएं देना

3197. **श्री अम्बेश** : क्या गृह मंत्री 7 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1986 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) तथा (ख) : इस सम्बन्ध में 17 नवम्बर, 1971 को इस सदन में दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 430 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार आजमगढ़ जिले के गांव लखनपुर की एक हरिजन महिला के साथ अमानुषिक अत्याचार के विशिष्ट आरोप राज्य गुप्तचर विभाग द्वारा की गई गांच पड़ताल पर सिद्ध नहीं हुए । किन्तु ऐसा संदेह था कि हत्या के मामले में पूछ-ताछ के दौरान दूसरों के साथ हरिजन महिला को डराया-धमकाया गया तथा पीटा गया था। इसकी जांच-पड़ताल की गई और राज्य सरकार ने सम्बन्धित उप-निरीक्षक के विरुद्ध पुलिस अधिनियम की धारा 7 के अधीन विभागीय कार्यवाही शुरू करने का निश्चय किया है।

Setting up of Scooter Factory in M.P. during Fifth Plan

3198. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether there are any scooter manufacturing factories in Madhya Pradesh and if so, the location thereof; and

(b) Whether it is proposed to set up any new factory there during the Fifth Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) No such proposal is under consideration at present.

Inquiry against Traders and Industrial House of Madhya Pradesh for violation of Licensing Rules

3199. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the number of traders and industrial houses of Madhya Pradesh against whom enquiries were held by Government for the violation of the provisions of Industrial licensing during the last three years; and

(b) the action taken by Government against each of the traders and industrial houses found guilty?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) Certain cases of violation of provisions of Industrial licensing including some pertaining to undertakings, belonging to industrial houses, situated in Madhya

Pradesh are under investigation by the Commission of Inquiry on the Large Industrial Houses, headed by Shri A. K. Sarkar, formerly Chief Justice of the Supreme Court of India. A copy of the Government notification dated the 18th February, 1970 announcing the terms of reference of the above Commission was laid on the Table of the House as an enclosure to the answer given to Unstarred Question No. 245 on 24-2-70. The question as to what action should be taken against such houses will be decided only after receipt of the report of the Commission.

Broadcast for Youth in Madhya Pradesh

3200. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the main features of the programmes broadcast for the Youth of Madhya Pradesh during the year?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : Bhopal and Indore are broadcasting daily a one-hour programme for youth under the titles 'Yuva Sangam' and 'Yuvak Sangam' respectively. These programmes consist of discussions by Youth on topical, social and economic questions, interviews, broadcast of poems, short stories and plays written by youth. There is also a popular music programme which provides a forum for young musicians to broadcast.

भारत हैवी इलैक्ट्रिक्ल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को अनुग्रह अनुदान

3201. **श्री एम० एम० शिवस्वामी:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1972-73 के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को कोई अनुग्रह अनुदान देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और ख) : चूंकि अभी गत 1972-73 का ही वित्त वर्ष चल रहा है अतः इस समय यह बता सकना कि इस वर्ष में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० के किसी एकक के कर्मचारियों को किसी प्रकार का अनुग्रह अनुदान दिया जा सकेगा, समय से पूर्व होगा।

मशीन निर्माण उद्योग का औद्योगिकी तौर पर पिछड़ापन

3202. **श्री बेंकारिया :**

श्री वी० के० दास चौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मशीन निर्माण उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रोद्योगिकी तौर पर इसके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): हालांकि देश में मशीन निर्माताओं द्वारा मात्रा, विभिन्नता और होड़ में पर्याप्त वृद्धि की गई है फिर भी मशीन उद्योग की कुछ सूक्ष्म वस्तुओं में हमने अभी आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं की है। ऐसे उद्योगों में प्रौद्योगिकी के आयात के लिए चयनात्मक आधार पर अनुमति दी जा रही है साथ ही देश में अनुसंधान सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। पूंजी लगाने के लिए गुंजाइश और उत्पादों की संभावित लगातार मांग के बारे में समय-समय पर प्रेस नोट जारी किये जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी कमी का पता लगाने तथा अवस्थाबद्ध तरीके से प्रौद्योगिकी सामान के लिए कार्यक्रम का संभरण करके एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना भी तैयार की जा रही है।

लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र देने की शर्तें

3203. **श्री बेकारिया :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है कि लाइसेंसों के लिए आवेदनों के साथ मल तथा गैसों की निकासी सम्बन्धी ब्यौरा भी होना चाहिए।

(ख) यदि हां, तो क्या पहले से चालू उद्योगों को भी यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि मल तथा गैसों की निकासी निर्धारित सुरक्षा सीमा को पार न करें; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। भविष्य में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंस के लिए दिए जाने वाले आवेदन पत्रों में उन्हें देते समय पानी, मिट्टी और हवा में मिलने वाले जल, धुएं और गैसों की मात्रा सुरक्षा की दृष्टि से निर्धारित सीमा से अधिक न होने देने का सुनिश्चय करने के सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले अभ्युपायों का उल्लेख करना भी आवश्यक होगा।

(ख) और (ग) फैक्टरी अधिनियम 1948 (1948 का 63) में कूड़ा-कचरा और पानी, धुआं आदि को ठिकाने लगाने का प्रबन्ध करने की व्यवस्था की गई है। आवश्यकतानुसार समय आने पर अन्य उपाय अपनाने पर भी विचार किया जायेगा।

केरल विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग से प्राप्त अनुसंधान सम्बन्धी योजना

3204. **श्री वयालार रवि :** क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री केरल विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग से प्राप्त अनुसंधान सम्बन्धी योजना के बारे में 9 अगस्त 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1488 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस पर कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस निर्णय की रूप-रेखा क्या है?

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) तथा (ख) यह योजना विचाराधीन है।

विभागेतर कर्मचारियों सम्बन्धी आयोग का प्रतिवेदन

3205. **श्री वयालार रवि:**

श्री अर्जुन सेठी:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक व तार विभाग के विभागेतर कर्मचारियों की समस्याओं के अध्ययन के लिए नियुक्त किये गये आयोग ने अपना प्रतिवेदन इस बीच प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी हां।

(ख) रिपोर्ट के खास मुद्दे वे सिफारिशें हैं जो विभागेतर शाखा डाकघरों के काम के घंटों, विभागेतर एजेंटों का वेतन निर्धारित करने की कसौटी, जिसमें मंहगाई और नगर प्रतिपूर्ति भत्तों का मुआवजा भी शामिल है, ग्रेच्युटी मंजूर करने के लिये सेवा अवधि, विभागेतर एजेंटों का एसोसिएशन बनाने का अधिकार और सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं देने के लिए क्षेत्र की जरूरतों के आधार पर डाकघर खोलने की कसौटी और इनसे संबंधित अन्य मसलों के बारे में की गई हैं।

सरकार समिति की इन सिफारिशों की जांच कर रही है।

सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात् कारों तथा स्कूटरों का आवंटन

3206. **श्री के० लकप्पा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे अधिकारी का जिसने केन्द्रीय सरकार की अपनी सेवा के दौरान केन्द्रीय पूल से कार अथवा स्कूटर के आवंटन के लिए आवेदन पत्र दिया हो और जो आवंटन होने तक सेवा निवृत हो गया हो, मंत्रालय से कार/स्कूटर पाने का अधिकारी हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के एक वर्ष पश्चात् तक केन्द्रीय पूल से कार/स्कूटर का आवंटन प्राप्त करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) ऐसे मामलों में कारों/स्कूटरों का आवंटन नहीं किया जाता है क्योंकि इससे कार/स्कूटर दिये जाने का प्रयोजन, अर्थात् अधिकारी अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निवाहने में समर्थ हो, पूरा नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

Manufacture of Tractors by M.P. State Agro-Industrial Corporation

3207. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development and Science and technology** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh State Agro-Industrial Corporation had requested for the grant of licence in 1971 for manufacture of small and medium size tractors in collaboration with a foreign company; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

उद्योग स्थापित करने के लिए राजस्थान को सहायता देना

3208. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में 15 मार्च, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 193 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) राजस्थान के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए कुल कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) द्वारा किये गये औद्योगिक सर्वेक्षण के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायगी;

(ग) क्या राज्य सरकार ने सर्वेक्षण प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रस्तावों पर कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो किस रूप में ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) बताया गया है कि राज्य सरकार और राजस्थान वित्त निगम ने इस प्रयोजन के लिए 117 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं । केन्द्रीय सहायता विशिष्ट योजनाओं या विकास क्षेत्रों के लिए नियत नहीं की जाती है।

(ख) राजस्थान के सबन्ध में भारताय औद्योगिक विकास बैंक की सर्वेक्षण रिपोर्ट की छपी हुई प्रतियां भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने बिक्री के लिए रख दी हैं।

(ग) और (घ) राज्य सरकार का, जिसे हाल ही में अन्तिम रिपोर्ट मिली है, निकट भविष्य में इस पर आगे कार्यवाही करने का विचार है ।

राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सेवाओं का प्राप्त किया जाना

3209. **श्री विश्वनाथ झंझुनवाला :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें अपने राज्यों से सम्बन्धित मामलों की जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सेवाएं प्राप्त कर सकती हैं;

(ख) केन्द्रीय जांच ब्यरो की सेवाओं की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने कितने मामलों में अपनी अनुमति दी है अथवा कितने मामलों में अनुमति नहीं दी है; और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा राज्यवार जिन मामलों की जांच की जा रही है उनका ब्यौरा क्या है और क्या इन जांच कार्यों के प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार को भी दिये जायेंगे ।

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) सामान्यतः राज्य सरकारें अपने राज्यों से सम्बन्धित मामलों में जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सेवाएं प्राप्त नहीं करा सकतीं। कभी कभी राज्य पुलिस द्वारा जांच किए जाने वाले मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो की विशेष पुलिस स्थापना द्वारा राज्य सरकारों के अनुरोध पर जांच हेतु लिए जाते हैं, यदि वे जटिल या मुश्किल या भिन्न-भिन्न राज्यों में फैले हुए हों अथवा ऐसे विशेष स्वरूप के हों, जिसके कारण राज्य से बाहर की किसी एजेन्सी द्वारा उन पर जांच करानी आवश्यक हो । तथापि, ऐसे जांच के मामले तभी लिए जाते हैं यदि अनुरोध करने वाली राज्य सरकार ने उस क्षेत्र में विशेष पुलिस स्थापना के क्षेत्राधिकार को उस श्रेणी के अपराधों के सम्बन्ध में बढ़ाने की अपनी सहमति दे दी हो तथा केन्द्रीय सरकार भी विशेष पुलिस स्थापना के इस क्षेत्राधिकार को सम्बन्धित राज्य तक बढ़ाने के लिए राजी हो।

गत तीन वर्षों के दौरान 23 नवम्बर 1972 के अन्त तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच हेतु लिए गए ऐसे मामलों की संख्या 125 है और जहां विभिन्न कारणों से केन्द्रीय सरकार की सहमति अस्वीकार कर दी गई थी ऐसे मामलों की संख्या 35 है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा ऐसे मामले जो अभी जांचाधीन हैं उनकी राज्यवार संख्या इस प्रकार है :—

असम	2
बिहार	11
गुजरात	3
मध्य प्रदेश	3
महाराष्ट्र	2
मैसूर	2
उड़ीसा	1
राजस्थान	5
तमिलनाडु	13
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	2
पश्चिम बंगाल	2
योग :	47

ऐसे मामलों में जांच की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भी उपलब्ध कराई जाती है।

केरल में लघु उद्योगों के लिए उत्पादन केन्द्र

3210. **श्री वयालार रवि** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योग विकास आयुक्त, नई दिल्ली ने केरल में चार उत्पादन केन्द्रों को चलाने में अपनी असमर्थता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार ने इन उत्पादन केन्द्रों के भावी ढांचे के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है; और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार का प्रस्ताव प्राक्कलन समिति लोकसभा (77वीं रिपोर्ट) के कहने पर गठित की गई संगठन समिति (आरगेनाईजेशन कमेटी) की सिफारिशों के आधार पर इन उत्पादन केन्द्रों को राज्य सरकार को हस्तान्तरित करने का है।

रूसी सहयोग से व्यापारिक मोटर गाड़ियों का निर्माण

3211. **डा० हरिप्रसाद शर्मा:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए हल्की व्यापारिक मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिए कलकत्ता में निजी क्षेत्र की एक कम्पनी को तकनीकी सहयोग दिया है ;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने सहयोग के करार को स्वीकृति दे दी है; और

(ग) करार की शर्तें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग) मैं० इन्सोन आटो लिमिटेड, कलकत्ता को मैं० प्रोमाश ऐक्सपोर्ट मास्को रूस के सहयोग से प्रतिवर्ष 12,000 हल्की वाणिज्यिक गाड़ियां बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नया उपक्रम स्थापित करने की अनुमति दी गयी है । सहयोग की शर्तें प्रकट नहीं की जा सकती हैं ।

बहु-राष्ट्रीय नियमों द्वारा उपभोक्ता उद्योग स्थापित किये जाने पर प्रतिबन्ध

3212. **डा० हरिप्रसाद शर्मा:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नीति सबन्धी निर्णय लेकर बहुराष्ट्रीय निगमों को उपभोक्ता उद्योग स्थापित करने पर प्रतिबन्ध और रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां तो इस समय इन उद्योगों की उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में क्या भूमिका है; और

(ग) अब तक कितनी सफलता मिली है और इस क्षेत्र में उनके द्वारा भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए अब तक क्या कदम उठाय गए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) से (ग) जी नहीं, विदेशी कंपनियां उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंसों के लिए आवेदन दे सकती हैं और इस प्रकार के आवेदनों पर सरकार समय-समय पर निर्धारित सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर गुणावगुण के आधार पर विचार करती है । 'नई वस्तु' के रूप में उपभोक्ता उत्पादों का उत्पादन करने के लिए किसी भी विदेशी कम्पनी को 1970-71 और 1972 (30-9-1972 तक) में लाइसेंस जारी नहीं किया गया है ।

प्रतापगढ़ में ट्रैक्टर फैक्ट्री

3213. **श्री दिनेश सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिस पार्टी को प्रतापगढ़ में ट्रेक्टर फैक्टरी स्थापित करने के लिए आशय पत्र दिया गया था उसने फैक्टरी स्थापित करने की दिशा में कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख): मैसर्स आटो-मोबाइल प्राडेक्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई को दिया गया आशय-पत्र दिनांक 10 अक्तूबर 1972 को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया गया था ।

पार्टी ने सरकार को सूचित किया है कि परियोजना की विस्तृत आयोजना बनाने का काम चल रहा है तथा उसके 6 महीनों में पूरा होने की आशा है । उन्हें यह भी आशा है कि आगामी बारह महीनों में प्रतापगढ़ कारखाने में कार्य चालू हो जायेगा ।

कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी सचिवों की समिति का प्रतिवेदन

3214. **श्री के० कोदंडारामी रेड्डी :** क्या **प्रधान** मंत्री कार्मिक सुधारों सम्बन्धी सचिवों की समिति के प्रतिवेदन के बारे में 22 नवम्बर 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1226 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी आफिसरस एसोसिएशन ने कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी सचिवों की समिति के प्रतिवेदन को रद्द करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां तो उपरोक्त ऐसोसिएशन ने इसके क्या कारण बताये हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) तथा (ख) श्रेणी–1 रेलवे आफिसरस ऐसोसिऐशन के संघ से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें सचिवों की समिति के प्रतिवेदन को सरकार द्वारा रद्द करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि संघ के अनुसार ये सिफारिशें सभी सेवाओं के लिए समान रूप से अच्छी नहीं हैं और सरकार की नीति के भी विरुद्ध हैं।

(ग) प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं।

पश्चिम बंगाल में बिजली के संकट के सम्बन्ध में जांच समिति का प्रतिवेदन

3215. **श्री समर गुह :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के हाल के बिजली के संकट से संबंधित बिजली बन्द हो जाने तथा अन्य ऐसे मामलों के कारणों की कोई जांच कराई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और पश्चिम बंगाल में वर्तमान बिजली संकट को दूर करने के सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही के लिए जांच समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) से (ग) जी, हां। पश्चिम बंगाल में बिजली की सप्लाई की समीक्षा करने वाले कार्यदल (ऐक्शन ग्रुप) की प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और योजना आयोग उसकी जांच कर रहा है।

मन्दिर मार्ग में सार्वजनिक टेलीफोन घर

3216. **श्री एम० एस० शिवस्वामी:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में मंदिर मार्ग पर टाइप II के क्वार्टरों में कोई सार्वजनिक टेलीफोन नहीं है तथा वहां के निवासियों को इस सुविधा के अभाव में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी व्यवस्था करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) मन्दिर मार्ग नई दिल्ली के टाइप II क्वार्टरों में कोई पी०सी०ओ० नहीं है। पास ही हिन्दू महासभा भवन और बिरला मंदिर में पी०सी० ओ० लगे हुए हैं। ये पी०सी०ओ० इन क्वार्टरों से 300 से 400 मीटर की दूरी पर हैं। अतः इन क्वार्टरों के निवासी इन दोनों पी०सी०ओ० की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

दादरा और नागर हवेली के सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों का निर्धारण

3217. **श्री पीलू मोदी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों के उचित निर्धारण की जिम्मेदारी न लेने के क्या कारण हैं;

(ख) 6 मार्च, 1970 को उनको केन्द्रीय वेतनमानों के समान लाने के पश्चात् भी उनके मूल वेतन के संरक्षण के लिए कोई फार्मूला नहीं बनाया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उनको अभी तक वह मंहगाई भत्ता नहीं दिया है जिसकी सिफारिश दूसरे वेतन आयोग ने की थी तथा 6 मार्च, 1970 से उनको बकाया राशि भी नहीं दी है; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) 6 मार्च, 1970 से पूर्व दादरा व नागर हवेली प्रशासन के कर्मचारी गुजरात वेतनमान तथा मंहगाई भत्ते के हकदार थे। दादरा व नागर हवेली प्रशासन कर्मचारियों को वेतन व भत्तों की केन्द्रीय दर स्वीकृत करने के सरकार के निर्णय के अनुसरण में भारत सरकार ने 6 मार्च, 1970 से विभिन्न श्रेणी के पदों का केन्द्रीय वेतनमानों में उपयुक्त पदों के साथ समीकरण करते हुए 3 मई, 1971 को आदेश जारी किये। इन आदेशों में केन्द्रीय वेतनमानों में कर्मचारियों के वेतन निर्धारित करने के लिए एक फार्मूले की व्यवस्था की गई थी। फार्मूले का उद्देश्य समस्त उपलब्धियों की रक्षा करना था जैसे गुजरात वेतनमानों में लिये जाने वाले वेतन, मंहगाई भत्ते तथा मंहगाई वेतन और उन वेतनमानों में लिया जाने वाला कर्मचारियों का मौलिक वेतन। किन्तु इस फार्मूले का दादरा व नागर हवेली प्रशासन और कर्मचारी संघ ने समर्थन नहीं किया। इस फार्मूले के संशोधन से सम्बन्धित प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है। दादरा व नागर हवेली प्रशासन के कर्मचारी यदि एक बार केन्द्रीय दरों में वेतन लेना आरम्भ कर देते हैं तो वे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार 6 मार्च, 1970 से मंहगाई भत्ते और बकाया रकम, यदि कोई हो, के स्वतः ही हकदार होंगे।

त्रिपुरा में सीमेंट, इस्पात तथा लोहे की मांग

3218. **श्री दशरथ देव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में सीमेंट, इस्पात तथा लोहे की वार्षिक मांग कितनी है तथा विशेषकर 1972-73 में इनकी कितनी मांग है; और

(ख) त्रिपुरा में विभिन्न अभिकरणों को अब तक कितना माल सप्लाई किया गया है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) (1) सीमेंट—1972-73 के दौरान त्रिपुरा की सीमेंट की आवश्यकता लगभग 14,000 मी० टन० अनुमानित है।

(2) लोहा तथा इस्पात—वर्त्तमान वितरण प्रणाली के अन्तर्गत लोहा तथा इस्पात का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। इस्पात का आवंटन इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा अन्तिम उपयोग, जिसके लिए इस्पात की आवश्यकता है, उपलब्धता और प्रतियोगी मांगों को ध्यान में रख कर किया जाता है।

(ख) (1) सीमेंट—त्रिपुरा को अप्रैल से अगस्त, 1972 तक कुल 6453 मी० टन० सीमेंट सम्भरित किया गया था।

(2) लोहा तथा इस्पात—त्रिपुरा को अप्रैल-जून, 1972 की तिमाही में 100 मी० टन इस्पात दिया गया था ।

भारत में विदेशी सांस्कृतिक संस्थायें

3219. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के विदेशी सांस्कृतिक संस्थाओं की संख्या, उनके नाम तथा पते क्या हैं?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) :—सूचना एकत्रित की जा रही है।

मैसर्स कोलगेट एण्ड पामोलिव कम्पनी द्वारा लाभ, लाभांश, और सर्विस चार्जिज आदि का स्वदेश भेजना

3220. **डा० हरि प्रसाद शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स कोलगेट एण्ड पामोलिव नामक विदेशी फर्म ने लाभ, लाभांश और सर्विस चार्जिज आदि के रूप में अपने देश को गत तीन वर्षों में भारी धन राशि भेजी है;

(ख) यदि हां, तो इन तीन वर्षों में इन फर्मों में कुल कितनी पूंजी लगाई गई तथा उनमें विदेशी पूंजी का अंश कितना है तथा उन्होंने इन वर्षों में इस देश से कितनी धनराशि स्वदेश भेजी; और

(ग) क्या सरकार ने इन फर्मों के कार्यकरण की जांच करने तथा इनकी उत्पादन लागत और इनके द्वारा अर्जित लाभ के बारे में जांच किये जाने का कोई आदेश दिया है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) मे० कोलगेट पामोलिव (इंडिया) प्राइवेट लि० पूर्णरूप में मे० कोलगेट पामालिव इंटरनेशनल यू०एस०ए० की सहायक कम्पनी है। कम्पनी की इक्विटी पूंजी 1.5 लाख रुपये है। इस कम्पनी द्वारा अपनी मूल (पैरेन्ट) कम्पनी को लाभांश के रूप में पिछले तीन वर्षों में दी गई राशि निम्न प्रकार है:—

वर्ष	राशि (लाख रुपये में)
1968-69	41.76
1969-70	82.39
1970-71	26.16

1968-1970 की अवधि में प्रतिवर्ष सेवा प्रभार के रूप में 1.13 लाख रुपये भी दिये गये।

(ग) जी, हां।

पूजा के दिनों में पश्चिम बंगाल में व्यापारियों द्वारा बढ़ाये गये मूल्य

3221. **डा० रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 सितम्बर, 1972 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में 'हाउ ट्रेडर्स इंफ्लेट प्राइसेज ड्यूरिंग पूजा' (पूजा के दिनों में व्यापारी कैसे मूल्य बढ़ाते हैं) शीर्ष के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो व्यापारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

(1) दाल, सरसों और तेल, वनस्पति और शिशु खाद्यों के व्यापारियों की विभिन्न श्रेणियों को माल रखने की अधिकतम सीमा नियत करके जमाखोरी प्रतिबंधात्मक आदेश की उद्घोषणा करना।

(2) इन वस्तुओं के विक्रेताओं द्वारा प्रतिदिन के स्टाक तथा खुदरा मूल्य सूची प्रदर्शित किये जाने के लिए अन्य आदेश का लागू करना।

शिक्षित बेरोजगारों को ऋण देने की योजना

3222. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को व्यापार करने अथवा लघु उद्योग लगाने के लिए ऋण देने की एक योजना आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह योजना कब तक आरम्भ की जायेगी?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : राष्ट्रीयकृत बैंकों ने लघु उद्योगों, खुदरा और छोटे व्यवसायों की स्थापना में रुचि रखने वाले तकनीकी उद्यमियों को विशेष पेशेवाले व्यक्तियों और स्वत: नियोजित व्यक्तियों को ग्राहक समर्थित व्यवसाय एककों को ऋण देने जैसी विभिन्न योजनायें बनाई हैं। इस योजना के अन्तर्गत, शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति बैंकों से ऋण सुविधा प्राप्त कर सकते हैं बशर्ते कि बैंक उनके प्रस्तावों की जीव्यता से संतुष्ट हो।

Bill regarding taking over of Sugar Industry by U.P. Government

3223. **Shri Bhagirath Banwar :**

Shri Arvind Netam :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether a draft Bill for taking over of sugar industry by the Government of Uttar Pradesh has been sent by the State Government to the Central Government for their consideration; and

(b) if so, the time by which a decision is likely to be taken thereon?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) A draft Ordinance has been received.

(b) The Ordinance is under consideration.

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों, कालेज तथा विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम

3224. **श्री समर गुह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश भर में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय, कालेज और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के बारे में कोई राष्ट्रीय नीति अपनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति के मूल सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस उद्देश्य के लिये एक राष्ट्रीय नीति बनाई जाएगी?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर किये गये निर्णयों के अनुसार मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक यदि किसी स्कूल में कम से कम 40 छात्र हैं अथवा किसी कक्षा में 10 छात्र हैं तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के प्रबन्ध कम से कम एक अध्यापक की नियुक्ति द्वारा किये जायें।

माध्यमिक स्तर पर मातृ-भाषा के माध्यम से शिक्षा के लिए सुविधाएं उपलब्ध की जायें यदि किसी भाषा के माध्यम से पढ़ने के इच्छुक अन्तिम चार कक्षाओं में 60 छात्र हैं और प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र हैं। 60 और 15 के इस आंकड़े को विविध पाठ्यचर्या तथा शैक्षिक पाठ्यचर्या में से प्रत्येक के लिए अलग-अलग गिना जाना चाहिए और जहां शैक्षिक पाठ्यचर्या में वैकल्पिक विषयों के विभिन्न समूहों की व्यवस्था है वहां वैकल्पिक विषयों के लिए प्रत्येक ऐसा समूह अलग माना जाना चाहिए।

जहां तक विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम का सम्बन्ध है, यह सोचा गया है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषाओं को अपनाने के लिए तत्काल कदम उठाये जाने चाहिएं और न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बल्कि उनकी शैक्षिक अभिरुचियों को बढ़ाने के लिये सभी उपाय किये जाने चाहिये जैसा कि अगस्त, 1961 में राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों के सम्मेलन में जारी किये गये वक्तव्य में सुझाव दिया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रशासनिक नियमों और प्रक्रियाओं के अनुवाद कार्य का पूरा किया जाना

3225. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक अनिर्णीत पड़े प्रशासनिक नियमों, प्रक्रियाओं तथा अन्य पुस्तिकाओं के हिन्दी में अनुवाद कार्य को पूरा करने के लिए क्या-क्या व्यवस्था की गई है ;

(ख) सारा कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ; और

(ग) जहां तक केन्द्र की भाषा का सम्बन्ध है, क्या विभिन्न मंत्रालयों तथा गृह, शिक्षा, विधि, सूचना और प्रसारण आदि में पूरा समन्वय है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सांविधिक दस्तावेजों, अर्थात् केन्द्रीय अधिनियम, नियम, विनियम इत्यादि के हिन्दी अनुवाद की व्यवस्था विधि मंत्रालय के राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा की जाती है। सभी मैनुअलों, प्रपत्रों तथा गैर-सांविधिक स्वरूप का अन्य क्रियाविधि-साहित्य का हिन्दी अनुवाद जो पहले शिक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को सौंपा हुआ था, अब गृह मंत्रालय के केन्द्रीय अनुवाद ब्यौरो द्वारा किया जा रहा है। किन्तु डाकतार बोर्ड, तीनों प्रतिरक्षा सेवाएं और रेल मंत्रालय अपने क्रियाविधि-साहित्य तथा गैर-सांविधिक मैनुअलों का अनुवाद स्वयं करते हैं।

(ख) समस्त क्रियाविधि-साहित्य के अनुवाद का कार्य एक बड़ा काम है और निरन्तर चलने वाला भी है। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो और राज भाषा (विधायी) आयोग प्रावस्था कार्यक्रम, जो संसद के समक्ष रखी गई वार्षिक मूल्यांकर रिपोर्ट में दिया हुआ है, के अनुसार सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से इस कार्य को कर रहे हैं।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

कृषि मशीनरी के विकास के लिये एक एशियाई संस्थान की स्थापना

3226. **श्री गिरिधर गोमांगो :**

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहित एशियाई क्षेत्र के 11 देशों के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के एक विशेषज्ञ कार्यवाही दल ने कृषि मशीनरी के विकास के लिए एशियाई संस्थान की स्थापना की सिफारिश की हैं, और

(ख) यदि हां, तो संस्थान को कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास मंत्रलाय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) विशेषज्ञ कार्यकारी दल ने संस्थान की स्थापना के लिए किसी विशेष देश की सिफारिश नहीं की है।

विश्व युवक केन्द्र, नई दिल्ली का कार्यकरण

3227. **श्री शशि भूषण :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व युवक केन्द्र के साथ कार्य कर रहे संगठनों का कुछ ऐसे समाज विरोधी संगठनों से किसी न किसी रूप में सम्बन्ध है जिन्हें सी० आई० ए० का समर्थन प्राप्त है जैसे कि एशिया फाउंडेशन जिस पर भारत में प्रतिबन्ध लगाया गया है ;

(ख) क्या सरकार विश्व युवक केन्द्र के कार्यकरण पर निगरानी रखे हुए हैं ;

(ग) इसे इतनी अधिक वित्तीय सहायता दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि इसकी गतिविधियां देश के हितों के विपरीत हैं तथा इसे लाखों रुपयों के मूल्य की भूमि मामूली मूल्य पर दिये जाने के क्या कारण हैं, और

(घ) क्या विश्व युवक केन्द्र को अपने अधिकार में लेने का सरकार का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) जी नहीं,- श्रीमान्।

(ग) 1962 में होस्टल, लाईब्रेरी इत्यादि के आवास के लिये एक भवन निर्माण हेतु एक भूखण्ड का आवंटन किया गया था। अनूदान ऐसे संगठनों के बारे में सरकार की नीति के अनुसार था। केन्द्र को कोई नियमित अनुरक्षण अनुदान नहीं दिये जाते हैं। विशिष्ट परियोजनाओं के लिये जो युवक कल्याण तथा अन्य गतिविधियों के लिये अनुमोदित योजनाओं के अन्तर्गत आती हैं तदर्थ आर्थिक सहायता केन्द्र को परियोजनाओं तथा किसी ऐसे अन्य संगठनों के गुणों की उचित जांच के पश्चात् दी गई है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

चुनावों में विदेशी धन के उपयोग पर रोक लगाने के लिये विधान

3228. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**

श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार चुनावों में विदेशी धन के उपयोग पर रोक लगाने के लिए एक विधि अधिनियमित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विधेयक कब तक संसद् में पेश किये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) : जैसा कि नवम्बर, 1972 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1337 के उत्तर में बताया गया था, साधारण तथा सच्चे लेन-देन के अतिरिक्त विदेशी संगठनों, एजेंसियों अथवा व्यक्तियों से धन की प्राप्ति पर उचित प्रतिबन्ध लगाने के प्रयोजन के लिए विधायी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। संसद् में शीघ्र एक विधेयक पेश किया जायेगा।

रेलवे माल डिब्बे बनाने के लिये एक संयंत्र की स्थापना

3229. **श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :**

श्री वी० मयावन :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की एक विशेषज्ञ समिति ने रेलवे माल डिब्बे बनाने के लिए एक संयंत्र की स्थापना की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यह संयंत्र सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अवशिष्ट ठोस पदार्थों के उपयोग का कारखाना

3230. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में लोहा, कांच, टिन और प्लास्टिक सहित ठोस पदार्थों के अवशिष्ट के उपयोग के लिये एक कारखाना आरम्भ करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : औद्योगिक विकास मंत्रालय के अधीन ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

समाचारपत्र अर्थ-व्यवस्था के बारे में समिति की कार्यविधि का बढ़ाया जाना

3231. **श्री एम० एम० जोजफ :**

श्री मोहम्मद शरीफ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचारपत्र अर्थ-व्यवस्था के बारे में तथ्यों का पता लगाने वाली पांच सदस्यीय समिति की कार्यविधि में हाल में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : जी, हां।

(ख) : समिति ने कुछ समाचारपत्र एककों का एक प्रारंभिक अध्ययन किया। उसके बाद उसने समाचार पत्रों की अर्थ व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की। प्रश्नावली की छपी हुई प्रतियां सितम्बर के प्रथम सप्ताह में सभी दैनिक समाचारपत्रों को भेज दी गई। समाचारपत्रों को अपने उत्तर 15 अक्तूबर तक भेजने के लिए कहा गया, परन्तु प्रश्नावली विस्तृत प्रकार की होन के कारण समाचारपत्रों ने अपने उत्तर भेजने के लिए नवम्बर/दिसम्बर, 1972 के अन्त तक का और समय मांगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए समिति ने अपनी रिपोर्ट देने की अवधि में जून, 1973 के अन्त तक वृद्धि करने की मांग की। यह सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई।

टेलीविजन पर फिल्में दिखाना

3232. **श्री पी० वैकट सुब्बया** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलिविजन पर फिल्म दिखाना बन्द किये जाने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Nationalization of Monopoly Houses

3233. **Shri Onkar Lal Berwa :**

Shri Ishwar Chaudhury :

Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether Government propose to nationalise some of the monopoly houses during the Fifth Five Year Plan; and

(b) the broad outlines of the proposal?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) There is no such general proposal under the consideration of the Government.

(b) Does not arise.

भूतपूर्व नरेशों तथा उनके आश्रितों का पुनर्वास

3234. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियां तथा विशेषाधिकारों की समाप्ति के फलस्वरूप उन भूतपूर्व नरेशों तथा उनके आश्रितों के जिनकी आय अन्य साधनों से या तो नाममात्र है या बिल्कुल नहीं है, पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । और यदि हां; तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) और (ख): भूतपूर्व नरेशों को बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल अपने आपको समायोजित करने के लिए, सरकार ने प्रत्येक भूतपूर्व नरेश को नकद एकमुश्त अनुगृहीत भुगतान देने का निर्णय किया है । फिर भी, भूतपूर्व नरेश को तब तक उपर्युक्त भुगतान न करने का सरकार को परामर्श दिया गया है जब तक कि मालेरकोटला और कुरून्दवाड़ (जूनियर) के भूतपूर्व नरेशों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं, जिसमें संविधान (24वां, 25वां और 26वां संशोधन) अधिनियम, 1971, की वैधता को चुनौती दी गई है, पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय ज्ञात नहीं हो जाता ।

2. सरकार को भूतपूर्व नरेशों के सम्बन्धियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और सरकार ने सहानुभूति के आधार पर भूतपूर्व नरेशों के नजदीकी सम्बन्धियों विशेषकर उन महिलाओं को जो वृद्ध हैं और जिन्हें इसकी आवश्यकता है, भत्ते स्वीकार करने का निर्णय किया है । इस प्रयोजन के लिए संसद के अन्तिम सत्र में पूरक अनुदान प्राप्त करके चालू वर्ष के बजट में 5 लाख रुपये तक की राशि की व्यवस्था की गयी है ।

धनबाद स्थित केन्द्रीय खान अनुसंधान केन्द्र में समस्याओं का अध्ययन

3235. **श्री गिरिधन गोमांगो :**

श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विज्ञान और प्राद्यौगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद स्थित केन्द्रीय खान अनुसंधान केन्द्र द्वारा गत वर्ष अपने हाथ में ली गई उन्तालीस प्रायोजित समस्याओं में से कितनी समस्याओं को हल कर लिया गया है; और

(ख) शेष समस्याओं को कब तक हल कर लिया जायेगा ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्राद्यौगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्): (क) और (ख). संस्थान द्वारा अपने हाथ में ली गई 39 प्रयोजित प्रायोजनाओं में से 23 प्रायोजनाएं सन् 1971 में ही पूर्ण कर लीं गई थीं । वर्ष 1972 में 16 प्रायोजनाएं जारी रहीं ।

16 प्रायोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है:—

(1) 10 प्रायोजनाएं पूरी कर ली गई हैं और सम्बन्धित फर्मों को इसकी सूचनाएं प्रदान कर दी गई हैं ।

(2) 3 प्रायोजनाओं को पूर्ण कर लिया गया है, किन्तु अभी तक सूचित नहीं किया गया है ।

(3) 2 अन्य प्रायोजनाएं पूरी कर ली गई हैं लेकिन फर्म के अनुरोध पर उनको जारी रखा गया और उनकी अन्तरिम सूचनाएं अब प्रदान की जा रहीं हैं ।

(4) 1 प्रायोजना को अभी तक प्रारम्भ ही नहीं किया जा सका क्योंकि निश्चित स्थान जल-प्लावित हो गया था ।

आसनसोल की कोयला खानों में हिंसा

3236. **श्री समर गुह** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसनसोल क्षेत्र को कोयला खानों में व्यापक रूप से और निरन्तर होने वाली हिंसात्मक गतिविधियों के बारे में केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) क्या अनेक श्रमिक संघों ने सरकार से ऐसी शिकायत की हैं और उचित श्रमिक संघ गतिविधियों के विरुद्ध अपराधी तत्वों द्वारा बार-बार और निरंकुश रूप से की जा रही कार्यवाहियों के बारे में भी उन्होंने प्रेस विज्ञप्तियां जारी की हैं;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की शिकायतें की गई हैं और आसनसोल के कोयला खान क्षेत्रों में इन घटनाओं आदि के बारें में तथ्य क्या हैं; और

(घ) इन हिंसात्मक घटनाओं को रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति अब तक गिरफ्तार किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) से (घ) : इस विषय में केन्द्रीय सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

शिक्षित बेरोजगारों के लिये योजनायें

3237. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बनाई गई योजनाओं की रूपरेखा क्या है तथा राज्यवार अब तक कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है और उपयोग में लाई गई है; और

(ख) क्या बेरोज़गारी की समाप्ति के अभियान के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार का केन्द्रीय तथा राज्य सेवाओं में छटनी को बन्द करने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) शिक्षित बेरोज़गारों के लिए बनाई गई विभिन्न स्कीमों का विस्तृत विवरण योजना आयोग की "रोज़गार के अवसर" नामक पुस्तिका में दिया गया है । यह पुस्तिका संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है तथा सभी सदस्यों में भी इसको वितरित कर दिया गया है ।

(ख) केन्द्रीय और राज्य सेवाओं में छटनी करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र दिवस पर सरकारी छुट्टी के लिये संयुक्त राष्ट्र का संकल्प

3238. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र दिवस, 24 अक्तूबर को सरकारी छुट्टी घोषित किये जाने के बारे में एक संकल्प पारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) से (ग): दिसम्बर, 1971 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र दिवस, 24 अक्तूबर को, एक अन्तर्राष्ट्रीय छुट्टी घोषित किए जाने के बारे में, एक संकल्प पारित किया और यह सिफारिश की कि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राज्यों द्वारा एक सरकारी छुट्टी के रूप में मनाया जाना चाहिए। चूंकि भारत सरकार में मनाई जाने वाली सरकारी छुट्टियों का प्रश्न पहले से ही तृतीय वेतन आयोग के सामने है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश तृतीय वेतन आयोग के पास उनके विचार के लिए भेज दी गई है।

Projects finalised with Mutual Co-operation between India and U.S.S.R.

3239. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) the projects finalised so far under the scheme of mutual cooperation between India and the Soviet Union;

(b) the time by which work on these projects is likely to start; and

(c) the projects which would be started first, keeping in view the requirements of the country?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) to (c). Discussions are at present being held with the Soviet Experts with a view to exploring possibilities of further cooperation in the fields of (i) ferrous and non-ferrous industries and (ii) industrial production intended to increase the trade between the two countries. A final picture will emerge only after the talks have concluded.

शिक्षित बेरोजगारों के लिये कार्य-कैम्प

3240. **श्री वी० वी० नायक** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शिक्षित बेरोजगारों के लिए निर्वाह-वेतन पर कार्य-कैम्प चलाए जायेंगे;

(ख) यदि नहीं, तो बेरोज़गारों की इस समस्या के हल के लिए सरकार के पास कौनसी वैकल्पिक योजनाएं हैं; और

(ग) गत वर्ष उन योजनाओं का इस समस्या के हल पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

(ख) सरकार द्वारा शुरु की गई स्कीमों का ब्यौरा "रोज़गार के अवसर (इम्पलायमेंट अपार्चुनिटीज)" पुस्तिका में दिया गया है और माननीय सदस्यों में इसकी प्रतियां प्रचारित की जा चुकी हैं।

(ग) ये सब स्कीमें हाल ही में शुरू की गई हैं, अत: उनके प्रभाव के बारे में बताना सम्भव नहीं।

बेरोजगारी में क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्या

3241. **श्री वी० वी० नायक** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अत्यधिक शिक्षित बेरोजगारी के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है तथा उनका निर्धारण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ये क्षेत्र कौन कौन से हैं ;

(ग) क्या बेरोजगारी में क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्या को हल किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा किस ढंग से किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ). आजकल राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, देश के विभिन्न भागों में बेरोजगारी तथा अपूर्ण-रोजगार की मात्रा का निर्धारण करने के लिए एक व्यापक श्रम शक्ति सर्वेक्षण कर रहा है। आशा है कि इस सर्वेक्षण के पूरा हो जाने पर विभिन्न क्षेत्रों में बेरोजगारों की संख्या के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिससे कि इस बात का पता लगाना संभव हो सकेगा कि वे क्षेत्र कौन से हैं जिनमें कि शिक्षित बेरोजगारी बहुत ज्यादा हैं।

जब तक यह सर्वेक्षण पूरा न हो जाय तब तक के लिए रोजगार कार्यालयों के रजिस्ट्रों पर 30 जून 1972 को रोजगार चाहने वालों की संख्या की जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार, राज्यवार, रोजगार चाहने वाले सभी वर्गों के व्यक्तियों की संख्या 56.9 लाख थी, जिसमें से 26.1 लाख व्यक्ति, जैसा कि 30 जून 1972 को था, मैट्रिक अथवा इससे अधिक योग्यता रखते थे। रोजगार चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों की संख्या सबसे अधिक पश्चिम बंगाल (4.48 लाख) में थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश (2.57 लाख), बिहार (2.48 लाख), केरल (2.27 लाख), महाराष्ट्र (2.18 लाख) तथा तमिलनाडु (2.1 लाख) का स्थान है। विभिन्न राज्यों में रोजगार चाहने वालों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार अवसरों के सृजन हेतु सरकार सभी सम्भावित कदम उठा रही है तथा विभिन्न विशेष कार्यक्रम तैयार किये गये हैं जैसे कि ग्रामीण रोजगार के लिए त्वरित योजना, सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम, शिक्षित बेरोजगारों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम, वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों के रोजगार के लिए कार्यक्रम तथा अपना धंधा शुरू करने के लिए विभिन्न स्कीमें उन्हें योजना आयोग के प्रकाशन 'रोजगार के अवसर' में दर्शाया गया है, जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं तथा संसद के सभी सदस्यों में परिचारित भी कर दी गई हैं।

विवरण

रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों पर काम चाहने वालों की संख्या, राज्यवार, 30 जून, 1972 की स्थिति के अनुसार

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुल	शिक्षित (मैट्रिक तथा इससे अधिक जो कि स्तम्भ 2 में सम्मिलित हैं
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश . .	3,28,040	1,68,633
2. असम	77,176	28,214
3. बिहार	5,46,033	2,48,629

1	2	3
4. गुजरात	1,92,985	97,066
5. हरियाणा	1,12,073	54,526
6. हिमाचल प्रदेश	50,276	15,295
7. जम्मू तथा कश्मीर	32,231	11,031
8. केरल	3,87,366	2 27,883
9. मध्य प्रदेश	3,36,039	1,38,111
10. महाराष्ट्र	4,63,301	2,17,957
11. मणिपुर	42,048	17,916
12. मेघालय	5,613	2,734
13. मैसूर	2,85,850	1,54,655
14. उड़ीसा	2,07,868	59,356
15. पंजाब	1,38,423	64,059
16. राजस्थान	1,53,321	73,090
17. तमिलनाडु	4,93,099	2,10,045
18. त्रिपुरा	31466	15,065
19. उत्तर प्रदेश	5,94,303	2,57,507
20. पश्चिम बंगाल	10,16,920	4,48,329
21. अरुणाचल प्रदेश	उ०न०	उ०न०
22. चण्डीगढ़	20,859	9,414
23. दिल्ली	1,45,675	81,162
24. गोवा	11,763	6,053
25. लक्कादीव	1,374	366
26. मिजोराम	1,404	385
27. पाण्डिचेरी	12,472	4,346
अखिल भारतीय योग	56,87,978	26,11,827

उ०न०—उपलब्ध नहीं

टिप्पणी (1) काम चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों के सम्बन्ध में आंकड़े छह-छह महीने के अन्तर पर जून तथा दिसम्बर में एकत्र किए जाते हैं।

(2) चालू रजिस्ट्रों पर जितने भी काम चाहने वाले हैं वे सभी बेरोजगार हों यह आवश्यक नहीं।

निर्यात के लिए इस्पात पाइपों का उत्पादन

3242. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादन के अत्यधिक गिर जाने के कारण इस्पात पाइपों के निर्यात में बहुत गिरावट आ गई है ; और

(ख) यदि हां तो इस्पात पाइपों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिध्देश्वर प्रसाद): (क) गत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले में पिछले कुछ महीनों के दौरान इस्पात पाइपों और ट्यूबों के निर्यात और उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ख) उत्पादन कर्ताओं को स्वदेशी संसाधनों और आयात के द्वारा कच्चे माल का अधिक संभरण करने के लिए कदम उठाये गए हैं। इसके फलस्वरूप इस्पात पाइपों के निर्यात ने कुछ उन्नति की है।

पश्चिम बंगाल में बेरोज़गारी

3243. **डा० रानेन सेन :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी की समस्या ने विकट रूप धारण कर लिया है;

(ख) इस समय पश्चिम बंगाल में कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं;

(ग) क्या केन्द्र ने इस समस्या को हल करने के लिए राज्य को कोई सहायता दी है; और

(घ) यदि हां तो अब तक कितनी सहायता दी गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी हां।

(ख) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में उपलब्ध आंकड़ों से समस्या की व्यापकता का पता लगाया जा सकता है, जिसके अनुसार 4.5 लाख शिक्षित बेरोजगारों सहित 10.2 लाख लोग बेकार हैं।

(ग) जी हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	1971-72		1972-73
		आवंटित की गई राशि (लाख रु०)	उपयोग में लाई गई राशि (लाख रु०)	आवंटित की गई राशि (लाख रु०)
1	2	3	4	5
क.	**शिक्षित बेरोजगारों के लिये स्कीमें :**			
1.	प्राथमिक शिक्षा में विस्तार और कोटि में सुधार	57.20	17.81	395.73
2.	उद्यम कर्ताओं को वित्तीय सहायता	39.00	39.00	35.00
3.	पांचवीं योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय क्षेत्र में सड़क कार्यों के अन्वेषण पर अग्रिम कार्यवाही	2.50	2.50	7.50

1	2	3	4	5
	4. उपभोक्ता सहकारी भंडार	—	—	4.10
	5. ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षण	4.27	—	25.17
	6. ग्रामीण जल पूर्ति	0.70	—	1.20
	ख. राज्य सरकार द्वारा निष्पादित विशेष रोजगार कार्यक्रम जिसके लिये लगभग 267 लाख रु० का कुल परिव्यय है।	—	—	218.00
	ग. ग्रामीण रोजगार के लिए त्वरित स्कीम	299.00	152.00	299.00
	घ. सूखाग्रस्त क्षेत्र स्कीमें	25.00	10.00	5.00

आर्थिक सहयोग के बारे में भारत–रूस करार

3244. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आर्थिक सहयोग के लिए व्यवस्था के बारे में भारत और रूस के बीच मास्को में 26 सितम्बर, 1972 को हुए करार की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) बाद में यदि कोई अगली कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) योजना मंत्री ने आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग संबंधी एक अन्तर सरकारी आयोग की स्थापना के लिए मास्को में एक करार पर हस्ताक्षर किए। करार की एक प्रति संसद पुस्तकालय में रख दी गई है।

(ख) विचार विमर्शों के परिणामस्वरूप यह निर्णय किया गया कि दोनों देशों के बीच विशेषज्ञों की अदला बदली की जाएगी और कतिपय मुख्य उद्योगों सम्बन्धी हमारे वर्त्तमान कार्यक्रमों तथा क्षमताओं के सुधार तथा विस्तार की सम्भावनाओं की जांच करेंगे। इस पर जनवरी, 1973 में नई दिल्ली में आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग सम्बन्धी भारत-रूस संयुक्त आयोग की प्रथम बैठक में कार्रवाई की जायेगी। दौरा करने तथा संबंधित मामलों पर और आगे विचार विमर्श करने के लिए विशेषज्ञों के इस प्रकार के शिष्टमंडल गठित किए गए हैं और फिर गठित किए जा रहे हैं। इस समय भारत में रूस के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का एक शिष्टमंडल है और मास्को में इस्पात विशेषज्ञों का एक भारतीय शिष्टमंडल है। जब भी आवश्यकता होगी विशेषज्ञ एक दूसरे देश का दौरा करेंगे।

Expenditure on Salaries and Allowances of Ministers

3245. Shri Hukum Chand Kachwai :
Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the expenditure incurred by Government on salaries and allowances of Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers of the Central Government during the financial years 1969-70, 1970-71 and 1971-72; and

(b) the total amount spent on the visits undertaken by them within the country during this period?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The expenditure on this account incurred during the year 1969-70, 1970-71 and 1971-72 was Rs. 32.25 lakhs, Rs. 32.67 lakhs and Rs. 49.69 lakhs respectively.

(b) During the year 1969-70 expenditure on tours undertaken within the country was Rs. 8.99 lakhs. Similar information for the years 1970-71 and 1971-72 is being collected and will be laid on the Table of the House.

राजस्थान को केन्द्रीय सहायता

3246. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौथी योजना के लिए राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता निर्धारित की गई थी और इसमें राजस्थान का कितना भाग था;

(ख) निर्धारित धनराशि में से राजस्थान को अभी भी कितना धन देना है और क्या राजस्थान को उसके 1973-74 की वार्षिक योजना के लिए यह धनराशि उसे उपलब्ध की जाएगी; और

(ग) क्या केन्द्र ने राजस्थान को उपलब्ध की जाने वाली धनराशि के बारे में उन्हें सूचना दी है ताकि वे अपनी परियोजनाओं को समय पर क्रियान्वित करने के लिए योजना बना सकें ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) समस्त राज्यों की 3500 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता में से राजस्थान को राज्य की चौथी योजना के लिए 220 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता आवंटित की गई है ।

(ख) योजना के प्रथम चार वर्षों के दौरान दी गई राशि को ध्यान में रखते हुए 1973-74 में राजस्थान को देने के लिए 54.48 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता बाकी रह जाएगी । यह राशि आगामी वर्ष की सालाना योजना की व्यय-व्यवस्था के लिए राज्य सरकार को देने का प्रस्ताव है ।

(ग) राजस्थान की वार्षिक योजना 1973-74 पर विचार-विमर्श चल रहा है । वार्षिक योजना 1973-74 के दौरान दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की सूचना इन विचार-विमर्श के पूरा होने तथा योजना परिव्यय को अन्तिम रूप देने के बाद दी जाएगी।

पिछड़े हुए जिलों के विकास के लिये गुजरात राज्य को सहायता

3247. **श्री बेकारिया** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 और 1972-73 में गुजरात राज्य को पिछड़े जिलों के विकास के लिए कितनी धनराशि की सहायता दी गई; और

(ख) प्रत्येक जिले के लिए कितनी राशि मंजूर/आवंटित की गई ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) चौथी योजना में समेकित ऋणों तथा अनुदानों के रूप में राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा स्वीकृत सूत्र के अनुसार, समेकित आधार पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है । किसी प्रकार की खास स्कीमों या निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों/जिलों के लिए केन्द्रीय सहायता का अलग से आवंटन नहीं किया जाता ।

राज्यपालों पर समान व्यय

3248. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** :

श्री एम० एस० पुरती :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या ऐसा विचार व्यक्त किया गया है कि व्यय के मामले में सभी राज्यपालों को समान समझा जाना चाहिए और राज्यों के आकार को देखते हुए राज्यपालों के बीच कोई विभेद नहीं किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच०मोहसिन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निर्धनता स्तर से निम्नस्तर पर गुजारा करने वाले लोगों की संख्या कम करने की योजना

3249. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **योजना** मंत्री निर्धनता स्तर से निम्नस्तर पर रहने वाले लोगों के बारे में 16 अगस्त, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2277 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार 1974 के अन्त तक स्थिति में किस सीमा तक सुधार करने तथा निर्धनता स्तर से निम्न स्तर पर रहने वाले लोगों की संख्या कम करने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : देश में गरीबी की समस्या काफी जटिल है और इस समस्या को सुलझाने में काफी समय लगेगा। जैसाकि अतारांकित प्रश्न सं० 2277 में उल्लेख किया गया है, समाज के कमजोर वर्ग की दशा में सुधार करने के लिए चौथी योजना में अनेक विशेष कार्यक्रम आरंभ किए गये हैं। इस दिशा में जोरदार कार्यक्रम पांचवीं योजना में शुरू किए जाएंगे। फिर भी इस समय यह बताना कठिन है कि इन कार्यक्रमों का कितना प्रभाव पड़ेगा।

सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षण की प्रतिशतता में वृद्धि

3250. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता क्रमशः 12.5 से बढ़ाकर 15 तथा 5 से बढ़ाकर 7.5 कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय राज्य सरकारों पर भी लागू होगा; और

(ग) क्या पदों को आरक्षित रखने की वर्तमान दो वर्षों की अवधि में भी वृद्धि की गई है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भारत सरकार के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए पदों/सेवाओं में खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर की जाने वाली सीधी भर्ती में आरक्षणों की प्रतिशतता को 25 मार्च, 1970 से अनुसूचित जातियों के संबंध में 12½ प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7½ प्रतिशत कर दिया गया है। खुली प्रतियोगिता के अलावा, अखिल भारतीय आधार पर की जाने वाली सीधी भर्ती के बारे में भी अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 7½ प्रतिशत कर दिए गए हैं। ऐसी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 16⅔ प्रतिशत है। श्रेणी III, IV के पदों की भर्ती के संबंध में जिनमें उम्मीदवार सामान्यतः स्थानीय या किसी क्षेत्र के होते हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इन जातियों की आबादी के समानुपात पर आधारित रहती है।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 16(4) तथा 12 के साथ पठित अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लिए राज्यों की सेवाओं में आरक्षणों की व्यवस्था करना अपनी अपनी राज्य सरकारों का विषय है। इसलिए इस संबंध में भारत सरकार के आदेश राज्य सरकारों

के अधीन सेवाओं के बारे में लागू नहीं है । तथापि, विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए अपने अधीन सेवाओं में कुछ आरक्षणों की प्रतिशतता निर्धारित की है ।

(ग) जी हां श्रीमान् । भारत सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्तियों के संबंध में जहां पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ऐसी आरक्षित रिक्तियां जो एक वर्ष के दौरान इन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा नहीं भरी जा सकती, उन्हें 25 मार्च, 1970 को जारी किए गए आदेशों के अनुसार आगामी तीन वर्षों के लिए अग्रेनीत किया जाता है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक रिसीवर सेटों के लिये शैक्षिक तथा व्यापक कार्यक्रम बनाने के लिये सक्षम प्राधिकार की स्थापना

3251. **श्री ई०वी० विखे पाटिल :**

श्री एम०एस० संजीवीराव :

क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक रिसीवर सेटों के लिए उपग्रह टेलीविजन प्रसारण हेतु शैक्षिक एवं व्यापक कार्यक्रम बनाने के लिए एक सक्षम प्राधिकार स्थापित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा प्रयोगात्मक ग्रामीण टैलिवीजन प्रसारणों को सफल बनाने के लिये उपकरण बनाने के लिये विशेषज्ञ संगठन की स्थापना

3252. **श्री ई०वी० विखे पाटिल :**

श्री एम०एस० संजीवीराव :

क्या **अन्तरिक्ष** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्राधिकारियों ने मत व्यक्त किया है कि जब तक उपकरण बनाने संबंधी लम्बे अनुसंधान की पृष्ठभूमि सहित विशेषज्ञ संगठनों की स्थापना नहीं हो जाती तब तक 1974 में आरम्भ होने वाले प्रयोगात्मक ग्रामीण टेलीविजन प्रसारणों को पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के विशेषज्ञ यह समझते हैं कि वर्तमान उपकरणों संबंधी सुविधाएं चुनौती का सामना करने के लिए व्यवसायिक दृष्टि से पर्याप्त नहीं हैं, और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्धनता का उन्मूलन

3253. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में निर्धनता के उन्मूलन के लिए क्या कार्यवाही की गई है; **और**

(ख) अब तक इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) गरीबी के उन्मूलन की कार्यनीति में यह परिकल्पना की गई है (1) तेजी से विकास (2) असमानता घटना, और (3) गरीबों को लाभान्वित करने के लिए प्रत्यक्ष उपाय अपनाना इस कार्यनीति के अनुसार पिछले तीन वर्षों में जो महत्वपूर्ण काम किए गये वे इस प्रकार हैं :

(1) प्रतिवर्ष विशेषरूप से 1972-73 के दौरान योजना परिव्यय में बढ़ोत्तरी की गई है ।

(2) औद्योगिक उत्पादन को गति देने के लिए कदम उठाये गये हैं। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण कच्चे माल की सप्लाई (जहां आवश्यक हो अधिक मात्रा में आयात कर), क्षमता के भरपूर उपयोग के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना, रखरखाव तथा प्रोद्योगिकी सुधारों पर अधिक ध्यान देना और सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों में नई क्षमता के निर्माण के लिए प्रयत्न करने के बारे में हैं।

(3) छोटे और नाममात्र के किसानों तथा सूखा क्षेत्रों के किसानों समेत जहां तक सम्भव हो अधिक से अधिक संख्या में कृषकों की कृषि विकास में साझीदार होने और उसके प्रतिफलों को प्राप्त करने का सामर्थ्य प्रदान करने के लिए विशेष स्कीमें शुरू की गई हैं।

(4) ग्रामीण रोजगार के लिए 1971-72 में त्वरित कार्यक्रम आरम्भ किया गया है ।

(5) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम 1970-71 में आरम्भ किया गया था ।

(6) केन्द्र ने 1971-72 में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की स्कीमें शुरू की । राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों ने भी 1972-73 में इसी प्रकार की स्कीमों का सूत्रपात किया है ।

(7) कमजोर वर्गों तथा शिक्षित बेरोजगारों द्वारा अपना धंधा आरम्भ करने की स्कीमें भी बनाई गई हैं।

(8) सूखे के कारण निर्मित स्थिति से निपटने तथा रबी मौसम में कृषि उत्पादन में जो कमी आई है उसकी पूर्त्ति के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

(9) आवश्यक जिन्सों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार तथा उसकी कुशलता सुधारने के प्रयत्न किए गए हैं ।

(ख) इस प्रकार की स्कीमों के परिणाम कुछ समय बाद ही प्राप्त होते हैं । फिर भी, कुछ प्रारम्भिक प्रभाव के चिन्ह दिखाई देने लगे हैं । 1972 में औद्योगिक उत्पादन में निश्चित वृद्धि दिखाई देने लगी है । रोजगार सुविधायें सुलभ करने में भी प्रगति हुई है ।

	1971-72		1972-73	
	दी गई राशि (करोड़ रु०)	अनुमानित रोजगार (श्रम दिन)	आवंटित राशि (करोड़ रु०)	अनुमानित रोजगार (श्रम दिवस)
(क) ग्रामीण रोजगार के लिए त्वरित स्कीम	32.71	8,17,00,000	48.93	उ० न०
(ख) शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्कीमें	9.81	39,000	41.95	64,000
(ग) राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के के लिए 1972-73 में शुरू किए गए रोजगार कार्यक्रम ।	--	--	42.20	370,000

बिजली के पावर ट्रान्समिशन मशीनरी और उपकरण बनाने वाले स्वदेशी बिजली उद्योग

3254. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिजली के पावर, ट्रांसमीशन, वितरण और उपयोग की मशीनें तथा उपकरणों का उत्पादन करने वाले स्वदेशी बिजली उद्योग द्वारा 25 लाख किलोवाट से 30 लाख किलोवाट बिजली की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता की वार्षिक वद्धि के लिए माल सप्लाई कर सकता है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों से बिजली उत्पादन सेटों की सप्लाई न होने के कारण उत्पादन क्षमता में 1971-72 में केवल 4 लाख 30 हजार किलोवाट की वृद्धि हुई तथा उससे पूर्व के वर्षों में बहुत कम वृद्धि हुई थी;

ष्ठाf (ग) क्या अधित उत्पादन क्षमता में वृद्धि में कमी होने के कारण बिजली का पूरा उपयोग नहीं हुआ तथा ट्रांसमिशन वितरण और उपयोग की मशीनों तथा उपकरणों का उत्पादन करने वाले विदेशी बिजली उद्योग में भी बाधा उत्पन्न हुई है; और

(घ) बिजली उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता में कम से कम 30 लाख किलोवाट की वार्षिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है जिससे स्वदेशी इलैक्ट्रिकल उद्योग की क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां

(ख) वर्ष 1971-72 में उत्पन्न अधिष्ठापित क्षमता 0.43 मिलियन कि० वा० नहीं किन्तु

0.58 मिलियन कि० वा० थी जबकि वर्ष में लक्ष्य 1.18 मिलियन कि० वा० का था। निम्नलिखित कारणों से 0.60 मिलियन कि० वा० की यह कमी हुई:--

(1) आयातित सेटों के संस्थापन में तथा विरुद्ध मंडलों द्वारा सिविल निर्माण कार्य विलम्ब 0.455 मिलियन कि० वा०

(2) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों यथा: भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड/एच० ई० आई० लिमिडेड द्वारा उपकरणों के संभरण में विलम्ब 0.145 मिलियन कि० वा०

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यदि क्षमता के अनुरूप आर्डर दिये गये तो भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि०/एच० ई० आई० लि० दोनों अपनी अधिष्ठापित विद्युत्त उत्पन्न करने वाली क्षमता द्वारा ही वार्षिक 3 मिलियन कि० वा० की अनुमानित वृद्धि कर लेने की स्थिति में होंगे। उच्चतर दक्षता प्राप्त करने हेतु वी० एच० ई० एल० लि०, एच० ई० आई० एल० लि० ने पहले से ही पुर्जों तथा कच्चे माल प्राप्ति का कार्य, भावी जनशक्ति की भर्ती तथा क्षमता के पूरे उपयोग का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

तामिल नाडु में परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना

3255. **श्री एस०ए० मुरुगवन्तम : क्या परमाणु उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य में विद्युत संबंधी आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिए तमिल नाडु योजना आयोग द्वारा नियुक्त अध्ययन दल (टास्क फोर्स), ने परमाणु विद्युत्त संयंत्र की स्थापना की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) भारत सरकार को इस सिफारिश की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इलैक्ट्रोनिक उपकरण बनाने के लिये नये कारखानों की स्थापना के लिये जारी किये गये लाइसेंस

3256. **श्री पी० नरसिन्हा रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रोनिक उपकरण अथवा सहायक कल पुर्जे बनाने के लिए नए कारखानों की स्थापना के लिए जारी किए गए लाइसेंसों अथवा आशयपत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) ये किन-किन पार्टियों को जारी किये गये हैं; और

(ग) उनमें किन उपकरणों और पुर्जों का उत्पादन किया जाएगा तथा उनकी स्थापना कहां-कहां होगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) इलैक्ट्रानिक मदों सहित औद्योगिक लाइसेंसों और आशय पत्रों के ब्यौरे जो समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं, नियमित रूप से "बीकली बुलाटिन आफ इंडस्ट्रीयल लाइसेंसज़, इम्पोर्ट लाइसेंसज, एक्सपोर्ट लाइसेंसज तथा 'इंडियन ट्रेड जर्नल," में भी प्रकाशित होते हैं जो सरकारी प्रकाशन है।

इन प्रकाशित ब्यौरे में पक्ष का नाम, निर्माण की मदें, वार्षिक क्षमता और उन सभी इकाइयों के स्थान जिनको लाइसेंस तथा आशय पत्र जारी किये गये, सम्मिलित हैं इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में भी उपलब्ध हैं।

1970-71 तथा 1971-72 से संबंधित सूचना सारणीबद्ध की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राज्यों की राजधानियों और नई दिल्ली के बीच सीधा टेलीफोन सम्बन्ध

3257. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक राज्य में और संघ राज्य क्षेत्र में उन जिला मुख्यालयों के नाम क्या हैं, जिनका सम्बन्धित राज्य की राजधानी/संघ शासित क्षेत्र की राजधानी से टेलीफोन पर सीधा सम्बन्ध नहीं है; और

(ख) इन राजधानियों में सीधे टेलीफोन की व्यवस्था कब तक की जायेगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) संबंधित जिला-मुख्यालयों के नाम अनुबंध में दिए गए हैं। [संग्रहालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 3922/72]

(ख) विभाग ने यह निश्चय किया है कि जिला मुख्यालयों को सामान्यतया सीधे ट्रंक सर्किटों के जरिये राज्य की राजधानियों के साथ जोड़ दिया जाए। अलबत्ता यथासंभव इन लक्ष्य की उत्तरोत्तर पूर्ति पांचवीं योजना के अन्त तक की जा सकेगी।

सामुदायिक विकास खण्ड मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन

3258. **श्री नारायण चन्द पाराशर** :

श्री एम० राजगोपाल रेड्डी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सामुदायिक विकास खण्ड मुख्यालयों को उन स्टेशनों की श्रेणी में सम्मिलित करने का निर्णय किया गया है जिनमें सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कब से लागू किया जाएगा।

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) जी नहीं। घाटा उठाकर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए वर्गीकृत स्थानों की सूची में सामुदायिक विकास खंड मुख्यालयों को शामिल करने के बारें में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो भी, यह बात अभी विचाराधीन है कि क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था की जा सकेगी।

देश की राजधानी और राज्यों की तथा संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

3259. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों के नाम क्या हैं जिनका देश की राजधानी से डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था द्वारा सम्पर्क है ; और

(ख) देश की राजधानी के साथ डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था द्वारा शेष राजधानियों का सम्पर्क किस तिथि तक स्थापित हो जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) राज्यों और संघीय क्षेत्रों की उन राजधानियों की सूची नीचे दी जा रही है जो संघ की राजधानी के साथ एस० टी० डी० लिंक से जुड़ी हुई हैं :—

राज्य या संघीय क्षेत्र	राजधानियां
1. बिहार	पटना
2. चंडीगढ़, हरयाणा और पंजाब	चंडीगढ़
3. दिल्ली	दिल्ली
3 (क). गुजरात	अहमदाबाद
4. हिमाचल प्रदेश	शिमला
5. जम्मू व कश्मीर	श्रीनगर
6. महाराष्ट्र	बम्बई
7. राजस्थान	जयपुर
8. उत्तर प्रदेश	लखनऊ

(ख) कोएक्सल और माइक्रोवेव योजनाओं का विस्तार उत्तरोत्तर सभी राज्यों की राजधानियों तक किया जा रहा है। सभी राज्यों की राजधानियों के लिए ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों की योजना बनाई गई है। आशा है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के एक अंग के रुप में सभी राज्यों की राजधानियों को दूर वाली कुछ राजधानियों को छोड़कर (जहां के लिए केवल अलिम्ब सेवा की व्यवस्था की जा सकती है), दिल्ली के साथ एस० टी० डी० के जरिये जोड़ दिया जाएगा।

सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय की पदाली को मंत्रालय से अलग किया जाना

3260. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय के संवर्ग को गृह मंत्रालय से अलग करने का प्रस्ताव है;

(ख) इसके क्या कारण हैं और इस कार्य में कितना धन व्यय होगा;

(ग) क्या सरकार ने इस आशय की योजना को स्वीकृति दे दी हैं, यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या है?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) सीमा सुरक्षा बल के बेहतर कार्यकारण के हित में सुझाव की परीक्षा की जा रही है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा सुरक्षा दल के अधिकारियों को सेवा निवृत्ति-आयु के बाद सेवा में रखना

3261. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल के मुख्यालय ने कुछ अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सेवा में रखने सम्बन्धी मामलों को गृह मंत्रालय को भेजा है ;

(ख) 1 जनवरी, 1972 से 31 अक्तूबर, 1972 तक की अवधि में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक ने कितने मामले सरकार को भेजे थे और कितने मामलों में सेवानिवृत्ति के बाद सेवा में रखने का अनुरोध स्वीकार किया गया; और

(ग) क्या इस प्रवत्ति को रोकने के लिए सरकार का कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) :

(क) जी हां, श्रीमान। अधिकारियों को सेवा-निवृत्ति के बाद सेवा में रखने अर्थात् सेवा में वृद्धि करने सम्बन्धी केवल ऐसे मामले गृह मंत्रालय को भेजे जाते हैं जो अनुमोदन करने के लिए महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल की सक्षमता में नहीं आते

(ख) शून्य।

(ग) सरकार बहुत आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर सेवा-निवृत्ति की आयु के बाद अधिकारियों को सेवा में रखने को निरूत्साहित करती है।

स्पेन में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

3262. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत स्पेन में विलबाओं में नवम्बर, 1972 के महीने में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भाग ले रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त समारोह में भारत द्वारा कितनी फिल्में भेजी गई हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) :

(क) जी, हां।

(ख) तीन।

केन्द्रीय सचिवालय में अराजपत्रित कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये अल्पतम समय-सीमा

3263. **श्री बनमाली पटनायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय के अराजपत्रित कर्मचारियों को प्रत्येक ग्रेड में पदोन्नति पाने में कम से कम कितना समय लगता है ; और

(ख) प्रत्येक कर्मचारी को अगले ग्रेड में उचित समय में पदोन्नति मिले, जिससे उन्हें सरकारी सेवा के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे तथा वे संतुष्ट रहे, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :

(क) तथा (ख) केन्द्रीय सचिवालय के अराजपत्रित कर्मचारियों की श्रेणियों में अवर श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक, सहायक तथा आशुलिपिक (ग्रेड-II तथा ग्रेड-III) के पद शामिल है। इन अधिकारियों को पदोन्नति केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1962 केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 या केन्द्रीय सचिवालय आशु-लिपिक सेवाएं नियम, 1969 के द्वारा शासित होती है। अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए विचार हेतु पात्रता प्राप्त करने के लिए वरिष्टता के आधार पर प्रत्येक ग्रेड में कम से कम लगने वाली सेवावधि को इस प्रकार दिया जाता है:—

ग्रेड	अल्पतम सेवा
(1) अवर श्रेणी लिपिक	8 वर्ष
(2) उच्च श्रेणी लिपिक	5 वर्ष
(3) सहायक	8 वर्ष
(4) ग्रेड-III आशुलिपिक	5 वर्ष (3 वर्ष उनके लिए जो 1-8-1969 से संविधान के प्रारम्भ होते समय नियुक्त किये गए थे)।
(5) ग्रेड-II आशुलिपिक	8 वर्ष

तथापि, वास्तविक पदोन्नतियां, दूसरी बातों के साथ, रिक्तियों की उपलब्धता पर आधारित रहती है।

तृतीय वेतन आयोग द्वारा केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं के वेतन ढांचे पर विचार करते समय विभिन्न ग्रेडों में की जाने वाली पदोन्नति सम्बन्धी अवसरों को ध्यान में रखे जाने की संभावना है।

भारत में भारत-रूस वैज्ञानिक सूचना केन्द्र स्थापित करना

3265. **श्री गिरिधर गोमांगी :**

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रूसी सहायता से एक वैज्ञानिक सूचना केन्द्र स्थापित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नई दिल्ली स्थित इण्डियन साइंटिफिक डाकूमेंटेशन सेंटर से भिन्न होगा; और

(ग) क्या बहुत-से वैज्ञानिकों ने इसको इण्डियन नेशनल साइंटिफिक डाकूमेंटेशन सेंटर और पी० आई० ओ० के साथ सम्बद्ध करने का प्रस्ताव नहीं किया है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रौद्योगिकी विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) : फरवरी 1970 में वैज्ञानिक सहायता के लिए भारत-रूस संयुक्त समिति के अन्तर्गत स्वीकृत हुई परियोज-नाओं में से एक में वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद् के अधीन इन्सडौक में एक वैज्ञानिक सूचना केन्द्र की

स्थापना का वर्णन है। इस समझौते के अनुसार सोवियत संघ इन्सडौक की पुस्तकें, पत्रिकाएं और मोनोग्राफ के रूप में नवीनतम रूसी वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य भेजता है। तत्पश्चात् इन्सडौक मुख्य पुस्तकालयों को अपने द्वारा समय-समय पर प्रकाशित दो सूचियों द्वारा सूचना का परिचालन करता है। ये हैं : (1) 'रसियन सांइटिफिक एण्ड टेक्निकल पब्लिकेशन' की प्रवेश सूची, और (2) 'सोवियत साइंटिफिक पीरियोडिकल्स' की विषय-सूची।

(2) सोवियत संघ के साथ हाल ही में सम्पन्न हुए समझौते में वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में इस क्षेत्र में सहायता के अवसर के विकास के विशिष्ट उद्देश्य से एक पूर्णरूपेण सूचना केन्द्र और एक टैक्नोंलाजी डाटा बैंक की व्यवस्था की गई है। दोनों पक्षों के विशेषज्ञों की एक बैठक में, जिसकी शीघ्र ही संभावना है, ब्यौरों पर विचार-विमर्श होगा।

(3) इस व्यवस्था को कार्यान्वित करने के संस्थानिक प्रबन्ध और इसमें इन्सडौक की भूमिका सरकार के विचाराधीन हैं।

मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास में असन्तुलन

3266. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी क्रियाकलापों में असंतुलन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) असंतुलन दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है। जब वह प्राप्त हो जाएगी तो उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से कम विकास

3267. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विकास कार्यों के सभी क्षेत्रों में विकास का स्तर राष्ट्र के औसत स्तर से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उसे राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) :(क) से (ग) माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना, सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा मध्य प्रदेश सरकार से एकत्र की जा रही है तथा जैसे ही प्राप्त हो जाएगी, सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के लिये केन्द्रीय क्षेत्र की योजनायें

3268. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कौन-सी योजनाएं आरम्भ की जाएंगी; और

(ख) उन पर कुल कितनी पूंजी लगाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) पांचवीं योजना परिव्यय के योजनावार विषयवस्तु तथा कुल निवेश पर अभी मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया जाना है।

वर्ष 1972-73 की वार्षिक योजना क्रियान्वित करने के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता देने की कसौटी

3269. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 की वार्षिक योजना क्रियान्वित करने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता नियत की गई है; और

(ख) यह राशि किस आधार पर नियत की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) वर्ष 1972-73 की अनुमोदित राज्य वार्षिक योजनाओं के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

2. हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ कर अन्य राज्यों को 1972-73 के दौरान केन्द्रीय सहायता, सभी राज्यों की चौथी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता का राष्ट्रीय विकास परिषद् ने निम्नांकित सूत्र अनुमोदित किया, उसके आधार पर दी गई :—

"राज्यों की चौथी योजनाओं के लिए नियत 3500 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता में से 400 करोड़ रुपये की तदर्थ एकमुश्त आवंटन द्वारा असम, जम्मू तथा कश्मीर व नागालैंड की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इस प्रकार 3500 करोड़ रुपये की धनराशि में से बकाया रकम शेष राज्यों में निम्न प्रकार वितरित की जाती है :—

(1) जनसंख्या के आधार पर 60 प्रतिशत।"

(2) प्रति व्यक्ति राज्य आय के आधार पर 10 प्रतिशत—इस कसौटी पर सहायता उन्हीं राज्यों को प्रदान की जाती है जिनकी प्रति व्यक्ति राज्य आय राष्ट्रीय औसत से कम है।

(3) राज्य आय के अनुसार कराधान प्रयत्न के आधार पर 10 प्रतिशत।

(4) पहले से चली आ रही मुख्य चालू सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के आधार पर 10 प्रतिशत।

(5) राज्यों को अपनी विशेष समस्याओं से निपटने के लिए 10 प्रतिशत।"

3. चौथी योजना के आरम्भ में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा संघशासित क्षेत्र थे, उन्हें 1972-73 के दौरान केन्द्रीय सहायता का आवंटन सभी संघशासित क्षेत्रों की चौथी योजना के लिए आवंटित 425 करोड़ रुपये की राशि में से किया गया है।

राज्य वार्षिक योजनायें--1972-73 के लिये राज्यों को आबंटित केन्द्रीय सहायता ।

	(करोड़ रुपये)
1. आन्ध्र प्रदेश	46.56
2. असम	32.96
3. बिहार .	65.57
4. गुजरात .	30.65
5. हरियाणा	15.23
6. जम्मू व कश्मीर	32.00
7. केरल	33.95
8. महाराष्ट्र	47.63
9. मध्य प्रदेश	50.83
10. मेघालय	7.22
11. मैसूर	33.56
12. नागालैंड	7.59
13. उड़ीसा	31.04
14. पंजाब	19.59
15. राजस्थान	42.68
16. तमिलनाडु	39.19
17. उत्तर प्रदेश	102.04
18. पश्चिमी बंगाल	42.87
जोड़	**681.16**
19. हिमाचल प्रदेश	22.00
20. मणिपुर .	4.10
21. त्रिपुरा .	8.00
जोड़	**718.66**

नई दिल्ली से भेजे गये एक पार्सल की जांच करने के लिये ब्रिटिश पुलिस का अनुरोध

3270. श्री एम०एम० जोजफ :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई दिल्ली से भेजे गए एक पार्सल, जो लन्दन नगर के मुख्य भाग स्मिथ-फील्ड के एक हीरो के दलाल के कार्यालय में 10 नवम्बर, 1972 को फट गया था, तथा उस देश में भेजें गए अन्य पत्र-बमों के बारे में जांच करने के लिए ब्रिटिश पुलिस से अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री : एफ०एच० मोहसिन) : (क) और (ख) लंदन में हमारे हाई कमीशन के माध्यम से स्काटलैण्ड यार्ड से इस आशय का एक सामान्य अनुरोध प्राप्त हुआ था कि क्या वे नई दिल्ली में अपने समकक्ष अधिकारी के साथ पत्र-बमों की जांच-पड़ताल में समन्वय के लिए एक जांच-अधिकारी को भेज सकते हैं। भारत सरकार ने एक ऐसे अधिकारी के आने के लिए सभी सुविधाएं देने का फैसला किया था। तदनुसार भारतीय हाई कमीशन को सूचित किया गया और उस अधिकारी के, जिसे प्रतिनियुक्त करने का स्काटलैण्ड यार्ड का विचार है, नाम, पद इत्यादि के ब्यौरे देने को कहा गया था। इस सम्बन्ध में उत्तर अभी आना है।

राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की सहायता के लिए तमिलनाडु सरकार का केन्द्र से अनुरोध

3271. **श्री रण बहादुर सिंह :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने 10 नवम्बर, और 13 नवम्बर, 1972 को नगर में हुए जुलूसों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केन्द्र से केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस की सहायता के लिए अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो पिछले 4 मास में ऐसे कितने अनुरोध किए गए जिनमें केन्द्रीय सहायता मांगी गई थी ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तमिलनाडु राज्य सरकार के अनुरोध पर गत चार महीनों के दौरान कानून व व्यवस्था के कार्य के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल उनको उपलब्ध किया गया था :—

उपलब्ध की गई संख्या	तारीख	
	से	तक
4 कम्पनियां	15-6-72	17-6-72
$1\frac{1}{2}$ कम्पनी	4-7-72	10-7-72
2 कम्पनियां	6-11-72	आज तक
3 कम्पनियां	7-11-72	12-11-72
6 कम्पनियां . . .	8-11-72	आज तक
2 कम्पनियां . . .	12-11-72	आज तक
2 कम्पनियां . . .	14-11-72	15-11-72

आर्थिक प्रगति की दर

3272. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा :**

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में और उसके बाद की अवधि में, जब केवल वार्षिक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही थीं, आर्थिक प्रगति की दर क्या थी; और

(ख) वर्ष 1971-72 में प्रगति-दर का नवीनतम अनुमान क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा है ।

विवरण

योजनाएं/वर्ष	वार्षिक प्रगति दर (स्थिर मूल्य पर)
प्रथम पंचवर्षीय योजना	3.5
द्वितीय पंचवर्षीय योजना	3.8
तृतीय पंचवर्षीय योजना	2.5
1966-67 .	1.5
1967-68 .	9.3
1968-69 .	2.4
1969-70 .	5.3
1970-71 .	4.7*
1971-72 .	अभी उपलब्ध नहीं

*अस्थायी ।

पंजाब और हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश के अन्तर्गत लाने की मांग

3273. **चौधरी राम प्रकाश :**

श्री आर० पी० उलगनम्बी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय पंजाब और हरियाणा के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश के अन्तर्गत लाने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जैसा कि 29 जनवरी, 1970 को प्रेस विज्ञप्ति में घोषित किया गया है, पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश राज्यों के बीच वर्तमान अन्तर्राज्यीय सीमाओं के पुन: समायोजन करने के लिए ऐसे दावों तथा प्रतिदावों पर एक आयोग द्वारा विचार किया जाना है जिसकी नियुक्ति सम्बन्धित सरकारों के परामर्श में विचारार्थ विषय तय किए जाने के पश्चात् होनी है ।

लघु उद्योगों का विकेन्द्रीकरण

3274. **श्री राम प्रकाश :**

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य में लघु उद्योगों के विकास का विकेन्द्रीकरण करने और इसे राज्य सरकारों को देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो विकेन्द्रीकरण की क्या आवश्यकता है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिध्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : लघु उद्योगों के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है, इसलिए इसे राज्य सरकारों को सौंपने का प्रश्न ही नहीं होता ।

देश में सम्प्रदायिक दंगे

3275. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इस वर्ष देश में साम्प्रदायिक दंगों की कितनी घटनाएं हुईं ;

(ख) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनमें ये साम्प्रदायिक दंगे हुए थे ; और

(ग) इन दंगों के कारण क्या थे और कितने मामलों में न्यायिक जांच के आदेश दिये गये और कितने मामलों में नहीं दिये गये ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) और (ग) : केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इस वर्ष अक्तूबर के अन्त तक साम्प्रदायिक हिंसा की 211 घटनाएं हुई हैं । इन घटनाओं को भारतीय दंड संहिता की परिभाषा के अनुसार दंगों में गिना जा सकता है अथवा नहीं भी गिना जा सकता । गंभीर घटनाओं के बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

विवरण

इस वर्ष मई तक की अवधि में दो गंभीर साम्प्रदायिक घटनाएं हुई थीं (1) फरवरी 1972 में गुलबर्गा (मैसूर) में होली के अवसर पर तथा (2) मार्च 1972 में हुबली (मैसूर) में प्रस्तावित एक कालेज बिल्डिंग के निर्माण पर एक स्थानीय विवाद के कारण । संसद द्वारा पास किये गये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 1972 के बाद जून 1972 में उत्तर प्रदेश में तीन स्थानों पर दंगे हुए थे। अलीगढ़ में जहां इस कानून के विरोध में कुछ नेताओं द्वारा विरोध प्रकट करने का आयोजन किया गया था 5 जून 1972 को कुछ घटनाएं हुई थीं। वाराणासी और फिरोजाबाद में 16 जून 1972 को दंगे हुए थे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी ओल्ड बाइस कन्वेंशन कौंसिल मुस्लिम लीग तथा मुस्लिम मजलिस के आवाहन के उत्तर में कानून के विरुद्ध एक विरोध दिवस के रूप में मनाया जा रहा था । सितम्बर 1972 में तथाकथित गौहत्या के मामले पर दादरी में एक गम्भीर घटना हुई थी । अक्तूबर 1972 में पालनपुर (गुजरात) और बंगलौर (मैसूर) में दशहरा के जुलुसों पर पथराव के परिणामस्वरूप दंगे हुए थे ।

2. इन घटनाओं में से किसी के संबंध में कोई न्यायिक जांच नहीं कराई गई ।

संयुक्त सलाह व्यवस्था और अनिवार्य मध्यस्थता के कार्यकरण के सम्बन्ध में डाक तथा तार महासंघों और डाक तथा तार बोर्ड की घोषणा

3276. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री के० लकप्पा :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ?

(क) क्या डाक तथा तार कर्मचारियों के दो महासंघों और डाक तथा तार बोर्ड के प्रतिनिधियों

ने 4 नवम्बर, 1972 को संयुक्त सलाह व्यवस्था और अनिवार्य मध्यस्थता के कार्य को सफल बनाने के लिए समान दृष्टिकोण अपनाने और मिलजुल कर प्रयास करने के बारे में एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये थे ;

(ख) क्या गत चार वर्षों से उपरोक्त व्यवस्था काम नहीं कर रही है और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां।

(ग) 1968 की अवैध हड़ताल में भाग लेने के कारण नेशनल फेडरेशन आफ पोस्ट एंड टेली-ग्राफ इम्पलाइज़ की मान्यता रद्द कर दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप डाक-तार की विभागीय परिषद् (जे०सी०एम०) का कार्य-चालन समाप्त हो गया था। जब इस फेडरेशन को फिर से मान्यता दे दी गई तो गैर-औद्योगिक डाक-तार कर्मचारियों के लिए जो सीटें निर्धारित थीं वे एन०एफ०पी०टी०ई० और एफ०एन०पी०टी०ओ० में बांट दी गई क्योंकि उस समय तक एफ०एन०पी०टी०ओ० को मान्यता दे दी गई थी। एन०एफ० पी०टी०ई० संस्था गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के लिए निश्चित सभी सीटें लेना चाहती थी। यह बात स्वीकार नहीं की गई इसलिए वे परिषद् की बैठकों में भाग लेने के लिए राजी नहीं हुए। एन०एफ०पी०टी०ई० के प्रतिनिधियों के बगैर कर्मचारियों की तरफ का कोरम पूरा नहीं होता था। और यही वजह थी कि 4 साल से कुछ ज्यादा अर्से तक यह विभागीय परिषद् काम-काज न कर सकी।

देश में प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन

3277. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग को प्रशासन में अपेक्षित आमूल परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिली है ; और

(ख) यदि हां तो क्या केन्द्रीय सरकार देश में समूचे प्रशासनिक ढांचे को नया रूप देने और इसका पुनर्गठन करने का विचार कर रही है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) : प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों पर 20 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जिनमें केन्द्र तथा राज्यों दोनों से संबंधित अधिकांश विषय समाविष्ट हो जाते हैं । केन्द्र से संबंधित 527 सिफारिशों में से 375 पर निर्णय ले लिये गये हैं और इनमें से 336 (89 प्रतिशत) संशोधनों अथवा बगैर संशोधनों सहित स्वीकार कर लिये गये हैं। इनके ब्यौरे क्रमश: 31-7-70 और 17-11-71 को सदन के पटल पर रखे गये विवरणों में दिये गये हैं। इन सिफारिशों पर लिये गये सभी निर्णय कार्यान्वय के विभिन्न स्तरों पर हैं और इन परिवर्तनों के परिणाम सामने आने में कुछ समय लगेगा। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस अवस्था में प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रयत्नों द्वारा प्राप्त परिणामों का विश्वसनीय मूल्यांकन करना कठिन होगा किन्तु प्रशासनिक सुधार क्योंकि एक सतत क्रिया है अत: सरकार की सदा परिवर्तनशील आवश्यकताओं की पूर्ति के एक प्रशस्त प्रशासनिक क्षमता सुनिश्चित करने हेतु प्रयत्न किये जा रहे हैं और किये जाते रहेंगे।

परमाणु ऊर्जा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में तथा योजना आयोग में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह के बिना पदों के लिये चयन

3279. **श्री भागीरथ भंवर :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या परमाणु ऊर्जा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में तथा योजना आयोग में सारे पदों के लिए चयन संघ लोक सेवा आयोग की सलाह के बिना ही किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1971 और 1972 के दौरान इन विभागों में कितने अधिकारियों का चयन किया गया ; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन-जातियों के किसी अधिकारी का चयन किया गया है यदि नहीं तो, इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :

(क) जी नहीं श्रीमान । कुछ तरह के पदों जैसे संसद् के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के संकल्प द्वारा अथवा उसके प्राधिकाराधीन अथवा सरकार के किसी संकल्प द्वारा कोई जांच पड़ताल करने अथवा अन्वेषण अथवा निर्दिष्ट मामलों पर सरकार को सलाह देने के लिए नियुक्त किए गए आयोग के अध्यक्ष । सदस्यों आदि के पदों के अतिरिक्त योजना आयोग में परामर्शदाता के पदों विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय समिति (विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन) में वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों तथा परमाणु-ऊर्जा आयोग में अथवा उसके अधीन तकनीकी तथा प्रशासनिक पदों को भी संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है।

(ख) तथा (ग) : आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर रखे गए पदों के संबंध में स्थिती इस प्रकार है :—

योजना आयोग:परामर्शदाता के पदों में अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति :

वर्ष 1971 तथा 1972 के दौरान दस नियुक्तियां की गई थीं जिनमें छः अन्य विभागों/संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे गये शामिल थे। शेष 4 में से दो ने त्याग-पत्र दे दिया है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किए गए थे।

परमाणु-ऊर्जा विभाग :

सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा शीघ्र सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अनुभाग अधिकारियों की अवर सचिवों के पद पर पदोन्नति

3280. **श्री भागीरथ भंवर : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के अवर सचिव के पद पर पदोन्नति चयन के आधार पर की जाती है ;

(ख) यदि हां, तो कोई अनुभाग अधिकारी कितने समय में इस बात का पात्र हो जाता है कि अवर सचिव अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा में ग्रेड 1 के अधिकारी के पद पर चुने जाने के लिए उसके नाम पर विचार किया जा सके ;

(ग) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अनुभाग अधिकारियों के लिए आयु सीमा में कोई छूट दी गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इन पदों के आरक्षित कोटे को किस प्रकार पूरा करना चाहती है?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों की अवर सचिव (सेवा के ग्रेड 1) के पद पर पदोन्नतियां विशिष्टता के आधार पर की जाती हैं।

(ख) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में दस वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर लेने पर उनके बारे में विचार किया जाता है।

(ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों की इस सेवा के ग्रेड - 1 में पदोन्नति के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(घ) अनुभाग अधिकारियों के पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले अवर सचिव के पदों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए कोई आरक्षण नहीं है। किन्तु गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/12/67-स्थापना (ग) दिनांक 11 जुलाई 1968 के संदर्भ में उन्हें कुछ रियायतें प्रदान की गई हैं।

Re-Employment of Retired Class I Officers

3281. Shri Bhagirath Bhanwar : Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) the number of Class I Officers who retired from service during the last two years;
(b) the number out of them who were re-employed; and
(c) the grounds on which they were re-employed?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

बेलगाम जिले के बीड़ी नामक स्थान पर सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करना

3282. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलगांव जिले के खानपुर तालुका में बीड़ी नामक स्थान पर एक सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करने का प्रस्ताव 14 जनवरी 1972 को डिवीजनल इंजीनियर टेलीग्राफ हुबली को भेजा गया था ;

(ख) उसकी मंजूरी देने में यदि कोई कठिनाई है तो वह क्या है; और

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र को मंजूरी कब दी जाएगी और उसे कब स्थापित किया जायेगा?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग). बीड़ी में किराये और गारन्टी के आधार पर सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के प्रस्ताव की मंजूरी

दे दी गयी थी, जो कि नन्दगढ़ से जोड़ा जाना था । तारीख 13 जनवरी, 1972 को गारन्टीकर्त्ता की अर्जी आने पर इस प्रस्ताव पर फिर से विचार किया गया और बीड़ी के प्रस्तावित सार्वजनिक टेलीफोन घर को इटगी से जोड़ने के लिए संशोधित मंजूरी जारी कर दी गई है । सालाना किराया अग्रिम रूप से अदा करने के लिए डिमांड नोट भी जारी किया जा रहा है। किराये का भुगतान अग्रिम तौर पर हो जाने पर यह सार्वजनिक टेलीफोन घर खोल दिया जाएगा । इसे खोलने के लिए जितने साज-सामान की जरूरत होगी उसकी व्यवस्था हो गई है और वह आ भी गया है।

Use of Hindi for Official Purposes

3283. Shrimati Savitri Shyam :

Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether the entire work of the Union Ministries is being transacted in English only, despite clear orders of the Ministry of Home Affairs; and

(b) if so, the action proposed to be taken by Government to encourage the use of Hindi in the official work of the Union Ministries?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) No orders of Home Ministry of the nature stated in the question exist. The use of Hindi and English in the official work is governed by Official Language Act 1963 as amended.

(b) The Annual Assessment Reports placed on the table of the House indicate the annual programme and the results in regard to progressive use of Hindi in official work. However, following steps among others have already been taken to encourage the use of Hindi in the official work of the Union Ministries:—

(i) In-service training in Hindi;
(ii) provision of help literature in Hindi;
(iii) provision of Hindi typewriters;
(iv) printing of various forms bilingually;
(v) printing of Manuals, etc. in diglot form;
(vi) setting up of translation units;
(vii) appointment of Hindi officers;
(viii) permission to use mixed language for noting in Hindi; and
(ix) issuance of instructions for encouraging Hindi knowing/trained employees to use Hindi in their official work.

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को अस्पतालों में लाने के लिये अपनी सेवा अर्पित करने वाले लोगों को परेशान किया जाना

3284. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में बड़ी-बड़ी सड़कों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की सूचना भी जनता द्वारा कई घंटों तक नहीं दी जाती;

(ख) क्या जनता की यह उदासीनता दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को अस्पतालों में लाने के लिए अपनी सेवा अर्पित करने वाले व्यक्तियों के प्रति पुलिस के अभद्र व्यवहार और उन्हें परेशान किए जाने के कारण हैं ; और

(ग) सरकार का विचार ऐसी क्या कार्यवाही करने का है जिससे कि जनता को इस प्रकार परेशान न किया जाए ताकि ऐसी दुर्घटनाओं की पुलिस को तुरन्त सूचना देने के लिए जनता को प्रोत्साहन मिल सके ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) जी नहीं।

(ख) 1971 से इस प्रकार की केवल एक शिकायत ध्यान में आई है।

(ग) दिल्ली पुलिस के महा-निरीक्षक द्वारा अनुदेश जारी किये गये हैं कि :--

(1) जनता के उन लोगों को, जो जख्मी व्यक्तियों को अस्पताल में लाते हैं और जो दुर्घटनाओं में स्वयं अन्तर्ग्रस्त नहीं होते, रोकने की आवश्यकता नहीं है ।

(2) ऐसे व्यक्तियों के नाम व पते और उस स्थान के थोड़े से हवाले के साथ, जहां से जख्मी व्यक्ति को उठाया गया था, उनकी गाड़ी की पंजीकरण संख्या लिख ली जाये ताकि जांच अधिकारी उनसे सम्पर्क कर सकें तथा उनका बयान ले सकें ।

(3) न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए एक शपथ पत्र ऐसे गवाह से प्राप्त किया जाये । उसे गवाही के लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वह दुर्घटना का चश्मदीद गवाह न हो।

उत्तर प्रदेश के स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन की अदायगी

3285. **श्रीमती सावित्री श्याम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) उत्तर प्रदेश के जिन स्वाधीनता सेनानियों को राजनैतिक पेंशन दी गई हैं, उनकी संख्या और नामों का जिलेवार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस बारे में कितने आवेदन पत्रों को अस्वीकार किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरणों (अनुलग्नक I तथा II) में दी जाती हैं । [ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल०टी० 3923/72]

(ख) 62 आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए गये हैं।

पूर्वी क्षेत्र के बेरोजगार चलचित्र कलाकार, आदि

3287. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म स्टूडियो, प्रयोगशालाओं और कम लागत की फिल्में बनाने वाले एककों के बेरोजगार कलाकारों, तकनीशियनों और कर्मचारियों की इस आशय की लगातार की जाने वाली मांगों को सरकार द्वारा अस्वीकार कर देने के क्या कारण हैं कि चलचित्र उद्योग के बेरोजगार कलाकारों, तकनीशियनों और कर्मचारियों की सहायता से पूर्वी क्षेत्र के स्टूडियो और प्रयोगशालाओं में क्षेत्रीय न्यूजरीलों का निर्माण किया जाये ; और

(ख) चलचित्र वित्त निगम के भूतपूर्व प्रधान की अध्यक्षता में गठित पश्चिम बंगाल की दूसरी संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा नियुक्त फिल्म सलाहकार समिति की सिफारिशों में इस प्रकार की मांगों और केन्द्र प्रशासित अन्य उपायों को शामिल किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). सरकार ने फिल्म प्रभाग के फिल्म विधायन कार्य का एक भाग कलकत्ता में स्थानान्तरित किया जाना स्वीकार कर लिया है। वृत्त चित्रों और न्यूजरीलों के क्षेत्रीय संस्करणों का निर्माण कलकत्ता में करने की योजना सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल के फिल्म उद्योग की शिकायतों पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा गठित अध्ययन दल ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित राज्य फिल्म सलाहकार समिति की रिपोर्ट पर भी ध्यान दिया है।

पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिए वित्तीय परिव्यय

3288. **श्री वी० आर० परमार :**

श्री श्यामनन्दन मिश्र :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में अलग-अलग कितना वित्तीय परिव्यय दिया गया था ; और

(ख) उसमें से वास्तव में कितना व्यय किया गया ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में परिव्यय तथा व्यय

(रुपये करोड़ों में)

	सरकारी क्षेत्र परिव्यय		गैर सरकारी निवेश	
	व्यवस्था	वास्तविक व्यय	व्यवस्था	वास्तविक व्यय
—	1	2	3	5
पहली योजना	2377.70	1960.00	1600.00	1800.00
दूसरी योजना	4800.00	4672.00	2400.00	3100.00
तीसरी योजना . . .	7500.00	8577.20	4300.00	4100.00

Tenders for the Supply of Country Liquor invited by Delhi Administration

3289. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether out of the tenders invited for the supply of country liquor, Delhi Administration has accepted the tender of a factory from Uttar Pradesh whose quotations were higher and the tenders with lowest quotations have not been accepted.

(b) if so, whether Government have set up a commission to enquire into it; and

(c) if so, the salient features of their report?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The Delhi Administration have informed that the rates quoted by the firm whose tender was accepted for the plain, ordinary spiced and special spiced liquor in the bottles of sizes 750 ml. and 500 ml. as also for the plain and special spiced liquor for the bottle of size 250 ml. were the lowest. For the ordinary spiced liquor for the bottle of 250 ml. the rates of another firm were the lowest. Since the former had submitted the lowest rates for all the other categories and the other sizes, the Administration accepted their tender.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Higher charges for Calls Made at P.C.O.

3290. Shri Ishwar Chaudhary : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether telephone call can be made from a P.C.O. only after inserting Coins with 30 paise instead of 20 paise as was the case in the past;

(b) whether the charges for private calls are only 20 paise per call; and

(c) if so, the reasons for charging 10 paise per call more for calls made from P.C.Os.

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Yes. In case of calls from private telephones, the subscribers has to pay rental charges in addition to call charge of 20P per call. This calls for higher tariff for calls from PCOs for which no rental charges are levied.

Grant of Pension to Freedom Fighters from Bihar

3291. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number and names of freedom fighters from Bihar who have been sanctioned pension, District-wise; and

(b) the number of applications rejected in this regard and the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) The requisite information is given in the attached statements (Annexure I & II). [Placed in Library. See No. LT/3924/72].

(b) 18 applications have been rejected. The applications are rejected mostly because:—

(i) Total imprisonment is less than 6 months.

(ii) Annual income exceeds Rs. 5,000/-

(iii) Otherwise ineligible to receive pension i.e. married daughters, grand children etc.

Issue of Licences for Manufacture of Scooters in Bihar

3292. Shri Ishwar Chaudhry : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether Government propose to issue fresh licences for manufacturing scooters during the fifth Five Year Plan; and

(b) if so, whether any such factory will be set up in Bihar State also?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) & (b) The issue of fresh licences for manufacture of scooters during the Fifth Five Year Plan will be considered at the appropriate time in the light of the progress achieved in the implementation of schemes so far approved.

नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण

3293. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अभी तक 30 रुपये और 40 रुपये मूल वेतन मिल रहा है ;

(ख) क्या द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली के कर्मचारियों के मामले में अभी तक लागू नहीं की गई हैं ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उपदान देने की योजना भी खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली के कर्मचारियों के मामले में अभी तक लागू नहीं की गई है ; और यदि हां, ती इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) आयोग ने वाणिज्यिक कार्यों में लगे कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न वेतनमान अपनाने का निर्णय किया है लेकिन भत्ते व अन्य लाभ वही होंगे जो आयोग के नियमित कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य हैं और जिनके मामले में अंशदायी भविष्य निधि को छोड़कर द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी हैं ।

(ग) खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों को उपदान (ग्रेच्युटी) देने की योजना विचाराधीन है ।

पूना स्थित एक इलैक्ट्रोनिक कम्पनी द्वारा विकसित विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनि देने वाला इलैक्ट्रोनिक उपकरण

3294. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेडियो, टी० वी० सेटों और एम्प्लीफायरों की निर्माता पूना स्थित एक कंपनी ने देश में अपनी किस्म के सबसे पहले एक ऐसे इलैक्ट्रोनिक उपकरण का विकास किया है जो विभिन्न बाद्य यंत्रों की ध्वनी उत्पन्न कर सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त वाद्य यंत्र की डिजाइन और उसका निर्माण स्वदेशी तकनीकी ज्ञान और कलपुर्जों से किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख) स्वदेशी जानकारी पर आधारित बिना किसी विदेशी सहयोग के मैसर्स सेमिकंडक्टर लिमिटेड पूना को 1969 में ऐसे 800 संख्या इलैक्ट्रानिक उपकरण जो विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनि उत्पन्न कर सकता हो, निर्माण करने का आशय पत्र दिया गया था । हाल ही में उक्त पक्ष ने इलैक्ट्रानिक वाद्य यंत्रों के प्रोटोटाइप्स निर्माण करने के लिए कुंजी-पटल आयात करने का आवेदन पत्र दिया है । इस आवेदन पत्र में यह उल्लेख है कि इसने कुछ इस प्रकार के इलैक्ट्रोनिक वाद्य उपकरण दे भी दिये हैं उक्त पक्ष के मूल आवेदन पत्र के अनुसार उत्पादन मूल्य के 7% तक के घटकों को आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी ।

हिन्दुस्तान टेली प्रिंटर्स, मद्रास को प्राप्त हुए निर्यात-क्रयादेश

3295. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के मद्रास स्थित हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर कारखाने को विदेशों से क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है और विभिन्न देशों को कितने टेलीप्रिंटरों का निर्यात किया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1972-73 (1-4-72 से 28-11-72 तक) के दौरान हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्ज लिमिटेड को विभिन्न देशों से प्राप्त निर्यात-क्रयादेशों और अर्जित की जाने वाली संभावित विदेशी मुद्रा की रकम के विवरण, अनुलग्नक में दिये गए हैं ।

विवरण

(ख) वर्ष 1972-73 (1-4-72 से 28-11-72 तक) के दौरान हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्ज लिमिटेड को विभिन्न देशों से प्राप्त निर्यात-क्रयादेशों का विवरण इस प्रकार है :—

वर्ष	देश का नाम	प्राप्त क्रयादेश (अदद टेलीप्रिंटर सं०)
1972-73 (1-4-72 से 28-11-72 तक)	बेल्जियम	2
	जोर्डन	3
	लेबनान	16
	मारीशस	38
	नेपाल	56
	जोड़	115

उपर्युक्त निर्यात-क्रयादेशों से अर्जित की जाने वाली संभावित विदेशी मुद्रा 6.28 लाख रुपये है ।

कालमासेरी स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा स्वचालित लैटर प्रैस प्रिंटिंग मशीन का निर्माण

3296. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कालमासेरी स्थित एकक द्वारा एक स्वचालित लैटर प्रिंटिंग मशीन का पहली बार निर्माण किया गया है और उसे बेचा गया है ;

(ख) क्या इस एकक के उत्पादन-विविधीकरण कार्यक्रम में किसी और नई वस्तु का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) जी हां, संयोजन करके ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आकाशवाणी की पदोन्नति सम्बन्धी नीति

3297. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया रेडियो टेकनीकल एम्पलाईज एसोसियेशन तथा इंजीनियरिंग एम्पलाईज एसोसियेशन ने सरकार की पदोन्नति संबंधी नीति का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) ये एसोसिएशनें मुख्यतया इंजीनियरी सहायक, सहायक इंजीनियर और सहायक केन्द्र इंजीनियर के ग्रेडों में पदोन्नति के कोटे में वृद्धि किए जाने के लिए अभ्यावेदन करती रही हैं ।

(ख) सरकार इंजीनियरी सहायक के ग्रेड में 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत, सहायक इंजीनियर ग्रेड में 20 प्रतिशत से 60 प्रतिशत और सहायक केन्द्र इंजीनियर के ग्रेड में 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक पदोन्नति के कोटे में वृद्धि करने का निर्णय पहले ही कर चुकी है ।

लेम्ब्रेटा (स्कूटर) बनाने के कारखाने का इटली से स्थानान्तरण

3299. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इन्नोसेन्टी (लैम्ब्रेटा के निर्माता) का इटली का स्कूटर बनाने का कारखाना भारत में स्थानान्तरित कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) स्थानान्तरण का कार्य निर्धारित समय सूची के अनुसार चल रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

छोटे प्लास्टिक के कारखानों में कच्चे माल की कमी

3300. श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण लघु प्लास्टिक कारखानों में संकट आ गया है और 'पालीएथलीन पाउडर' का आयात करने की अनुमति के लिए सरकार से अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : कच्चे पालीएथीलीन की कमी के विषय में अभ्यावेदन मिले हैं । अब प्रतिबन्धित नियन्त्रित आधार पर इन वस्तुओं का आयात वास्तविक उपभोक्ताओं की अनुमति है और इनका आयात राज्य व्यापार निगमों के माध्यम से किया जाता है ।

सैंट्रल (सर्प्लस स्टाफ) सैल में दर्ज भारत सरकार के कार्यालयों से फालतू घोषित किये गये कर्मचारी

3301. श्री मोहम्मद इस्माइल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के श्रम कार्यालयों के नाम क्या हैं तथा निम्न श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक तथा स्टेनोग्राफर (आरक्षित तथा गैर-आरक्षित) के ग्रेडों में पृथक-पृथक उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनको पहली जनवरी, 1972 से 30 जून, 1972 तक की अवधि में फालतू घोषित किया गया था ;

(ख) उपरोक्त कर्मचारियों को सैंट्रल (सर्प्लस स्टाफ) सैल में किन तिथियों को दर्ज किया गया है ; और

(ग) उन कार्यालयों के नाम क्या हैं जहां उनका नामांकन किया गया था तथा उपरोक्त तीन श्रेणियों में नामांकन पत्रों की तिथियां क्या हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) : एक विवरण संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०3925/72]

पृष्ट संख्या के आधार पर मूल्य निर्धारण के बारे में विधान

3302. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने यह मांग की है कि प्रैस आयोग की सिफारिश के आधार पर पृष्ठ संख्या के आधार पर मूल्य निर्धारण के लिए उपयुक्त विधान बनाया जाये ;

(ख) क्या उक्त विधान सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप-रेखा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह): (क) से (ग) : जी, हां । मामला सरकार के विचाराधीन है ।

सार्वजनिक टेलीफोनों से की जाने वाली टेलीफोन काल की दर में वृद्धि

3303. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन प्राधिकारियों ने सार्वजनिक टेलीफोन की दर बढ़ाकर 30 पैसे करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या 10 पैसे के नये सिक्कों की कमी के कारण टेलीफोन करने वालो को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में अपने निर्णय का पुनर्विलोकन करने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां । डाक-तार विभाग ने तारीख 1-7-72 से पब्लिक काल की दर बढ़ा कर 30 पैसे करने का फैसला किया है ।

(ख) नए 10 पैसों के सिक्कों की कमी के कुछ मामले पहले विभाग की जानकारी में लाए गए थे । इस मामले पर वित्त मंत्रालय से लिखा-पढ़ी की गई थी । वित्त मंत्रालय ने उन सभी जगहों पर इन सिक्कों की सप्लाई की अच्छी व्यवस्था कर दी है, जहां से शिकायतें आई थीं ।

(ग) जी नहीं । ऊपर (ख) में दिए गए उत्तर के आधार पर इस स्थिति पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Commemorative stamp in honour of Bhartendu Harish Chandra

3304. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the Nagari Pracharini Sabha has requested Government to issue a postal stamp in commemoration of the patriot and great poet Bhartendu Harish Chandra; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes, Sir.

(b) The proposal will be placed before the Selection Sub-Committee of the Philatelic Advisory Committee for consideration when it meets next.

लाइसेंसों सम्बन्धी क्षमता का उल्लघंन करने के लिए औद्योगिक गृहों के विरुद्ध जांच

3305. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री अपनी लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक अपना उत्पादन बढ़ाकर औद्योगिक लाइसेंसों संबंधी उपबन्धों का उल्लघंन करने के लिए औद्योगिक गृहों के विरुद्ध जांच करने के बारे में 30 अगस्त, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 408 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब मामले की स्थिति क्या है ; और

(ख) इस मामले की जांच करने और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में जांच आयोग को और कितना समय लगेगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति जांच समिति द्वारा लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक अप्राधिकृत उत्पादन के प्रकाश में लाए गये मामलों की परिस्थितियों के संबंध में जांच आयोग द्वारा वृहत्तर औद्योगिक गृहों की भी रही जांच अभी समाप्त नहीं हुई है ।

(ख) सरकार कमीशन की जांच के पूरी होने की अवधि के संबंध में कोई संकेत नहीं दे सकती क्योंकि यह बात विभिन्न तथ्यों यथा: जांच की व्यापकता तथा आवश्यक प्रक्रिया के अनुपातन पर निर्भर करती है ।

राज्यों द्वारा सरकारी क्षेत्र के लिए जारी किए गए लाइसेंसों का उपयोग

3306. : **श्री बख्शी नायक :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों सरकारों की सरकारी क्षेत्र के लिए कितने और किस प्रकार के औद्योगिक लाइसेंस दिए गए;

(ख) राज्य सरकारों ने कितने औद्योगिक लाइसेंसों का उपयोग किया;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा शेष लाइसेंसों का उपयोग न कर सकने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) : 30 सितम्बर 1972 तक राज्य औद्योगिक विकास निगमों को नये उपक्रमों के लिए ग्यारह औद्योगिक लाइसेंस और पर्याप्त विस्तार के लिए एक लाइसेंस स्वीकृत किया गया था । और यह बताया गया है कि इन में से लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और कुछ लाइसेंसों का कार्यान्वयन पूरा होने वाला है ।

(ग) तथा (घ): कार्यरूप में यह देखा गया है कि औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने और उसमें उत्पादन प्रारम्भ करने में औद्योगिक लाइसेंस जारी करने की तिथि से लगभग 2 से 3 वर्ष तक का समय लगता है । राज्य औद्योगिक विकास निगमों को दिए गए लाइसेंस 1971 में या उसके पश्चात जारी किए गए थे ।

1972-73 के लिए वार्षिक योजना में अतिरिक्त रोजगार अवसर बनाए जाने पर बल

3307. श्री डी० बी० चन्द्र गोडा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1972-73 की योजना में अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न करने तथा अधिकतर जनता को शिक्षा आवास और पेयजल संबन्धी निम्नतम सुविधाएं उपलब्ध कराने पर अधिक बल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) (1) **प्राथमिक शिक्षा** : राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को 1972-73 में 30,000 प्राथमिक स्कूल-शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इसके अलावा 1971-72 में स्वीकार किये गये इतने ही शिक्षकों की सेवाओं को जारी रखा जायेगा । इसमें प्राथमिक स्कूलों में 30,000 अध्ययन-कक्ष बनाने के लिए 9 करोड़ रुपये भी शामिल हैं । राज्यवार ब्यौरा विवरण (1) और (2) में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 3926/72]

(2) **आवास** : केन्द्रीय आवास तथा नगर विकास निगम ने 12 स्कीमें स्वीकार की थीं जिनका परिव्यय 62.45 करोड़ रुपये था। इस परिव्यय में से निगम ने उपयुक्त किस्तों में राज्य सरकारों को 35 करोड़ रुपये का सहायता-ऋण देना स्वीकार किया था। गंदी बस्तियों का वातावरण सुधारने के लिए राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में सहायता देने के लिए 1972-73 में केन्द्रीय सैक्टर में 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई हैं । विवरण 3 में बताए गए ग्यारह नगरों के लिए 20 करोड़ रुपये की लागत की स्कीमें स्वीकार की गई है, जब कि बजट में इसके लिए 15 करोड़ रुपये की ही व्यवस्था की गई हैं। ग्रामीण आवास तथा भूमिरहित मजदूरों को मकान बनाने की जगह की व्यवस्था करने के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगे गये हैं ।

(3) **ग्रामीण जल-आपूर्ति** : 1972-73 में ग्रामीण जल-आपूर्ति के लिए एक त्वरित कार्यक्रम स्वीकार किया गया है, जिसका परिव्यय 20 करोड़ रुपये होगा और जो राज्य सरकारों को शत-प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जायेगा ।

उपर्युक्त सभी कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा योजना आयोग द्वारा मार्च 1972 में प्रकाशित किये गये "वार्षिक योजना 1972-733" नामक दस्तावेज में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी०/3926/72]

केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा कम बीजक बनाने के, अधिक बीजक बनाने के तथा तस्करी के मामलों की जांच

3308. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कम बीजक बनाने के, अधिक बीजक बनाने के तथा तस्करी के कितने मामलों की जांच की ;

(ख) दस लाख रुपये से अधिक की राशि के कितने मामले थे ;

(ग)इन मामलों में कौन-कौन सी पार्टियां अन्तर्ग्रस्त थीं; और

(घ) उक्त अवधि में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा ऐसे कितने मामले निपटाये गये ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1-1-1970 से 30-11-1972 तक की अवधि में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 4 मामले कम बीजक बनाने के तथा 3 मामले तस्करी (सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत) के दर्ज किए। इस अवधि के दौरान अधिक बीजक बनाने के कोई मामले दर्ज नहीं किए गए थे ।

(ख) एक मामला ।

(ग) दो पार्टियां कम बीजक बनाने से सम्बन्धित मामलों में अर्न्तग्रस्त हैं तथा 13 पार्टियां तस्कर (सीमाशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत) के मामलों में अन्तर्ग्रस्त हैं।

(घ) इस अवधि के दौरान दर्ज किये गये 7 मामलों में से एक मामले में अभियुक्त व्यक्ति को दण्ड देते हुए न्याय निर्णय कार्यवाहियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। दूसरा मामला विचारण के लिए लम्बित है और एक मामले में चंडीगढ़ के सीमाशुल्क क्लेक्टर से न्यायालय में दायर की जा रही शिकायत की प्रतिक्षा है। शेष 4 मामले जांचाधीन हैं।

बड़े व्यापार गृहों को लाइसेंस देना

3309. **श्री ज्योतिर्मय बसु:** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 से 1971-72 तथा 1972–73 के प्रथम 6 महीनों के दौरान 20 बड़े व्यापार गृहों और विदेशी फर्मों में से प्रत्येक को वर्षवार और उद्योगवार कितने लाइसेंस दिए गए;

(ख) प्रत्येक राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए उक्त अवधि के दौरान 20 बड़े व्यापार गृहों और विदेशी फर्मों में से प्रत्येक को वर्षवार विभिन्न वर्गों के कितने लाइसेंस दिए गए; और

(ग) औद्योगिक विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में सरकार की औद्योगिक लाइसेंस नीति कहां तक सफल रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गये सभी औद्योगिक लाइसेंसों और आशय-पत्रों सम्बन्धी विवरण "वीकली बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेन्सेज, इम्पोर्ट लाइसेन्सेज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेन्सेज," साप्ताहिक "इण्डियन ट्रेड जनरल" और मासिक "जनरल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" में प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। फिर भी दो विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 3927/72]

(ग) क्षेत्रीय असन्तुलनों को हटाने सम्बन्धी औद्योगिक लाइसेंस नीति का प्रभाव आंकना अभी समय से पूर्व होगा।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंसों के बारे में केरल आवेदन-पत्र

3310. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कुछ उद्योगपतियों ने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिए जाने तथा पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार केरल के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए कोई वैकल्पिक योजना तैयार करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) :—अगस्त, 1971 और सितम्बर, 1972 की अवधि में केरल राज्य के पिछड़े जिलों में नये उपक्रम स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस के लिये 10 आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे। इनमें से दो पर आशय-पत्र जारी करके (या लाइसेंस से छूट) अन्तिम निर्णय ले लिया गया है। शेष आठ अभी विचाराधीन हैं। अनिर्णीत आवेदनों का विवरण आमतौर गोपनीय रखा जाता है। जारी किए गये आशय-पत्र सेफ्टीरेजर ब्लेडों के विषय में हैं इसमें भूमि, भवन और मशीनों पर कुल 72.6 लाख रुपये का विनियोजन होना है।

(ग) सरकार ने अगस्त, 1971 में देश के पिछड़े जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिये अनुदान देने की योजना की घोषणा की है। यह योजना केरल राज्य पर भी लागू होती है। इसके अलावा पिछड़े क्षेत्रों को रियायती दर पर वित्तीय सहायता देने की प्रचलित योजना केरल पर भी लागू होती है।

गोसंप्लान के एक उच्च शक्ति-प्राप्त रूसी दल (रूसी योजना आयोग) का दौरा

3312. **श्री एस० एम बनर्जी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोसंप्लान (रूसी योजना आयोग) के एक उच्च शक्ति-प्राप्त रूसी दल ने रूस और भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से भारत में उनका गंभीरता से अध्ययन आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस देश में इस्पात का उत्पादन शीघ्रता से बढ़ाने में इस अध्ययन का अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया):(क) तथा (ख) : सोवियत विशेषज्ञों के तीन दल जो कि सोवियत योजना संगठन (गोसप्लान) का प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, आजकल भारतीय प्रतिपक्ष से विचार-विमर्श कर रहे हैं ताकि निम्नलिखित क्षेत्रों में और आगे सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जा सके :—

(1) लोह तथा अलोह उद्योग तथा

(2) औद्योगिक उत्पादन जिसका उद्देश्य दोनों देशों में व्यापार बढ़ाने से है । तथापि रूस और भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में सामंजस्य लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

डाकघरों में पिनकोड पद्धति आरम्भ करने पर व्यय

3313. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाकघरों में 'पिन कोड' पद्धति आरम्भ करने के लिए बहुत बड़ी धन राशि व्यय की जा रही है ;

(ख) क्या इस पद्धति को कार्य रूप देने के लिए बहुत बड़ी संख्या में द्वितीय तथा प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के पदों का सृजन किया गया है तथा किया जा रहा है :

(ग) क्या डाक तार कर्मचारियों के अखिल भारतीय संघों ने इस व्यवस्था का पूरा विरोध किया है और

(घ) क्या यह योजना रेल डाक सेवा में मशीनों तथा कम्प्यूटरों का प्रयोग आरम्भ करने की पूर्वगामी योजना है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं। डाक-तार महानिदेशालय में प्रथम श्रेणी के सिर्फ दो पद बनाए गए हैं।

(ग) इस योजना के खिलाफ डाक-तार कर्मचारियों की किसी अखिल भारतीय यूनियन ने विरोध प्रकट नहीं किया है ।

(घ) जी नहीं

पटना टेलीफोन सर्किल पर रख रखाव लागत तथा उससे अर्जित आय

3314. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना टेलीफोन का नया सर्किल किस तिथि से बनाया गया है ;

(ख) अब तक इस सर्किल में कितने राजपत्रित तथा कितने प्रशासनिक अराजपत्रित पद बनाए गये हैं;

(ग) इस सर्किल की स्थापना से पूर्व कुछ माह में, तथा इसके स्थापना के बाद 6 माह में माहवार टेलीफोन शुल्क से कितनी-कितनी वास्तविक आय हुई; और

(घ) यदि शुल्क की राशि घटी है और रख-रखाव लागत बढ़ी है तो इसके क्या कारण है और इस मामले में क्या सही कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : **(क)** 22-2-1972

(ख) राजपत्रित पद 5 और अराजपत्रित पद 68 हैं।

(ग) इस सर्किल के गठन से पहले के छह महीनों में अर्जित राजस्व (हजार रुपयों में) निम्न-लिखित है:—

	रकम हजारों में
सितम्बर, 1971	2418 रुपये
अक्तूबर, 1971	618 रुपये
नवम्बर, 1971	1204 रुपये
दिसम्बर, 1971	1799 रुपये
जनवरी, 1972	1283 रुपये
फरवरी, 1972	2051 रुपये
जोड़	9373 रुपये

सर्किल के गठन के बाद के छह महीनों में अर्जित राजस्व इस प्रकार है:—

	रकम हजारों में
मार्च, 1972	1016 रुपये
अप्रेल, 1972	1177 रुपये
मई, 1972	1123 रुपये
जून, 1972	1159 रुपये
जुलाई, 1972	1127 रुपये
अगस्त ,1972	727 रुपये
जोड़	6429 रुपये

(घ) इन अवधियों में राजस्व में गिरावट आई है और रख-रखाव के खर्च में 81,000 रुपये का नाममात्र का अधिक खर्चा भी हुआ है।

राजस्व में गिरावट आने के कारण निम्नलिखित कारण है :--

(i) समय की भिन्न-भिन्न अवधियों की तुलना की गई है। पिछले वर्ष के इन्हीं छह महीनों के राजस्व से यदि तुलना की जाय तो वस्तुतः 2 लाख 66 हजार रुपये की राजस्व में वृद्धि हुई है (5 प्रतिशत)।

(ii) साल के हर महीने में अर्जित राजस्व की रकम बदलती रही है और जाड़े के महीनों में जितना ट्राफिक होता है, अपेक्षाकृत गर्मी के महीनों में उतना ट्राफिक नहीं होता।

(iii) राजस्व की रकमें बिल बनाने की अवधियों पर निर्भर करती हैं। उदाहरण के लिए टेलेक्स कनेक्शनों, टेलीफोन उपकरणों और अन्य सुविधाओं के सालाना किराये के बिल हर साल फरवरी में बनाये जाते हैं और सिर्फ इन बिलों की रकम 4.5 लाख रुपये है।

(iv) इस साल असंभावित सूखा पड़ जाने के कारण ट्राफिक में और राजस्व के अर्जन में काफी गिरावत आई है।

खासतौर से सभी बकाया दावे और बिलों की वसूली के लिए मार्च, 1972 में टेलीफोन जिले ने एक विशेष अभियान चलाया था, जिसकी वजह से रख-रखाव का खर्च कुछ बढ़ गया है।

सार्वजनिक टेलीफोन घरों में स्थित सिक्के डाले जाने वाले बक्सों के काम करने के ढंग में परिवर्तन करने पर हुआ व्यय

3315. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 10 पैसे के नये सिक्के जारी किये जाने के बाद और प्रति काल पर प्रभार 20 से 30 पैसे बढ़ाने के बाद डाक-तार विभाग ने देश भर में लगे सार्वजनिक टेलीफोन घरों में रखे सिक्के डाले जाने वाले बक्सों के कार्य करने के ढंग को बदल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो 15 अगस्त, 1972 को प्रत्येक राज्य में सिक्के डालने के कितने-कितने बक्से थे और उनके काम करने के ढंग में आवश्यक परिवर्तन करने पर कितना व्यय हुआ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) (क) जी हां।

(ख) आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और शीघ्र ही यह सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

थुम्बा स्थित अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र के एक अधिकारी के मकान पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा मारा जाना

3316. **श्री वयालार रवि** : क्या **अन्तरिक्ष मंत्री** थुम्बा स्थित अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र के एक अधिकारी के मकान पर केन्द्रीय जांच ब्यूरों छापा मारे जाने के सम्बन्ध में 17 मई 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6508 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मामले की जांच दूरी हो चूकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री, गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा अन्तरिक्ष मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उटता ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में लोगों के बीच आयोजन के लाभों का समान वितरण

3317. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक उत्पादन बढ़ाने पर ही अधिक बल दिया गया और आयोजन के लाभों के समान वितरण की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है अथवा बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो क्या पांचवीं पंजवर्षीय योजना अवधि में आयोजन के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया):(क) अब तक योजनाओं में अपनाई गई विकास कार्यनीति के बारे में योजना आयोग के विचार "पांचवी योजना के प्रति दृष्टिकोण" नामक दस्तावेज में दिये गये हैं। सम्बद्ध उद्धरण निम्न प्रकार से है :—

> "पूर्व योजना दस्तावेजों में अपनी विकास कार्यनीति का प्रतिपादन करने में, ऐसा लगता है कि हमने यह मान लिया था कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि तेजी से होने पर अधिक और पूर्ण रोजगार सुलभ होगा तथा इस प्रकार गरीबों के रहन-सहन का स्तर ऊंचा होगा। मालूम होता है कि हमने यह भी मात लिया था कि आय और सम्पत्ति की विषमताओं को घटाने में पुनः वितरण की नीतियां कम काम कर सकती हैं ।"

(ख) पांचवीं योजना में विकास और असमानता कम करने पर समानरूप से बल दिए जाने की परिकल्पना की गई है । इसको इस प्रकार तैयार किया गया है जिससे विकास के लाभ और बोझों का अधिक समान रूप से वितरण किया जा सके ।

पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर सुभाष बन्दर रखा जाना

3318. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन् 1943 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की, आजाद हिन्द सरकार के राष्ट्रपति के रूप में, पोर्ट ब्लेयर की यात्रा की स्मृति में, जहां उन्होंने अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह के मुक्त क्षेत्र में आजादी का पहला झंडा फहराया था, साम्राज्यवादी नाम 'पोर्ट ब्लेयर' को बदल कर 'सुभाष बन्दर' रखा जायेगा ;

(ख) क्या पोर्ट ब्लेयर के लोग और सामान्य रूप से अन्डमान के लोग इस बन्दरगाह का नाम बदलने के पक्ष में हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या विचार है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) अब तक सरकार के ध्यान में ऐसा कोई मत नहीं लाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी सेवा में आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को लाभ

3319. **श्री समर गुह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद केन्द्रीय सरकार की सेवा आरम्भ की है और इस प्रकार उन्हें सेवा अवधि सम्बन्धी पूरे लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने 31 दिसम्बर, 1969 को यह निर्णय किया था कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को, जो कम से कम 2 वर्ष तक नजरबन्द रह चुके हों, स्थानबद्ध रहे हों और दोषी ठहराये जाने पर या मुकदमा चलने के दौरान कारावास में रहे हों और जिन्होंने 30 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सरकारी सेवा में प्रवेश किया हो, उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि (अर्थात् 58—60 वर्ष की आयु) को उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा 30 वर्ष की सेवा पूरी करने तक बढ़ा कर, लाभ पहुंचाया जाये; और

(ग) यदि हां, तो क्या स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने की सरकार की दृष्टि से क्या सरकार का विचार उनकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने अथवा 30 वर्ष की सेवा का लाभ देने का है, जैसा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लिया और इसके कारण उन्हें संघीय/संघ लोक सेवा द्वारा ली गई परीक्षाओं में बैठने में रुकावट पड़ी या केन्द्रीय सरकार के अधीन अन्य प्राधिकारियों को विभिन्न सेवाओं में भर्ती के लिए, वर्ष 1948 में जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत, परीक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से 35 वर्ष तक आयु सीमा में छूट की अनुमति दी गई है, और यह रियायत 31-12-1951 तक स्वीकार्य थी। केन्द्रीय सरकार के अधीन इन रियायतों के आधार पर पदों/सेवाओं में नियुक्त किए गए व्यक्तियों के सम्बन्ध में सही सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी हां श्रीमान्।

(ग) राज्य सरकारों का अपने कर्मचारियों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने के सम्बन्ध में अलग क्षेत्राधिकार है। जहां तक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, वर्ष 1962 में सेवा-निवृत्ति की आयु को 55 से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दिया गया था। सेवानिवृत्ति की आयु किसी भी वर्ग या श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक समान होती है। और इसे व्यक्तिगत आधार पर किसी अन्य प्रक्रिया या भर्ती के अलग माध्यम से भिन्न नहीं रखा जा सकता। तथापि, सेवानिवृत्ति की आयु के बाहर सेवा में वृद्धि के बारे में विचार किया जाता है, जहां कि ऐसी वृद्धि करना लोकहित में आवश्यक समझा जाए।

आकाशवाणी का 'युववाणी' कार्यक्रम

3320. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि आकाशवाणी का 'युववाणी' कार्य-क्रम अपने उद्देश्यों और कार्यक्रमों को पूरा करने में असफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे सफल बनाने के लिए मंत्रालय ने क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) (क) जी, नहीं। 'युव वाणी' कार्यक्रम असफल नहीं रहा है । इसने युवक श्रोताओं और भाग लेने वालों को आकर्षित किया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्ष 1975 के अन्त तक सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगारों की उपलब्धता

3321. **श्री विक्रम महाजन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975 के अन्त तक सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के कितने स्थानों का सृजन किये जाने की आशा है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रमों की सहायता के लिए 1971-72 से विशेषकर रोजगार अवसरों की वृद्धि के प्रयोजन से कई स्कीमें प्रारम्भ की गई हैं । इन स्कीमों का विवरण "रोजगार अवसर" नामक विवरणिका जो माननीय सदस्यों में प्रचालित कर दी गई है में उपलब्ध हैं। इन स्कीमों का कार्यान्वियन अभी विभिन्न स्तरों पर हो रहा है अतएव इनसे रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध होंगे इसका पता लगाना अभी सम्भव नहीं है ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना अभी विचाराधीन है । सरकार द्वारा नियुक्त बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति आशा करती है अगले कुछ महीनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी । समिति की रिपोर्ट मिलने पर ही पांचवीं योजना अवधि संबन्धी रोजगार नीति का निर्धारण किया जा सकता है । उपर्युक्त कथनानुसार इस समय यह बताना कठिन है कि सरकारी क्षेत्र में 1975 के अन्त तक रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे ।

इटली के सहयोग से ट्रेक्टरों का निर्माण

3322. **श्री के० मालन्ना** :क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ट्रेक्टरों के निर्माण के लिए हाल ही में इटली की एक फर्म के साथ कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की मोटी मोटी बातें क्या हैं, और

(ग) उक्त परियोजना में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाएगा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मैसूर में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं की स्थापना

3323. **श्री के० मालन्ना** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले दो वर्षों के दौरान मैसूर में और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि का प्रयत्न किया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया):(क) से (ग) चौथी योजना में सम्मिलित की गई मैसूर राज्य की केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं की सूची, पहले ही चौथी योजना दस्तावेज

(पृष्ठ 326--330) में दी जा चुकी है । उसके बाद, विजयनगर, मैसूर में, एक एकीकृत इस्पात परियोजना की स्थापना का निर्णय किया गया है । इस समय इस इस्पात परियोजना की सम्भाव्यता रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है । मैसूर में कोई अन्य केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की परियोजना शुरू करने की सम्भावना नहीं है।

कलकत्ता पत्तन पर निर्यात तथा आयात में विदेशी मुद्रा का घोटाला

3324. **श्री के० मालन्ना** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पत्तन पर निर्यात तथा आयात में 500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के घोटाले की जांच के लिए हाल ही में एक जांच आयोग की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसका गठन और निदेश पद क्या हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Swiss help in Detecting Explosives in Letters and Parcels

3325. Shri Anandi Charandas : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether India has made a request to U.P.U. Switzerland to suggest effective measures for detecting explosive materials in parcels and letters; and

(b) if so, the outcome thereof ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes, Sir.

(b) On their advice, other member countries have been addressed in this regard. In the meanwhile, all Post Offices in the country have been alerted and suitably advised to subject the mails to close scrutiny. Metal Detecters have been brought into use at important places.

त्रिपुरा के जापुई क्षेत्र को मिजोरम में विलय करने की मांग

3326. **श्री श्री दशरथ देब** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के सम्पूर्ण जापुई क्षेत्र को मिजोरम में विलय करने के सम्बन्ध में सरकार को कहीं से कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) ऐसी कोई विशिष्ट मांग हाल में सरकार को प्राप्त नहीं हुई है । किन्तु त्रिपुरा राज्य प्राधिकारियों से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

Provision of Telephones in Delhi to Government Department

3327. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether a number of applications for Telephone connections have been made by Government department in Delhi since March last; and

(b) if so, the total number of Telephone connections provided to them so far and the reasons for not providing telephone connections in all the cases ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes Sir; 1243 applications have been received from Government Departments in Delhi since March last.

(b) 565. Other demands could not be met due to non-availability of either exchange capacity or cable pairs or both.

मैसर्स भारत स्टील ट्यूब्स लि० को लाइसेंस देना

3328. **श्री श्यामनन्दन मिश्र** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में मैसर्स भारत स्टील ट्यूब्स लि० को उपकरण आयात करने के लिए 3 करोड़ रु० के मूल्य की अबाध विदेशी मुद्रा का लाइसेंस दिया है; और

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में हिंसात्मक आन्दोलनों के कारण हुई हानि

3330. **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान विभिन्न राज्यों में हिंसात्मक आन्दोलनों के कारण सरकार को कितनी हानि उठानी पड़ी है; और

(ख) इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) मई 1972 से अक्तूबर, 1972 तक का घाटा (जो अभी तक आंका गया है) लगभग 22,068 रुपये हैं।

(ख) स्थानीय सिविल और पुलिस अधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करके सरकारी माल और जान की सुरक्षा के लिए सामयिक और जरूरी कदम उठाए जाते हैं।

विविध भारती एकक का नई दिल्ली से बम्बई ले जाया जाना

3331. **श्री झारखंडे राय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विविध भारती एकक को नई दिल्ली से बम्बई ले जाये जाने संबंधी प्रस्ताव पर आकाशवाणी के कर्मचारियों में रोष है और उन्होंने एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है जिसमें इस संबंध में उन्होंने अपना सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) और (ख) विविध भारती एकक में बम्बई में ले जाये जाने पर आकाशवाणी की स्टाफ आर्टिस्ट्स यूनियन गत कुछ समय से दिल्ली से स्थानान्तरित स्टाफ आर्टिस्टों की वापसी के लिए आन्दोलन कर रही है। इस संबंध में सरकार दिल्ली तथा आसपास के केन्द्रों में भविष्य में होने वाली स्टाफ आर्टिस्टों की सभी रिक्तियां न भरने का पहले ही निर्णय कर चुकी है ताकि संबंधित स्टाफ आर्टिस्टों का पुनःस्थानान्तरण हो सके।

कच्चेमाल की सप्लाई में बेरोजगार इंजीनियरों को प्राथमिकता देना

3332. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को ऐसे निदेश दिए हैं कि वे औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार इंजीनियरों द्वारा आरम्भ किए गए एककों के लिए कच्चे माल के कोटे की प्रतिशतता का आरक्षण करें;

(ख) विभिन्न राज्यों में सरकारी व्यय पर कितने इन्जीनियर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) उन्हें अपने उद्योग स्थापित करने के लिए और क्या सुविधाएं दी जाएंगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। हाँ, पिछड़े क्षेत्रों में गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों की स्थापना के लिए स्नातक इंजीनियरों/भूतपूर्व सैनिकों की प्रायोजन प्राधिकारी द्वारा जांची गई आवश्यकता के अनुसार 1 लाख रु० के मूल्य के कच्चे माल हिस्से पुर्जों और फालतू पुर्जों के आयात करने का आयात व्यापार नियंत्रण नीति 1972-73 में प्रावधान है।

(ख) शिक्षा मंत्रालय की प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना के अंतर्गत प्रयोगात्मक प्रशिक्षण पाने वाले प्रशिक्षार्थियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

क्षेत्र	प्रशिक्षार्थियों की संख्या
उत्तरी	56
पूर्वी	कोई नहीं
पश्चिमी	25
दक्षिणी	27

"शिक्षित बेरोजगारों के लिए सहायता" की योजना के अंतर्गत प्रयोगात्मक प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षार्थियों की संख्या के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

(ग) शिक्षित बेरोजगारों के लिए सहायता की योजना में, औद्योगिक बस्तियों, मशीनरी खरीदने के लिए प्रारंभिक धन स्थापना खर्चे और प्रशिक्षण के रूप में अनेक सहायता देने की व्यवस्था है।

मशीनों के घिस जाने और पुरानी पड़ जाने के कारण उद्योगों में कम उत्पादन होना

3333. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश के अनेक उद्योगों में घिसी पिटी और पुरानी मशीनों और उपकरणों के कारण पूरा उत्पादन नहीं होता है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) कतिपय बड़े क्षेत्र के उद्योगों जैसे सीसा, खाद्य उद्योग तथा लघु क्षेत्र के उद्योग जसे मशीन टूल्स, गाड़ियों के पुर्जे,

फाउन्ड्री, रिरोलिंग, बिजली के घरेलू उपकरण, हौजरी आदि के सम्बन्ध में बताया गया है कि गतावधि तथा गतप्रयोग संयंत्र तथा मशीनरी अधिकतम उत्पादन होने में आड़े आते हैं। स्वदेशी तथा आयातित दोनों ही स्रोतों से संयंत्र तथा मशीनरी लेकर उन्हें बदलने/नवीकरण करने के आवेदन पत्रों पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है। उद्योगवार अध्ययन भी प्रारम्भ किए गये हैं।

राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा एककों की स्थापना

3334. **श्री पी० वेंकटसुब्बया** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए एकक स्थापित करने में राज्य औद्योगिक विकास निगम का कार्य बहुत ही असन्तोषजनक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) विभिन्न राज्य औद्योगिक विकास निगमों के नाम जारी किये गये आशय-पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों को कार्यान्विति के संबंध में हाल ही में की गई समीक्षा से विदित हुआ कि ये कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है। राज्य औद्योगिक विकास निगमों को अधिकांश आशय-पत्र वर्ष 1970 में तथा उसके पश्चात् जारी किये गये थे। व्यवहार में यह देखा गया है कि आशय-पत्र जारी किये जाने के पश्चात् किसी भी औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने तथा उसमें उत्पादन प्रारम्भ होने में लगभग 3 से 4 वर्ष का समय लग जाता है। सरकार इस बात के लिये विशेष रूप से उत्सुक रही है कि राज्य औद्योगिक विकास निगमों के नाम जारी किये गये आशयपत्रों/लाइसेन्सों की शीघ्र कार्यान्विति के साथ-साथ कुछ सामान्य तथा विशिष्ट रुकावटों का पता भी लगाया जाए तथा सभी सम्बन्धित पार्टियों द्वारा उन्हें दूर करने हेतु यथासंभव अध्युपाय किए जायें। गत सितम्बर में हुए राज्य उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर हाल ही में जो विचार विमर्श और समीक्षा हुई उसका उद्देश्य भी यही था।

औद्योगिक विकास मंत्रालय के कार्यकरण की समीक्षा

3335. **श्री पी० वेंकटसुब्बया** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास मंत्रालय के कार्यकरण की कोई समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किए गए हैं; और

(ग) मंत्रालय के कार्यकरण में सुधार करने तथा मितव्यता लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) इन दिनों मंत्रालय के कार्यकरण तथा वर्तमान कर्मचारियों की संख्या के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय के स्टाफ निरीक्षण एकक द्वारा समीक्षा की जा रही है, उनकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ग) जब कभी रिपोर्ट प्राप्त होगी स्टाफ निरीक्षण एकक की सिफारिशों पर यथोचित विचार किया जायेगा।

सिम्पसन उद्योग समूह का अधिग्रहण

3336. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों के केन्द्र से सिम्पसन उद्योग समूह के अधिग्रहण का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) ऐसा कोई भी प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पांचवीं योजना के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास

3337. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**

श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु कुल कितना परिव्यय रखा गया है; और

(ख) पांचवीं योजना की अवधि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की कौन-कौन-सी मुख्य योजनाएं शुरू की जायेंगी ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रमण्यम) : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी ज्ञान के निविष्टि की वृद्धि करना, तथा पांचवें पंचवर्षीय योजना के समाज-अर्थ योजना में दक्षता प्राप्त करना है; विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति द्वारा अप्रैल 1973 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। अतः इतने पहले अभ्यास में सम्मिलित सम्पूर्ण परिव्यय की कोई ठीक संख्या नहीं दी जा सकती।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना राष्ट्रीय अर्थ के सभी मुख्य क्षेत्रों को समिहित करेंगी जैसे कि परिवार कल्याण और स्वास्थ्य, ईंधन और शक्ति, यातायात, आवास और नागरीकरण, कृषि, रक्षा, अन्तरिक्ष और उपभोग उद्योग। प्रत्येक क्षेत्र में समिहित परियोजनाएं, वर्तमान ज्ञान और सामर्थ्य तथा हमारी सामाजिक अर्थ आवश्यकताओं के संदर्भ में विकास की शक्ति के विस्तृत मूल्याकन पर आधारित होंगी। परियोजनाओं के सम्पूर्ण न होने तक इनका वर्णन करना संभव नहीं है।

संयुक्त क्षेत्र में सीमेंट उद्योग

3338. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेन्ट उद्योग में संयुक्त क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव के अन्तर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र, जो कमी वाले क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में एकक स्थापित नहीं कर सकता है को सरकारी सहयोग के साथ दूसरे क्षेत्रों में भी एकक स्थापित करने की अनुमति होगी; और

(ग) यदि हां, तो सीमेंट उद्योग में संयुक्त क्षेत्र के लिए सरकार को किन कारणों ने प्रेरणा दी है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) सरकार की संयुक्त क्षेत्र की नीति सन् 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प से ली गई है। राष्ट्र के हित में जब कभी सीमेंट उद्योग में निजी उद्यमियों के साथ सरकार की सहभागिता आवश्यक होगी की जायेगी उसमें सरकार की नीति और संचालन प्रक्रिया ही प्रभावी होगी।

नई क्षमताओं के कारखाने कहाँ स्थापित होंगे उस संदर्भ में प्रत्येक प्रस्ताव पर गुणावगुणों के आधार पर विचार करना होगा।

मानक अपनाने के सम्बन्ध में विचार गोष्ठी

3339. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में नवम्बर, 1972 में मानक अपनाने सम्बन्धी कोई विचार गोष्ठी हुई थी;

(ख) किन-किन देशों ने उस विचार गोष्ठी में भाग लिया था; और

(ग) विचार गोष्ठी में किन-किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या-क्या निर्णय लिए गए?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) भारतीय मानक संस्था द्वारा नई दिल्ली में 13 नवम्बर से 16 दिसम्बर, 1972 तक विकासशील देशों में मानकीकरण के सम्बन्ध में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।

(ख) संगोष्ठी में मिस्र के अरब गणराज्य, इथोपिया, घाना, भारत, ईरान, इराक, मलेशिया, नाइजीरिया, सिंगापुर, श्रीलंका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत रूस, नीदरलैंड, अमरीका तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों जैसे : मानकीकरण का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (आई० एस० ओ०), एशिया तथा सुदूरपूर्व का आर्थिक आयोग (इकाफे) के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।

(ग) निम्नलिखित छः प्रमुख श्रेणियों के अधीन मानकीकरण के अनेक पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ :—

(1) विकासशील देशों के लिये मानकीकरण के लक्ष्य तथा उद्देश्य;

(2) रीति विज्ञान तथा आयोजना;

(3) मानकों के ऐच्छिक बनाम अनिवार्य उपयोग;

(4) कोटि प्रमाणन के जरिये उपभोक्ताओं का संरक्षण;

(5) क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण में सहभागिता; तथा

(6) बहु-राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग।

संगोष्ठी में विकासशील देशों में मानकीकरण का महत्व, कोटि नियंत्रण तथा मानकीकरण पर समन्वित दृष्टिकोण अपनाने, क्षेत्रीय मानकीकरण के महत्व को समझने तथा कार्यान्वयन और कोटि प्रमाणन की समस्याओं का सफल निर्वाह जैसे विषयों पर प्रकाश डालते हुए अनेक सिफारिशें की गईं। संगोष्ठी में विकासशील देशों की सहायता करने के लिये मानकीकर की विभिन्न समस्याओं को हल करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में मानकीकरण के लिये एक केन्द्र बनाए जाने की आवश्यकता पर भी सहमति प्रकट की गई।

आन्ध्र प्रदेश में कल्पित औद्योगिक एकक

3340. **श्री पी० गंगादेव :**

श्री श्री किशन :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में 76 कल्पित औद्योगिक एकक पाए गए हैं;

(ख) क्या दूसरे राज्यों में भी ऐसे बहुत से कल्पित औद्योगिक एकक विद्यमान हैं; और

(ग) यदि हां, तो देश में बड़ी संख्या में विद्यमान कल्पित एककों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार ऐसे कल्पित एककों को रोकने के लिए जो देश के औद्योगिक विकास में बाधक है, एक सतर्कता निकाय बनाने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री : (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) जी, हां । जांच करने से ऐसे बहुत से औद्योगिक एककों का पता चला है ।

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि कुछ राज्यों में फर्जी एकक हो सकते हैं, उनका विस्तृत ब्यौरा तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) ऐसा कोई निकाय गठित नहीं किया गया है । फिर भी राज्य के उद्योग निदेशकों की और अधिक सतर्क रहने की सलाह दी गई है ।

रक्षा मंत्री द्वारा अपने सरकारी निवास स्थान से की गयी स्थानीय तथा ट्रंककाल

3341. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्री ने अपने सरकारी निवास स्थान से 1 अप्रैल, 1971 से 30 अक्तूबर, 1972 तक माहवार कितनी-कितनी स्थानीय तथा ट्रंक काल की है;

(ख) सरकार ने इन कालों के बिलों के भुगतान में कितनी राशि अदा की है; और

(ग) क्या मंत्री महोदय द्वारा टेलीफोन के प्रयोग के लिए व्यय की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) रक्षा मंत्री जी के सरकारी रिहायशी स्थान पर काम कर रहे टेलीफोनों से की गई स्थानीय और ट्रंक कालों की संख्या और उन पर रक्षा मंत्रालय द्वारा अदा की गई राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण पत्र में दिया हुआ है । (विवरण पत्र--I)

टेलीफोनों की मीटर रीडिंग कैलेंडरी महीनों के हिसाब से नहीं ली जाती, इसलिए प्रत्येक महीने में कितनी स्थानीय कालें की गई हैं, उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । मीटर रीडिंग हर पखवाड़े ली जाती है । मार्च 1971 से नवम्बर 1972 तक (पहला सप्ताह) प्रत्येक पखवाड़े में रजिस्टर किए गए पाक्षिक मीटर रीडिंग के आंकड़े और स्थानीय कालों की संख्या विवरण पत्र-II में दी गई है । [ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल० टी० 3928/72]

(ग) मंत्रियों द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले टेलीफोनों पर खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं है । इसलिए इस संबंध में कोई सीमा निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

समेकित क्षेत्र विकास योजना

3342. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास समेकित क्षेत्र विकास के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस योजना को कहां तक सफलता मिली है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) योजना आयोग इस बात पर बल देता आ रहा है कि समेकित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण को आयोजन के आधार के रूप में अपनाया जाये । बहरहाल, इस दृष्टिकोण को कुछेक क्षेत्रों में तदर्थ आधार पर अपनाने का प्रयत्न किया गया है । स्पष्टतः अब तक दो प्रकार की समेकित क्षेत्र विकास स्कीमें अपनाई गई हैं । पहले प्रकार की स्कीम चुनी हुई मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित है, जिसमें सम्बन्ध सड़कों का विकास, भंडारण, हाट-व्यवस्था तथा भूमि व जन-निकासी का सहायक विकास, कृषि विस्तार सेवाएं आदि आती हैं । दूसरे प्रकार की स्कीम, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं जहां फ़सल उगाने के साथ-साथ वांगवानी, पशुपालन और अन्य सम्बन्द्ध कार्य-कलाप अपनाए जाएंगे ।

ग्रामीण क्षेत्रों में समेकित विकास के महत्व को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने योजना आयोग के एक सदस्य के नेतृत्व में एक अभियान-दल (टास्क फोर्स) गठित किया है । यह अभियान दल उस कार्य नीति का अध्ययन कर रहा है जो भूमि व जल साधन की स्थिति के अनुसार निर्दिष्ट क्षेत्रों के विकास के अनुरूप हो । विभिन्न दशाओं में समेकित विकास करने के काम से जो अनुभव प्राप्त हुआ, यह आंभयान दल (टास्क फोर्स) उसकी भी समीक्षा करेगा ।

सरकार समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

3343. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान प्रशासन के पुनर्गठन संबंधी सरकार समिति की सिफारिशें सरकार द्वारा लागू कर दी गई हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्री श्री (सी० सुब्रमण्यम्) : (क) और (ख) संलग्न विवरण में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3929/72]

बड़े उद्योगों की क्षमता का विस्तार करने के लिए आवेदन पत्र

3344. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन बड़े उद्योगों जिनका बड़े गृहों से कोई संबंध नहीं है कि क्षमता का विस्तार करने का विचार करने हेतु टास्क फोर्स का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो टास्क फोर्स द्वारा ऐसे कितने आवेदन पत्रों पर विचार किया गया है; और उन पर इसने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) प्रश्न में उल्लिखित बड़े औद्योगिक गृहों से संबंध न रखने वाले बड़े उद्योगों से क्या तात्पर्य है यह स्पष्ट नहीं है । बड़े औद्योगिक गृहों और अधिक अंश वाली विदेशी कम्पनियों द्वारा चुने हुये 65 उद्योगों में लगाये गये संयंत्र और मशीनों का और अधिक उपयोग करने के आवेदन-पत्रों पर विचार करने के लिए एक 'टास्क फोर्स' की स्थापना की गयी है ।

(ख) अब तक प्राप्त 224 आवेदन पत्रों में से टास्क फार्स ने 181 आवेदन पत्रों पर विचार किया है तथा प्रत्येक मामले में अलग-अलग निर्दिष्ट शर्तों के साथ 68 मामलों में बढ़ी हुई क्षमता को स्वीकार कर लेने की सिफारिश की है ।

(ग) टास्क फोर्स की सिफारिशों पर विचार करने के बाद सरकार ने 56 मामलों में बढ़ाई गई क्षमता स्वीकार कर लेने के सम्बन्ध में सहमति दे दी है ।

Demand for Telephone connections in Mandsaur District of Madhya Pradesh

3345. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether Government have been unable to meet the increasing demand for Telephone connections in Mandsaur and Ratlam districts in Madhya Pradesh;

(b) the steps taken to meet their demand;

(c) the places where the expansion of the existing capacity of telephone exchanges and the setting up of new telephone exchanges have been demanded; and

(d) the places in the two Districts where the capacity of telephone exchanges has been expanded as also the names of those places where new telephone exchanges have been set up during the current year?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) In Mandsaur and Ratlam districts of Madhya Pradesh, demand for telephones is being met at all places except at Mandsaur, Ratlam, Neemuch and Piploda.

(b) Expansions of the existing exchanges systems at Ratlam, Mandsaur and Neemuch have been planned. Ratlam Exchange will be expanded to 840 lines in 1973; Mandsaur exchange will be replaced by an automatic exchange of 400 lines in 1973-74 and further expanded to 500 lines in 1974-75; Neemuch exchange will be expanded to 360 lines in 1973-74 and to 480 lines in 1974-75. Proposals to open a new telephone exchange at Piploda has since been sanctioned.

(c) For expansion in the existing capacity of telephone excahanges demand exists at Mandsaur, Ratlam and Neemuch. For new telephone exchanges demand exists at Piploda and Namli. Namli proposal is under examination.

(d) During the calender-year 1972, an automatic exchaage has been set up at Naraingarh in Mandsaur District.

A.I.R. Station at Jagdalpur

3346. Dr. Laxminarain Pandeya : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to reply given to Unstarred Question No. 2446 on the 1st December, 1971 regarding the setting up of new Radio Stations and state the progress made, so far by A.I.R .in setting up the Radio Station at Jagdalpur (Madhya Pradesh)?

The Deputy Minister in the Ministry of Information & Broadcasting (Shri Dharam Bir Sinha) : Sites for studios, transmitter and staff quarters have been taken over. Civil works for the transmitter building have commenced. Tenders for construction of studio buildings have been called. Equipment has been ordered.

दिल्ली में पुलिस अधिकारियों को मुअत्तल करना

3347. **श्री आर० वी० बड़े :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 में दिल्ली में मुअत्तल किये गये पुलिस अधिकारियों की संख्या क्या है ; और

(ख) जिन्हें मुअत्तल किया गया या जिनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया गया उनके वरुद्ध क्या आरोप थे ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 1971 वर्ष में दिल्ली में 139 और 1972 में (31-10-1972 तक) 137 पुलिस अधिकारी मुअत्तल किये गये थे ।

(ख) दो विवरण संलग्न हैं । [ग्रंथालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 3930/72]

Issue of Licences to Industrialists

3348. Shri R.V. Bade: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) the number of the vaious types of licences issued to the industrialists during the last three years;

(b) the number of applications for licences rejected during the period; and

(c) the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad): (a) During the years 1969, 1970 and 1971, 1209 industrial licences of various types have been issued under the Industries (Development & Regulation) Act; 1951

(b) & (c) During the same period, 2228 applications for industrial licences, under the Act, have been rejected for various reasons, as were appropriate in each case, as for example, reaservation for the small scale sector; scarcity of raw mterials; no scope for creation of additional capacity; disproportionately heavy expenditure on import of capital goods; public sector angle; exemption under or non-applicability of the Industries (D & R) Act, 1951 etc.

जेल सुधार सम्बन्धी योजनाओं में केंन्द्र क अधिक सहयोग के बारे में राज्यों द्वारा सुझाव

3349. **श्री वी० मायावन :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

श्री गिरिधर गोमांगो :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार जेल-सुधार सम्बन्धी बहु-विलम्बित योजनाओं में केन्द्र के अधिक सहयोग के बारे में राज्यों द्वारा दिय गये सुझाव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) **और** (ख) : "जेल" राज्य का विषय है और उनकी समस्याओं से राज्य मूल रूप से सम्बन्धित हैं । किन्तु अक्तूबर, 1971 में बुलाई गई राज्यों के बन्दी गृहों के महा निरीक्षकों की बैठकों में यह सुझाव दिया गया था कि बन्दी गृह सुधार की योजनाओं में भारत सरकार को अधिक-से-अधिक सम्बद्ध करना चाहिए । इसको तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जेल प्रशासन तथा जेल सुधारों को उन्नत करने की काफी गुंजाइश है, केन्द्रीय सरकार ने अपनी ओर से बन्दी गृहों तथा बन्दी गृह प्रशासन की सुव्यवस्था के लिए उपायों पर विचार करने हेतु 18-10-1972 को एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की है । कार्यकारी दल के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :—

(1) जेलों की भौतिक तथा प्रशासनिक दशाओं की जांच करने तथा उनको सुधारने के उपायों के सुझाव देना ;

(2) जेलों में भिन्न-भिन्न सेवाओं के बारे में मान-दण्ड निर्धारित करना ;

(3) वर्तमान बन्दी गृह आवास के बारे में स्थिति की जांच करना तथा नये बन्दी गृह भवनों के निर्माण के लिए मार्ग निर्देशन निर्धारित करना ;

(4) बन्दी गृह विकास की वृद्धि में रुकावट डालने वाले तत्वों का विश्लेषण करना तथा बन्दी गृह कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सूत्रबद्ध करना ;

(5) बन्दी गृह विकास योजना निर्धारित करना तथा प्राथमिकता क्रम तय करना ;

(6) जेलों की प्रशासन की व्यवस्था में अपराधियों के पुर्नवास तथा अपराधियों के साथ व्यवहार में सुधार के सिद्धांतों को समाविष्ट करने हेतु उपायों का सुझाव देना :

(7) बन्दी गृहों तथा बन्दियों से सम्बन्धित अन्य सभी मामलों पर विचार करना

कार्यकारी दल की रिपोर्ट सरकार को मिलने में कुछ महीने लगेंगे ।

लाइसेंसों/आशय पत्रों का उपयोग

3350. **श्री भोगेन्द्र झा०** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पार्टियों को जारी किए गए बहुत से औद्योगिक लाइसेंस या तो रद्द कर दिए गए हैं या उनके द्वारा वापस कर दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है कि जारी किए गए आशय पत्रों और लाइसेंसों का समुचित उपयोग हो ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) 1970 से 1972 (30-9-72 तक) 121 औद्योगिक लाइसेंस प्रतिसंहृत किए गए हैं अथवा वापस कर दिए गये हैं ।

(ख) लाइसेन्स ऐसे मामलों में प्रतिसंहृत किए जाते हैं जहां लाइसेंस धारी निर्धारित समय के भीतर उन्हें कार्यान्वित करने की दशा में प्रभावी कदम नहीं उठा पाते हैं । ऐसे मामलों में जहां लाइसेन्स-धारी अपने आपको लाइसेंन्स का कार्यान्वयन करने में असमर्थ पाते हैं आमतौर पर लाइसेंन्स वापस कर देते हैं ।

(ग) सरकार जारी किए गए औद्योगिक लाइसेन्सों और आशय-पत्रों के शीघ्र कार्यन्वयन के लिये काफी उत्सुक है । व्यवहार रूप में ऐसा देखा गया है कि एक औद्योगिक एकक स्थापित करने और उसमें उत्पादन प्रारम्भ होने में आशय पत्र जारी करने के बाद करीब 3 से 4 साल तक लग जाते हैं । तथा वास्तविक रूप में लाइसेन्सधारियों द्वारा की गई प्रगति की संवीक्षा उनके आशय पत्रों की वैधता अवधि बढ़ाने के अथवा लाइसेन्स कार्यान्वियन करने सम्बन्धी अवधि बढ़ाने के लिये प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार करते समय ही हो पाती है । इस प्रकार की अनुमति देने के लिए उत्तरोत्तर उपयुक्त तरीके अपनाये जा रहे हैं । ऐसे मामलों में जहां यह पता चलता है कि कार्यान्वियन के लिये कम से कम रुचि ली गई है चेतावनियां जारी कर दी गई हैं या उन्हें अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में अन्तिम अवधि दे दी गई है तथा उपयुक्त मामलों में लाइसेन्स प्रतिसंहृत या रद्द कर दिए गये हैं । औद्योगिक

लाइसेन्स अथवा आशय-पत्र धारियों के कुछ वर्गों द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की गई है। इस प्रकार की गई कुछ चयनात्मक संवीक्षाओं द्वारा त्वरित कार्यान्वयन के रास्ते में आने वाली कुछ कठिनाइयों का पता चला है तथा इस स्थिति से निपटने के लिये हर संभव उपाय किये जा रहे हैं। सरकार कार्यान्वयन की केन्द्रीकृत निरन्तर संवीक्षा करने के लिए और अन्य बातों के साथ (कम्प्यूटराइड इन्फारमेशन सिस्टम) संगणित सूचना पद्धति द्वारा औद्योगिक लाइसेन्सों के कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रगति का पता लगाने के लिये एक प्रणाली अपनाने पर विचार कर रही है।

मुजफ्फरपुर जिले में सुरसंद डाकघर में टेलीफोन और तार सेवाएं

3351. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सुरसंद डाकघर की टेलीफोन और तार सेवाओं के विरुद्ध बार-बार शिकायतें की जाती रही हैं और इस संबंध में एक पत्र उनको 6 अप्रैल, 1972 को भेजा गया था, और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) सुरसंद डाकघर में टेलीफोन और तार सेवाओं के बारे में, कैलेण्डर वर्ष 1971 और 1972 में महानिदेशालय में केवल तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन में तारीख 6-4-1972 का पत्र भी शामिल है।

(ख) सेवाओं में सुधार लाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं:—

(1) सीता-मढ़ी-मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी-दरभंगा ट्रंक लाइनों के तांबे के तारों की जगह तांबा भले और ए०सी०एस०आर० तार क्रमशः अगस्त, 1971 और नवम्बर 1972 में लगा दिए गए हैं।

(2) सीतामढ़ी तार सर्किट को निरन्तर पावर सप्लाई मिलती रहे, इसके लिए सीतामढ़ी डाक-तार घर में कारसक प्राइमरी सेलों की व्यवस्था कर दी गई है।

प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों के लिए कच्चे माल का आयात

3352. **श्री जगन्नाथ मिश्र**: क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राथमिकता वाले उद्योगों के लिए आपेक्षित कच्चे माल और पुर्जों के मामले में आयात की नीति को कुछ कुछ उदार बना दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्राथमिकता वाले उद्योग कितने हैं और उनके क्या नाम हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख) विद्यमान नीति वही है जैसी कि 'इंपोर्ट कंट्रोल पालिसी फार दी इयर—1972-73' नामक दस्तावेज में निर्धारित की गई है, जिसकी प्रतियाँ विदेश व्यापार मंत्री द्वारा सभा-पटल पर पहले ही रखी जा चुकी है। प्राथमिकता वाले उद्योग उसके वाल्यूम 2 के अपेंडिक्स I में दिये गये हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की अदायगी

3353. **श्री निम्बालकर : क्या गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेंशन के लिये हकदार ऐसे कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्हें पेंशन मिलनी आरम्भ हो गई है; और

(ख) पेंशन लेना आरम्भ करने से पूर्व उनमें कितने व्यक्ति मर चुके हैं?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने के बाद सभा-पटल पर रख दी जायगी।

दिल्ली टेलीफोन सेवाएं

3354. **श्री निम्बालकर :**

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंज व्यवस्था में कोई मूल तकनीकी खराबी है, और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली टेलीफोन एक्सचेंज के कर्मचारियों द्वारा की जा रही सेवाओं में सुधार लाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) स्ट्राउजर उपस्कर वाले टेलीफोन एक्सचेंजों में जिन्हें स्टेप-बाई-स्टेप उपस्कर कहा जाता है, कोई बुनियादी तकनीकी दोष नहीं है। दिल्ली के स्थानीय एक्सचेंजों में से चार एक्सचेंज क्रासबार-उपस्कर टाइप के हैं जो सामूहिक नियंत्रण प्रणाली के सिद्धान्त पर आधारित हैं। ये एक्सचेंज उतनी अच्छी सेवा नहीं दे पाते, जितनी अच्छी सेवा स्ट्राउजर एक्सचेंजों से मिलती है। क्रासबार एक्सचेंजों से अच्छी सेवा न मिल पाने के जिन कारणों का पता लगा है, व हैं कंटेक्ट सुरक्षा की अपर्याप्त व्यवस्था, पुर्जों में खराबी आ जाना, यंत्रों का समायोजन टिकाऊ न होना और उनमें जंग वगैरह लग जाना।

(ख) दो क्रासबार एक्सचेंजों के उपस्करों के विदेशी सप्लायरों ने इन उपस्करों की खराबियों की छान-बीन की है और सुधार लाने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए हैं। उपस्कर में संशोधन के लिए उन्होंने अपेक्षित कागजात तैयार कर लिए हैं और वे उपस्करों में परिवर्तन लाने के लिए साज-सामान भेज रहे हैं। तदनुसार इन एक्सचेंजों में परिवर्तन कर दिया जाए। आशा है कि अपेक्षित संशोधन करने के बाद ये एक्सचेंज काफी अच्छी सेवा देने लगेंगे। अन्य दो क्रासबार एक्सचेंजों के उपस्कर मेसर्स इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बंगलौर ने सप्लाई किए थे। इस कम्पनी ने भी अपने उपस्करों की खराबियां दूर करने के लिए ऐसी ही कार्यवाही करने की योजना बनाई है।

भारतीय कारों की किस्म पर नियंत्रण

3355. **श्री डी० पी० जदेजा**

श्री के० कोंडंडा रामी रेड्डी:

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बनी कारों की किस्म को भारतीय मानक संस्था के माध्यम से नियंत्रित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मोटी मोटी बातें क्या हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) तथा (ख) सरकार द्वारा जुलाई, 1967 में कारों की किस्म में घटियापन आने के कारणों की जांच करने और उपचारी अभ्युपाय

सुझाने के लिए स्थापित की गई मोटरकार किस्म जांच समिति की सिफारिशों में से एक सिफारिश के अनुसरण में कार निर्माताओं और मोटरगाड़ी और सहायक सामान उद्योग संघ को एक निर्देश जारी किया था कि वे भारतीय मानक संस्था प्रमाणीकरण चिन्ह वाली कंपनियों से अपने उपकरण खरीदें। इन उपायों के बावजूद भी कारों की किस्म में कोई खास सुधार नहीं हुआ यद्यपि शिकायतों की संख्या में साधारण सी कमी हुई। नवम्बर, 1971 में सरकार ने तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की और समिति से सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के कार्यान्वयन का कार निर्माताओं के संयंत्रों में पता लगाने के लिये और सांस्कृतिक संस्थापनाओं और कार्यान्वयन के कार्यक्रम के विशेष संदर्भ में भारतीय मानक संस्था के प्रमाणीकरण चिन्ह के कार्यान्वयन के प्रश्न पर निर्माताओं से बातचीत करने के लिए भेजा गया। कारों के तीनों संयंत्रों में जाने के पश्चात् समिति ने इस वर्ष के प्रारंभ में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। सरकार ने प्रतिवेदनों की जाँच की और कार निर्माताओं से विचार विमर्श किया, उस समय जटिल प्रकार की कुछ सहायक वस्तुओं, जिनके कारण कारों के तीनों निर्माताओं को किस्म की दृष्टि से कुछ कठिनाई हो रही थी, का पता लगाया गया। सरकार ने मुख्य सहायक सामान संभरणकर्ताओं के उत्पादों की किस्म में सुधार करने की दृष्टि से उस पर जोर देने के लिए उनसे विचार-विमर्श करने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। जिससे कार निर्माताओं की ओर से शिकायतों की गुंजाइश न रहे। और जिन उत्पादों पर भारतीय मानक संस्था प्रमाणीकरण चिन्ह नहीं है उन्हें विशिष्ट तिथि तक अपने उत्पादों के लिए भा० मा० संस्था प्रमाणीकरण चिन्ह प्राप्त करने के लिए भी कहा जा सके। सरकार का भारतीय मानक संस्था के संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करने का विचार भी है जिससे वह सभी महत्व-पूर्ण और जटिल प्रकार के मोटर गाड़ियों के सहायक सामानों के विषय में मानक निर्धारित करने के काम को यथाशीघ्र पूरा कर सके।

भारत को लघु रूप की डाक टिकटें

3356. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के लघु रूप की विशेष डाक टिकटें जारी करने में विलम्ब हुआ है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इन के कब तक जारी किये जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) विलम्ब का कारण यह है कि मूल पेंटिंग के रंगों से मिलता-जुलता रंग बनाने की लगातर कोशिशें की जाती हैं।

(ग) वर्ष 1973 के प्रारम्भ में।

Tyre factory in public sector

3357. Shri M. S. Purty : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration any proposal to set up tyre factory in public sector;

(b) if so, the name of the State where the said factory would be set up and by what time; and

(c) the amount of investment required for the purpose?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) A feasibility study is being done to explore the possibility of setting up a unit in the public sector with a capacity of 1 million Nos. (b) & (c) Do not arise at this stage.

Khadi garments

3358. Shri M. S. Purty: Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state:

(a) whether Government announced at the beginning of the Mahatma Gandhi Centenary year, a scheme to prepare readymade Khadi garments of modern taste in collaboration with an Indian firm dealing in ready-made garments and a British cosmetic firm; and

(b) if so, the progress made in this direction so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Expenditure Incurred by Ministers on Telephone, etc.

3359. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Communications** be pleased to state, the details of the Telephone, Telegraph and Postal expenditure incurred by various Ministries of Government during the financial year 1970-71 and 1971-72?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : Accounts of telephones are maintained telephone-wise and not for any department or group of subscribers.

As regards telegrams, no separate account is kept office-wise in respect of telegrams which are handed over at the counter along with the cash. In respect of credit accounts also, totals of the expenditure incurred Ministry-wise are not maintained in the P&T Department.

In regard to Postal Services, Service Stamps are issued to Government offices directly by the local treasuries and only the total credit is afforded against the head "Sale of Service Stamps".

In view of the foregoing facts, the P&T Department is not in a position to furnish the required information.

Expenditure on telephones used by Union Ministers

3360. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the expenditure incurred by Government on the use of telephones by the Union Ministers during 1971-72 exceeds the expenditure incurred during 1970-71; and

(b) the reasons for the increase as also the expenditure incurred on the use of telephones by Union Ministers from the 1st April, 1971 till date, separately?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) & (b) The information is being collected and will be placed on the table of the House.

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार को हुई हानि

3361. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० रानीपुर (हरिद्वार) घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन बढ़ाने और घाट को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रारम्भ के वर्षों में जबकि क्षमता धीरे-धीरे तैयार की जा रही थी संयंत्र में हुए घाटे के मुख्य कारण संयंत्र की स्थापना में लगनेवाली अवधि जो मुख्यतः भारी वैद्युत उपकरणों का एक प्रमुख लक्षण है, उत्पादनों का अत्यधिक सूक्ष्म प्रकार का होना, जिसमें दक्षता प्राप्त करने में अधिक समय लगता है और उद्योग का पूंजी-प्रधान होना आदि है। इसके अलावा यह संयंत्र जोकि आर्डरों के लिए मुख्यरूप से विभिन्न विद्युत बोर्डों पर निर्भर करता है और जिसके पास जुलाई, 1970 तक पर्याप्त संख्या में आर्डर नहीं थे।

(ग) संयंत्र की आर्डर बुक करने की स्थिति में सुधार करने के अलावा उत्पादन बढ़ाने के प्रयन्त स्वरुप संयंत्र स्तर पर प्रबन्ध को पुनर्गठित करने के साथ-साथ अतिरिक्त श्रमिकों को प्रशिक्षित करके बहु-पालियों में कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यवाही शुरू कर दी गई है इन उपायों के क्रियान्वित हो जाने से आशा है कि बी० एच० ई० एल० के हरिद्वार एकक में वर्ष 1974-75 में हानि होना बन्द हो जायेगा।

Publication of Delhi Telephone Directory

3362. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether the Posts and Telegraphs Department has incurred a loss of Rs. 28 lakh as a result of delay in publishing Delhi Telephone Directory:

(b) if so, the persons responsible therefor and the action taken against them; and

(c) the profit earned by the Department by publishing Directories in time?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) No Sir.

There has however, been certain delay, in publication of Directory due to acute national shortage of paper. Last issue of Directory was released in Aug., 71 and the present issue due for release in Aug. 1972 is now under print.

(b) Does not arise.

(c) The telephone directories are not published for earning profit but are supplied to the subscribers free of charge as a basic facility.

संसद्-सदस्यों की गिरफ्तारी और जेल से रिहाई के समाचारों का आकाशवाणी से प्रसारण

3363. श्री भान सिंह भौरा: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे, कि लोक सभा के उन सदस्यों के नाम क्या हैं जिनकी गिरफ्तारी और जेल से रिहाई के समाचार अक्तूबर, 1972 मास में आकाशवाणी के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित किये गये थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:

1. श्री इन्द्रजीत गुप्त
2. श्री एस० एम० बनर्जी
3. श्री सी० जनार्धनन्

4. श्री विजयपाल सिंह

5. श्री इशाक सम्भाली

6. श्री बी० एस० भौरा

7. श्री लालजी भाई

8. श्री सरजू पाण्डेय

9. श्री झारखण्ड राय

Daily Income and Expenditure of Poor People

3364. Shri Hukum Chand Kachwai : Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether Government have conducted any survey with regard to present daily income and expenditure of persons belonging to the poorest section of the country; and

(b) if so, what was their daily income three years ago?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs, Minister of Information and Broadcasting and Minister of Space (Shrimati Indira Gandhi): (a) Yes, Sir; the National Sample Survey Organisation has conducted during 1970-71 a survey on household income and consumer expenditure of weaker sections of the rural population consisting of (i) the lowest 10 percent of households having some cultivation and (ii) non-cultivating wage earner house-holds.

(b) The 1970-71 survey data are yet to be analysed; similar survey covering only the weaker sections of population was not conducted earlier.

अफ्रीकी-एशियाई समाचार एजेंसी

3365. **श्री के० बालदण्डायुतम :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने विकासशील दशों की घटनाओं की उचित सूचना देने के लिए एक अफ्रीकी-एशियाई समाचार एजेंसी की स्थापना की सम्भावना पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह):—(क) तथा (ख) : सरकार विकासशील देशों, विशेषकर एक ही क्षेत्र के देशों के मध्य सूचना के और अधिक आदान-प्रदान के लिए प्रयास करना वांछनीय समझती है। तदनुसार, सरकार भारतीय समाचार एजेंसियों के पड़ोसी देशों में कार्य को बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

रीजनल सेटलमेंट कमिश्नर, जालन्धर के कार्यालय से फालतू घोषित निम्न श्रेणी लिपिकों की पुर्नियुक्ति

3366. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मई, 1970 में रीजनल सेटलमेंट कमिश्नर, जालंधर के कार्यालय में कुछ निम्न श्रेणी लिपिकों को फालतू घोषित करके जनरल मैनेजर, टेलीफोन, नई दिल्ली और डायरेक्टरेट आफ इंस्पेक्शन, इंनकम टैक्स नई दिल्ली, के कार्यालयों में पहले नियुक्त किया गया था;

(ख) क्या बाद में उनकी नियुक्ति बदल कर लुधियाना के केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में कर दी गयी थी; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण ह ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :—(क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) : केवल दो निम्न श्रेणी लिपिकों के सम्बन्ध में नामांकन में परिवर्तन किया गया था और यह भी करुणामूलक कारणों से था।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा विकसित विधियां (प्रोसेसिज)

3367. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने कुल कितनी विधियां विकसित की हैं तथा कितनी विधियां उद्योगों को उपलब्ध करायी गयी हैं;

(ख) पहली अप्रैल, 1971 को कितनी विधियां वास्तविक उत्पादन में थीं और उनमें से कितनी शून्य अथवा सांकेतिक उत्पादन वाली हैं; और

(ग) पहली अप्रैल, 1968 से पूर्व कितनी विधियां प्रयोग के लिये उद्योगों को उपलब्ध कराई गई थीं ?

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्राद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) :—(क) 1 जनवरी 1971 को उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा विकसित प्रविधियों की संख्या लगभग 930 है और उद्योगों को उपलब्ध कराई गई प्रविधियां 416 हैं।

(ख) 1 जनवरी 1971 तक सूचित की गई वास्तविक उत्पादन की प्रविधियों की संख्या 192 है।

(ग) 287

उद्योगों में विस्तार की क्षमता को स्वीकार करने में विलम्ब

3368. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उद्योगों के विस्तार में उदारता बरते जाने की अवधि के दौरान उनसे प्रभावी उद्योगों में हुए विस्तार कार्यों को स्वीकृति देने में विलम्बों की ओर दिलाया गया है, जबकि प्रभावी कार्य की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी तथा निरीक्षण भी हो चुका था; और

(ख) विस्तार में उदारता बरतने की अवधि के दौरान प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की उद्योगवार सूची क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख)—1-10-1972 को कार्य जारी रखो लाइसेंसों (सी० ओ० वी० लाइसेंस) के लिए अनिर्णीत आवेदनों की उद्योगवार सूची बनाने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 3931/72] कार्य जारी रखो लाइसेंसों के आवेदनों पर आवेदकों द्वारा उल्लिखित तथ्यों की गहराई से छान-बीन करने की आवश्यकता होती है जिससे यह निश्चित किया जा सके कि संबंधित उद्योगों के लाइसेंसमुक्त होने की अवधि में या आवेदकों द्वारा दावा की गई क्षमता स्थापित करने हेतु उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबंधों से संबंधित उपक्रमों को मिली छूट की अवधि के दौरान उद्योग (विकास तथा विनियमन अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत प्रभावी

कदम उठाए गए हैं। इसमें कभी कभी आवेदकों से और जानकारी प्राप्त करने, तकनीकी/प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा वास्तविक निरीक्षण करने, मूल दस्तावेजों का वास्तविक सत्यापन करने आदि की आवश्यकता भी होती है। सरकार द्वारा इससे सन्तुष्ट हो जाने के पश्चात वस्तुतः अपेक्षित प्रभावी कदम उठाए गए हैं और अविलम्ब लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं। सरकार अनिर्णीत आवेदनों पर यथाशीघ्र निर्णय करने के लिय उत्सुक है और उन्हें शीघ्र निबटाने की दृष्टि से इन आवेदनों की समय-समय पर समीक्षा करने के उपाय कर रही है।

पश्चिम बंगाल में बिजली के संकट की जांच करने के लिए बनाई गई समिति का प्रतिवेदन

3369. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में बिजली के संकट की जांच करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई समिति द्वारा कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिए जाने की आशा है ;

(ख) क्या इस समिति की नियुक्ति के बाद इस राज्य में बिजली सप्लाई की स्थिति और बिगड़ गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई उपाय किए गए हैं तो वे क्या हैं और कब तक स्थिति सुधरने की आशा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) से (ग) : पश्चिम बंगाल में बिजली की सप्लाई की समीक्षा करने वाले कार्यदल (टास्क ग्रुप) की प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। प्राथमिक रिपोर्ट की योजना आयोग जांच कर रहा है।

Persons below the age of 19 years

2370. **Shri Onkar Lal Berwa:**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of persons below the age of 19 years in the country at present according to the latest census figures and its percentage to the total population ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : On the basis of 1% sample advanced tabulation of 1971 Census data, the estimated number of persons below 19 years of age as on 1-4-1971 is 271 million. This constitutes about 49.5% of the total population.

Industries in Rural Areas during Fifth Five Year Plan

3371. **Shri Anandi Charan Dass** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state the special steps taken to set up industries including Agro-industries in rural areas and also to start industries based on natural resources during the Fifth Five Year Plan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Sidheshwar Parsad); While no special steps as such have yet been taken pending the formulation of the Fifth Five Year Plan for the setting up of Agro-Industries in the States, the various incentive schemes for backward areas, the rural industries projects programme and special schemes for generation of employment are expected to attract such industries to rural areas. The Planning Commission has recently set up a steering group on national survey of natural resources.

डाक तथा तार विभाग द्वारा लिये गये केन्द्रीय निर्माण विभाग के इंजीनियरिंग कर्मचारी

3372. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के सिविल/इंजीनियरिंग विंग के इंजीनियरिंग कर्मचारियों को

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में वापस भेजा जा रहा है जहां से वे लिए गए थे और यदि हां तो उनकी संख्या क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) कितने समय से वे प्रतिनियुक्ति पर काम कर रह थे और डाक तथा तार विभाग में उन्हें न खपाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सम्बन्धित कर्मचारियों को डाक तार विभाग में कोई प्रतिनियुक्ति अथवा अन्य प्रकार का भत्ता दिया गया और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय को प्रभावित व्यक्तियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो संक्षेप में उनका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क): जी हां । कुल मिला कर 30 राजपत्रित अधिकारियों को उनके मूल दफ्तरों में वापिस भेजना है । डाक-तार विभाग सिविल/इलैक्ट्रिकल इंजीनियर और आर्किटेक्टों के अपने काडर बना रहा है ।

(ख) ये अधिकारी 1963 से 1970 की अवधि में डाक-तार विभाग में आए थे। जुलाई, 1963 में जब डाक-तार सिविल निर्माण कार्य, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से हटा कर डाक-तार विभाग को सौंप दिया गया तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कई अधिकारी डाक-तार सिविल विंग में प्रतिनियुक्त हुए थे लेकिन उन्होंने अपना लियन अपने मूल विभाग में बनाए रखा । इन अधिकारियों का स्थान ग्रहण करने के लिए जैसे जैसे डाक-तार अधिकारी मिलते जा रहे हैं, इन्हें अब विभिन्न चरणों में इनके मूल विभाग में वापस भेजा जा रहा है ।

(ग) जी नहीं । अलबत्ता इन्हें 27-1-1970 से प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । यह भत्ता इन अधिकारियों को इसलिए नहीं दिया जा रहा क्योंकि इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की शर्तों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी ।

(घ) जी हां । इन्होंने इस बात के लिए अभ्यावेदन दिया है कि इन्हें डाक-तार सिविल विंग में स्थाई तौर पर खपा लिया जाए । इन अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है और इन्हें रद्द कर दिया गया है ।

भारत सरकार के दिल्ली / नई दिल्ली स्थित कार्यालयों में निम्न श्रेणी लिपिकों, उच्च श्रेणी लिपिकों तथा आशुलिपिकों के पदों का आरक्षण समाप्त किया जाना

3373. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जून, 1972 से 31 अक्तूबर, 1972 के दौरान भारत सरकार के दिल्ली/नई दिल्ली स्थित किन-किन कार्यालयों ने कार्मिक विभाग को निम्न श्रेणी लिपिकों, उच्च श्रेणी लिपिकों तथा आशु-लिपिकों के कितने कितने पदों का आरक्षण समाप्त करने (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के पदों को सामान्य वर्ग में बदलने) के लिये अनुरोध किया था ;

(ख) उन कार्यालयों के पत्रों की तारीखें अलग-अलग क्या हैं; और

(ग) उन पदों पर आरक्षण समाप्त किये जाने की वास्तविक तिथियां कौनसी हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) से (ग) : प्राप्त सूचना को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों की आरक्षित रिक्तियों के आरक्षण को समाप्त करने के लिए कुछ अन्य पत्रों को लौटाया गया था, क्योंकि आरक्षण

समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पूर्ण आवश्यक आंकड़े नहीं दिये गए थे या वह प्रस्ताव विधिवत नहीं था । [ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 3932/72]

कला के नाम पर अश्लीलता प्रदर्शित करने वाली फिल्मों का सेंसर करना

3374. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सैंसर बोर्ड को नये निदेश किय हैं कि ऐसी फिल्मों का सख्ती से सेंसर किया जाये जो कला के नाम पर हिंसा, अश्लीलता और अनुशासनहीनता प्रदर्शित करती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) फिल्मों में कामोत्तेजक दृश्यों की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) (क) से (ग) : सरकार ने केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड से कहा है कि वह इस प्रकार की फिल्मों के बारे में सेंसर के सिद्धान्तों का पालन करने में सख्ती से काम ले । तदनुसार, बोर्ड इस मामले में आवश्यक सतर्कता बरत रहा है । उपयुक्त मामलों में बोर्ड द्वारा भारी काट-छांट की गई है और कुछ फिल्मों पर प्रतिबन्ध पूर्णतया लगाया गया है ।

गैर सरकारी उद्यमों के कार्यकरण की समीक्षा के लिए समिति

3375. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक करोड़ रुपये से अधिक पूंजी-निवेश वाले गैर सरकारी उद्यमों के कार्यकरण की समीक्षा करने के लिए क्या एक समिति बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बाते क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) : जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

पांचवीं योजना में कागज की मांग तथा उत्पादन के अध्ययन के लिए कार्यदल

3376. **श्री के० कोडंडा रामी रेड्डी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज तथा संबंधित उद्योगों के लिए विकास परिषद ने पांचवीं योजना में कागज की मांग और उसके उत्पादन का अध्ययन करने के लिए एक कार्यदल नियुक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसने क्या सुझाव दिए हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) और (ख) :—इस उद्देश्य के लिये कृतिक दल की स्थापना कागज विकास परिषद द्वारा नहीं बल्कि योजना आयोग द्वारा की गई है । इस समय यह अपना कार्य कर रहा है ।

बिना बिके पड़े ट्रैक्टर और उनके आयात पर खर्च हुई विदेशी मुद्रा

3377. **श्री एम० कतामुतु** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या ट्रैक्टरों के भारतीय निर्माताओं ने दावा किया है कि उन के स्टाक में 10,000 ट्रेक्टर बिना बिके पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1972-73 में 20,000 ट्रैक्टरों के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च आयेगी जिस की मांग की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)-- (क) जी, नहीं। 31-10-1972 को निर्माताओं के स्टाक में बिना बिके केवल लगभग 2,000 ट्रैक्टर थे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आयात किये जाने वाले ट्रैक्टरों के मेक और मॉडलों के बारे में कृषि मंत्रालय ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है। इन ट्रैक्टरों का आयात करने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, इसका पता इनका ब्यौरा तैयार कर लिए जाने और संबंधित संभरण कर्ताओं के साथ क्रम-संविदाओं के तय हो जाने के पश्चात् ही चल सकेगा।

त्रिपुरा के छोटे समाचार-पत्रों को अखबारी कागज का नियतन

3378. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के कुछ छोटे समाचार-पत्रों, विशेषकर 'देशेर कथा' को अखबारी कागज आवंटित नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) (क) तथा (ख) : जी, नहीं। अखबारी कागज सभी समाचार-पत्रों/पत्रिकाओं को उनके द्वारा आवेदन किये जाने पर एक निर्धारित नीति के अनुसार आवंटित किया जाता है। जहां तक अगरतला से प्रकाशित होने वाले बंगला साप्ताहिक 'देशेर कथा' का संबंध है, अखबारी कागज के लिए आवेदन-पत्र मई, 1972 में प्राप्त हो गया था, लेकिन उस पर विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि प्रकाशक ने प्रैस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम, 1867 के अन्तर्गत औपचारिकताएं पूरी नहीं की थीं। अब उसने औपचारिकताएं पूरी कर दी हैं और आवेदन-पत्र की जांच की जा रही है।

कार बनाने वाले कारखानों का विस्तार

3379. **श्री दिनेश सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कार निर्माताओं को अनुमति दी है कि वे अपना उत्पादन दुगुना कर लें; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या वे पुराने 'मांडल' की कारें ही बनाते रहेंगे अथवा उन्हें नए 'मांडल' की कार बनाने की अनुमति दी जायेगी?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आर्थिक विकास के लिए भारत-सोवियत योजनाएं

3380. **श्री दिनेश सिंह क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक विकास के लिये भारत और सोवियत संघ ने अपनी योजनाओं को समन्वित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किये गये निर्णय की रूप-रेखा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) तथा (ख) योजना मंत्री सितम्बर 1972 में आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के लिए अन्तर-सरकार आयोग की स्थापना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सोवियत संघ गये थे। आर्थिक तथा तकनीकी वैज्ञानिक विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था तथा यह निर्णय किया गया था कि और आगे पारस्परिक हितों के मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए दोनों देशों के विशेषज्ञ एक-दूसरे के यहां आयें। समझौते की एक प्रति संसद् के पुस्तकालय में पहले ही रख दी गई है।

'नेशनल फिटनेस कोर' के फालतू कर्मचारियों को आयकर आयुक्त के कार्यालय में लगाने का प्रस्ताव

3381. **श्री आर० वी० बड़े** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'नेशनल फिटनेश कोर' के फालतू घोषित किये गये 30 से अधिक कर्मचारियों ने 1 जुलाई, 1972 को कार्मिक विभाग के केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल में अपने नाम लिखाये थे और यदि हां, तो क्या उन में से बहुत थोड़े व्यक्तियों को अब तक पुनः काम पर लगाया गया है;

(ख) क्या आयकर आयुक्त, दिल्ली, के कार्यालय में पदों के आरक्षण को समाप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ताकि उन्हें उक्त कार्यालय में काम पर लिया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो 'चीफ सेटलमेंट कमिश्नर' नई दिल्ली के कार्यालय से 1 जून, 1972 से फालतू घोषित किए गए कर्मचारियों को नौकरी पर पुनः लिये जाने के लिये ऐसी कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी हां, श्रीमन्। नेशनल फिटनेस कोर के सभी फालतू कर्मचारी जिन्होंने 1 जुलाई, 1972 को केन्द्रीय (फालतू कर्मचारी) सैल में अपने नाम लिखवाये थे, उन्हें अन्य कार्यालयों द्वारा सूचित की गई रिक्तियों के लिए पहले ही नामित कर लिया गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Planning Committees at District and Block level for development of backward Areas

3382. **Shri Chiranjib Jha** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether a Planning Committee at the District and Block level is proposed to be constituted for the rapid development of backward areas and whether it is proposed to give special powers to implement the plan; and

(b) if so, the time by which it would be done ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b) The matter comes under the ambit of the State Governments. The Planning Commission has emphasised for multilevel planning and also for the strengthening of the planning machinery at the state level. The matter is further being discussed with the State Governments.

Report of Ashoka Mehta Committee

3383. **Shri Charanjib Jha** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Government have accepted in principle the report of Ashoka Mehta Committee regarding the development of Khadi and Rural industries; and

(b) if so, whether Government are taking the follow-up action in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddeshwer Prasad) : (a) & (b) Certain recommendations of the Ashoka Mehta Committee on Khadi and Village Industries have been accepted in pricinple and follow-up action on them is being taken.

Suggestion for Rural Industries Commission

3384. **Shri Charanjjb Jha** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state whether Ashoka Mehta Committee on Khadi and Rural Industries has suggested the setting up of "Rural Industries Commission" for the purpose of rural industrialisation and for ending the unemployment prevailing in the villages, if so, the action taken on the recommendations ?

The Depnty Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : Yes, Sir; the recommendation is under consideration.

Production of Coarse Yarn and Cloth by Power-Looms and Hand-Looms

3385. **Shri Charanjib Jha** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology** be pleased to state :

(a) whether Khadi Gramodyog Commission has submitted a Rs. 18 crore special employment scheme to Government regarding the production of coarse yarn and cloth by power-looms and hand-looms on large scale; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Minisry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir; the special scheme sent by the Khadi and Village Industries Commission for the production of coarse cloth (Lokvastra) involved an outlay of Rs. 10 crores during the rest of the Fourth Plan period.

(b) The scheme is under consideration of the Government.

Scheme to save Khadi Gramodyog Products from Open Competition

3386. **Shri Charanjib Jha** : Will the Minister of **Industrial Development and Science and Technology,** be pleased to state :

(a) whether the Khadi and Gramodyog Commission has presented a scheme to Government suggesting the measures to save Khadi and Gramodyog products from competition offered by mills and big factories; and

(b) if so, the hurdles in accepting and implementing the same ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ, दरभंगा (बिहार) के हिसाब-किताब में अनियमितताएं

3387. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ, दरभंगा (बिहार) के हिसाब किताब में अनियमितताओं के बारे में 3 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न सं० 4853 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:--

(क) क्या बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ के ऋण संबन्धी हिसाब किताब में 3.05 लाख रुपये की असंगति के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया गया है और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो किन किन व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही गी गई है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ संस्था पंजीकरण अधिनयम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है और इसके कार्यों का प्रबंध न्यासमण्डल (बोर्ड आफ ट्रस्टीज) द्वारा किया जाता है। अतएव, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उत्तरदायित्व नियत करने का प्रश्न ही नहीं उठता। दिनांक 3 मई, 1972 को अतारांकित प्रश्न सं० 4853 के उत्तर में दी गई कमी 0.35 लाख न कि 3.05 लाख रु० संबंधी है। यह संघ का आन्तरिक मामला है, जो कि मामले में उचित कार्यवाही कर रहा है।

ठाकुर पेपर मिल्स, समस्तीपुर (बिहार) को पुनः चालू करना

3388. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री ठाकुर पेपर मिल्स, समस्तीपुर (बिहार) को पुनः चालू करने के बारे में 3 मई, 1972 के तारांकित प्रश्न संख्या 669 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या ठाकुर पेपर मिल्स को, इसके वर्तमान स्थान समस्तीपुर में ही नियंत्रण में लेने पुनः चालू करने और पुनः क्रियाशील बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) न्यायालय ने बेचने की घोषणा कर दी थी और कारखाने की बिक्री के लिये दिनांक 27-11-72 नियत की गई थी। किन्तु राज्य सरकार ने वित्तीय संस्थाओं के परामर्श के पश्चात् न्यायालय से बेचने के निर्णय को स्थगित करने का निवेदन किया, ताकि इस बीच इसे चलाने वाली किसी पार्टी को ढूंढा जा सके, इस हेतु तीन मास की अवधि मिल गई है। कारखाने के वर्तमान स्थल में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

दरभंगा बिहार में नये शाखा (ब्रांच) डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलना

3389. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में बिहार के दरभंगा जिले में कितने नए शाखा डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जा रहे हैं ;

(ख) उन्हें किन-किन स्थानों पर खोला जायेगा, और

(ग) उन्हें कब-कब खोला जायेगा?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 25 शाखा डाकघर और एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जा चुके हैं। 51 (इक्यावन) अतिरिक्त शाखा डाकघर और एक सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की मंजूरी जारी कर दी गई है और चालू वर्ष में इनके खोले जाने की संभावना है। यदि औचित्य सिद्ध हुआ तो कुछ और शाखा डाकघरों की मंजूरी भी दी जा सकती है और उन्हें चालू वर्ष की बकाया अवधि के दौरान खोला जा सकता है।

(ख) जिन जगहों पर शाखा डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले जा चुके हैं, उनका उल्लेख अनुबन्ध 'क' में किया गया है। बकाया जिन जगहों के लिए शाखा डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन घर मंजूर किये जा चुले हैं किन्तु उन्हें खोलना बाकी है, उनका उल्लेख अनुबन्ध 'ख' में किया गया है। **[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी० 3933/72]**।

(ग) आशा है कि बकाया शाखा डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन घर 28 फरवरी, 1973 तक खुल जाएंगे।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनायें स्थापित करना

3390. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पांचवीं पंचवर्षीय योजना में देश में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए ग्रामीण औद्योगिक परियोजनायें स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव हैं–

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को किन क्षेत्रों में स्थापित किए जाने की संभावना है?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पांचवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि में ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत 57 पिछड़े जिलों को लेने का प्रस्ताव है। विद्यमान परियोजनाओं में कार्यक्रम के कार्यक्षेत्र को 15,000 जनसंख्या के कस्बों को छोड़ कर सारे जिलों तक बढ़ा दिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, स्थानीय उपलब्ध कच्चे माल, स्थानीय मांग और स्थानीय कौशल के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयत्न किये गये हैं। इस कार्यक्रम से सहायता प्राप्त करने वाले उद्योगों में कृषिजन्य उत्पादों का प्रशोधन एवं सम्बद्ध कार्य वनो उत्पादों और पशुपालन सम्बन्धी उत्पाद, इमारती सामान, चीनी मिट्टी के बरतन आदि और सहवद्ध उद्योग, वस्त्र और रसायन आदि शामिल हैं।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित 57 पिछड़े जिलों के बारे में तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा इस उद्देश्य के लिए कर्मचारी भरती करने पर किया जायेगा। सर्वेक्षण के समाप्ति के पश्चात् इन परियोजनाओं के बारे में विस्तृत विकास योजना तैयार की जायेगी।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	नियत की गई प्रायोजनाएं	राज्य द्वारा चुने गये जिलों के नाम
1. आंध्र .	3	1 कुडप्पा, 2 सेका कुलम् 3 खम्मान।
2. आसाम	2	नाम प्रतीक्षित है।
3. बिहार	4	1 पूर्णिया, 2 पालामऊ, 3 चम्पारन, 4 भागलपुर।
4. गुजरात	2	सावरन्ठा, 2 बनासकंठा।
5. हरियाणा	1	मोहिन्द्रगढ़।
6. हिमाचल प्रदेश	1	चम्बा।
7. जम्मू और कश्मीर	2	1 डोडा, 2 बारामूला।
8. केरल	2	त्रिवेन्द्रम-मालपुरम्।
9. मध्य प्रदेश	5	1 रायगढ़, 2 सिवनी, 3 छतरपुर, 4 माडलंग, 5 राजगढ़।
10. महाराष्ट्र	3	1 धूलिया, 2 मीर, 3 येओतमाल।
11. मेघालय	1	गारो हिल्स।
12. मैसूर .	3	1 बीजापुर, 2 बीदर, 3 हुपन।
13. नागालैण्ड	2	1 कोहिमा, 2 मोकोकचुंग।
14. उड़ीसा	2	बोलनगीर, 2 कलहन्डी।
15. पंजाब	1	होशियारपुर।
16. राजस्थान	3	1 बांसबाडा, 2 टोंक। (एक प्रायोजना के लिए नाम प्रतीक्षित)।
17. तमिलनाडु	2	रामनाथपुरम्, 2 धर्मपुरी।
18. उत्तर प्रदेश	7	1 मथुरा, 2 रायबरेली, 3 फतेहपुर, 4 बलिया (तीन नाम प्रायोजनाओं के लिए प्रतीक्षित हैं)।
19. प० बंगाल	4	1 पुलिया, 2 मालदा, 3 पं० दीनाजपुर, 4 मुर्शिदाबाद।
20. मणिपुर	1	मणिपुर सेन्ट्रल।
21. अन्डमान निकोबार द्वीपसमूह	1	समस्त केन्द्र शासित प्रदेश।
22. दादर और नागर हवेली	1	सारा दादर और नागर हवेली।
23. अरुणाचल प्रदेश	2	नाम प्रतीक्षित हैं।
24. लक्कादीव और मिनिकाय द्वीपसमूह .	1	विचाराधीन।
25. पाण्डिचेरी	1	सारा के० शा० प्रदेश।
योग	57	

तमिलनाडु के लाइसेंसों संबन्धी अनिर्णीत आवेदनपत्र

3391. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु राज्य में उद्योगों के विस्तार अथवा नए उद्योगों, जिन पर पचास हजार रुपये से भी अधिक राशि खर्च होगी, की स्थापना के लिए विभिन्न पक्षों के औद्योगिक लाइसेंसों सम्बन्धी कितने आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार के पास अनिर्णीत पड़े हैं और कब से पड़े हैं; और

(ख) आवेदकों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक आवेदन पत्र में किस प्रकार के उद्योग का उल्लेख है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) तमिलनाडु राज्य में विद्यमान उपक्रमों के विस्तार हेतु और नये उपक्रमों की स्थापना हेतु 30-9-72 तक औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में से 139 अनिर्णीत हैं। इनमें से दो 1969 के, चौदह, 1970 के, 56 सन् 1971 के और 67 सन् 1972 के हैं।

(ख) अनिर्णीत आवेदन पत्रों का ब्यौरा प्रायः बताया नहीं जाता है।

हार्वेस्टर कम्बाईनों के आयात के बारे में 31 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8098 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : लोक सभा में 31 मई, 1972 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8098 के भाग (ख) के उत्तर में इस प्रकार कहा गया था कि:—

11 निम्नलिखित देशों से विगत दो वर्षों में विभिन्न श्रेणी के 357 कम्बाइन हार्वेस्टर्स के आयात करने की व्यवस्था की गई :—

	संख्या
(1) डेन्मार्क	25
(2) इटली	26
(3) जापान	15
(4) रूस	79
(5) पश्चिम जर्मनी	42
(6) जर्मन प्रजातंत्रात्मक गणराज्य	60
कुल:	357

ये आंकड़े कृषि मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित थे। उस मंत्रालय ने अब यह बताया है कि सही आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

	संख्या
(1) डेन्मार्क	25
(2) इटली	22
(3) जापान	15
(4) रूस	84
(5) पश्चिम जर्मनी	77
(6) जर्मन प्रजातंत्रात्मक गणराज्य	135
कुल:—	358

देर होने का कारण :

उत्तर में दिये गये गलत आंकड़े पहले इसलिए ठीक नहीं किये जा सके क्योंकि यह इस मंत्रालय की जानकारी में 24-8-1972 को ही आये।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की हाल की मांगों से उत्पन्न स्थिति

Shri Jagannath Rao Joshi (Shajapur) : I call the attention of the Minister of Education and Social Welfare to the following matter of urgent Public importance and request that he may make a statement thereon :

"Situation arising out of recent demands of Delhi University students."

अध्यक्ष महोदय: मुझे आज वक्तव्य प्राप्त नहीं हुआ है।

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एल० नुरुल हसन) : मुझे नोटिस बहुत विलम्ब से मिला था और स्थिति में कुछ परिवर्तन हो रहा है। मुझे खेद है कि मैं इसका साइक्लोस्टाइल नहीं करा सका और न ही हिन्दी में अनुवाद करा सका हूं।

अध्यक्ष महोदय: कुछ समय पूर्व भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई थी और मैंने कहा था कि एक निश्चित समय-सीमा का पालन किया जाना चाहिए। परन्तु इस समय न तो सदस्यों को और न ही मुझ कोई वक्तव्य मिला है। कृपया भविष्य में ऐसी स्थिति में आप कोई समय-सीमा निश्चित कीजियेगा।

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं ऐसा करने का प्रयास करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: अब आप वक्तव्य को पढ़ सकते हैं।

प्रो० एस० नुरुल हसन : संसद को यह तो याद ही होगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कैम्पस में छात्रों के एक समूह द्वारा 14 और 15 नवम्बर को हिंसा करने के कारण दिल्ली विश्वविद्यालय के बन्द होने के कारण, 17 नवम्बर, 1972 को, मैंने एक वक्तव्य दिया था। यद्यपि प्रारम्भ में, विश्वविद्यालय 16 नवम्बर से केवल तीन दिन के लिए बन्द हुआ था, किन्तु कुलपति ने उसके दोबारा खोलने

को स्थगित कर दिया। यह अनुभव किया गया कि इस अवधि के दौरान, अध्यापक और समस्त विश्व-विद्यालय समुदाय घटनाओं की गहराई से और आगे जांच करेंगे तथा ऐसे आवश्यक कदम उठाएंगे जिनसे कार्य संचालन शान्ति पूर्वक चल सके।

विश्वविद्यालय और कालेजों में अध्यापन 2 दिसम्बर तक स्थगित रहा। विश्वविद्यालय के 4 दिसम्बर को दोबारा खुलने पर दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने कुलपति के कार्यालय के सामने एक रैली का आयोजन किया और प्रदर्शन किए।

विश्वविद्यालय को एक ज्ञापन दिया गया जिसमें यह कहा गया था कि छात्रों ने कुलपति को इस से पहले निम्नलिखित मांगे पेश की थीं:--

(1) विश्वविद्यालय की संचरना का लोकतन्त्रीकरण करना,

(2) बीमार कालेजों और विशेषकर दिल्ली इंजीनियरी कालेज और दिल्ली कला कालेज को विश्वविद्यालय अपने हाथ में ले,

(3) ऐसे सभी छात्रों को मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिल करना, जो पूर्व-मेडिकल परीक्षा में प्रथम डिग्री में उत्तीर्ण हुए हों,

(4) कैम्पस के बाहर के कालेजों के छात्रों के लिए पुस्तकालय खोलना, और

(5) इस आन्दोलन से संबंधित छात्रों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई को वापिस लेना।

यह भी कहा गया था कि कालेज आफ आर्ट तथा कालेज आफ इंजिनियरिंग के बंद हो जाने से तथा मेडिकल कालेज में दाखिले की समस्या से उत्पन्न हुई स्थिति का सामना करने में कुलपति असफल रहे। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक प्रमुख के रूप में, कुलपति न केवल इन समस्याओं का समाधान खोजने में ही असफल रहे हैं, अपितु छात्रों पर दोष आरोपित करने के लिए उन्होंने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही चुने गए प्रतिनिधियों तथा विश्वविद्यालय के अन्य जिम्मेदार छात्रों को भी कुलपति ने मनमाने ढंग से बाहर निकाल दिया। कुलपति, कैम्पस से बाहर के कालेज छात्रों के लिए पुस्तकालय स्थापित नहीं कर सके, न ही वे विश्वविद्यालय के संरचना में लोकतंत्रीकरण लाने के लिए कुछ कर सके। कुलपति ने कैम्पस में पुलिस बुला ली तथा पुलिस केस वापस ले लेने का यत्न करने की बजाय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि अनेक नए पुलिस केस छात्रों के विरुद्ध दर्ज कर लिए गए। पिछले 20 दिनों से विश्वविद्यालय बन्द रखा गया है, जिससे छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने की विश्व-विद्यालय की जिम्मेदारी का मजाक उड़ाया गया है। स्थिति को पहले सुधारे बिना ही विश्वविद्यालय पुनः खोलकर कुलपति केवल एक नाटक ही खेल रहे थे। छात्रों ने यह निर्णय कर लिया था कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जातीं तब तक वे कक्षाओं में नहीं जाएंगे। स्थिति पर उचित और महत्वपूर्ण विचार करने के बाद छात्र इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक समस्याओं का हल निकालने में कुलपति असफल रहे हैं। अतः छात्रों ने कुलपति को अल्टिमेटम दिया कि यदि आगामी 48 घन्टों मे उनकी मांगें पूरी नहीं की जातीं तो वे विश्वविद्यालय के प्रशासन को अपने हाथों में ले लेंग।

उपरोक्त छात्र संघ की मांगों के संबंध में स्थिति निम्नलिखित है:--

(1) विश्वविद्यालय की संरचना का लोकतन्त्रीकरण करना

पिछले ढाई वर्षों के दौरान छात्रों द्वारा इस मांग को बार-बार उठाया गया है, किन्तु छात्रों में गुट-बंदी होने के कारण, विश्वविद्यालय इस मामले में कोई प्रगति नहीं कर सका है। विश्वविद्यालय ने

इस प्रश्न पर विचार करने के लिये जल्दी से जल्दी 15 नवम्बर, 1971 को कालेज संघों के अध्यक्षों तथा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की कार्यकारणी-समिति के सदस्यों और मुख्य पार्षदों की बैठक आयोजित की थी। आमंत्रित व्यक्तियों के नाम तो संघ के अध्यक्ष द्वारा यथाविधि सिफारिश किये गये थे। परन्तु इस बैठक के अवसर पर छात्रों के दो वर्गों में जोर की लड़ाई हो गई जिसमें छात्र हिंसा पर उतर आये और इसके परिणामस्वरूप वातावरण इतना आतंकित हो गया कि उस बैठक को ही रद्द करना पड़ा जो इस बात पर विचार करने के लिए बुलाई गई थी कि निर्णय लेने में विद्यार्थी भी भाग लें। छात्रों के विभिन्न वर्गों में विद्यमान तनाव और मनमुटाव के कारण बैठकें आयोजित करने के लिये विश्वविद्यालय के प्रयत्न सफल न हो सके। आशा है कि वातावरण के सामान्य हो जाने पर विश्वविद्यालय व्यापक रूप से गजेन्द्र गडकर समिति की सिफारिशों के सामंजस्य में विश्वविद्यालय में निर्णय लेने की प्रक्रिया में छात्रों को सम्मिलित करने के लिये ठोस प्रस्ताव बना सकेगा। इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिये विश्वविद्यालय के कानूनों और अध्यादेशों को संशोधित करना होगा।

(2) दिल्ली इन्जीनियरी तथा दिल्ली कला कालेज को अपने हाथ में लेना

विश्वविद्यालय ने दिल्ली के उप-राज्यपाल को दिल्ली इंजीनियरी कालेज और दिल्ली कला कालेज को अपने हाथ में ले लेने की अपनी इच्छा से अवगत करा दिया है। इन कालेजों में बेहतर प्रबंध को सुनिश्चित करने से संबंधित प्रश्न की ओर दिल्ली प्रशासन का ध्यान है। दिल्ली प्रशासन से विशिष्ट प्रस्तावों के प्राप्त हो जाने पर सरकार द्वारा इस मामले पर विचार किया जायेगा। फिर भी सरकार ने पहले से ही दिल्ली इन्जीनियरी कालेज के अध्यापकों के लिये उन्हीं वेतनमानों की मंजूरी दे दी है, जो विश्वविद्यालय के अन्य कालेजों के अध्यापकों को मिल रहे हैं।

(3) प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण पूर्व-मैडीकल के छात्रों को मेडिकल कालेजों में दाखिल करना

देश में कहीं पर भी उन सभी छात्रों को मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिला प्रदान कर सकना सम्भव नहीं है, जो पूर्व-मेडिकल परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते हैं। वर्ष 1972 में दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व-मेडिकल परीक्षा में लगभग 600 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इनमें से 133 विद्यार्थी मेडिकल के पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने में असफल रहे, 107 विद्यार्थी विश्वविद्यालय में वनस्पति और जीव-विज्ञान के बी० एस० सी० (आर्नस) पाठ्यक्रमों के द्वितीय वर्ष में दाखिल किये गये थे।

(4) दक्षिण दिल्ली में पुस्तकालय खोलना

दक्षिण दिल्ली में पुस्तकालय खोलने के प्रश्न पर विश्वविद्यालय विचार करता रहा है। हाल ही में दानोमानो व्यक्ति से विश्वविद्यालय को ऐसे पुस्तकालय की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। विश्वविद्यालय ने सिद्धान्त रूप में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है तथा इसके और ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। जिस बैठक में लोकोपकार के व्यक्ति और विश्वविद्यालय के बीच इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी उस में छात्र संघ के अध्यक्ष और सचिव ने भी भाग लिया था। शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने मुख्यतया नई दिल्ली क्षेत्र के कालेज विद्यार्थी के लिए कर्जन रोड पर पहले ही से एक पुस्तकालय खोला जिसमें 6,000 पुस्तकें हैं। इस पुस्तकालय में सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है।

(5) पुलिस केस वापस लेना

ऐसा समझा गया है कि अधिकतर गिरफ्तारियां दिल्ली परिवहन निगम छात्र झगड़ों, पुराने सचिवालय में और कैम्पस में विद्यार्थियों की हिंसा इत्यादि के संबंध में की गई थीं, जिससे विश्वविद्यालय संबंधित नहीं है।

विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के अनुसार, जो विद्यार्थी कैम्पस में अपूर्व हिंसा के लिए जिम्मेदार थे, वे 14 और 15 नवम्बर, 1972 को हिंसा की कार्रवाइयों से ध्यान हटाने की दृष्टि से एकदम कुछ मांगे पेश करने का प्रयास करके गड़बड़ पैदा करना चाहते हैं। अब उनकी मूल मांग यह है कि जो चार विद्यार्थी 14 और 15 नवम्बर की घटनाओं में शामिल थे, उनके विरुद्ध 21 नवम्बर, 1972 की जांच समिति के निष्कर्षों के आधार पर कुलपति द्वारा पारित किये गए निष्कासन आदेशों को वापिस ले लिया जाए ।

कुलपति ने विद्यार्थियों, अध्यापकों, कर्मचारियों और दिल्ली की जनता को स्थिति की गम्भीरता का ठीक अदांज लगाने, दृढ़ रहने और विश्वविद्यालय के सामान्य कार्य के लिए शांतिपूर्ण वातावरण उत्पन्न करने को सुनिश्चित करने के लिए अपील जारी की है। मैं, सदन के सभी वर्गों से अपने प्रभाव का प्रयोग करने के लिए अपील करना चाहूंगा ताकि ज्ञानार्जन के इस पुण्य स्थान में अविलम्ब फिर से सामान्य स्थिति कायम की जा सके और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि इस कार्य में वे लोग जानबूझकर बाधा न डाले जो हिंसा और हिंसा की चेतावनियों का सहारा लेते हैं।

Shri Jagannath Rao Joshi : No one can support the violent activities. I deplore violence. But it is evident from these activities that there is a great discontentment among the students. But we cannot put all the blame for this on the students. It is also true that Government accede to the demands only when the people resort to violence.

Instead of adopting the dilly dilaying tactics the Government should have told the students seeking admission to Medical Colleges that it cannot provide seats to all the students. Is it not a fact that we need more doctors ? May I know why Government is not opening more medical colleges keeping in view the need for the doctors ?

The Engineering Colleges are also lying closed for the last three months. Their demands are just. May I know whether Government will take back all those teachers in service who were ousted during this strike. May I also know whether Government by accepting the demand of the students will take over the University ?

The students have also complained that they were beaten up by the D.T.C. workers. May I know whether any enquiry will be held in this matter ? Police has also committed atrocities on the students. Why the students have been awarded punishment without any proper enquiry having been held ? All these matters should have been placed before the Consultative Committee consisting of the student and the teachers. The Chairman of the enquiry committee appointed by the Vice-Chancellor has already announced on the television that strongest action should be taken. This Committee took only two days in submitting its findings. On the basis of these findings rustication orders were issued. 171 advocates have protested against these rustication orders. They have demanded the withdrawal of rustication orders by the Vice-Chancellor. This is not a law and order problem and it is not proper to victimise our students. The demands of the students should be sympathetically considered by the Government as well as by the University authorities. I would request the Government to intervene and give correct advice to the University authorities in this matter.

प्रो० एस० नुरुलल हसन : माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि हिंसा की गतिविधियों की निन्दा की जानी चाहिए और कि लोकतंत्रात्मक समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। परन्तु 14 और 15 नवम्बर की विश्वविद्यालय के परिसर में हिंसा की घटनाएं हुई थीं। मैं यह बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं।

यह कहना गलत है कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय में देखने के लिए गये थे और पुलिस ने उन्हें पीटा। वास्तव में पुलिस वहां तब बुलाई गई जबकि हिंसक घटनाएं हुई और वहां सम्पत्ति को नष्ट किया जाने लगा था। यह कहा जा रहा है कि बिना जांच के दंड दिया जा रहा है। यह भी

कहा जा रहा है कि जांच समिति उचित नहीं थी। यह आरोप किस आधार पर लगाया जा रहा है? जांच समिति के एक सदस्य ने कहा था कि हिंसापूर्ण घटनाओं के लिए दंड दिया जाना चाहिए। जांच तो यह पता लगाने के लिए की गई थी क्या अमुक व्यक्ति भी हिंसापूर्ण घटनाओं में शामिल था। जांच समिति ने इस प्रश्न पर अपना मन नहीं दिया था बल्कि एक सामान्य बात कही थी कि हिंसापूर्ण घटनाओं के लिए दंड दिया जाना चाहिए।

यदि विश्वविद्यालय से निष्कासित छात्र यह अनुभव करते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो वे विश्वविद्यालय विधि के अनुसार विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद में अपील की जा सकती थी जहां तक मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में दिये गये आश्वासनों का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में केवल यह कहा गया है कि "जो सम्भव होगा हम आपके लिए करेंगे"। एक बैठक में मुझे भी बुलाया गया था, उसमें डाक्टरों की राय थी कि शिक्षा के स्तर को निम्न किये बिना दो शिफ्ट चालू नहीं की जा सकती। दूसरे नया मेडिकल कालेज खोलने से पूर्व पूरी तैयारी करनी होती है। नया मेडिकल कालेज अस्त-व्यस्त ढंग से नहीं खोला जा सकता। यदि शिक्षा का स्तर गिरेगा तो जन सामान्य के स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा।

हिंसापूर्ण कार्य करने वाला चाहे निर्वाचित प्रतिनिधि हो अथवा एक सामान्य क्लर्क हो, उसे दंड मिलना ही चाहिए। जहां तक इस मांग का सम्बन्ध है कि एक व्यापक न्यायिक जांच कराई जाय और छात्रों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाये, मेरा निवेदन है कि छात्रों को अपनी शिकायत के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद को अभ्यावेदन देना चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior): Mr. Speaker, Sir, the question whether there was a representative of students in the enquiry Committee or not has not been answered.

Prof. S. Narul Hasan : No Sir, there was no students' representative in that. But I do not understand the grounds on which it is being insisted upon that there student's srepreentative should have been there in the enquiry Committee.

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa) : Mr. Speaker, Sir, frustration and violence are growing among the students and every flinking person is worried about it. What is happening in Delhi University is a matter of deep concern. Students indulged in violence. They hijacked buses. The result is that the Delhi University has been closed indefinitely. In my opinion, two factors are responsible for this frustration and increasing violence among the students. One is the existing system of education which creates unemployment and the other is involvement of political parties in students affairs. So I want that stern action should be taken against those who indulge in acts of violence and normally should be restored there so that university may open soon and willing students are not put to loss. I want an assurance from the hon. Minister that strong steps will be taken to prevent violence and intimidation in the university.

प्रो० एस० नुरुल हसन : मैं यह आश्वासन देता हूं कि हिंसा और डराने-धमकाने की घटनाओं को रोकने में सरकार विश्वविद्यालय की पूरी सहायता करेगी। मुझे आशा है कि इस कार्य में जनसाधारण का भी पूरा सहयोग विश्वविद्यालय को प्राप्त होगा; क्योंकि अधिकतर विद्यार्थी और उनके अभिभावक चाहते हैं कि उनका अध्ययन ठीक प्रकार से चले।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Incidents of violence in the Delhi University Campus took place on 14th and 15th November and they should be condemned. Students hijacked a bus which collided with a tonga resulting in the death of some people including a woman. All these incidents are tragic and should be strongly condemned. But who is responsible for these? Jan Sangh supported students Union, Socialist Party under leadership of Shri Raj Narain and a faction of Congress Party are responsible for these. As regards the demands of students, I want that not only Delhi College of Engineering and Delhi College of Arts but all colleges in Delhi should be taken over by the Delhi University.

I would like to know whether Government propose to take over all the Colleges Government as well as private Colleges—under Delhi University, and if not, the reasons therefor. Will Government open new medical colleges ? I also want to know whether all the rusticated students were summoned to give evidence before the enquiry Committee and if so, whether it is a fact that there out of four students did not attend the Inquiry Committee. I want an assurance that police will not be called to University Campus. A library should also be opened for those students who study in Colleges situated outside the Campus.

अध्यक्ष महोदय : नियम यह है कि माननीय सदस्य एक प्रश्न पूछ सकते हैं । हां, वह प्रश्न व्यापक हो सकता है। किन्तु एक साथ कई प्रश्न न पूछे जायें।

प्रो० एस० नुरुल हसन : पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है, उन्हें दंडित नहीं किया गया है। जहां तक छात्रों की इस शिकायत का सम्बन्ध है कि उनके साथ अन्याय हुआ है मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि ऐसे छात्र विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् में जा सकते हैं। जहां तक सभी कालेजों को विश्वविद्यालय द्वारा अपने हाथ में लिये-जाने का प्रश्न है, इसका उत्तर "ना" में हैं। छात्रों के लाभ के लिये पुस्तकालय की व्यवस्था के बारे में निवेदन है कि शिक्षा मंत्रालय एक पुस्तकालय खोल चुकी है और विश्वविद्यालय इसकी व्यवस्था के लिये प्रबन्ध करेगा ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने सम्पूर्ण दोष छात्रों पर डाला है। मेरा मत उनसे भिन्न है। विश्वविद्यालय में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके लिये बहुत हद तक विश्वविद्यालयों के अधिकारी और सरकार भी जिम्मेदार है। छात्रों की उचित मांगों को सरकार और विश्वविद्यालय ने पहले ही पूरा क्यों नहीं किया। कुछ महीने पहले अध्यापकों ने आन्दोलन किया था। अध्यापक भी सामान्य कर्मचारियों की भांति जब मन में आता है तभी काम बन्द कर देते हैं। सरकार उनके सामने झुक जाती है। सरकार ने विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक क्यों पास किया था और उसे स्थगित क्यों कर दिया गया। ऐसा करके सरकार अध्यापकों की धमकी के सामने झुकी है। अब छात्र भी उसे झुकाने पर आमादा हैं। कुछ महीने पहले भी छः विद्यार्थी को निष्कासन आदेश दिया गया था किन्तु सरकार ने बाद में उप-कुलपति पर दबाब डाला और निष्कासन आदेश वापस लिये गये। ऐसा क्यों किया गया। जब अध्यापक आन्दोलन करते हैं तो उन्हें माफ कर दिया जाता है किन्तु जब छात्र आन्दोलन करते हैं तो उन्हें दंडित किया जाता है।

विश्वविद्यालय और सरकार यह मानती है कि सभी महत्वपूर्ण मामलों में छात्रों का योगदान होना चाहिये। फिर इस मामले में छात्रों से परामर्श क्यों नहीं लिया गया ? आन्दोलन के लिये तो सभी छात्र जिम्मेदार हैं फिर केवल कुछ छात्रों को दंडित क्यों किया गया। यदि अध्यापक बाल-मनोविज्ञान के आधार पर छात्रों को भली-भांति समझते तो इस आन्दोलन से बचा जा सकता था। ऐसे मामले में मंत्री महोदय को स्थिति बिगड़ने से पहले ही स्वयं हस्तक्षेप करना चाहिये या इस समस्या का समाधान खोजने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

प्रो० एस० नुरुल हसन : मुझे अपने व्यवसाय वाले व्यक्तियों से सहानुभूति अवश्य है । साथ ही मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि अध्यापकों ने कभी भी आन्दोलन नहीं किया है । दूसरी बात यह है कि छात्रों को दंड आन्दोलन के लिये नहीं, बल्कि उनकी हिंसात्मक कार्यवाही के लिये दिया जा रहा है। पिछली बार छात्रों ने क्षमा मांग ली थी किन्तु इस बार उन्होंने अपने हिंसापूर्ण कार्यों के लिये खेद प्रकट नहीं किया। यह धमकी दी गई है कि यदि 48 घन्टे तक इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे विश्वविद्यालय का प्रशासन अपने हाथ में ले लेंगे। इस प्रकार विश्वविद्यालय का कार्य नहीं चल सकता ।

अध्यक्ष महोदय : पत्र सभा पटल पर रखे जायें। श्री सिद्धेश्वर प्रसाद।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डाइमंड हार्बर) : मैंने बिहार में शिक्षकों की हड़ताल के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं उस विषय में कुछ कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रतिदिन आप स्थगन प्रस्ताव देते हैं।

***श्री ज्योतिर्मय बसु**

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं। आप जो बोलेंगे उसका एक भी शब्द वाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है। आपका व्यवस्था का प्रश्न अनुचित है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheswar Prasad) : I beg to lay the following papers on the Table :—

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Trade Marks Registry for the year 1971-72, under section 126 of the Trade and Merchandise Marks Act, 1958.

[Placed in the Library. See No. L.T. 3907/72]

(2) (i) A copy of the Certified Accounts (Hindi version) of the Khadi and Village Industries Commission for the year 1968-69 together with the Audit Report thereon, under sub-section (4) of section 23 of the Khadi and Village Industries; Commission Act, 1956.

(ii) A statement (Hindi and English versions) explaining the reasons for not laying the Hindi version of the above documents along with the English version.

[Placed in the Library. See No. L.T. 3908/72]

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपने विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में मेरे से बात करें।

श्री एस० एम० बनर्जी : श्री श्याम नन्दन मिश्र जैसे संसदविद द्वारा बालयोगेश्वर से पूछताछ करने के बारे में ऐसा वक्तव्य देने से आश्चर्य होता है।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : श्री श्यामनन्दन मिश्र सभा में उपस्थित नहीं है। उन्हें आ जाने दें। माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे सभा को राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :—

(एक) कि लोक सभा द्वारा 27 नवम्बर, 1972 को पास किये गये विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1972 के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि लोक सभा द्वारा 27 नवम्बर, 1972 को पास किये गये विनियोग (संख्या 6) विधेयक, 1972 के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

Committee on Private Members Bills and Resolutions

बीसवां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र के बारे में
RE : PAPER LAID ON THE TABLE

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डाइमेंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने नियम 377 के अन्तर्गत नोटिस दिया था। वह इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय विधेयक के बारे में था। मेरे प्रस्ताव को किसी प्रक्रिया के अन्तर्गत अस्वीकार किया जाना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : केवल उन्हीं सदस्यों को सूचित किया जाता है जिनके नोटिस स्वीकार कर लिये जाते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपने मेरा नोटिस इसलिये स्वीकार नहीं किया है क्योंकि इससे सरकार के लिये परेशानी उत्पन्न हो जाती। आप सरकार को संरक्षण देना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल एक सदस्य को प्रतिदिन कुछ न कुछ मामला उठाने की अनुमति नहीं सकता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप नियमों के बाहर नहीं जा सकते।

---

*लोक–लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

53वां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (रेल) 1970 और विनियोग लेखे (रेल) 1968--69 सम्बन्धी ग्यारहवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में लोक लेखा समिति का 53वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

*समिति के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEE

नारियल जटा बोर्ड

विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) मैं प्रस्ताव करता हूं:--

"कि नारियल जटा उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कार्यकाल के लिये नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिय अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करते हैं "

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि नारियल जटा उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (1) (ङ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसे अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कार्यकाल के लिये नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिये, अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करते हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

कार्य मंत्रणा समिति के बीसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : TWENTIETH REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के बीसवें प्रतिवेदन से, जो 5 दिसम्बर, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :--

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के बीसवें प्रतिवेदन से, जो 5 दिसम्बर, 1972 को पैश किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

उसके पशचात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 वजकर 15 मिनट म. प. तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till a quarter past fourteen of the Clock

---

लोक लभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 15 मितट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sahha re-assembled after lunch at Fifteen minutes past fourteen of the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठा सीन हुए

Mr. Deputy-Speaker in the Chair

Shri Ramavatar Shastri (Patna) You might have read in to'days paper that 2800 teachers of Six universities of Bihar have gone on strike. Their grievance is that the dearness allowance recommended by the Univsersity Grants Commission has not been paid to them. I want that a statement should be made by the hon. Minister in this regard.

भारतीय रेल (संशोधन) विधेयक

INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि भारतीय रेल अधिनियम, 1890 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

वर्ष 1961 तक लाने ले जाने के लिये रेलवे को सौंपा गया माल धरोहर के रूप में भारतीय रेलवे का मुख्य दायित्व होता था। लेकिन 1 जनवरी, 1962 से रेलवे ने साधारण वाहक दायित्व को स्वीकार कर लिया, जो कि बीमाकर्ता के दायित्व के अनुरूप है। रेलवे ने धरोहर का दायित्व माल को भेजने के बाद अधिकतम 30 दिनों के लिये स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप कभी कभी रेलवे के अहाते से माल कई दिनों तक उठाया नहीं गया जिससे बड़ी मात्रा में माल जमा हो गया और माल डिब्बे रुक गये तथा माल को लाने ले जाने का काम धीमी गति से होने लगा। इसके परिणाम-स्वरूप चीजों की बनावटी कमी हो गयी और उनके मूल्य बढ़ गये।

देश में उपलब्ध माल डिब्बों का पूरा उपयोग करने के उद्देश्य से हमने सोचा कि इस अधिनियम में मशोधन करने से धरोहर की अवधि को 30 दिन से घटाकर 7 दिन करके रेलवे का दायित्व कम किया जाना चाहिये जिससे लोग अपनी वस्तुओं को कम से कम समय के अन्दर लेने के लिये बाध्य हो जायें। उसी उद्देश्य से मैंने यह संशोधनकारी विधेयक प्रस्तुत किया है और मुझे आशा है कि सभा इसका समर्थन करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि भारतीय रेल अधिनियम, 1890 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

*श्री मनोरंजन हाजरा (आराम बाग) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। हमारा यह अनुभव रहा है कि विभिन्न वसूली केन्द्रों और बड़े स्टेशनों पर माल डिब्बों को अनावश्यक रूप से रोकने के कारण साधारण वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से जनसाधारण को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस विधेयक को प्रस्तुत करने की दीर्घावधि से आवश्यकता थी। मुझे प्रसन्नता है कि कम से कम स्वतन्त्रता के 25 वर्षों के बाद सरकार अपने दायित्व के प्रति सचेत हुई है। विधेयक के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिये मंत्री महोदय को उचित कार्यवाही करनी चाहिये। इस विधेयक के माध्यम से रेलवे से माल छुड़ाने की अवधि को 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया गया है लेकिन इसके साथ साथ उनके विभाग को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये कि वह भारत सरकार के अन्य विभागों से अच्छा संबंध बनाये रखें जिससे वह सड़क परिवहन के माध्यम से सामान भेजना आरम्भ न कर दें। यदि उनको सफलता मिली तो वे अपने वर्तमान पदों पर बने रहेंगे, मूल्यों में और वृद्धि होगी और दूसरी ओर रेलवे को अधिक घाटा होगा।

साबरमती और विरमगाम में भारी संख्या में माल डिब्बे रुके पड़े है। व्यापारी लोग माल छुड़वाते नहीं हैं और इसके परिणामस्वरूप जनसाधारण को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यही स्थिति उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्व रेलवे पर है। व्यापारी वर्ग रेलवे अधिकारियों को परेशान करता है और कई मामलों से रेलवे व्यापारियों को क्षतिपूर्ति करता है अत: यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि क्षतिपूर्ति की राशि को कम किया जाये और दूसरे व्यापारी इस विधेयक के उपबन्धों का अनुचित लाभ न उठा सकें।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी (जालौर) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक का क्षेत्र बहुत सीमित है। रेलवे हानि, विनाश, क्षति अथवा वस्तुओं के खराब हो जाने के लिये देयता की अवधि 30 दिन से कम करके 7 दिन करने पर विचार कर रहा है। यदि यह विधेयक प्रस्तावित रूप में पास हो गया तो रेलवे द्वारा माल यातायात से प्राप्त होने वाले राजस्व में भारी कमी हो जायेगी। मैंने रेलवे के कार्य की समीक्षा प्रतिवेदनों को पढ़ा है परन्तु उन में यह कहीं भी नहीं लिखा है कि माल डिब्बे रुके रहने के कारण उनका पूरा उपयोग नहीं किया जा सका है। माल डिब्बों में माल के लदान में कमी का मुख्य कारण बिजली के तार और सिग्नल उपकरणों आदि की चोरी है। इनमें यह भी लिखा है कि माल डिब्बों की कमी निरन्तर श्रमिक अशान्ति तथा कुछ अन्य कारणों से है।

रेलवे सात दिन की अवधि के बाद क्षति, हानि और वस्तुओं के खराब होने के दावों के भुगतान सम्बन्धी दायित्व से बचना चाहता है। इस व्यवस्था मे व्यापारियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा ; फिर इस से समान विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन मिलेगा और वे सात दिन के बाद माल डिब्बों में से माल चुराने लगेंगे क्योंकि इस अवधि के बाद रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ।

माल दो किस्म का होता है एक अधिक भाड़े वाला और दूसरा कम भाड़े वाला। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा अवसर भी आया है जब अधिक भाड़े वाला माल सात दिन के अन्दर न उतरवा लिया गया हो। केवल कम भाड़े वाला माल ही समय पर नहीं उतरवाया जाता है। रेलवे प्रशासन ने इस मामले पर भली भांति विचार नहीं किया है। हाल ही में रेलवे प्रशासन ने विलम्ब शुल्क 140 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 250 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। यदि माल डिब्बा सात दिन तक रोकें

*बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दीं रूपान्तर।

*English translation of the Speech delivered in Bengali.

रखा जाता है तो उसके लिये 1750 रुपये देने होते हैं। एक और विलम्ब शुल्क इतना अधिक बढ़ा दिया गया और दूसरी ओर रेलवे प्रशासन चोरी आदि के लिये भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। यह बात ठीक नहीं है। पहले ही अधिक भाड़े वाला माल सड़क परिवहन द्वारा भेजा जाने लगा है और यदि रेलवे प्रशासन का यही रवैया रहा तो कम भाड़े वाला माल भी रेलवे के हाथ से जाता रहेगा। अत: इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। सरकार को व्यापारी के हितो का भी ध्यान रखना चाहिये। कई बार सात दिन तक रेलवे रसीद ही (आर० आर०) नहीं मिलती है और कई बार कुछ विशिष्ट कारणों से कोई व्यापार सात दिन तक माल छुड़वाने के लिये नहीं पहुंच पाता। अब चूंकि रेलवे की जिम्मेदारी सात दिन तक रह गई है इसलिये क्या मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे के माल प्राप्त करने वाले व्यापारी को सूचना भेज दी जाये कि माल डिब्बा अमुक तिथि तक खाली हो जाना चाहिये और यदि वह उस अवधि में माल नहीं छुड़वाता है तो रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी प्रगति के कारण यातायात में वृद्धि हो रही है। परन्तु रेलवे की क्षमता की स्थिति पहले जैसी खराब है। माल परिवहन का काम वाणिज्यिक विभाग के अधीन है और जब वे रेलवे को लिखते हैं कि टर्मिनल सुविधायें बहुत सीमित हैं और उन्हें बढ़ाया जाना चाहिये तो कोई कार्यवाही नहीं की जाती। पटियाला में अनेक आयल टेंकर आ रहे हैं परन्तु टर्मिनल सुविधाओं के अभाव में उनको खाली नहीं किया जाता है। एक और टर्मिनल सुविधाओं में कोई वृद्धि नहीं की जाती है तो दूसरी ओर वैधानिक उपायों का लाभ उठाया जाता है। यह बात ठीक नहीं है। मेरा सुझाव यह है कि सात दिन की बजाय पन्द्रह दिन की अवधि निर्धारित कर दी जाये। कुछ माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत किया है।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि दावों के कारण होने वाली हानि के लिये बीमे की कोई व्यवस्था की जानी चाहिये। सरकार को 12 करोड़ रुपये की राशि के दावों का भुगतान करना पड़ता है। सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है और वे इस काम को करने के लिये तैयार होंगे।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : I support this measure because I know that the businessmen do not take the delivery of their goods deliberately with a view to create artificial scarcity and earn more profit. But I want to know whether Railways have also any responsibility for the delivery of goods or not ? A businessman of our district booked a wagon and loaded it with matchboxes but there was no trace of the same for three months. Railways have to incur losses due to such incidents. Corruption in rampart in the railways everywhere. Moreover there is no guarantee for the safe arrival of goods. I would request the honourable Minister to introduce same radical reforms for the eradication of corruption.

Shri Shivkishan Modi (Sikar) : The object of this Bill is that more and more goods can be booked and wagons are offloaded without any delay. But there are some discrepancies in this Bill. Main thing is that goods will be stolen immediately after the period of 7 days. The hon'ble Minister is fully aware that pilferage is a day routine in the railways. In case consignment voucher reaches the businessmen late and he cannot take delivery of goods within a period of 7 days, who will be responsible for the safety of goods? What will happen after the expiry of this period of 7 days ? I think there are some technical difficulties in offloading the wagons and one of them is pilferage of goods. Sometime wrong rates are quoted in the consignment voucher. If Railways want to prescribe the limit of 7 days for taking delivery of goods then they should also take the responsibility of delivering the goods at the destination within a priod of 8 or 10 days. I know many people are anxious to avail of Quick service of the railways. but they do not find room for this purpose. So the business community is not in favour of delay in getting the delivery of goods.

In view of above I would suggest that railways should prescribe the limit of 15 days instead of 7 days.

*श्री ई० आर० कृष्णन (सलेम) : जब माल डिब्बे गन्तव्य स्थान पर पहुंचते हैं तब दो या तीन दिन में माल उतार लिया जाता है और उसके बाद वह माल 30 दिन तक शैड में पड़ा रहता है। यह कहना ठीक नहीं है कि तीस दिन तक मालडिब्बों में माल पड़ा रहता है और इसीलिये मालडिब्बों की कमी है। फिर भी में इस बात से सहमत नहीं हूं कि तीस दिन या इससे अधिक अवधि तक शैडों में माल पड़ा रहे। इसलिये मैं इस विधेयक के उपबन्धों का स्वागत करता हूं। मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि मालडिब्बों की कमी के कारण कृत्रिम कमी पैदा होती है और इस से मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। मेरे विचार में इस विधेयक के उपबन्धों से ही मालडिब्बों की कमी दूर नहीं हो जायेगी। रेलवे द्वारा मालडिब्बों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में भी कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं की है। चौथी पंचवर्षीय योजना में 76,192 माल डिब्बे बढ़ाने की योजना थी परन्तु चौथी योजना की मध्यावधि मूल्यांकन में इस संख्या को घटा कर 33,148 कर दिया गया है। यह बात उचित नहीं है। वर्ष 1972-73 के रेल बजट में 14000 माल डिब्बे प्राप्त करने की व्यवस्था की गई थी। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अब तक कितने मालडिब्बे खरीदे गये हैं और इस वर्ष के दौरान कितने माल डिब्बे बदले गये हैं।

चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में यह बताया गया है कि रेल विभाग खाद्यान्नों तथा सीमेंट व उर्वरकों जैसे अन्य पदार्थों की ढुलाई के सम्बन्ध में बन्द रेल डिब्बों की मांग पूरी करने में असमर्थ है। व्यवसायिक क्षेत्रों में यह भावना व्याप्त है कि रेल वैगनों के आबंटन में कदाचार बरता जाता हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में औद्योगिक विकास के लिये बैगनों की अबाध उपलब्धता की बहुत अधिक आवश्यकता है न कि इस बात की कि वैगनों के सम्बन्ध में चौथी योजना के लक्ष्यों को कम किया जाये।

दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र के विस्तार करने के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: EXPANSION OF DURGAPUR ALLOY STEEL PLANT

श्री समर गुह (कन्टाई) मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि इस सभा की राय है कि इस्पात तथा खान मंत्रालय को, दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र का अलाभकारी, जोड़ रहित ट्यूबों के निर्माण हेतु विस्तार करने की बजाय, 60,000 मीटरी टन स्टेनलैस स्टील के उत्पादन हेतु विस्तार करने के प्रश्न पर पुनर्विचार करना चाहिये, जैसे कि संयंत्र के निर्माण के समय योजना बनायी गयी थी और जिसका बाद में मंत्रालय द्वारा अपनी 6 मार्च, 1971 की बैठक में अनुमोदन किया गया था।"

दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र में स्टेनलैस स्टील अथवा जोड़ रहित ट्यूबों के उत्पादन हेतु क्षमता में विस्तार करने के मामले में चर्चा के दौरान मैंने यह अनुरोध किया था कि इस मामले पर व्यापक विचार करने के लिए एक पुनर्विलोकन समिति का गठन किया जाए। वह अनुरोध तो स्वीकार नहीं किया गया। परंतु यह प्रसन्नता की बात है कि सरकार दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के विस्तार के विषय पर पुनर्विचार कर रही है। यह बहुत ही प्रशंसनीय बात है कि सरकार ने अपनी जिद् का त्याग किया है।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
English translation of the speech delivered in Tamil.

यह कहा गया है कि विश्व के इस्पात उद्योग में स्टेनलैस स्टील तथा अन्य प्रकार के इस्पात के उत्पादन के बारे में नवीनतम तकनीकी विकास का अध्ययन करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल बाहर भेजा गया था । उक्त प्रतिनिधिमंडल ने सरकार को सिफ़ारिश की कि इस विषय की फिर से पुनरीक्षा की जाए। यह अच्छा है कि सरकार ने उक्त सिफारिश स्वीकार कर ली है ।

दुर्गापुर के एलाय इस्पात संयंत्र में स्टेनलैस स्टील अथवा जोड़ रहित ट्यूबों के उत्पादन के प्रश्न के संदर्भ में मैं सेलम के इस्पात संयंत्र के दावे के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता । यह तो उद्योगों के राष्ट्रीय वितरण और राष्ट्रीय नीति की बात है । तमिल नाडु के लोगों की मांग स्वाभाविक है । परंतु मेरा यह मत है कि दुर्गापुर में स्टेनलैस स्टील के उत्पादन के स्थान पर सेलम में संयंत्र की स्थापना करने की मांग में कोई संबंध नहीं है। क्योंकि व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से यह सिद्ध हो गया है कि देश में 1985 तक स्टेनलैस स्टील की मांग 140,000 मैट्रिक टन होगी । इसमें 10 प्रतिशत तक कमी बेसी हो सकती है । अतः दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में 6,00,00 मैट्रिक टन स्टेनलैस स्टील के उत्पादन की व्यवस्था के अतिरिक्त सेलम परियोजना में भी 75,000 मैट्रिक टन स्टेन लैस स्टील के उत्पादन की व्यवस्था हो सकती है । इससे स्पष्ट है कि इस बारे में दावों में कोई विरोधाभास नहीं है ।

यह बहुत ही दुख की बात है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के विस्तार तथा वहां पर स्टेनलैस स्टील के उत्पादन की अनुमति देने के बारे में पहले बहुत घोटाला किया गया । दुर्गापुर संयंत्र के पहले चरण का काम 1965 में पूरा हुआ और 1968 में मंत्रीमंडलीय सचिव ने दुर्गापुर संयत्र में स्टेनलैस स्टील के उत्पादन के विचार से उसके विस्तार के लिए स्पष्ट निदेश दिये परन्तु उनका पालन नहीं किया गया। उसके पश्चात् मार्च 1971 में स्वयं इस्पात मंत्रालय ने दुर्गापुर संयंत्र में स्टेन लैस स्टील के उत्पादन का निर्णय किया । उक्त निर्णय का आधार तकनीकी और आर्थिक था । इस्पात तथा वित्त मंत्रालयों, योजना आयोग, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, तकनीकी विकास के महानिदेशालय आदि के विशेषज्ञ इस निर्णय के पक्ष में थे । परन्तु अज्ञात कारणों से इस निर्णय को बदल दिया गया। तथापि यह प्रसन्नता की बात है कि अब इसे फिर बदला गया है ।

इस संबंध में तीसरा घोटाला सेन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरों को दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के विस्तार का प्रश्न सौंप करके किया गया है । इस संस्था को कोई अनुभव प्राप्त नहीं है । पिछले तीन वर्ष तक यह संस्था यह निर्णय नहीं कर सकी कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में स्टेनलैस स्टील का उत्पादन हो अथवा जोड़ रहित ट्यूबों का ।

यदि यह घोटाले न हुए होते तो दुर्गापुर संयंत्र के दूसरे चरण की लागत में बचत हो सकती थी। पहले उसकी लागत का अनुमान 70 करोड़ रुपये था और अब यह अनुमान बढ़कर 150 करोड़ रुपये हो गया है । दूसरे यदि यह निर्णय पहले लिया गया होता तो स्टेनलैस स्टील के इस्पात को बचाया जा सकता था । जिससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई होती ।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में स्टेनलैस स्टील का उत्पादन करने के लिए सब से बड़ी न्यायोचित बात यह है कि यह बात इस संयंत्र की मूल योजना के साथ जुड़ी है । इसके साथ ही यह न केवल लाभप्रद है अपितु घरेलू तथा निर्यात उद्योगों के लिए भी बहुत जरूरी है ।

दस्तूर एण्ड कम्पनी ने दुर्गापुर संयंत्र की जो आयोजना तैयार की थी उसमें स्पष्ट था कि इस संयंत्र का दूसरा चरण भी होगा । उस योजना का समर्थन एक अन्य अन्तर्राष्ट्रीय इस्पात कम्पनी ने भी किया था ।

दुर्गापुर संयंत्र के पहले चरण में स्टेनलैस स्टील का उत्पादन करने के लिए इसमें 'कन्टीन्यूअस स्ट्रिप मिल' के स्थान पर हस्त-चालित 'स्ट्रिप मिल' की स्थापना की गई । दस्तूर एण्ड कम्पनी द्वारा आयोजना के अनुसार 'कन्टीन्यूअस स्ट्रिप मिल' की स्थापना दूसरे चरण में की जानी थी। हस्त चालित मिल द्वारा तैयार किया गया माल अच्छा नहीं होता इसी कारण इस कारखाने का माल बाजार की प्रतियोगिता में न ठहर सका व इसे हानि हुई । अब इसी बात को आधार बनाकर कहा जा रहा है कि यहां पर स्टेनलैस स्टील का उत्पादन लाभप्रद नहीं होगा । जबकि वास्तविकता यह है कि इस संयंत्र में स्टेनलैस स्टील के उत्पादन की सारी आयोजना इसके दूसरे चरण पर आधारित थी।

तकनीकी आधारों पर भी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में 60,000 मैट्रिक टन स्टेनलैस स्टील का उत्पादन करने के लिए विस्तार किया जाना चाहिये । स्टेनलैस स्टील के उत्पादन के लिए एक मूल्यवान धातु 'निकल' की आवश्यकता होती है और यह धातु हमारे देश में उपलब्ध नहीं है । परंतु दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के तकनीशियनों ने 'निकल' के स्थान पर 'क्लोमियम' के उपयोग की प्रक्रिया का विकास कोर्स किया है और यह धातु हमारे देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है ।

दूसरे, दुर्गापुर के तकनीशियनों ने सारी जानकारी में कौशल हासिल कर लिया है । यह जानकारी कनाडा से खरीदी गई थी । इस संयंत्र के विस्तार की अनुमति देकर इस जानकारी को किसी अन्य देश से खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी । इसके साथ ही दुर्गापुर में तकनीशियनों ने इस दिशा में पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर लिया है । इस अनुभव को एक मूल्यवान बात समझना चाहिये ।

इस संयंत्र के विस्तार की आयोजना पहले से तैयार है । अतः दूसरे संयंत्र की आयोजना और डिजाईन आदि तैयार करने में समय व्यय करने की तरह यहां उस समय की बचत होगी । इसके साथ ही जल, विद्युत, आदि जैसी मूलभूत आवश्यकताएं यहां पर पहले से ही उपलब्ध है।

देश में स्टेनलैस स्टील का उपयोग घरेलू तथा निर्यात प्रधान उद्योगों में बहुत अधिक बढ़ रहा है। जिससे इसकी मांग में वृद्धि हो रही है। यदि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में स्टेनलैस इस्पात संयंत्र के उत्पादन के लिए इसका विस्तार किया जाए तो यह संयंत्र पूर्वी प्रदेशों में स्थिति पैट्रो-केमिकल्स उर्वरक तथा इस प्रकार के अन्य उद्योगों की मांग की पूर्त्ति कर सकेगा । देश के मोटरगाड़ी विद्युत उत्पादन, कागज, कपड़ा मिल मशीनरी आदि उद्योगों को भी इससे लाभ होगा ।

इसके विस्तार से इस उत्पाद पर आधारित अन्य उद्योगों के विकास में भी सहायता मिलेगी। इन उद्योगों के विकास से अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा । यदि दुर्गापुर के इस विस्तार को अनुमति न दी गई तो पूर्वी प्रदेशों में इसके परिणाम-स्वरूप उपरोक्त उद्योगों का विकास नहीं होगा जिससे रोजगार की स्थिति पर भी और प्रभाव पड़ेगा ।

सरकार इस सारे प्रश्न की फिर से जांच कर रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार ने अभी इस संयंत्र के विस्तार के संबंध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया है । इस अवसर पर हमें दुर्गापुर संयंत्र में स्टेनलैस स्टील के उत्पादन और जोड़ रहित ट्यूबों के उत्पादन के बारे में तुलनात्मक विश्लेषण करना चाहिये ।

हमारे देश में जोड़ रहित ट्यूबों की 90 प्रतिशत मांग पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्र में होती है । दूसरे दुर्गापुर संयंत्र में इनके उत्पादन पर केवल 8 करोड़ रुपये का वार्षिक लाभ होगा परंतु, यदि उस संयंत्र में स्टेनलैस स्टील का उत्पादन करने की अनुमति दे दी जाये तो उक्त यंत्र से 50 करोड़ रु० का वार्षिक लाभ होगा ।

इन उपरोक्त कारणों के आधार पर मैं यह अनुरोध करता हूं कि दुर्गापुर संयंत्र में जोड़ रहित ट्यूबों के उत्पादन की बात बिल्कुल छोड़ दी जाये और वहां पर स्टेनलैस स्टील के उत्पादन के लिए विस्तार की अनुमति दी जाए। इस बारे में सेलम तथा दुर्गापुर में किसी विवाद की कोई बात नहीं है। सेलम में भी स्टेनलैस स्टील का उत्पादन होना चाहिये। परन्तु प्रश्न केवल राष्ट्रीय अर्थ-व्यस्वस्था का है अतः इस आधार पर दुर्गापुर अलौह इस्पात संयंत्र को स्टेनलैस स्टील के उत्पादन की अनुमति दी जानी चाहिये। सेलम संयंत्र में स्टेनलैस स्टील के उत्पादन में पांच छह वर्ष का समय लग सकता है जबकि दुर्गापुर संयंत्र में बहुत कम समय लगेगा। इसका परिणाम यह होगा कि घरेलू उद्योगों और निर्यात प्रधान उद्योगों के लिए कम समय में स्टेनलैस स्टील उपलब्ध हो सकेगा। इससे देश को उतनी मात्रा में कम स्टेनलैस स्टील का आयात करना पड़ेगा।

अंत में, मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि इस प्रश्न पर विचार करते समय केवल दिल्ली में बैठ कर कार्य करने वाले अफसरों के ही विचारों पर ध्यान नहीं दिया जाये अपितु, इस संबंध में निर्णय करने का कार्य योजना आयोग तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के विशेषज्ञों को सौंपा जाए तथा उनके साथ दस्तूर एण्ड कम्पनी के विशेषज्ञों तथा दुर्गापुर संयंत्र के तकनीकी विशेषज्ञों को सम्बद्ध किया जाए।

श्री ज्योतिमर्य वसु (डायमंड हार्बर) : मैं अपना संशोधन संख्या प्रस्तुत करता हूं।

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डे (मन्दसौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बी० के दास चौधरी (कूच बिहार) : प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि प्रस्ताव की अन्तिम दो पंक्तियों में से निम्न शब्दों का लोप कर दिया जाये :

"--अलाभकर जोड़ रहित ट्यूबों के उत्पादन हेतु इसका विस्तार करने की बजाय।"

और 6 मार्च, 1971 को इस्पात सचिव के कक्ष में हुई बैठक में किये गये निर्णय को स्वीकार किया जाये, समझ में नहीं आता कि 21 जुलाई, 1972 को हुई बैठक में 6 मार्च, 1971 को किये गये निर्णय में क्यों परिवर्तन कर दिया गया। पता नहीं उन्होंने यह कैसे कह दिया कि दुर्गापुर संयंत्र लाभकारी सिद्ध नहीं होगा।

सभा को यह बताया गया है कि दुर्गापुर संयंत्र की स्थापना इसलिए की गई थी कि वे अपने व्यक्तियों को जापान, कनाडा तथा कुछ अन्य देशों में विशिष्ट ज्ञान तथा तकनीकी दक्षता प्राप्त करने के लिए भेजेंगे, यह सब कुछ करने के बाद हमारी समझ में नहीं आता कि इसका अधिक से अधिक विस्तार करने के विचार को उपेक्षा क्यों की जा रही है। यह कहा गया है कि दुर्गापुर स्थित मिश्रित इस्पात संयंत्र की वर्तमान क्षमता, 13,000 मीटरी टन है। लेकिन फिर भी केवल 3,000 मीटरी टन का निर्माण किया गया है। इस प्रकार की स्थिति वहां है। लेकिन इस प्रकार की जो जानकारी दी गयी है वह गलत है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र वास्तव में बहुत खराब स्थिति में है। पूर्ण क्षमता को प्राप्त करने के लिए प्रबंध किये जाने चाहिये थे लेकिन नहीं किये गये। इस कारण "हैन्ड-शीट" मिल को उपयोग में लाना पड़ा और 13,000 मीटरी टन की कुल क्षमता को प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके बजाय, इस प्रकार का आरोप लगाया गया है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र 13,000 मीटरी टन को अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने में समर्थ नहीं है और इसकी क्षमता चाहे कुछ भी हो 60,000 मीटरी टन स्टेनलैस स्टील के लिए इसका विस्तार करना ठीक नहीं है।

यह निर्णय किया गया था कि दुर्गापुर इस्पात सयंत्र का विस्तार 3 लाख मीटरी टन तक किया जायेगा जिसमें से 60,000 मीटरी टन स्टेनलैस स्टील होना चाहिये और शेष जोड़ रहित ट्यूब तथा अन्य वस्तुएं । लेकिन बाद में पता चला है कि स्टेनलैस स्टील के अधिकांश भाग में कटौती कर दी गयी और उसे सलेम इस्पात संयंत्र के लिए निर्धारित कर दिया गया है । 23 नवम्बर को मंत्री महोदय ने बताया कि सलेम में 70,000 मीटरी टन स्टेनलैस स्टील की उत्पादन क्षमता होने पर भी और क्षमता के 90 प्रतिशत उपयोग करने पर भी कुल 340 करोड़ रुपये का विनियोजन करने पर केवल 30 लाख रुपये का लाभ होगा लेकिन मिश्रित इस्पात संयंत्र के विस्तार पर केवल 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे । विश्व के किसी भी भाग में किसी भी विशेषज्ञ ने यह नहीं कहा है कि कोई भी मिश्रित इस्पात संयंत्र क्षमता का 90 प्रतिशत उपयोग कर सकता है जबकि मिश्रित इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर के मामले में तकनीकी समिति द्वारा यह बताया गया है कि यदि इस मिश्रित इस्पात संयंत्र का 60,000 मीटरी टन स्टेनलैस स्टील तक विस्तार किया जाता है तो क्षमता का 52 प्रतिशत उपयोग करने पर भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा । मेरा सुझाव है कि इस प्रश्न पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा देश के कल्याण को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि किससे अधिक लाभ होगा, मेरा सुझाव यह नहीं है कि देश के किसी भाग में और कोई इस्पात संयंत्र न हो, मैं केवल इस बात की ओर ध्यान दिला रहा हूं कि सलेम की तुलना में दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र में कम खर्चे पर हम 1976 तक कुल 60,000 मीटरी टन उत्पादन कर सकेंगे जब कि सलेम इस्पात संयंत्र पर अधिक कम होगा और उसमें इतना उत्पादन 1979 के अन्त तक तथा 1980 के आरम्भ तक हो सकेगा। देश में अधिक से अधिक स्टैनलेस स्टील की आवश्यकता है और विदेशी मुद्रा की बचत के लिए स्टैनलैस स्टील का अधिक से अधिक उत्पादन करना भी आवश्यक है । इस सम्बन्ध में विचार करने के लिए मालूम नहीं इतना समय क्यों लिया जा रहा है।

एक बार यह कहा गया था कि दुर्गापुर का विस्तार जोड़ रहित ट्यूबों के लिए किया जा रहा है न कि स्टेनलैस स्टील के उत्पादन के लिए लेकिन हम सब इस बात को जानते हैं कि जोड़ रहित ट्यूब इतनी लाभप्रद नहीं हैं तथा अन्य प्रकार के इस्पात की थोड़ी मात्रा, जिसका वहां उत्पादन किया जायेगा, से भी लाभ नहीं होगा। इसलिए इन वस्तुओं के उत्पादन हेतु दुर्गापुर स्थित मिश्रित इस्पात संयंत्र के विस्तार से उसकी खराब स्थिति में सुधार नहीं होगा, स्टेनलैस स्टील के उत्पादन में वृद्धि करके मिश्रित इस्पात संयंत्र को अच्छी स्थिति में लाया जा सकता है, उसके लिए हमें अपनी सर्वोत्तम तकनीकी जानकारी अन्य संसाधनों तथा उत्पादन वृद्धि के उपायों को काम में लाना चाहिये, इससे न केवल मिश्रित इस्पात संयंत्र की स्थिति में सुधार होगा बल्कि पूर्वी क्षेत्र में विकास की सम्भावना भी बढ़ेगी । इसलिये, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि यथा सम्भव शीघ्र अन्तिम निर्णय करें ।

ऐसा अनुमान है कि 1980-81 तक देश में स्टेनलैस स्टील की हमारी आवश्यकता एक लाख मीटरी टन तक पहुंच जायेगी । इसलिये मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि योजना को शीघ्र लागू करें। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है अगर सलेम संयंत्र में भी साथ-साथ उत्पादन हो। हमें अपनी योजना के साथ-साथ आगे बढ़ना चाहिये ताकि 1980-81 तक देश में स्टेनलैस स्टील की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो सके और हमें आयात पर निर्भर न रहना पड़े।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : मैं राष्ट्र-हित और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तथा पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिए, विशेषकर रसायन, पैट्रो-रसायन, उर्वरक तथा इंजीनियरी जैसे उद्योगों को, जिनके लिए पूर्वी भारत में काफी क्षमता है, ध्यान में रखते हुए श्री समर गुह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इससे उस क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे ।

आप जानते हैं कि मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी ने एक लाख मीटरी टन धातु पिण्डों को बढ़ाकर 3 लाख मीटरी टन धातु पिण्ड करने की सिफारिश की थी और इस सिफारिश को कनाडा की मैसर्स एटलस स्टील कम्पनी द्वारा स्वीकार किया गया था जिसने तकनीकी जानकारी दी है। जब 1968 में दुर्गापुर स्थित मिश्रित इस्पात संयंत्र ने उत्पादन आरम्भ किया तब सरकार ने उसके विस्तार के बारे में निर्णय किया। इस बात को सब जानते हैं कि भिलाई और रुरकेला का विस्तार कार्यक्रम तब बनाया गया था जबकि इन संयंत्रों में उत्पादन आरम्भ ही हुआ था। सरकार ने बोकारो इस्पात संयंत्र के विकास का निर्णय उसके द्वारा उत्पादन आरम्भ करने से पूर्व ही कर लिया था। इन संयंत्रों के विस्तार के समय किसी भी उत्पादन मद को किसी अन्य संयंत्र को नहीं सौंपा गया था लेकिन मिश्रित धातु संयंत्र, दुर्गापुर, के मामले में स्टेनलेस स्टील का उत्पादन कार्य सलेम को दे दिया गया। इस विस्तार के सम्बन्ध में निर्णय करने के मामले में सरकार और तकनीकी विशेषज्ञों ने तीन वर्ष का समय लिया, 6 मार्च, 1971 को हुई बैठक में निर्णय किया गया था कि प्रतिवर्ष 60,000 मीटरी टन स्टेनलैस स्टील का उत्पादन किया जायेगा।

हम दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु के लोगों के हितों के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी क्षेत्रों के विकास तथा सलेम इस्पात संयंत्र के निर्माण का समर्थन करते हैं, लेकिन यह सब पूर्वी क्षेत्र तथा मिश्रित इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर, को हानि पहुंचा कर नहीं किया जाना चाहिये। 60,000 मीटरी टन स्टेनलैस स्टील का उत्पादन करने के लिए सलेम इस्पात संयंत्र पर 340 करोड़ रुपये लागत आयेगी और मिश्रित इस्पात संयंत्र के विस्तार पर केवल 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इस प्रकार 190 करोड़ रुपये की बचत होगी। साथ ही विदेशों से आयात होने वाले कच्चे माल पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।

विस्तार कार्य में विलम्ब के कारण संयंत्र के विस्तार लागत में 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है।

मिश्रित इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर में स्टेनलैस स्टील का उत्पादन न करने से हम एक राष्ट्रीय संकट पदा कर रहे हैं क्योंकि इससे स्टेनलैस स्टील की ऊंची कीमतें बनी रहेंगी और पूर्वी क्षेत्र में स्टेनलैस स्टील से बनने वाले 'इन्फ्रा'-ढांचे नहीं बन पायेंगे।

सरकार को अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिये और सस्ती दर 60,000 मीटरी टन का उत्पादन करने के लिए दुर्गापुर स्थित मिश्रित इस्पात संयंत्र के विस्तार की मूल योजना के संबंध में फिर से निर्णय करे, जो कि बर्तमान स्थिति के संदर्भ में सभी प्रकार से उचित है।

श्री सुबोध हंसदा (मिदनापुर) : प्रस्ताव के अन्तिम भाग से मैं सहमत नहीं हूं। दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र ने उत्पादन 1968 में आरम्भ कर दिया था। सरकार को प्रशिक्षण के लिए इंजीनियरों को कनाडा, जापान तथा दूसरे देशों में भेजना पड़ा क्योंकि देश में मिश्रित इस्पात का उत्पादन करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ नहीं थे। स्टेनलैस स्टील की मांग बढ़ती जा रही है और उसके मूल्य भी काफी बढ़ गये हैं, आज हम करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करके स्टेनलैस स्टील का आयात कर रहे हैं। जब हमारे पास दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र है और इसे मूलतः 3 लाख मीटरी टन मिश्रित इस्पात के लिए बनाया गया था तो मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने इसके विस्तार संबंधी अपने विचार में परिवर्तन क्यों किया, जब आपके पास वहां इतने प्रशिक्षित तकनीशन हैं और आप केवल 150 करोड़ रुपये खर्च करके करोड़ों रुपये की विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं तो समझ में नहीं आता

कि सरकार इसके विस्तार की योजना के मामले में क्यों हिचकिचा रही है। क्या सरकार देश को यह आश्वासन दे सकती है कि 200 करोड़ रुपये की न्यूनतम राशि खर्च करने के पश्चात् भी सलेम संयंत्र दो वर्षों के भीतर उत्पादन आरम्भ कर देगा। जिस पर 350 करोड़ रुपये से भी अधिक लागत आयेगी। लेकिन इतना सत्य है कि अगर सरकार दुर्गापुर में 150 करोड़ रुपये खर्च करती है तो यह निर्धारित क्षमता का उत्पादन करने में समर्थ हो सकेगी।

आज पूर्वी क्षेत्र में बेरोजगारी है। यदि जोड़ रहित ट्यूबों का उत्पादन शत प्रतिशत क्षमता पर भी आरम्भ हो जाये तो भी वह पर्याप्त नहीं होगा और यदि स्टेनलैस स्टील का उत्पादन 50 प्रतिशत क्षमता से भी हो तो वह प्रभावी होगा। इसलिये, सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि आगामी 5 या 6 वर्षों में 350 करोड़ रुपये खर्च करना वांछनीय है अथवा 150 करोड़ रुपये, बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए मिश्रित इस्पात के उत्पाद के लिए इस्पात संयंत्र का विस्तार करने के मामले में हिचकिचाना उचित नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : सरकार हमेशा मजदूरों, कर्मचारियों तथा अधिकारियों से कहती है कि उन्हें देश की समस्याओं के संबंध में संरचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये, दुर्गापुर कमप्लैक्स के मजदूरों और कर्मचारियों के संबंध में कहा गया है कि वे देश के हित की अपेक्षा अपने हित को अधिक महत्व देते हैं ; इस पृष्ठभूमि में, यहां हमारे पास शान्तिपूर्ण आन्दोलन का एक अद्वितीय उदाहरण है जो एक ऐसे प्रश्न को लेकर किया जा रहा है जो कि किसी भी प्रकार न तो स्वार्थपूर्ण है और न ही क्षेत्रीय अथवा और न ही धन संबंधी यह एक ऐसा प्रश्न है, जिसका संबंध सरकारी क्षेत्र तथा संपूर्ण राष्ट्र के कल्याण से है। इस आन्दोलन का सम्बन्ध वेतन वृद्धि अथवा बोनस से नहीं है। इस प्रश्न के सम्बन्ध में दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र के मजदूरों तथा अधिकारियों द्वारा जो सर्तकता तथा सजगता दिखाई गई है वह प्रशंसनीय है। सरकार को इस प्रकार के दृष्टिकोण का स्वागत करना चाहिये और अन्य क्षेत्रों के संयंत्रों के लोगों को इन समस्याओं की गहराई में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये।

कुछ रुढ़िवादी नौकरशाह इसे अवांछित हस्तक्षेप ठहराकर रोष प्रकट करते हैं लेकिन मैं इसे संरचनात्मक दृष्टिकोण वाला ज्वलन्त उदाहरण मानता हूं। उनकी यह मांग बिल्कुल उचित है कि मंत्रालय के विशेषज्ञों तथा योजना आयोग के विशेषज्ञों को संयंत्र के लोगों, उसके इंजीनियरों, अधिकारियों तथा तकनीशनों आदि के साथ परामर्श करना चाहिये क्योंकि यह संपूर्ण राष्ट्र का मामला है और यह राष्ट्र की संपत्ति है। इस संयंत्र का निर्माण बिरला अथवा टाटा के रुपयों से नहीं किया जा रहा बल्कि करदाता अपनी जेब से इसके लिए दे रहा है। इसलिये, यदि इस सरकार ने पुनर्विचार तथा पुनरीक्षण का निर्णय किया है तो हम उसका स्वागत करते हैं, ऐसा कहा गया है कि ऐसा निर्णय नवीनतम तकनीकी विकास के आधार पर किया गया है, हम जानना चाहेंगे कि वे नवीनतम तकनीकी विकास कार्य कौनसे हैं जो 6 मार्च, 1971 तथा 27 जुलाई, 1972 के बीच हुए हैं, और जिनके कारण पुनर्विचार की आवश्यकता पड़ी है।

इस मामले से मेरे राज्य में लोगों में काफी रोष व्याप्त है। लेकिन इसका कारण कोई प्रान्तीय भावना नहीं है। इसका कारण यह है कि क्योंकि हम यह समझते हैं कि यह समस्या पश्चिम बंगाल की आर्थिक प्रगतिरोध तथा औद्योगिक प्रगतिरोध की संपूर्ण समस्या से संबंधित है।

पिछले सत्र में योजना मंत्री श्री धर ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में वास्तविक संकट यह है कि पश्चिम बंगाल ने अपनी परंपरा से जो औद्योगिक ढांचा प्राप्त किया है वह उपनिवेशी किस्म का है। उन्होंने जूट उद्योग, चाय उद्योग, पुरानी कोयला खानों आदि का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा

था कि यदि पश्चिम बंगाल सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसे नये किस्म के आधुनिक उद्योग आरंभ करने होंगे जिनका भूतकाल में विकास नहीं किया गया, यदि श्रीधर की धारणा ऐसी है तो दुर्गापुर में स्टनलैस स्टील क्षमता का विकास करना 'इन्फ्रा'-ढांचे के अत्यावश्यक अंगों में से एक है जिस पर पैट्रो-रसायन, उर्वरक आदि जैसे नये किस्म के आधुनिकतम उद्योगों का विकास निर्भर करता है।

पश्चिम बंगाल में यह धारणा बनती जा रही है कि यदि दुर्गापुर में स्टनलैस स्टील के उत्पादों की निर्धारित क्षमता में काफी कटौती की गई तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह कोई दुर्गापुर और सलेम में झगड़े का प्रश्न नहीं है। नैशनल कौंसिल आफ एप्लाईड इकनामिक रिसर्च द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार यदि दुर्गापुर और सलेम में क्रमशः 60,000 टन और 70,000 टन स्टनलैस स्टील का उत्पादन होता है तो वह भी देश में कुल माग से कम बैठेगा। हमने यह कभी नहीं कहा कि दुर्गापुर में स्टनलैस स्टील का उत्पादन 60,000 टन बनाये रखने के लिए सलेम के उत्पादन में कटौती की जाए, एक को हानि पहुंचाकर दूसरे को लाभ पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार की अस्पष्ट नीति से लोगों में संदेह पैदा हो रहा है कि दुर्गापुर में स्टनलैस स्टील का उत्पादन कम करके सलेम में इसका उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, हमें बताया गया है कि नवीनतम प्रौद्योगिकी विकास के कारण स्थिति की पुनः समीक्षा की जा रही है, मंत्री महोदय कृपया इस स्थिति को स्पष्ट करें।

यह रहस्य अभी तक बना हुआ है कि सरकार ने किन कारणों से मार्च, 1971 में उत्पादन क्षमता आदि के बारे में लिए गए निर्णय की पुनः समीक्षा करने का निर्णय किया है। समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुए हैं और इनका खंडन भी नहीं किया गया है। एलॉय स्टील एम्जीक्यूटिव एसोसिएशन द्वारा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष को लिखे गए पत्र को देखने से पता चलता है कि प्रोडक्ट मिक्स की समीक्षा करने में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष, ए०एस०पी० के महाप्रबंधक तथा ए०एस०पी० के तकनीकी अधिकारियों से परामर्श नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नाम क्या थे तथा उन्होंने निर्णय लेते समय इनके साथ विचार-विमर्श क्यों नहीं किया।

श्री दस्तूर के परियोजना प्रतिवेदन पर चर्चा हो चुकी है। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं, श्री दस्तूर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि मूल योजना का संशोधन करने की क्या आवश्यकता है, जो योजना बनाई गई थी, वह बिल्कुल सही है। इस संयंत्र का विस्तार केवल 150 करोड़ रुपये से किया जा सकता है।

यदि जोड़ रहित ट्यूब संयंत्र स्थापित करने से 60,000 टन स्टेनलेस स्टील की परियोजना में कमी करनी पड़ेगी तो मैं इसका विरोध करता हूं। यदि जोड़ रहित ट्यूब के उत्पादन के साथ-साथ 60,000 टन स्टेनलैस स्टील का भी उत्पादन किया जाय तो मुझे इस पर आपत्ति नहीं है।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम् यदि वहां जोड़ रहित ट्यूब का संयंत्र लगाया जाय और स्टेनलैस स्टील संयंत्र को हटाया जाय तो इसमें उनकी आपत्ति का क्या कारण है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : स्टेनलेस स्टील की सप्लाई बहुत कम है और हमें इसके आयात के लिए भारी विदेशी मुद्रा कम करनी पड़ती है। यदि हम स्टेनलैस स्टील की पूर्ण क्षमता का उपयोग करें तो हम काफी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं, दूसरा, पूर्वी क्षेत्र में नए उद्योगों की स्थापना में इनका महत्वपूर्ण योगदान होगा। तीसरा, दस्तूर एण्ड कंपनी ने इसकी क्षमता 60,000 टन निर्धारित की है। विशेषज्ञों ने यह भी बताया है कि जोड रहित ट्यूब संयंत्र एक लाभप्रद उद्योग सिद्ध नहीं होगा भविष्य में यहां घाटा होने पर आप इसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों पर दोषारोपण करेंगे।

अंत में, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस संबंध में कार्यकारियों और अन्य तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन को दृष्टि में रखते हुए इस मामले पर पुनः विचार किया जाये और स्टेनलैस स्टील की मूल अधिस्थापित क्षमता 60,000 टन तक बढ़ाने की योजना को कायम रखा जाए।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : यह एक तथ्य है कि स्टेनलैस स्टील की मांग बढ़ती जा रही है। इसका उत्पादन कम होने से हमें आयात का आश्रय लेना पड़ता है। विदेशी मुद्रा को बचाने तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए स्टेनलैस स्टील का उत्पादन बढ़ाया जाना अनिवार्य है।

उद्योगों की स्थापना करते समय हमें कच्चे माल की उपलब्धता, यातायात तथा संचार की सुविधाएं, बाजार आदि को ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों का सहयोग भी अपेक्षित है। इस संबंध में दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कार्मिक संघों का सहयोग निराशाजनक रहा है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादन क्षमता 16 लाख टन निर्धारित की गई थी परन्तु आरम्भ से ही इस कारखाने में उत्पादन कम होता जा रहा है। इससे कारखाने को प्रति महीने 1 करोड़ का घाटा उठाना पड़ रहा है। उत्पादन कम होने से हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में श्रमिकों से सहयोग नहीं मिल पाता है, एक कार्मिक संघ के साथ समझौता होने के अन्य कार्मिक संघ उसका विरोध करते हैं। इससे कारखाने के सुचारु रूप से चलने में बाधा पड़ती है।

यदि माननीय सदस्य सभा को यह आश्वासन देते कि वह इसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं और श्रमिक अशान्ति को उत्पन्न नहीं होने देंगे तो यह अधिक अच्छा रहता।

श्री समर गुह : इस प्रश्न पर चर्चा तकनीकी पहलुओं को देखते हुए की जा रही है। श्रमिकों तथा प्रबंधकों के बारे में प्रश्न उठने पर मैं इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

श्री एस० आर० दामाणी: जब सरकार किसी उद्योग आदि में पूंजी लगती है तो उसे यह भी देखना चाहिए कि उससे कितनी लाभ प्राप्ति होती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कर्मचारी और कार्मिक संघ कारखाने में शान्ति बनाये रखने की गारंटी देते हैं तब ही उसके विस्तार के लिए उसमें पूंजी लगाई जानी चाहिए। मैं दुर्गापुर अथवा किसी अन्य स्थान का विरोधी नहीं हूं परन्तु मेरा यह कहना है कि पूंजी निवेश से हमें पर्याप्त लाभ मिलना चाहिए।

स्टेनलैस स्टील की मांग बढ़ती जा रही है। इसीलिए हम आयात द्वारा आवश्यकता को पूरी कर रहे हैं। इस संयंत्र की स्थापना कहां की जानी चाहिए जहां इसका उत्पादन बढ़े। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस संयंत्र की स्थापना के लिए दुर्गापुर सब आवश्यकताओं को पूरा करता है परन्तु सबसे बड़ा भय यहां के कर्मचारियों से है। जब तक उनकी ओर से शान्ति बनाए रखने की गारन्टी नहीं मिल जाती है तब तक सरकार को इस दिशा में सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए।

***श्री ई० आर० कृष्णन (सलेम)** : देश में स्टेनलैस स्टील की कमी से हमें इसमें आयात का आश्रय लेना पड़ता है जिसके कारण दुर्लभ विदेशी मुद्रा पर भार पड़ रहा है। यद्यपि देश में इस्पात के उत्पादों की कमी है परन्तु काले बाजार में इनको प्रीमियम पर प्राप्त किया जा सकता है।

---

*मूल तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

चौथी योजना की मध्यावधि मूल्यांकन करते समय दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 16 नवम्बर, 1972 को श्री इन्द्रजीत गुप्त के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि सलेम में 70,000 टन स्टेनलैस स्टील की क्षमता वाले कारखाने की स्थापना का दुर्गापुर इस्पात कारखाने की वर्त्तमान क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उन्होंने यह भी बताया था कि 1980 तक 1,00,000 टन की अनुमानित मांग को देखते हुए सलेम इस्पात संयत्र की स्थापना की जा रही है।

यह दुख की बात है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में अधिस्थापित उत्पादन क्षमता के 50 प्रतिशत का भी उपयोग नहीं किया जा सका है। मंत्री महोदय ने कहा है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने की अधिस्थापित क्षमता का पूर्ण उत्पादन और सलेम इस्पात कारखाने का उत्पादन दोनों मिलकर 1980 में इस्पात के उत्पादों की अनुमानित आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने में अधिस्थापित क्षमता के अनुसार पूर्ण उत्पादन किया जाना चाहिए। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने परियाजना की शीघ्र क्रियान्विति के लिए सलेम स्टील कम्पनी की स्थापना की है। मेरा उनसे अनुरोध है कि इस परियोजना को निर्धारित अवधि में पूरा किया जाना चाहिए।

श्री बसन्त साठे (अकोला) : जब मैंने श्री समर गुह के प्रस्ताव को पढ़ा तब मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने दुर्गापुर इस्पात कारखाने में उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ इस क्षेत्र के अन्य कारखाने का भी उल्लेख किया है, हालांकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनका इशारा सलेम कारखाने की ओर नहीं है।

यह प्रश्न, कि क्या जोड़ रहित ट्यूब का उत्पादन करना अथवा 60,000 टन स्टेनलस स्टील का उत्पादन करना लाभदायक होगा, विशेषज्ञ समिति को सौंप दिया जाना चाहिए। वह भी मितव्ययिता और लाभ को देखते हुए निर्णय करेगा।

सामान्यतः प्रयत्न निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए। जब मंत्रालय के अनुसार किन्हीं कारणों से अन्य वस्तु का उत्पादन अधिक लाभप्रद है तो इसमें झगड़े की क्या बात है ? मैं इस बात को समझ नहीं सका हूं।

हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का पहले प्रयास करना चाहिए और यह कार्य विशेषज्ञों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अन्ततोगत्वा यह तो उन्हीं का दायित्व है।

Dr. Laxminarain Pandaya (Mandsur) : The Government has not followed its declared policy. If the government could reduce the losses in Durgapur plant and augment the production, the purpose of Shri Samar Guha's motion would have been fulfilled.

The honourable Minister had admitted in his budget speech that the production has gone down due to bad management. He had also assured the house that he would take steps to boost the production. The hon'ble Minister had said that the Durgapur Steel Plant would be expanded, but it was found later on that the expansion was uneconomic. I would like to know the reasons for that what are the reasons for not achieving the target of stainless steel production ?

There is great shortage of stainless steel in the country. The M.M.T.C. earns huge profit by selling stainless steel at the rate of Rs. 27/- per kilo and purchasing at the rate of Rs. 7/- per kilo. The Durgapur steel plant should be given priority, because technical know-how and machinery is already available there. Only with an investment of 50 crores of rupees stainless steel could be produced there, whereas for same amount of stainless steel 350 crores of rupees or 400 crores of rupees would be required.

The continuous fall in the production of steel and stainless steel should be checked. The import of steel has gone up from 7 lakh tons in the last year to 10 lakh tons in the current year.

Durgapur, Rourkela and the other steel plants have incurred the losses to the tune of 170 crores of rupees. Even after 25 years of Independence we are not able to meet our internal demand of steel as well as stainless steel. The production should be increased and management should be improved. Durgapur and Salem Plants should Complete with each other to produce more at less cost.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : सेलम कारखाने में स्टेनलैस स्टील का उत्पादन-लक्ष्य एक लाख टन रखा गया है और औसत उत्पादन 60% अथवा 70% ही होता है। 1980 तक स्टेनलैस स्टील की योग 1,20,000 टन आंकी गई है, इस प्रकार का मांग और पूर्त्ति में भारी अन्तर है।

एक अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में मन्त्री महोदय ने अगस्त, 1972 में कहा था कि दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र के विस्तार संबंधी कार्यक्रमों में स्टेनलैस स्टील का उत्पादन भी सम्मिलित है। उन्होंने यह भी कहा था कि दस्तूर एण्ड कम्पनी ने यह राय व्यक्त की थी कि दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र में उत्पादन के दूसरे चरण में स्टेनलैस स्टील का उत्पादन भी शामिल होगा।

हमारा देश सम्पूर्ण विश्व के उत्पादन का केवल एक प्रतिशत स्टेनलैस स्टील का उत्पादन करता है। हम पूरी तरह आयात पर ही निर्भर हैं और विदेशी तथा भारतीय पूंजीपतियों ने काफी लूट की है। पांचवी लोक की प्राक्कलन समिति ने अपने बीसवें प्रतिवेदन में कहा था कि मिश्रित इस्पात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दुर्गापुर स्थित मिश्रित इस्पात संयंत्र की वर्त्तमान 60,000 टन की क्षमता से 1,80,000 टन क्षमता तक वृद्धि करने की गारंटी दी जा चुकी है। इस्पात मन्त्रालय की नवीनतम रिपोर्ट में भी उक्त बात कही गई है। रिपोर्ट के अनुसार विस्तार कार्य के लिए व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य "दि सेन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो" को सौंपा गया है।

दुर्गापुर संयन्त्र और सेलम संयंत्र दोनों का ही विकास किया जाना चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या पुराने निर्णय को राजनैतिक कारणों से बदल दिया गया ? अगर ऐसा है तो, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। सेलम संयंत्र के साथ-साथ दुर्गापुर संयंत्र का भी विस्तार किया गया, जिसके लिए आप वचनबद्ध हैं।

इस्पात और खान मन्त्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : स्टेनलैस स्टील ही नहीं, बल्कि सभी प्रकार के मिश्रित इस्पात के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए और देश की सामान्य आवश्यकताओं की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए ही दुर्गापुर के मिश्रित इस्पात संयंत्र के विस्तार के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। मैं इस बात को अनेक बार स्पष्ट कर चुका हूं कि सरकार दुर्गापुर मिश्रित इस्पात संयंत्र की क्षमता का 3,00,000 टन तक विस्तार करने संबंधी अपने निर्णय पर अडिग है। श्री ज्योतिर्मय बसु को मैं यह बता देना चाहता हूं कि सरकार राजनैतिक कारणों को ध्यान में रखकर निर्णय नहीं लिया करती।

श्री इन्द्रजीत गुप्त के कहने का तात्पर्य यह था कि मिश्रित इस्पात संयंत्र के विस्तार संबंधी दस्तूर एण्ड कम्पनी की परियोजना रिपोर्ट के मूल निर्णय पर सरकार कायम नहीं रही है, क्योंकि 3,00,000 टन में स्टनलैस स्टील का उत्पादन भी शामिल होता। सम्भव है कि विस्तार कार्यक्रम में मिश्रित उत्पाद के रूप में स्टेनलैस स्टील भी शामिल हो। 9 मार्च, 1970 को डा० एम० एन० दस्तूर ने अपने पत्र में लिखा था कि विभिन्न प्रकार के मिश्रित इस्पात की मांग को देखते हुए, मिश्रित उत्पाद, नियोजित क्षमता, उत्पादन सुविधाओं और पूंजी निवेश के बारे में अनेक विकल्प प्रस्तुत किये जा सकते हैं। व्यापक अध्ययन

से ही विभिन्न विकल्पों के प्रभावों का पता लग सकेगा । उन्होंने यह नहीं कहा है कि मिश्र उत्पाद के रूप में वहां स्टेनलैस स्टील का ही उत्पादन किया जाना चाहिए । दुर्गापुर स्थित मिश्रित इस्पात संयंत्र के विस्तार करने का जब निर्णय किया गया, तब यह निर्णय नहीं किया गया था कि मिश्रित इस्पात के रूप में स्टेनलैस स्टील का ही उत्पादन होना चाहिये । विस्तार कार्यक्रम स्टेनलैस स्टील के उत्पादन पर आधारित नहीं था ।

मार्च, 1971 में इस्पात मन्त्रालय द्वारा आयोजित वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक में 1,00,000 टन से 3,00,000 टन उत्पादन क्षमता करने का निर्णय किया गया था, जिसमें 20,000 टन प्रति रक्षा आवश्यकताओं के लिए, 30,000 टन फोर्ज और स्टेनलैस स्टील के लिए और शेष स्टील के उपयोग के बारे में विस्तार कार्यक्रम में अगले चरण में विचार किया जायगा । यह निर्णय उस समय उपलब्ध आंकड़ो के आधार पर लिया गया था । यदि नये तथ्य सामने आयें, तो किसी भी निर्णय को बदला जा सकता है । जुलाई, 1972 के निर्णय में भी नये तथ्यों के आधार पर संशोधन किया गया है । जब तकनीकी मामलों में शीघ्रता से परिवर्तन हो रहे हों, तब हमें अपना दिमाग खुला रखना चाहिए । जिस प्रकार की उच्चस्तरीय समिति ने मार्च, 1971 में निर्णय लिया था, उसी प्रकार की उच्चस्तरीय समिति ने 1972 में निर्णय लिया था, इसलिए विरोधी सदस्यों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

मार्च, 1971 में हुई बैठक में देश की जोड़ रहित (ट्यूबों) की आवश्यकता को ध्यान में नहीं रखा गया था । इस बारे में हमें 10 करोड़ से 12 करोड़ रु० आयात पर खर्च करना पड़ता था। जोड़ रहित ट्यूबें नरम इस्पात से और मिश्रित इस्पात से बनती हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सीमलैस ट्यूब संयंत्र की स्थापना मिश्रित इस्पात संयंत्र के निकट अत्यधिक उपयोगी रहेगी, क्योंकि नरम इस्पात दुर्गापुर इस्पात संयंत्र से प्राप्त हो जायेगा और मिश्रित इस्पात दुर्गापुर स्थित मिश्रित इस्पात संयन्त्र से उपलब्ध हो सकेगा । इसलिए हमने यह निर्णय किया कि 1.74 लाख टन मिश्रित और निर्माण में उपयोगी इस्पात का उत्पादन किया जाय, क्योंकि 75,000 टन मिश्रित और निर्माण में उपयोगी इस्पात सीमलैस ट्यूबों के उत्पादन के लिए आवश्यक है ।

राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद के अनुमानों के अनुसार स्टेनलैस स्टील के क्षेत्र में विस्तार फ्लैट उत्पादों के माध्यम से होना चाहिए और इसके लिए सेमी कन्टीन्यूअस हाट स्ट्रिप मल और स्लैब बनाने की सुविधायें होनी चाहिये । अफसोस है कि मिश्रित इस्पात संयन्त्र की ब्लूमिंग मिल में 2,40,000 टन छड़ें बनाने की क्षमता है परन्तु इस समय उत्पादन कम हो रहा है और यह अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मिश्रित इस्पात संयन्त्र की सेमी कन्टीन्यूअस हांट स्ट्रिप मिल की पूरी क्षमता का तब तक उपयोग नहीं किया जा सकता जब तक दुर्गापुर में एक अलग उत्पादन सुविधा न हो । इसलिए हमने दुर्गापुर के बजाय सेलम में सेमी कन्टीन्यूअस हांट स्ट्रिप मिल स्थापित करना बेहतर समझा ।

तीसरी बात यह कि मिश्रित इस्पात की ब्लूमिंग मिल की पूरी क्षमता का तभी उपयोग किया जा सकता है जबकि दुर्गापुर में अतिरिक्त मात्रा में मिश्रित निर्माण उपयोगी छड़ों और कार्बन मिश्रित निर्माण उपयोगी छड़ों का उत्पादन किया जाय ।

चौथी बात यह है कि मिश्रित इस्पात सयन्त्र की प्राथमिक मिल में 40 इंच से ज्यादा चौड़ाई के स्लैब नहीं बनाये जा सकते, जो परिस्कृत अवस्था में केवल 36 इंच चौड़ाई के ही रह जायेंगे । सेलम में कन्टीन्यूअस कास्टिंग की वजह से 56 इंच चौड़ाई की स्लेबों का उत्पादन किया जा सकता है जो रसायन उद्योग के लिए भी उपयोगी रहेंगी ।

अगर मिश्रित इस्पात संयन्त्र में अधिक मात्रा में स्टेनलैस स्टील का उत्पादन करना है तो मिश्रित इस्पात संयन्त्र की उत्पादन-प्रक्रिया में भी परिवर्तन करना होगा और अधिक आधुनिक प्रक्रिया को अपनाना होगा।

कुछ माननीय सदस्य यह कहेंगे कि जुलाई में लिये गये निर्णय को नवम्बर में बदलने के क्या कारण थे ? इसके दो कारण थे । अभी हाल में इस्पात सचिव के नेतृत्व में दो प्रतिनिधि मण्डलों ने पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरी ओर जापान की भी यात्रा की। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्टेनलैस स्टील और मिश्रित इस्पात की निर्माण प्रक्रिया में काफी परिवर्तन आ गये है। उनकी रिपोर्ट मिलने पर हिन्दुस्तान स्टील लि० ने यह महसूस किया कि इन सुझावों के क्रियान्वयन की संभाव्यता का व्यापक रूप से अध्ययन करने के लिए यूरोप और जापान के इस्पात कारखानों के कार्यकरण को देखने के लिए सेन्ट्रल इंजीनियरिंग एण्ड डिजाइन ब्यूरो और मिश्रित इस्पात संयन्त्र के अधिकारियों के एक दल को भेजना उपयोगी रहेगा। अध्ययन दल का प्रतिवेदन अभी हमें नहीं मिला है ।

राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् ने अनुमान लगाया है कि वर्ष 1980 तक स्टेनलैस स्टील की मांग 117,000 मीटरी टन हो जायेगी । परन्तु जांच करने पर मंत्रालय इस निर्णय पर पहुंचा कि यह अनुमान बहुत अधिक है और 100,000 मीटरी टन ही पर्याप्त होगा । सलेम, दुर्गापुर तथा अन्य संयंत्रों द्वारा इस आवश्यकता को ही पूरा किया जा सकेगा तथा और विस्तार की गुंजाइश नहीं है । विदेश से लौटे स्टेनलैस स्टील प्रतिनिधि मण्डल ने बताया कि दूसरी अनेक गैर निकल वाली धातुओं का उपयोग बढ़ता जा रहा है । अतः अब हम स्टेनलैस स्टील के उपयोग के प्रचार के लिए सलेम स्टील प्लान्ट आदि में सेल स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। यदि हम इसमें सफल होते हैं तो यह वर्तमान अनुमान बहुत कम रहेगा । परिणामस्वरूप हमें सलेम की उत्पादन क्षमता बढ़ानी पड़ेगी ।

हम स्टील के उत्पादन में नई-नई तकनीकी विधाओं का विकास कर रहे हैं। इससे उत्पादन के समय में भी कमी होगी और उत्पादन बढ़ेगा।

हैण्ड शीट मिल का जिक्र किया गया। दुर्गापुर में इसका उत्पादन अनुमान से बहुत कम है, अर्थात् केवल 3,000 मीटरी टन जबकि सम्भावित उत्पादन 13,000 मीटरी टन है । इसके लिए केवल हैण्ड शीट मिल ही जिम्मेदार नहीं है वरन् इसके लिए उत्पादन बढ़ाने में हमारी असमर्थता भी है । पर दुर्गापुर की स्थिति में केवल स्टेनलैस स्टील के द्वारा ही परिवर्तन नहीं लाया जा सकता । 1978-79 तक जोड़ रहित ट्यूबों की मांग 130,000 मीटरी टन हो जायेगी जबकि वर्तमान अधिश्ठापित क्षमता 50,000 मीटरी टन है । दुर्गापुर में जोड़ रहित ट्यूबों और स्टेनलैस स्टील दोनों का उत्पादन एक साथ किया जा सकता है । और यह लाभदायक होगा ।

ऐसा करना आवश्यक है, पर यदि हम ए०एस० पी० का विकास करने जा रहे हैं तो हमें अपने संयंत्रों के कार्यकरण को और अच्छा करना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय इस्पात विशेषज्ञों की यह राय है कि किसी भी संयंत्र का विस्तार करने की बात तब तक नहीं सोचनी चाहिए जब तक उसकी कम से कम 85 से 90 प्रतिशत क्षमता का उपयोग न होता हो। पर इस समय ए० एस० पी० में उत्पादन बहुत कम हो रहा है । अतः मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रबंधकों, श्रमिकों तकनीशियनों आदि को उत्पादन बढ़ाने में मदद दें । वैसे किसी भी निर्णय पर पहुंचते समय हम कर्मचारियों का पूरा सहयोग प्राप्त करते हैं । हम तकनीशियनों की राय पर पूरा ध्यान देते हैं। इसमें हो सकता है हमारे और उनके सोचने का ढंग भिन्न हो पर यह नहीं कि हम कोई गलत कदम उठा रहे हैं।

अन्त में मैं यह बता दूं कि यह समस्या सलेम और दुर्गापुर का मामला नहीं है वरन् यह सारे राष्ट्र का मामला है और हम इन सभी संयत्रों का विकास और विस्तार करना चाहते हैं।

श्री समर गुह : सभापति महोदय, मैं यह बता दूं कि यह सलेम और दुर्गापुर का मामला नहीं है और न ही यह पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का मामला है । मैंने यह मामला केवल राष्ट्रीय हित में तकनीकी और आर्थिक आधार पर उठाया है ।

श्रमिक विवाद इसका मुख्य कारण नहीं है और फिर यह दुर्गापुर में ही नहीं है वरन् देश भर में श्रमिक विवाद है ।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : पर यह मैं साफ-साफ कह देना चाहता हू कि दुर्गापुर में देश के अन्य भागों से बहुत अधिक है ।

श्री समर गुह : मैं यहां इस मामले को उलझाना नहीं चाहता । सरकार को भी श्रमिकों पर यह जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। और भी कई बातें हैं। मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता । उनके ऊपर अलग से चर्चा की जा सकती है । श्रमिकों द्वारा प्रबंध में भाग लेने की बात को सरकार ने अभी लागू नहीं किया है।

माननीय मंत्री ने मेरी बात को गलत तरीके से रखा है । मैंने मैसर्ज दस्तूर एण्ड कम्पनी के पत्र को देखा है उसका हवाला मैंने यहां दिया था जिसमें लिखा था दुर्गापुर अलाय स्टील प्लान्ट में 60,000 मीटरी टन स्टेनलैस स्टील के उत्पादन को शामिल किया जाना चाहिए अन्यथा यह लाभ पर नहीं चलेगा। उसमें यह भी कहा गया है कि जब वह 60,000 मीटरी टन के उत्पादन का 50 प्रतिशत उत्पादन करने लगेगा तो उससे लाभ होने लगेगा । पर माननीय मंत्री ने कुछ और ही कहा है तथा इस पर निर्णय तभी लिया जा सकता है जब सारे कागजात सभा के सम्मुख रख दिए जायें।

जोड़ रहित ट्यूबों के संबंध में विशेषज्ञों ने जो निर्णय लिया है यदि वह किसी पूर्वधारणा अथवा दबाव के बिना लिया है तो मैं उन्हें इस स्वतन्त्र निर्णय के लिए धन्यवाद देता हूं।

संसार में बिना निकल और क्रोमियम-मैंगनीज़ अलाय स्टील की मांग बहुत बढ़ी है । इस बात को भी विशेषज्ञों को ध्यान में रखना चाहिए । देश में मैंगनीज़ और क्रोमियम बड़ी मात्रा में हैं। । दुर्गापुर में इस तकनीक का विकास हुआ है । अतः दुर्गापुर में स्टेनलैस प्लान्ट की स्थापना के लिए इस पर भी विचार करना चाहिए । अतः मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि स्टील प्लान्ट के संबंध में निर्णय लेने से पहले वह उन तकनीशियनों से विचार-विमर्ष अवश्य करें जिन्होंने क्रोमियम-मैंगनीज़ अलाय स्टील की तकनीक का आविश्कार किया है । उन्हें पूरी स्थिति की जांच करनी चाहिए ; नौकरशाही ढग से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए । इसमें पर्याप्त विलम्ब हो गया है । अब और विलम्ब नहीं किया जा जाना चाहिए; पर जल्दी से भी कोई निर्णय न लिया जाये ।

अंत में मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उनका रवैया पूर्वाग्रहपूर्ण नहीं है । मुझे उनका यह उत्तर उचित नहीं लगा कि मैं जोड़ रहित ट्यूबों के उत्पादन के पक्ष में नहीं हूं।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : यदि आपने दुर्गापुर मिश्र उत्पाद के लिये दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का विकास करने के लिये शीघ्र निर्णय किये जाने के लिये ही कहा होता तो मैं उसका समर्थन करता। अतः पूर्वाग्रही आप हैं मैं नहीं ।

श्री समर गुह : मैंने यह नहीं कहा कि आप पूर्व आग्रही हैं; में यह प्रयत्न कर रहा था कि :... मैं कह रहा हूं कि दुर्गापुर ए० एस० पी० के विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद आप को अंतिम निर्णय करना चाहिये था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैंने आफीसर्स ऐसोसिऐशन द्वारा दिये गये एक वक्तव्य का हवाला दिया था कि मार्च 1971 से अगस्त 1972 तक मिश्र उत्पाद संबंधी निर्णय के बारे में एच० एस० एल० के चेयरमैन तथा ए० एस० पी० के जनरल मैनेजर से कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया।

श्री एस० मोहन कुमारमंगलम : यह सच नहीं है । मेरे विचार में उनकी राय को ध्यान में रखा गया था ।

श्री समर गुह : मैं मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन पर विश्वास करते हुये अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं ।

सभापति महोदय : चूंकि सशोधन प्रस्तुत किये गये हैं अतः उनको मतदान के लिये रखना है ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुये

Amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : श्री समर गुह ने मूल प्रस्ताव को वापस लेने की इच्छा व्यक्त की है ।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The Motion was by Leave withdrawn.

भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक—जारी

THE INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

Shri R.V. Bade (Khargone) : In this amending Bill the period of Railway's liability, for the loss or damage to goods in transit is reduced from thirty days to seven days, if Government intend to speed up the movement of wagons they should also determine the time limit by which goods should reach their destination so that there should be no loss to the traders.

It has been observed that in certain cases goods do not reach their destination even after a period of one month. Therefore, hon. Minister should look into this matter.

In reply to a question the hon. Minister stated that the bottlenecks in the movement of goods by Railways were due as much to stoppages caused by law and order problems as the actual shortage of wagons. The hon. Minister has told the Lok Sabha today that additional wagons have been ordered from private firms and railway workshops to cope with the wagon shortage. I think that the measure of reducing the period of responsibility is not proper because it would cause more difficulties to the people. May I know whether this decision has been taken after consulting the experts ? It is the responsibility of Railway employees to increase the mobility of the wagons and for that people should not be penalised.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu) : I rise to support this Bill. Consignees are supposed to take delivery of their goods within the period of seven days and I think Railways should not be responsible for any loss caused to their goods if they do not take delivery of their goods in time. In view of the fact that the movement of wagons is unnecessarily stopped the reduction of the said period is justified. Shortage of wagons in the country also necessitates this action.

It has been observed that traders hesitate to send their goods through Railways because there are more chances of loss to their goods. Due to the shortage of wagons there is no proper competion between Railway transport and road transport. But when we will have sufficient wagons Railways will have to suffer heavy loss since it could not compete with the road transport. I, therefore, suggest that Railway transport system should be improved.

According to the hon. Minister a heavy amount is paid by Railways to the parties as compensation. I do not understand why there should be cases of pilferage and theft in the Railways when security personnel, guards and other persons are there to ensure the security of goods. I suggest that Government should fix responsibility on certain officers to see that there are no such cases and action should be taken against defaulting officers. Suitable system should be evolved to pursue the cases of the Railway since counsels for Railways do not do justice to their assignment.

Shri Dhan Shah Pradhan (Shahdol) : In absence of proper communication facilities in rural areas traders have to face many difficulties. There is also acute shortage of wagons in the country. In these circumstances this amendment cannot be justified. It has been observed that wagons are put on the sidings at small stations resulting in theft. I, therefore, suggest that there should be no reduction in this period.

I support the proposal of the Government for bringing radical changes in the Railways. Government should also provide more and more facilities to the traders, specially, small traders.

I also suggest that the instructions issued by the Railway Board regarding the distance of wine shops to the effect that they should be kept 3 Kms. away from railway tracks should be implemented immediately.

Shri Ambesh (Firozabad) : I think the original Act has become almost obsolete now since the situation prevalent in 1890 is changed. In these circumstances the hon. Minister should have brought a comprehensive Bill on this subject. Several new difficulties have arisen in the country as a result of which traders have to suffer heavy losses. It has been observed that wagons sent to West Bengal and such other places are sent back after a long period. It should also be ensured that goods sent through Raiwlays are not destroyed by anti-social elements, like nexalites.

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं।

(इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार 7 दिसम्बर, 1972/16 अग्रहायण 1894 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई)।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday, December 7, 1972/ *Agrahayana* 16, 1894 (*Saka*)

MGIPRRND—53LSS/72—S II-NIGHT—23-2-73—490.